

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii-xvi
अध्याय I: विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1-2
संघ शासित क्षेत्र सरकार की रूपरेखा- प्राप्तियां एवं व्यय	1.2	2-4
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.3	5
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.4	5-6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	1.5	6-8
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं और विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लिए विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8-9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	9-10
राज्य कर विभाग		
अध्याय II: जीएसटी के अंतर्गत धनवापसी के दावों के प्रसंस्करण	2.1 से 2.6	11-26
अध्याय III: ट्रांज़िशनल क्रेडिट	3.1 से 3.9	27-50
कृषि उत्पादन विभाग		
अध्याय IV: शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन	4.1 से 4.18	51-97
आवास एवं शहरी विकास विभाग		
अध्याय V: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	5.1 से 5.8	99-122
अध्याय VI: सिविल विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका		
राज्य कर विभाग		
टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण	6.1	123-125
खरीद के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण	6.2	125-129
आवास एवं शहरी विकास विभाग		
स्थल की नीलामी में विलंब तथा परिणामस्वरूप किराये की गैर-वसूली के कारण संभावित हानि	6.3	129-131
गृह विभाग		
पुलिस कार्मिकों को एक महीने के अतिरिक्त वेतन के कारण अस्वीकार्य भुगतान	6.4	131-132
लोक निर्माण विभाग		
पर्यवेक्षण प्रभारों की गैर-वसूली	6.5	132-134
समाज कल्याण विभाग		
अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु किराये पर ली गई छात्रावास इमारत के किराया, अनुरक्षण तथा समारक्षण पर परिहार्य अपव्यय	6.6	134-136

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बालकों के छात्रावास के निर्माण पर अपव्यय	6.7	136-138
अध्याय VII: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	7.1	139
लेखापरीक्षा अधिदेश	7.2	139-140
जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू	7.3	140
पीएसयू में निवेश एवं बजटीय सहायता	7.4	140-142
सीएजी की निगरानी भूमिका	7.5	142-143
पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	7.6	143-145
सीएजी की निगरानी- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	7.7	145-146
सीएजी की निगरानी करने की भूमिका का परिणाम	7.8	146-147
अनुशंसाएं	7.9	147
विद्युत विकास विभाग		
विद्युत विकास निगम लिमिटेड		
अध्याय VIII: जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु जलविद्युत परियोजनाओं का विकास	8.1 से 8.7	149-169
वित्त विभाग		
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड		
अध्याय IX: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का प्रबंधन	9.1 से 9.6	171-194
अध्याय X: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
वित्त विभाग		
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड		
बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को संस्वीकृत/ बढ़ाते समय यथोचित सतर्कता का प्रयोग न करने के कारण वसूली का संदेहास्पद होना	10.1	195-197
पर्याप्त प्रतिभूति सुरक्षा को प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति के कारण वसूली का संदेहास्पद होना	10.2	197-199
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग		
जम्मू एवं कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड		
लघु औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त अग्रिमों का स्वीकृति	10.3	200-201
जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
जीएसटी को जमा करने में हुए विलंब के कारण दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान	10.4	201-203

परिशिष्ट		
	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	श्रेणीवार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और प्रतिदर्श चयन	205
परिशिष्ट 2.2	आवेदनों की पावती में विलंब (सभी प्रकार के धनवापसी) (स्वचालन पूर्व)	206-208
परिशिष्ट 2.3	समय के भीतर नहीं निपटाए गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान/ भुगतान नहीं किया गया) (स्वचालन पूर्व)	209-214
परिशिष्ट 2.4	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी की अनियमित अनुमति (स्वचालन पूर्व)	215-216
परिशिष्ट 2.5	अनंतिम धनवापसी की अनियमित स्वीकृति	217
परिशिष्ट 2.6	विवरणियों के गैर फाइलिंग के बावजूद धनवापसी की स्वीकृति	218-222
परिशिष्ट 2.7	अन्यायपूर्ण संवर्धन के परीक्षण का भुगतान किए बिना धनवापसी दावों का प्रसंस्करण	223-224
परिशिष्ट 2.8	जीएसटीआर-3बी में परिलक्षित की तुलना में धनवापसी आवेदन में दर्शाए गए उच्च आईटीसी पर अतिरिक्त धनवापसी	225-226
परिशिष्ट 2.9	आईटीसी चूक के मामलों में धनवापसी की अनियमित स्वीकृति	227-228
परिशिष्ट 3.1	लेखापरीक्षित प्रतिदर्श का विवरण	229-230
परिशिष्ट 3.2	बेमेल मामलों का विवरण	231
परिशिष्ट 3.3	अग्रेषित किए गए क्रेडिट का विवरण	232
परिशिष्ट 3.4	लीगेसी रिटर्न के बिना मामलों का विवरण	233
परिशिष्ट 3.5	अग्रेषित किया गया अस्वीकृत क्रेडिट	234
परिशिष्ट 3.6	अग्रेषित किया गया गलत क्रेडिट	235
परिशिष्ट 3.7	कालातीत दस्तावेजों पर लिया गया क्रेडिट	236
परिशिष्ट 3.8	सहायक दस्तावेजों के बिना क्रेडिट की अनुमति	237
परिशिष्ट 3.9	चालानों के समर्थन के बिना क्रेडिट की अनुमति	238
परिशिष्ट 3.10	गलत असत्यापित क्रेडिट की अनुमति	239
परिशिष्ट 3.11	क्रेडिट के वापसी पर ब्याज का गैर प्रभार	240
परिशिष्ट 4.1	पदों का पुनः पदनाम	241
परिशिष्ट 4.2	पुनः पदनाम के आधार पर सृजित गैर-विद्यमान पदों के प्रति नियुक्तियां	242
परिशिष्ट 7.1	31 मार्च 2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में सार्वजनिक उपक्रमों का विवरण	243-245
परिशिष्ट 7.2	31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	246-249

विवरण		पृष्ठ
परिशिष्ट 7.3	30 नवंबर 2021 तक कार्यशील पीएसयू लेखे, जो बकायों में हैं, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	250-251
परिशिष्ट 8.1	परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति (जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड)	252-258
परिशिष्ट 8.2	परियोजनाओं का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास अभिकरण)	259-264
परिशिष्ट 9.1	नए किराये के परिसर में स्थानांतरण में विलंब के कारण किराये के निष्क्रिय भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	265-270
परिशिष्ट 9.2	कार्यादेशों का विवरण जहां कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण ठेकेदारों से अर्थदंड की वसूली नहीं की गई थी	271-279

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्णय (जून 1994) के अनुसार, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया जाता है, राज्य से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, यह प्रतिवेदन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को भी भेजा जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अन्तर्गत संचालित की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो 2020-21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय संज्ञान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन में संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है।

प्रतिवेदन को 10 अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय I: विहंगावलोकन

वर्ष 2020-21 के लिए इस अध्याय में संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियों/ व्यय के साथ, लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार, लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा उत्पादों जैसे निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिक्रिया का एक संक्षिप्त विवरण शामिल है।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व (₹ 12,953.37 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 24.68 प्रतिशत था। शेष 75.32 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया था।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 16.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.29 प्रतिशत रहा। सामाजिक सेवाओं (₹ 21,964.27 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 14,842.46 करोड़) का संयुक्त हिस्सा वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय का 58.27 प्रतिशत था, और कुल व्यय का 41.63 प्रतिशत सामान्य सेवाओं (₹ 26,297.40 करोड़) पर व्यय किया गया था।

(कंडिका 1.2, पृष्ठ: 2-4)

अध्याय II: जीएसटी के अंतर्गत धनवापसी के दावों का प्रसंस्करण

जीएसटी के अंतर्गत धनवापसी के दावों के प्रसंस्करण पर जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि हेतु विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) आयोजित की गई थी और लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

21 मामलों (13 प्रतिशत) में पावती जारी करने में एक से 477 दिन का विलम्ब था, इन मामलों में औसत विलम्ब 52 दिनों का था।

(कंडिका 2.4.1, पृष्ठ: 14-15)

43 धनवापसी मामलों (24 एसटी सर्कल) में धनवापसी की मंजूरी में विलम्ब दो से 446 दिनों के बीच था, इन मामलों में औसत विलम्ब 75 दिनों का था। विभाग ने दावेदारों को धारा 56 के तहत ₹ 2.34 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इनमें से 32 मामलों में एक से तीन महीने का विलम्ब हुआ, छह मामलों में तीन से छह महीने का विलम्ब हुआ और पांच मामलों में क्रमशः छह महीने से अधिक का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.4.2, पृष्ठ: 15-16)

जांच किए गए 33 धनवापसी मामलों में से, विभाग ने पांच धनवापसी मामलों (दो एसटी सर्कल्स) में निविष्ट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.82 लाख की धनवापसी की अनियमित स्वीकृति हुई।

(कंडिका 2.4.3, पृष्ठ: 16-17)

विभाग ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण सर्कल अनंतनाग-II में एक करदाता के तीन मामलों में 90 प्रतिशत का अनंतिम धनवापसी जारी किया था जो कि वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड सप्लाइ के मामलों से अन्य थे। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम आधार पर ₹ 19.94 लाख की धनवापसी को अनियमित स्वीकृत किया गया था।

(कंडिका 2.4.4, पृष्ठ: 17-18)

नवंबर 2018 और जून 2020 के बीच पूर्व की अवधि के लिए पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा रिटर्न (जीएसटीआर-1) दाखिल नहीं करने के बावजूद 26 मामलों के संबंध में धनवापसी स्वीकृत किए गए थे। यहां तक कि कश्मीर संभाग में दो विक्रेताओं और जम्मू संभाग में तीन विक्रेताओं के संबंध में पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

(कंडिका 2.4.5, पृष्ठ: 18-19)

दो लाख से अधिक के 15 धनवापसी दावों के संबंध में प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए सनदी लेखाकार/ लागत लेखाकार से प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ₹ 328.25 लाख की धनवापसी को स्वीकृत किया गया था।

(कंडिका 2.4.6, पृष्ठ: 19)

निर्यात पर स्वीकृति के संबंध में ₹ 144.67 लाख का धनवापसी एक व्यापारी के पक्ष में शिपिंग बिल/ निर्यात चालान/ बिना किसी शुल्क वापसी के दावे के उपक्रम जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के बिना स्वीकृत किया गया था।

(कंडिका 2.4.7, पृष्ठ: 19-21)

जीरो रेटेड सप्लाई (दो मामले) और इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर (आठ मामले) के संबंध में आईटीसी के धनवापसी से पता चला कि जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 110.33 लाख के अंतर के बावजूद धनवापसी का दावा किया गया था और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके समर्थन में अभिलेख पर कोई चालान नहीं मिला।

(कंडिका 2.4.10, पृष्ठ: 23)

धनवापसी मामलों का पोस्ट ऑडिट आयोजित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना हुई।

(कंडिका 2.4.11, पृष्ठ: 23-24)

अध्याय III: ट्रांज़िशनल क्रेडिट

जीएसटी के तहत ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि हेतु एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) आयोजित की गई थी और लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

46 ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों के संबंध में, जीएसटीएन द्वारा साझा किये गये फ्रन्ट एंड डेटा जीएसटीएन द्वारा बैंक एंड पर साझा किए गए डेटा से मेल नहीं खाते। इन 46 मामलों में ₹ 282.56 लाख की ट्रांज़िशनल क्रेडिट (टीआरएएन-1) के संबंध में डेटा बेमेल था।

(कंडिका 3.7.2, पृष्ठ: 32-34)

चार मामलों में, ₹ 11.25 लाख की राशि के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा विगत वैट व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के वास्तविक शेष से अधिक था।

(कंडिका 3.8.1, पृष्ठ: 36-37)

चार मामलों में, डीलर (व्यापारियों) ने सभी आवश्यक विवरणियां दाखिल नहीं किये थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.75 लाख की राशि का आईटीसी का अपात्र ट्रांज़िशनल क्रेडिट हुआ।

(कंडिका 3.8.2 (क), पृष्ठ: 37-38)

13 मामलों में, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत अनुचित/ अधिक ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों को उत्क्रम किया गया; हालांकि, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के तहत ब्याज देयता प्रभारित नहीं थी।

(कंडिका 3.8.5, पृष्ठ: 48-49)

अध्याय IV: शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए), यह आकलन करने के लिए आयोजित की गयी थी कि क्या कृषि विश्वविद्यालयों ने संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया था और लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

विश्वविद्यालयों ने पदों के सृजन/ उन्नयन/ परिवर्तन के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किया था। रिक्त पदों की उपलब्धता ने पदों को पुनः पदनामित कर, स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्त कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियों, संलग्नकों और समायोजनों को करने की सुविधा प्रदान की।

(कंडिका 4.6, पृष्ठ: 56)

अनिवार्य शैक्षणिक निष्पादन संकेतकों को अंगीकार किये बिना नियुक्तियां, अनिवार्य नेट योग्यता के बिना नियुक्तियां, शिक्षण अनुभव में अस्वीकार्य अवधियों की गणना करके नियुक्तियां और तकनीकी पदों के अनियमित उन्नयन द्वारा पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से नियुक्तियां, करने के मामले दृष्टिगत हुए।

(कंडिका 4.9, पृष्ठ: 61)

शैक्षणिक निष्पादन संकेतकों और अनुसंधान प्रकाशनों की आवश्यकता के संबंध में निर्धारित मानदंडों को शिथिल करने, प्रत्यक्ष नियुक्तियों को पूर्वव्यापी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लाभ का विस्तार, समयपूर्व प्रतिस्थापन, अस्वीकार्य विगत सेवा की गणना, अनिवार्य प्रशिक्षणों को पूरा न करने, पीएचडी प्राप्त करने में लगा समय एवं वेतन रहित छुट्टी की अवधि की शिक्षण अनुभव के लिए गणना इत्यादि के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किए जाने के कारण कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का दोषपूर्ण कार्यान्वयन हुआ था।

(कंडिका 4.10, पृष्ठ: 66-67)

गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में ऐसे उदाहरण थे जिनमें तदर्थ/ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के माध्यम से भर्तियाँ, अनिवार्य परीक्षणों को उत्तीर्ण किए बिना नियुक्तियां, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्तियाँ, सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए पार्श्व प्रविष्टि आदि।

(कंडिका 4.11, पृष्ठ: 74-75)

गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था और ऐसे उदाहरण थे जिनमें दो स्तरीय कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, समय से पहले पदोन्नति आदि के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था।

(कंडिका 4.12, पृष्ठ: 78-79)

विश्वविद्यालयों के भर्ती नियमों में अस्पष्टताएं/ असंगतियां थीं जिसका परिणाम अनियमित नियुक्तियां, उच्चतर स्तरों में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन निरंतरता और परिहार्य मुकदमेबाजी/ पदों को नहीं भरना था।

(कंडिका 4.13, पृष्ठ: 83)

अध्याय V: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन (यू) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए दो घटकों अर्थात् व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सार्वजनिक शौचालय (पीटी) की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

लाभार्थियों के पास मौजूदा सेनीटरी शौचालय था या नहीं, यह देखने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.3, पृष्ठ: 101-103)

विभिन्न चरणों में कार्य की भौतिक प्रगति की अनुवीक्षण की प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप इनसेनीटरी शौचालयों को सेनीटरी शौचालयों में परिवर्तित नहीं किया गया और लाभार्थियों को अतिरिक्त/ दोहरा भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.4, पृष्ठ: 104)

लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 942 लाभार्थियों में से, जिनके आईएचएचएल गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित के रूप में दर्शाए गए थे, केवल 95 आईएचएचएल (10 प्रतिशत) कार्यात्मक पाए गए थे। इसके अलावा, 238 लाभार्थियों ने बताया कि गैर-सरकारी संगठनों ने उनके आईएचएचएल का निर्माण नहीं किया था, बल्कि उन्होंने स्वयं इसका निर्माण किया था।

(कंडिका 5.5.1(क), पृष्ठ: 108-110)

सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्यों को वैध अनुबंधों को निष्पादित किये बिना आबंटित किया गया था और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने पर ठेकेदारों पर कोई अर्थदंड अधिरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.6.1 एवं 5.6.2, पृष्ठ: 114-115)

सार्वजनिक शौचालय के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत निर्मित अधिकांश सार्वजनिक शौचालय या तो गैर-कार्यात्मक थे या रख-रखाव के बिना कार्यात्मक थे।

(कंडिका 5.6.7, पृष्ठ: 119-121)

अध्याय VI: सिविल विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

निर्धारण प्राधिकारी, राज्य कर सर्कल-एच, जम्मू द्वारा लेखांकन वर्षों 2014-15 से 2017-18 (07 जुलाई 2017 तक) हेतु दो व्यापारियों के आंकलन के समय सही दरों पर कर उद्ग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹ 4.49 करोड़ के कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 6.1, पृष्ठ: 123-125)

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य कर सर्कल-सी, एल, जे, जम्मू तथा सर्कल-आई ऊधमपुर में व्यापारियों द्वारा की गई अंतर्राज्यीय खरीद को छिपाने का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदंड को समेकित करते हुए ₹ 80.20 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 6.2, पृष्ठ: 125-129)

न्यूनतम आरक्षित किराये के निर्धारण के पश्चात नीलामी द्वारा दुकानों/ स्थानों को किराये पर देने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ की संभावित हानि हुई।

(कंडिका 6.3, पृष्ठ: 129-131)

नगरपालिका/ पंचायत चुनाव, 2018 के संचालन के दौरान गृह विभाग द्वारा 483 पुलिस कार्मिकों के संबंध में, जिन्हें चुनाव इयूटी के लिए परिनियोजित नहीं किया गया था, को एक माह के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने की अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 6.4, पृष्ठ: 131-132)

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के निर्माण कार्यों के संबंध में दो निर्माण कार्य निष्पादन प्रभागों की वर्तमान नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन प्रभागों द्वारा पर्यवेक्षण प्रभागों की गैर-कटौती के कारण ₹ 1.61 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 6.5, पृष्ठ: 132-134)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य परामर्शदात्री बोर्ड के छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने की विद्यार्थियों की इच्छा संबंधी सर्वेक्षण कराए बिना तथा माँग की कमी के बावजूद, दो निजी भवनों को सितंबर 2014 से मार्च 2021 तक छात्रावास के रूप में किराए पर लेने के विवेकहीन निर्णय के परिणामस्वरूप किराए, अनुरक्षण तथा समारक्षण पर ₹ 66.05 लाख का परिहार्य अपव्यय हुआ।

(कंडिका 6.6, पृष्ठ: 134-136)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु डीपीआर को स्वीकृत करवाने तथा भारत सरकार द्वारा विमोचित निधियों के केंद्रीय अंश को प्राप्त करने में विफलता के साथ मूल योजनांतर्गत राज्य द्वारा प्रदत्त निधि से छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ का अपव्यय हुआ।

(कंडिका 6.7, पृष्ठ: 136-138)

अध्याय VII: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 42 पीएसयू थे। इनमें 39 सरकारी कंपनियाँ (चार साल से 31 वर्ष के बीच के लेखाओं में विलंब वाली छह निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं), दो सांविधिक निगम और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल है। एक पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। छह निष्क्रिय पीएसयू (चार परिसमापन की प्रक्रिया में) में पूँजीगत निवेश ₹ 57.57 करोड़ (जीओजेएंडके: ₹ 56.59 करोड़ एवं अन्य ₹ 0.98 करोड़) तथा दीर्घकालिक ऋण ₹ 0.83 करोड़ (जीओजेएंडके: ₹ 0.83 करोड़ एवं अन्य: शून्य) है।

(कंडिका 7.3, पृष्ठ: 140)

31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 40 कंपनियाँ थीं। इनमें से 34 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2020-21 के लेखे बकाया थे। हालाँकि, केवल तीन सरकारी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले सीएजी

द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए। 31 मार्च 2021 तक दो सांविधिक निगम सीएजी के लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में थे। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम और जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम के वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखे 30 नवंबर 2021 तक प्रतीक्षित थे।

(कंडिका 7.6 (ख) एवं (ग), पृष्ठ: 144-145)

अध्याय VIII: जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु जलविद्युत परियोजनाओं का विकास

जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) संचालित की गई थी और लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1,725.53 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले 374 चिन्हित परियोजना स्थलों में से, 79.75 मेगावाट (पांच प्रतिशत) की क्षमता वाली केवल 10 परियोजनाओं को चार महीने और सात साल से अधिक समय सीमा के साथ शुरू किया गया था। 225 स्थलों की पहचान के बाद उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 8.3, पृष्ठ: 152-153)

प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित स्थलों हेतु 20, उच्च परियोजना लागत और अव्यवहार्य टैरीफ को दृष्टि में रखते हुए निधियों के विमोचन के लिए भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(कंडिका 8.4.1, पृष्ठ: 153-156)

नोडल एजेंसियों द्वारा आईपीपी को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं के लिए मंजूरी, अनुमोदन और वित्त प्राप्त करने में सहायता के लिए विभागों/ एजेंसियों के साथ समन्वय नहीं किया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी नहीं की गई। आईपीपी ने अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के विकास में खराब निष्पादन के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ प्रति क्रय अनुबंधों की अनुपलब्धता के कारण बैंकों द्वारा वित्तपोषण की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया था।

(कंडिका 8.4.1, पृष्ठ: 153-156)

दाह में जल विद्युत परियोजना के आयोग के साथ-साथ पारेषण लाइन को पूरा करने को सुनिश्चित करने में जेकेपीडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप 59.37 मिलियन

यूनिट के विद्युत उत्पादन का अनुपयोग हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 8.4.3, पृष्ठ: 158-159)

अध्याय IX: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का प्रबंधन

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) आयोजित की गई थी और लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

वर्ष 2016-21 के दौरान बैंक ने ₹ 184.92 करोड़ मूल्य की भूमि क्रय की, जिसमें से ₹ 140.22 करोड़ मूल्य की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका। अनुचित योजना के कारण ₹ 22.78 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही।

(कंडिका 9.2, पृष्ठ: 172-173)

परिसर को किराये पर लेने में ₹ 5.28 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ। असज्जित परिसर को किराये पर लेने के कारण, बैंक को ₹ 5.14 करोड़ का पट्टा किराया देना पड़ा क्योंकि इसमें फर्निशिंग कार्यों में काफी समय लगता था जिसके कारण व्यावसायिक इकाइयों के स्थानांतरण में विलंब हुई।

(कंडिका 9.3.1 एवं 9.3.3, पृष्ठ: 178-180 एवं 187-189)

कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ था, तथापि ठेकेदारों से ₹ 8.77 करोड़ की अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी थी।

(कंडिका 9.4.1, पृष्ठ: 190)

अध्याय X: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

मैसर्स बेग कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को संस्वीकृत/ बढ़ाते समय यथोचित सतर्कता का प्रयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 102.55 करोड़ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

(कंडिका 10.1, पृष्ठ: 195-197)

मैसर्स एस इंजीनियरिंग इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पर्याप्त प्रतिभूति सुरक्षा को प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति और संवितरण पूर्व शर्त का अनुपालन

किए बिना क्रेडिट सुविधा के विमोचन के परिणामस्वरूप ₹ 11.98 करोड़ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

(कंडिका 10.2, पृष्ठ: 197-199)

लघु औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त अग्रिमों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 10.3, पृष्ठ: 200-201)

औद्योगिक इकाइयों से ₹ 95.26 लाख की जीएसटी की वसूली में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप इसे अपने स्रोतों से जीएसटी के भुगतान के अलावा जीएसटी को जमा करने में हुए विलंब के कारण ₹ 20.36 लाख के दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 10.4, पृष्ठ: 201-203)

**अध्याय ।
विहंगावलोकन**

अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गए मामलों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निदेशों को तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे बेहतर शासन में योगदान करने वाले संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिवेदन को 10 अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- **अध्याय I** में संघ शासित क्षेत्र सरकार का संक्षिप्त रूपरेखा के साथ वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त/ व्यय, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा उत्पादों जैसे निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/ कंडिकाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं।
- **अध्याय II** में जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी के अंतर्गत धनवापसी के दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय III** में ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय IV** में शेर-ए-कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर तथा शेर-ए-कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में मानव संसाधन प्रबंधन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय V** में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय VI** में विभिन्न संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

- **अध्याय VII** में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए निवेश, सार्वजनिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा आदेश और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की निगरानी की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
- **अध्याय VIII** में जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय IX** में जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- **अध्याय X** में संघ शासित क्षेत्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

1.2 संघ शासित क्षेत्र सरकार की रूपरेखा - प्राप्तियाँ एवं व्यय

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर 20 जिलों से मिलकर बना है। वर्ष 2021 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या 1.34 करोड़ तथा घनत्व 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का जीएसडीपी ₹ 1,76,282 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय की समग्र स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: वर्ष 2020-21 के दौरान समग्र प्राप्तियाँ एवं व्यय

क्र.सं.	घटक	राशि (₹ करोड़ में)
1	स्वयं कर राजस्व	8,877
2	स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,077
3	केंद्रीय करों/ शुल्कों के अंश	0
4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	39,542
5	अतिरिक्त संसाधन जुटाव	0
6	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4+5)	52,496
7	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	2
8	अन्य प्राप्तियाँ	0
9	उधारियाँ एवं अन्य देयताएँ	10,693 [#]
10	पूँजीगत प्राप्तियाँ (7+8+9)	10,695
11	कुल प्राप्तियाँ (6+10)	63,191

क्र.सं.	घटक	राशि (₹ करोड़ में)
12	राजस्व व्यय, जिनमें से	52,634
13	ब्याज भुगतान	6,372
14	पूँजीगत व्यय	10,532
15	पूँजीगत परिव्यय	10,470
16	ऋण एवं अग्रिम	62
17	आकस्मिकता निधि का विनियोजन	25
18	कुल व्यय (12+14+17)	63,191

स्रोत: बजट 2020-21 एवं वित्त लेखे 2020-21

उधारियाँ एवं अन्य देयताएँ: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ- संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ- संवितरण) + अथ एवं अंत नगद शेष का निवल. लोक ऋण प्राप्तियाँ में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टु-बैंक ऋण के रूप में ₹ 2,099.80 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र द्वारा जुटाये गए कर एवं गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों का अलग-अलग विवरण, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और संघ शासित क्षेत्र को सौंपे गए बँटवारा योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों की निवल आय का संघ शासित क्षेत्र का अंश तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21
1.	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व	
	• कर राजस्व, जिनमें से	8,876.99
	जीएसटी सहित बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	6,334.96
	वस्तु एवं यात्रियों पर कर	0.90
	राज्य उत्पाद शुल्क	1,347.42
	विद्युत पर कर एवं शुल्क	319.22
	स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क	325.54
	वाहनों पर कर	488.38
	भू-राजस्व	60.57
	• गैर-कर राजस्व, जिनमें से	4,076.38
	विद्युत	2,349.74
	वानिकी एवं वन्यजीव	152.97

क्र. सं.	विवरण	2020-21
	पुलिस	39.91
	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	227.91
	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	93.89
	लोक निर्माण	25.49
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	23.82
	ब्याज प्राप्तियाँ	17.86
	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	1,144.79
	कुल	12,953.37
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	
	• बटवारा योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों की निवल आय का अंश	-
	• सहायता अनुदान	39,542.11
	कुल	39,542.11
3.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2 का कुल)	52,495.48
4.	कुल राजस्व का प्रतिशत के रूप में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा जुटाये गए राजस्व	24.68%

(स्रोत: संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे 2020-21)

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा जुटाये गए राजस्व (₹ 12,953.37 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 24.68 प्रतिशत था। शेष 75.32 प्रतिशत भारत सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 2,171.22 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजीगत व्यय का अंश 16.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.29 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं (₹ 21,964.27 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 14,842.46 करोड़) का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2020-21 के दौरान कुल व्यय का 58.27 प्रतिशत था, तथा कुल व्यय का 41.63 प्रतिशत सामान्य सेवाओं (₹ 26,297.40 करोड़) पर खर्च किया गया था।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और सीएजी के (कर्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से लिया गया है। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा¹ 13 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी करता है जिन्हें डीपीसी अधिनियम की धारा² 14 के अंतर्गत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र जिसका विधानसभा हो, की सभी प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों में निर्धारित हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) के अनुसार संचालित की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

राजस्व क्षेत्र में, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पिछले रुझानों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व एवं कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, 173 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं, जिनमें से 70 इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई गई थी और 81 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

¹ (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि एवं लोक लेखे से संबंधित सभी लेनदेन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखा, बैलेंस-शीट एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा

² कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त/ अर्ध-स्वायत्त निकाय, जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता के प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, आदि के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा सरकार से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है।

व्यय लेखापरीक्षा के लिए, इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के वित्तीय महत्व से जुड़े मामलों, सामाजिक प्रासंगिकता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, गबन, दुर्विनियोग, धोखाधड़ी, आदि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्षों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की 18 शीर्ष इकाइयों, 268 लेखापरीक्षा इकाइयों और 664 कार्यान्वयन अभिकरणों का अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी तथा 11 शीर्ष इकाइयों, 229 लेखापरीक्षा इकाइयों और 944 कार्यान्वयन अभिकरणों का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर कार्यालय के द्वारा की गई थी। अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र में 37 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी और 37 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाइयों के प्रमुखों को जारी किए जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, लेखापरीक्षा टिप्पणियों का या तो निपटारा कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणियों/ कंडिका के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका महत्व के मुद्दों पर तैयार किए जाते हैं, मुद्दों का चयन उपर्युक्त वर्णित सादृश्य (एनालॉजी) के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए सामग्री को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा दिये गए औपचारिक उत्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर, लेनदेन में नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जांच करने के लिए तथा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य अभिलेखों के रखरखाव में नियमितता को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा आयोजित करता है।

इन लेखापरीक्षाओं के बाद, निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी की जाती हैं, जिनकी प्रतियाँ अगले उच्च अधिकारियों को दी जाती हैं। निरीक्षण

के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ तथा अन्य बिन्दु, जिनका मौके पर निराकरण नहीं होता, निरीक्षण प्रतिवेदनों में स्थान दिया जाता है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा गंभीर अनियमितताओं को सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्वरित निपटान के लिए, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों को कार्यपालिका द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उपचारात्मक/ परिशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमावली में प्रावधान है। लेखापरीक्षित कार्यालयों और उनके नियंत्रक प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित टिप्पणियों का अनुपालन करना तथा त्रुटियों को परिशोधित करना और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनके अनुपालन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

31 मार्च 2021 को विभिन्न विभागों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3: 31 मार्च 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

क्षेत्र का नाम	अथ शेष (01 अप्रैल 2020)		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान निपटान		अंत शेष (31 मार्च 2021)	
	निरीक्षण प्रति. की सं.	कंडिकाओं की संख्या	निरीक्षण प्रति. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	निरीक्षण प्रति. की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	निरीक्षण प्रति. की सं.	कंडिकाओं की संख्या
राजस्व क्षेत्र	945	5,119	45	278	25	327	965	5,070
सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्र	11,924	52,780	5,693	28,954	5,203	25,681	12,414	56,053

बड़ी संख्या में कंडिकाओं का लंबित होना लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों की पर्याप्त प्रतिक्रिया की कमी को दर्शाता है। सरकार इस मामले को देख सकती है और समयबद्ध तरीके से विभागों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार कर सकती है।

राजस्व क्षेत्र में तीन लेखापरीक्षा समिति बैठकें (एसीएम) आयोजित की गईं, जिसमें छह निरीक्षण प्रतिवेदनों और 83 बकाया कंडिकाओं का निपटान किया गया, जिनका मूल्य ₹ 6.60 करोड़ था। इसी प्रकार, 2020-21 की अवधि के दौरान, सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 101 लेखापरीक्षा कंडिकाओं का निपटान किया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, (ii) नुकसान/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतानों, आदि की समयबद्ध तरीके वसूली तथा (iii) प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित, करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जाए।

1.6 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं और विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लिए विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 यह निर्धारित करती है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं की प्रतिक्रिया छह सप्ताह³ के भीतर भेजी जानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

सुधारात्मक कार्रवाई करने और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कार्यपालक को उपयुक्त अनुशंसा करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छह सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे कंडिकाओं के अंत में सदैव दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले ग्यारह अनुपालन

³ हालाँकि, राज्य सरकार के वित्त (बजट) विभाग ने जून 1982 के अपने आदेश में सभी विभागों को एक महीने के भीतर प्रस्तावित प्रारूप कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया था।

कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजे गए थे। इनमें से, आठ अनुपालन कंडिकाओं के सरकार के उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) थे।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त पायी गयी जैसा कि नीचे दिया गया है:

क. स्व प्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियों का अप्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने जून 1997 में सभी प्रशासनिक विभागों को लोकलेखा समिति (पीएसी) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर स्व प्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे, भले ही वे समिति द्वारा चर्चा के लिए लिया गया था या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत पुनरीक्षित करने के बाद समिति को प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल राजस्व क्षेत्र से संबंधित 139 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से 117 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में 31 मई 2022 तक स्वप्रेरित एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे।

इसी तरह, यह देखा गया कि 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 582 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से 296 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में 31 मई 2022 तक स्वप्रेरित एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे।

ख. पीएसी की अनुशंसाओं पर की गयी कार्रवाई

पीएसी द्वारा चर्चा किये गये लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में उनके द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणियों/ अनुशंसाओं पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित की गई कृत कार्रवाई टिप्पणियों को ऐसी टिप्पणियों/ अनुशंसाओं की तिथि से छह महीने के भीतर समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

2000-01 से 2019-20 के वर्षों के लिए राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये से संबंधित 139 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से, पीएसी द्वारा 31 मई 2022 तक मात्र 17 लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की गयी। पीएसी द्वारा आंशिक रूप से चर्चा

किये गये 12 सहित 17 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की गयी थी, हालाँकि, 13 कंडिकाओं के संबंध में राज्य सरकार से समिति की अनुशंसाओं पर एटीएन लंबित हैं।

इसी तरह, 2000-01 से 2019-20 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाये गये 582 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से, पीएसी द्वारा 31 मई 2022 तक मात्र 245 लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की गयी। पीएसी द्वारा 223 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की गयी थी। तथापि, 165 कंडिकाओं के संबंध में सरकार से समितियों की अनुशंसाओं पर एटीएन लंबित हैं।

अध्याय ॥

जीएसटी के अंतर्गत धनवापसी के दावों के
प्रसंस्करण

2.1 प्रस्तावना

नियत समय पर धनवापसी तंत्र, कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह कार्यशील पूँजी, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अवरुद्ध धन को निर्गत करने के माध्यम से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी कानूनों में निहित धनवापसी से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत धनवापसी की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा मानकीकृत करना है। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित (नवम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017) करके एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक-कम-मैनुअल प्रक्रिया में, आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में धनवापसी आवेदन भरने, उसका प्रिंट आउट लेने और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे भौतिक रूप से संबंधित कर कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता थी।


इसके अलावा, धनवापसी आवेदनों का प्रसंस्करण, अर्थात् पावती जारी करना, कमी ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/ अंतिम धनवापसी आदेश पारित करना, भुगतान सलाह आदि मैनुअल रूप से किये जा रहे थे। धनवापसी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, परिपत्र/ अनुदेश जारी (दिसम्बर 2018) किये गए थे जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में धनवापसी के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने थे। तथापि, धनवापसी आवेदनों के प्रसंस्करण के प्रस्तुतीकरण के पूर्व के विभिन्न चरण मैनुअल बने रहे।

26 सितंबर 2019 से सामान्य पोर्टल पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक धनवापसी प्रक्रिया (अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारम्भ किया जा सकता है) की तैनाती की गई है (जिसे धनवापसी प्रक्रिया का स्वचालन भी कहा जाता है)। तदनुसार, पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों में मैनुअल प्रस्तुत करने और धनवापसी दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं, या तो उन्हें अधिक्रमित कर दिया गया है या संशोधित किया गया है।

18 नवम्बर 2019 के मुख्य परिपत्र के द्वारा धनवापसी दावों के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण एवं प्रसंस्करण के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये।

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कर विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित चार्ट में दी गयी है। विभाग वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा आयुक्त, राज्य कर इसका नेतृत्व करता है।



2.3 लेखापरीक्षा की सीमा, कार्यप्रणाली एवं प्रतिचयन

जीएसटीएन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय रिफंड डेटा प्रदान किया। 26 सितम्बर 2019 से पूर्व की अवधि के लिए, अर्थात् स्वचालन से पूर्व की अवधि के लिए, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत धनवापसी के आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई धनवापसी की राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। नमूना लेने के लिए क्रमबद्ध धनवापसी आवेदनों को चार चतुर्थक में विभाजित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच के दौरान अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण में लेखापरीक्षा दल को दिये गये सहयोग के लिए लेखापरीक्षा विभाग आभार प्रकट करता है।

26 सितम्बर 2019 के बाद दाखिल किये गये धनवापसी आवेदनों का चयन करने लिए, दावा की गयी धनवापसी राशि (60 प्रतिशत भारांक), धनवापसी की स्वीकृति में विलंब (15 प्रतिशत), दावा की गयी राशि की वापसी के लिए संस्वीकृत धनवापसी अनुपात (10 प्रतिशत) तथा जारी किये गये कमी ज्ञापन जारी करने जैसे रिस्क पैरामीटरों का उपयोग करके एक कम्पोजिट रिस्क स्कोर तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त रिस्क स्कोर के आधार पर, धनवापसी आवेदनों का चयन किया गया था।

उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर, 26 सितम्बर 2019 से पूर्व 35 सर्कलों से संबंधित दावा किये गये धनवापसी के 85 मामलों का चयन किया गया था (स्वचालन पूर्व के मामलों), जिनकी पूरी जाँच की गई थी। 26 सितम्बर 2019 की अवधि के बाद के लिए, 36 सर्कलों के 83 धनवापसी मामलों (स्वचालन के बाद के मामलों) का चयन किया गया और राज्य जीएसटी पोर्टल¹ पर लॉगिन आईडी आधारित पहुँच का उपयोग करके जाँच की गयी। इस प्रकार, चयनित 49 सर्कलों में इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा कुल 166 मामलों की जाँच की गयी थी। श्रेणीवार लेखापरीक्षा यूनिवर्स एवं नमूना चयन परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

तालिका 2.1 विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित धनवापसी मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों को दर्शाती है।

तालिका 2.1: धनवापसी मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियाँ

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की श्रेणी की प्रकृति	लेखापरीक्षा प्रतिदर्श		पायी गयी कमियों की संख्या		प्रतिदर्श के प्रतिशत के रूप में कमियाँ
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
पावती जारी करने में विलंब	166	2,163.13	21	274.62	13
धनवापसी आदेश जारी करने में विलंब	166	2,163.13	43	2.34	26
इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के लिए अनियमित धनवापसी	33	666.70	5	39.82	15
जीरो रेटेड सप्लाइ के अलावा अनंतिम धनवापसी का अनियमित स्वीकृति	160	1,862.12	3	19.94	2

¹ बीओडब्ल्यूईबी पोर्टल

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने पावती जारी करने के 13 प्रतिशत मामलों में तथा धनवापसी आदेश जारी करने के 26 प्रतिशत मामलों में विलंब पाया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन भी देखा जिसके परिणामस्वरूप इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एवं जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा अनंतिम वापसी से संबन्धित मामलों में अनियमित धनवापसी हुई; विचलन दो प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच है।

इन मामलों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा चिह्नित कमियों को बाद के कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

2.4.1 पावती समय के भीतर जारी नहीं की गयी

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 90 (1) एवं (2) यह निर्धारित करता है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) से धनवापसी के लिए दावा के संबंध में आवेदन, फॉर्म जीएसटी आरएफडी-02 में एक पावती आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, धनवापसी के लिए दावा दाखिल करने की तिथि और समय अवधि अर्थात् धनवापसी आवेदन की प्रसंस्करण के लिए निर्धारित 60 दिन स्पष्ट संकेत करती है। ईसीएल के अतिरिक्त धनवापसी से संबंधित आवेदन के लिए उक्त आवेदन के दाखिल होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन की पूर्णता की जांच के लिए उचित अधिकारी को आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जीएसटी फॉर्म आरएफडी-02 में एक पावती उपलब्ध कराई जाएगी। पावती में दावा करने की तिथि और समय अवधि अर्थात् धनवापसी की प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट 60 दिनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 166 धनवापसी के मामलों की जांच की गयी तथा यह पाया गया कि 21 मामलों (13 प्रतिशत) में पावती जारी करने में विलंब हुआ और ऐसे मामलों में 52 दिनों के औसत विलंब के साथ एक से 477 दिनों का विलंब हुआ था (परिशिष्ट 2.2)। इनमें से 18 मामलों में एक से तीन महीने का विलंब हुआ, दो मामलों में तीन से छह महीने का विलंब हुआ एवं एक मामले में छह महीने से अधिक का विलंब हुआ। इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों के अनुसार पावती जारी करने की निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहा।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। विभाग ने एक मामले में विलंब को तकनीकी त्रुटि बताया और दूसरे मामले में मैनुअल प्रति की देरी से प्राप्ति को जिम्मेदार ठहराया। 19 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसी परिसर में स्थित, उसी सुविधा के साथ, विभाग के कुछ अन्य एसटीओ ने निर्धारित सीमा के भीतर धनवापसी के मामलों में पावती जारी की थी।

2.4.2 समय पर स्वीकृत नहीं किए गए धनवापसी आदेश

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार, यदि आवेदक को कोई कर राशि वापस करने का आदेश दिया गया हो, जिसे आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस नहीं की जाती है, तो छह प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 94 में प्रावधान है कि फॉर्म जीएसटी आरएफ़डी-05 में भुगतान सलाह के साथ ब्याज के लिए एक आदेश दिया जायेगा, जिसमें विलंबित धनवापसी की राशि को निर्दिष्ट किया जायेगा। किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या अदालत द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली धनवापसी के मामले में, नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

आयुक्त, राज्य कर विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया कि 166 धनवापसी के मामलों में से 43 धनवापसी के मामलों (24 एसटी सर्कल) में धनवापसी की स्वीकृति में विलंब दो से 446 दिनों के बीच थी, एवं इन मामलों (परिशिष्ट 2.3) में औसत देरी 75 दिनों की थी। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(7), एवं जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 92, के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, विभाग ने दावेदारों को ₹ 2.34 लाख की राशि के धारा 56 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इनमें से, क्रमशः 32 मामलों में एक से तीन महीने का विलंब हुआ, छह मामलों में तीन से छह महीने का विलंब हुआ तथा पाँच मामलों में छह महीने से अधिक का विलंब हुआ।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कम गति/ इंटरनेट समस्या/ सॉफ्टवेयर

समस्या को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया। 41 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसी परिसर में स्थित, उसी सुविधा के साथ, विभाग के कुछ अन्य एसटीओ ने निर्धारित सीमा के भीतर धनवापसी के मामलों में स्वीकृति दी थी।

2.4.3 इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी की अनियमित अनुमति

जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी का दावा कर सकता है जहाँ इनपुट पर कर की दर से आउटपुट आपूर्ति (अर्थात इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर) पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम वापसी के लिए सूत्र निर्धारित करता है। नियम के अनुसार, निवल आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान मात्र इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है एवं इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है।

आयुक्त, राज्य कर विभाग, जम्मू एवं कश्मीर की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि जाँच किये गये 33 धनवापसी के मामलों में से, विभाग ने पाँच धनवापसी के मामलों (दो एसटी सर्कल) (परिशिष्ट 2.4) में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.82 लाख की राशि की अनियमित अनुमति दी गयी।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने चार मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। विभाग ने दो मामलों में अतिरिक्त आईटीसी की गलती के लिए परिपत्र सं. 135/05/2020-जीएसटी दिनांक 31 मार्च 2020 एवं परिपत्र सं. 139/09/2020-जीएसटी दिनांक 10 जून 2020 को जिम्मेदार ठहराया, दो मामलों में तकनीकी खराबी के लिए अतिरिक्त आईटीसी को जिम्मेदार ठहराया गया और एक मामले में डीलर द्वारा अपलोड किये गये गलत प्रारूप को अतिरिक्त आईटीसी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सभी मामलों में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसटीओ सर्कल-जी, जम्मू ने कहा कि अतिरिक्त आईटीसी (मैसर्स जीएसपी पावर लिमिटेड) को

परिपत्र सं 135/05/2020-जीएसटी दिनांक 31 मार्च 2020 एवं परिपत्र सं. 139/09/2020-जीएसटी दिनांक 10 जून 2020 के आधार पर प्रदान किया गया था जो उचित नहीं है क्योंकि अनियमित धनवापसी 12 जून 2019 को अर्थात् उपर्युक्त परिपत्रों से पूर्व संस्वीकृत की गयी थी। मैसर्स अप्सरा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, यह कहा गया था कि धनवापसी की अनियमित अनुमति एक तकनीकी खराबी के कारण थी जो कि उचित नहीं है क्योंकि विभाग के अन्य एसटीओ के मामले में भी यही स्थिति है और मैसर्स एक्सेंट फार्मा के संबंध में यह कहा गया था कि त्रुटि डीलर द्वारा अपलोड किये गये गलत प्रारूप के कारण हुई जो कि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीलर को इसकी अग्रिम सूचना दी जा सकती थी। एसटीओ सर्कल-ई, श्रीनगर ने कहा कि तकनीकी बाधाओं के कारण उस समय सिस्टम द्वारा पाँच खरीद बिलों को मान्य/ अपलोड नहीं किया गया था। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर 2ए में दर्शाये गये निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) आरएफडी 01 में निवल आईटीसी से अभी भी कम था।

2.4.4 अनंतिम धनवापसी की अनियमित स्वीकृति

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की ज़ीरो रेटेड सप्लाई के कारण धनवापसी के किसी भी दावे के मामले में, दावा किये गये धनवापसी का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर संस्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद धनवापसी के दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार, अनंतिम धनवापसी की अनुमति वस्तुओं एवं/ अथवा सेवाओं की ज़ीरो रेटेड सप्लाई के मामलों में दी जाती है न कि अन्य श्रेणियों में।

160 धनवापसी मामलों (ज़ीरो रेटेड मामलों के अतिरिक्त 27 सहित) के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अनंतनाग-II सर्कल में एक करदाता के तीन मामलों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण 90 प्रतिशत की अनंतिम धनवापसी जारी की थी, जो कि वस्तुओं अथवा सेवाओं (परिशिष्ट 2.5) की ज़ीरो रेटेड सप्लाई के मामलों से अलग थे। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम आधार पर ₹ 19.94 लाख की धनवापसी की अनियमित स्वीकृति हुई।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। एसटीओ सर्कल अनंतनाग-II ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा था कि त्रुटि को परिशोधित कर लिया जाएगा परंतु उसके परिशोधन आदेश की प्रतिलिपि अभी तक (दिसम्बर 2021) प्रस्तुत नहीं की गई है।

2.4.5 विवरणी नहीं भरने के बावजूद धनवापसी की स्वीकृति

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(10) के अनुसार, जहाँ किसी पंजीकृत व्यक्ति को कोई धनवापसी देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की है, उचित अधिकारी धनवापसी के भुगतान को तब तक रोक सकता है जब तक उक्त व्यक्ति ने उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी हो।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा विवरणियाँ (जीएसटीआर-I) नहीं भरने के बावजूद 26 मामलों के संबंध में नवम्बर 2018 तथा जून 2020 (परिशिष्ट 2.6) के मध्य पूर्व अवधियों के लिए धनवापसी स्वीकृत की गयी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कश्मीर मंडल में 1 सितंबर 2020 एवं 02 मई 2019 को दो² डीलरों के संबंध में तथा जम्मू मंडल में 31 अक्टूबर 2020, 01 जून 2020 एवं 31 जनवरी 2020 से तीन³ डीलरों के संबंध में भी पंजीकरण रद्द कर दिये गये थे।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया, तथा दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। विभाग ने दो मामलों में चूक के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और मार्च 2020 से कोविड के बाद की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया, तथा तीन मामलों में गलती के लिए एसटीओ सर्कल-आर जम्मू को जिम्मेदार ठहराया। 21 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)। उत्तर में, एसटीओ सर्कल-एच, श्रीनगर ने कहा कि मैसर्स बिजनेस किंग के संबंध में अगस्त 2019 से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और मार्च 2020 से कोविड के बाद की स्थिति के कारण विवरणी लंबित थे तथा यह भी कहा गया कि विवरणी भरने की तिथि को विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से 29 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जो कि मान्य नहीं है क्योंकि डीलर का पंजीकरण 01 सितम्बर 2020 से रद्द कर दिया गया है और अनुच्छेद 370

² मैसर्स बिजनेस किंग तथा मैसर्स अबू ज़ार एंटरप्राइजेस

³ मैसर्स कैलाश पट्टी ब्रिक किल्न, मैसर्स गीतागिरि एंटरप्राइजेस तथा मैसर्स सत्य साहित्य सेवा केंद्र

को निरस्त करने के मुद्दे एवं कोविड के बाद की स्थिति कश्मीर मंडल के अन्य एसटीओ के समान थी। यह भी कहा गया कि धनवापसी प्रदान करना अथवा रोकना उचित अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है; यह भी ऊपर उल्लेखित एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54(10) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, एसटीओ सर्कल-एस, जम्मू ने सूचित किया कि एसटीओ सर्कल-आर ने करदाता द्वारा विवरणी नहीं भरने के बावजूद, मैसर्स कैलाश पट्टी ब्रिक किल्न के संबंध में धनवापसी जारी किया था।

विभाग मामलों की समीक्षा करे और रिटर्न न भरने के बावजूद धनवापसी की संस्वीकृति हेतु दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।

2.4.6 अनुचित संवर्धन परीक्षण पास किये बिना धनवापसी के दावों का प्रसंस्करण

धनवापसी के प्रत्येक दावे (निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर) को अनुचित संवर्धन परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) के उप-नियम 89(2)(एल) एवं 89(2)(एम) के अनुसार, अनुचित संवर्धन की सीमा पार करने के लिए, यदि धनवापसी का दावा ₹ दो लाख से कम है, तो आवेदक की इस आशय की स्व घोषणा कि कर की देयता किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं की गयी है, धनवापसी दावे को संसाधित करने के लिए पर्याप्त होगी। ₹ दो लाख से अधिक के धनवापसी दावों के लिए एक सनदी लेखाकार/ लागत लेखाकार से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रत्येक मामले में ₹ दो लाख से अधिक के 15 धनवापसी दावों के संबंध में, उपरोक्त नियमों (परिशिष्ट 2.7) के उल्लंघन में सनदी लेखाकार/ लागत लेखाकार से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ₹ 328.25 लाख की धनवापसी स्वीकृत की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 328.25 लाख की धनवापसी की अनियमित स्वीकृति हुई।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। आयुक्त, राज्य कर, जम्मू एवं कश्मीर ने पुनः कहा कि इस संबंध में लेखापरीक्षा की सलाह मान ली गयी है तथा उसका पालन किया जाएगा।

2.4.7 दस्तावेजी साक्ष्य के बिना निर्यात पर धनवापसी का अनियमित स्वीकृति

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(4) निर्धारित करती है कि धनवापसी के लिए आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) (बी) में उल्लेखित है कि डीलर को यह स्थापित करने के लिए कि कर के भुगतान के बिना वस्तुओं के निर्यात पर आईटीसी की वापसी के कारण आवेदक को धनवापसी देय है, संबंधित निर्यात बीजक की संख्या एवं तिथि युक्त शिपिंग बिल/ निर्यात के बिल की संख्या एवं तिथि युक्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि आपूर्तिकर्ता केंद्रीय कर की वापसी का लाभ उठाता है अथवा जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किये गये आईजीएसटी की वापसी का दावा करता है, तो कोई धनवापसी की अनुमति नहीं है।

धनवापसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा प्रकट करती है कि नीचे उल्लेखित अवधियों (स्वचालन पूर्व अवधि) के लिए एसटीओ सर्कल-जी, जम्मू में डीलर मैसर्स अमर सिंह एण्ड सन्स के पक्ष में ₹ 144.67 लाख की धनवापसी की स्वीकृति दी गयी थी।

तालिका 2.2: एसटीओ सर्कल-जी जम्मू के मामलों का विवरण

जीएसटी संख्या	एआरएन	दिनांक	डीलर का नाम	धनवापसी की राशि (₹ लाख में)	अवधि
01AABFA8440K1ZS	AA010318126982C	13-10-2018	अमर सिंह एण्ड सन्स	26.62	01.01.2018 से 1.3.2018
01AABFA8440K1ZS	AA011217119420Y	13-10-2018		44.85	2017-18
01AABFA8440K1ZS	AA010319137815A	17-05-2019		73.20	01.04.2018 से 31.03.2019

यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को धनवापसी देय है, नीचे उल्लेखित निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाये गये थे।

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर वापसी नियम 1995 के नियम 12 तथा 13 के अनुसार, शिपिंग बिल को शिपिंग बिल पर की गई घोषणा के संदर्भ में वापसी के दावे के रूप में माना जाता है। तथापि, न तो कोई शिपिंग बिल/ निर्यात बीजक और न ही दावा किए गए शुल्क वापसी की कोई घोषणा रिकॉर्ड में पाया गया।

डीलर द्वारा शिपिंग बिल/ निर्यात के बिल की संख्या एवं तिथि तथा संबंधित निर्यात बीजकों की तिथि युक्त विवरण भी भरा नहीं गया है।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, एसटीओ सर्कल जी, जम्मू (जुलाई 2021) ने कहा कि तीन स्वीकृतियों में से दो (₹ 26.62 लाख एवं ₹ 44.85 लाख) सहायक आयुक्त, जीएसटी मंडल 1, जम्मू से प्राप्त हुई थी तथा सर्कल-जी, जम्मू में दायर ₹ 73.20 लाख के लिए तीसरा धनवापसी के दावा जिसके समर्थन में डीलर ने पहले ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिये थे, जिनमें से कुछ को उत्तर के अनुसार सर्कल में रखा गया है। प्रथम दो धनवापसी के दावे के संबंध में सहायक आयुक्त, जीएसटी मंडल 1, जम्मू से इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई थी और तीसरे धनवापसी के दावे के रोके गये दस्तावेज लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2021) में प्रतीक्षित हैं।

2.4.8 उपभोक्ता कल्याण कोष का निर्माण

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार, एक उपभोक्ता कल्याण कोष का निर्माण किया जाना था तथा ऐसे मामले जिसमें आवेदक को धनवापसी किया जाना हो, के अतिरिक्त धनवापसी उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाना था। आईजीएसटी एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के मामले में, राशि 50 प्रतिशत केंद्रीय उपभोक्ता कोष में तथा 50 प्रतिशत राज्य उपभोक्ता कोष में जमा किया जाना था। किसी भी राशि को कोष में जमा करने के बाद, उचित अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा किसी भी दावेदार को भुगतान करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, उसका भुगतान कोष से किया जायेगा। सीबीआईसी ने कोष में जमा किये गये धन के उचित उपयोग हेतु अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन (अगस्त 2018) किया।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मार्च 2020 में कल्याण कोष का गठन किया था। हालांकि, विभाग द्वारा कोष में जमा राशि का विवरण उपलब्ध (10/2021) नहीं कराया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2021), आयुक्त, राज्य कर, जम्मू एवं कश्मीर ने कहा (जुलाई 2021) कि मामला सरकार के साथ उठाया गया है एवं सूचना प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

2.4.9 जीएसटीआर-3बी में दर्शाये गये की तुलना में धनवापसी आवेदन में दिखाये गये उच्च आईटीसी पर अधिक धनवापसी

जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अनुसार, अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 89(4) में वह सूत्र निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की जीरो रेटेड सप्लाइ के मामले में धनवापसी दिया जायेगा। एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ करदाता से गलत धनवापसी राशि की वसूली की जानी है। इसके अतिरिक्त, धनवापसी के प्रसंस्करण के लिए जारी बोर्ड के दिनांक 15 नवम्बर 2017 के निर्देश, विभाग द्वारा धनवापसी आदेशों की निर्धारित पोस्ट-ऑडिट को मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर जारी रखा जाना है।

कर के भुगतान के बिना निर्यात पर दिये गये धनवापसी से संबंधित अभिलेखों एवं इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में डीलरों द्वारा परिलक्षित आईटीसी की तुलना में धनवापसी आवेदन में अधिक आईटीसी के मामले थे। इसके परिणामस्वरूप दो मामलों (सर्कल-जी, जम्मू) में कर के भुगतान के बिना निर्यात पर दी गयी धनवापसी के संबंध में ₹ 0.70 लाख और इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर पर दी गयी धनवापसी के संबंध में छह मामलों में ₹ 8.26 लाख की धनवापसी (परिशिष्ट 2.8) की अधिक स्वीकृति हुई। एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार दी गयी अतिरिक्त धनवापसी ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, विभाग (जुलाई 2021) ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया।

एसटीओ सर्कल-जी, जम्मू ने कहा (मैसर्स अमर सिंह एण्ड सन्स एवं मैसर्स कश्मीर वालनट ओवरसिस प्राइवेट लिमिटेड के संबन्ध में) कि वस्तुओं के निर्यात पर आईटीसी उस अवधि के अभिलेखों के सार का निरीक्षण करते समय पोर्टल में उपलब्ध नहीं था; हालाँकि, यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों में वापसी से मना करने के लिए बाध्य था।

सर्कल-जी, जम्मू से संबंधित अन्य छह मामलों (₹ 8.26 लाख) के संबंध में, विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि अभिलेख उपलब्ध हैं, हालाँकि, वांछित अभिलेख जैसा कि आयुक्त, राज्य कर, जम्मू एवं कश्मीर के उत्तर में उल्लेखित है, लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2021) में प्रतीक्षित हैं।

2.4.10 आईटीसी बेमेल मामलों में धनवापसी की अनियमित स्वीकृति

(I) सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 4 सितंबर 2018 के अनुसार, प्रत्येक धनवापसी दावे के साथ दावेदार के फॉर्म जीएसटीआर-2ए का प्रिंट-आउट प्रासंगिक अवधि के लिए होना चाहिए, जिसके लिए धनवापसी का दावा किया गया है। उचित अधिकारी संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साक्ष्य के रूप में फॉर्म जीएसटीआर-2ए पर विश्वास करेगा, जिसके संबंध में दावेदार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है। उन मामलों के संबंध में जहाँ फॉर्म जीएसटीआर-2ए में प्राप्त किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित सभी चालानों का विवरण शामिल नहीं है, (संभवतः इसलिए कि आपूर्तिकर्ता के फॉर्म जीएसटीआर-1 में विलंब हुआ था अथवा भरी नहीं गयी थी), उचित अधिकारी ऐसे चालान के हार्ड कॉपी माँग सकता है।

चूंकि दिनांक 31 मार्च 2020 के परिपत्र जारी करने से पहले, लापता चालानों के आधार पर प्राप्त क्रेडिट के संबंध में भी वापसी की गयी थी, जिसे आवेदक द्वारा सामान्य पोर्टल पर धनवापसी आवेदन के साथ अपलोड किया जाना था, उन मामलों के संबंध में चालानों की संख्या जहाँ आवेदक द्वारा लापता चालान (फॉर्म 2ए में नहीं) जमा नहीं किये गये थे, हार्ड कॉपी मांगना अनिवार्य था।

ज़ीरो रेटेड सप्लाइ (दो मामले) एवं इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (आठ मामले) के संबंध में आईटीसी की वापसी के कारण 10 जीएसटी धनवापसी मामलों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि विभाग द्वारा जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 110.33 लाख के अंतर के बाद भी धनवापसी का दावा स्वीकार किया गया था, जिसके समर्थन में रिकॉर्ड (परिशिष्ट 2.9) पर कोई चालान नहीं मिला।

यह मार्च 2021 में इंगित किया गया था; विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2021)।

2.4.11 धनवापसी के दावों का पोस्ट ऑडिट नहीं करना

सीबीआईसी के दिनांक 15 नवम्बर 2017 के परिपत्र ने ज़ीरो रेटेड सप्लाइ के धनवापसी के मैनुअल प्रसंस्करण के लिए प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र,

अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करता है कि मैनुअल रूप से संसाधित धनवापसी आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि बोर्ड द्वारा अलग-अलग विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किये जाते हैं, भले ही इसमें शामिल राशि कुछ भी हो। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि धनवापसी आदेशों की पोस्ट ऑडिट मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि वापसी के मामलों का पोस्ट ऑडिट नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के अतिरिक्त, राजकोष को राजस्व की हानि का जोखिम हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य कर विभाग द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इस तरह की चूक के कारणों को कर विभाग, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बताया नहीं गया है। हालाँकि, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन एवं प्रवर्तन), राज्य कर विभाग, कश्मीर ने पुष्टि की कि जीएसटी धनवापसी मामलों की पोस्ट ऑडिट अब तक नहीं की गयी है।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, आयुक्त, राज्य कर, जम्मू एवं कश्मीर ने उत्तर (जुलाई 2021) में कहा है कि विभाग वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लेखापरीक्षा नियमावली को अंतिम रूप दे रहा था तथा यह सुनिश्चित किया गया था कि धनवापसी की लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जायेगा। परंतु विभाग जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद धनवापसी मामलों की पोस्ट ऑडिट के लिए नियमों/ प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए बाध्य था, हालाँकि, जिसे आज तक (दिसम्बर 2021) नहीं किया गया है।

2.4.12 गलत एआरएन के प्रति धनवापसी

कैश लेजर से वापसी का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब उस कर अवधि के लिए रिटर्न संबंधी सभी देयताओं का निर्वहन किया गया हो। एक पंजीकृत व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी शेष राशि की वापसी का दावा कर रहा है वह जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अंतर्गत उस धनवापसी का दावा कर सकता है।

एसटीओ सर्कल-एल, श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (मार्च 2021) कि डीलर (मैसर्स न्यू सिटी फार्मसी-GSTIN-01AACFN7603G1ZS) ने वर्ष 2017-18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष के रूप में ₹ 8.62 लाख (एसजीएसटी: ₹ 4.31 लाख तथा सीजीएसटी: ₹ 4.31 लाख) की वापसी का दावा किया था। तदनुसार,

डीलर के पक्ष में ₹ 8.62 लाख की भुगतान सूचना दिनांक 10 मई 2018 को जारी की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि भुगतान जम्मू मंडल के एक डीलर (मैसर्स रघुवीर दास इंटरप्राइजेस) को किया गया है क्योंकि एआरएन (AA012018002120D) दिनांक 30 जनवरी 2019 उस डीलर से संबंधित है। साथ ही, राज्य कर विभाग द्वारा एसजीएसटी (₹ 4.31 लाख) के लिए धनवापसी किया गया है।

ध्यान आकर्षित करने (मार्च 2021) पर, एसटीओ सर्कल-एल, श्रीनगर ने कहा है (जुलाई 2021) विशेष रूप से धनवापसी के लिए उत्पन्न एआरएन एक अस्थायी प्रकृति का था और इसे जीएसटी पोर्टल से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में धनवापसी के अतिरिक्त अन्य मामलों के लिए उसी एआरएन के पुनः उत्पन्न करने का प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

2.5 निष्कर्ष

पावती जारी करने और धनवापसी की स्वीकृति में पर्याप्त विलंब हुआ। अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों से विचलन थे जिसके परिणामस्वरूप इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित वापसी और जीरो रेटेड सप्लाय के अतिरिक्त अनियमित अनंतिम वापसी हुई। कुछ मामलों में राज्य कर अधिकारियों ने विवरणी दाखिल नहीं करने के बाद भी धनवापसी की स्वीकृति दी थी। जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी नियम, 2017 के उल्लंघन में ₹ दो लाख से अधिक के दावों के संबंध में सनदी लेखाकार/ लागत लेखाकार से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ₹ 328.25 लाख की धनवापसी संस्वीकृत की गयी थी। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के निर्यात पर ₹ 144.67 लाख की वापसी संस्वीकृत की गई थी। यद्यपि, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मार्च 2020 में उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया था, लेकिन विभाग द्वारा जमा की गयी राशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। धनवापसी मामलों की पोस्ट ऑडिट नहीं की गई थी जो निर्देशों का पालन नहीं करने के अलावा राजस्व हानि के जोखिम से भरा है।

2.6 अनुशंसाएँ

- *विभाग को पावती जारी करने में विलंब और धनवापसी की स्वीकृति में विलंब को कम करने एवं धनवापसी की स्वीकृति में पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।*

- विभाग को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित धनवापसी एवं जीरो रेटेड सप्लाइ के अतिरिक्त अन्य के अंतर्गत अनियमित अनंतिम धनवापसी के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।
- विभाग दो लाख से अधिक के दावों के संबंध में सनदी लेखाकार से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना तथा निर्यात पर स्वीकृति के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के बिना वापसी की स्वीकृति प्रदान करने से परिवर्जन करें।
- जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत लेखापरीक्षा नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल/ ठोस कदम उठाये जा सकते हैं।

अध्याय III
ट्रान्ज़िशनल क्रेडिट

अध्याय III: ट्रांज़िशनल क्रेडिट


राज्य कर विभाग

3.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है; हालाँकि, यह संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में एसआरओ 281 दिनांक 08 जुलाई 2017 के द्वारा 08 जुलाई 2017 से अस्तित्व में आया अर्थात् जिस तिथि को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने एवं उससे जुड़े अथवा प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम को जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के रूप में पारित किया गया था। उक्त अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को एसआरओ 282 दिनांक 08 जुलाई 2017 द्वारा तैयार एवं जारी किया गया था।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त, राज्य कर की अध्यक्षता वाले राज्य/ संघ शासित क्षेत्र कर विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है। विभाग, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।



मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गये कानूनों एवं नियमों का प्रशासन सरकार के स्तर पर सरकार के वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आयुक्त, राज्य कर विभाग, विभाग के समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

3.3 वैट से जीएसटी में ट्रांज़िशनल क्रेडिट

मौजूदा कानूनों से जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, 'इनपुट टैक्स के लिए ट्रांज़िशनल व्यवस्था' को जीएसटी अधिनियम में शामिल किया गया था ताकि कानूनों के अंतर्गत भुगतान किये गये उचित करों अथवा शुल्कों के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने की हकदारी और तरीका प्रदान किया जा सके।

1) जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 139 से 142 के अंतर्गत निहित प्रावधान ट्रांज़िशनल प्रावधानों को नियंत्रित करता है। इनपुट टैक्स के लिए ट्रांज़िशनल व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत टीआरएएन-1/ टीआरएएन-2 रिटर्न से संबंधित डेटा जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 तथा जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

2) करदाता द्वारा पिछले छह तिमाहियों¹ के फाइल किये गये वैट रिटर्न में घोषित किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन 07 जुलाई 2017 को ऑनलाइन बैंक एंड सिस्टम से टीआरएएन-1 दावे के साथ दाखिल किये गये रिटर्न के साथ-साथ करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दावा किए गए ट्रांज़िशनल क्रेडिट के साथ परस्पर सत्यापन किया गया है।

करदाता ट्रांज़िशनल क्रेडिट के घटकों का दावा अधिनियम की धारा 140 की प्रासंगिक उप-धाराओं के अंतर्गत, निम्न उल्लेखित उपयुक्त तालिकाओं में, दो फॉर्म टीआरएएन-1 एवं टीआरएएन-2 में कर सकते हैं।

तालिका 3.1: रिटर्न का विवरण

रिटर्न	तालिका सं.	ट्रांज़िशनल क्रेडिट के घटक
टीआरएएन-1	5(ग)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र कर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेषित कर क्रेडिट की राशि अर्थात् अंतिम रिटर्न से क्रेडिट का अंत शेष
टीआरएएन-1	6(ख)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र कर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए अग्रेषित पूँजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि

¹ जून 16 को समाप्त तिमाही-1, सितम्बर 16 को समाप्त तिमाही-2, दिसम्बर 16 को समाप्त तिमाही-3, मार्च 17 को समाप्त तिमाही-4, जून 17 को समाप्त तिमाही-1 एवं 07 जुलाई 17 को समाप्त तिमाही-2 (अर्थात् 7 दिनों का रिटर्न)

रिटर्न	तालिका सं.	ट्रांज़िशनल क्रेडिट के घटक
टीआरएएन-1	7(ख)	धारा 140(5) के अंतर्गत इनपुट अथवा इनपुट सर्विस में पात्र शुल्कों व करों/ वैट/ [ईटी] की राशि
टीआरएएन-1	7(ग)	धारा 140(3), 140(4)(बी) एवं 140(6) के अंतर्गत एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेषित कर के साक्ष्य देने वाले चालान/ दस्तावेज़ द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान की गई वैट की राशि
टीआरएएन-1	7(घ)	वस्तुओं का स्टॉक जो कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले चालानों/ दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है (नियम 117 (4) एसजीएसटी के संदर्भ में क्रेडिट)
टीआरएएन-1	10(क) 10(ख)	एसजीएसटी अधिनियम की धारा 142(14) के अंतर्गत प्रिन्सिपल के पक्ष में एजेंट के रूप में रखी गई वस्तुओं का विवरण प्रिन्सिपल के पक्ष एजेंट के रूप में रखी गई वस्तुओं का विवरण। एजेंट द्वारा रखी गई वस्तुओं का विवरण
टीआरएएन-1	11	धारा 142(11)(सी) के संदर्भ में लिए गये क्रेडिट का विवरण अर्थात् नियत दिन से पहले भुगतान किये गये कर और नियत दिन के बाद की गई आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट
टीआरएएन-2	4	नियुक्ति तिथि पर स्टॉक में रखे गये इनपुट का विवरण जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेषित कर के भुगतान के साक्ष्य के लिए कोई चालान/ दस्तावेज़ उनके कब्जे में नहीं है।

कम्पोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 दाखिल करके ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। टीआरएएन-1 दाखिल करने की समय सीमा प्रारंभ में 27 दिसम्बर 2017 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, कई करदाता तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। अतः, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिए अधिसूचना 48/2018 सीटी दिनांक 10 सितम्बर 2018 के द्वारा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के अंतर्गत उप-नियम 1ए शामिल किया गया था। वे करदाता जो तकनीकी कठिनाइयों के कारण टीआरएएन-1 दाखिल नहीं कर सके तथा जिनके लिए जीएसटी परिषद ने अनुशंसा की थी, उनके लिए सीबीआईसी आदेश संख्या 01.2020-जीएसटी दिनांक 07 फरवरी 2020 के द्वारा टीआरएएन-1 दाखिल करने की नियत तिथि को 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

टीआरएएन-1 एवं टीआरएएन-2 रिटर्न के अंतर्गत दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किये

गये, को करदाताओं की जीएसटी आउटपुट देयता के प्रति समायोजित किया जाएगा, जिससे जीएसटी राजस्व संग्रह पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, नियत तिथि अर्थात् 08 जुलाई 2017 से मार्च 2020 के अंत तक जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अंतर्गत करदाताओं द्वारा दायर किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की समीक्षा की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ विश्वास प्राप्त करने के लिए किया गया:

- i. क्या ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी था (प्रणालीगत मुद्दे)।
- ii. क्या मौजूदा कानून से जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं द्वारा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट वैध एवं स्वीकार्य थे (अनुपालन मुद्दे)।
- iii. समय-सीमा का पालन: कम्पोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों के अतिरिक्त सभी पंजीकृत करदाता, नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 रिटर्न दाखिल करके ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। टीआरएएन-1 रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा प्रारम्भ में 27 दिसम्बर 2017 तक तथा बाद में 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई थी क्योंकि कुछ करदाता सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रिटर्न दाखिल नहीं कर सके।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

1. जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
2. जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017
3. नियत तिथि (08 जुलाई 2017) से पूर्व वैट व्यवस्था के अंतर्गत भरे गये छह तिमाहियों का रिटर्न
4. जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 लिगेसी प्रावधान से वैट क्रेडिट के संक्रमण को नियंत्रित करने वाली जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 व जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के साथ पठित एवं सीबीआईसी द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं/ परिपत्र लेखापरीक्षा के मानदंड का निर्माण करते हैं।

3.6 लेखापरीक्षा प्रतिदर्श


51 क्षेत्राधिकार कार्यालयों (परिशिष्ट 3.1 में विस्तृत) में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित 195 उच्च जोखिम वाले प्रतिनिधि मामलों के प्रतिदर्श की जाँच की गई।

3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.7.1 प्रणालीगत मुद्दा - ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 का नियम 117(3) निर्धारित करता है कि फॉर्म जीएसटी टीआरएएन-1 में आवेदन में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि को सामान्य पोर्टल 2017 पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-2 में बनाये गये आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जायेगा। जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 में प्रावधान है कि नियम 117 के उप-नियम 3 के तहत क्रेडिट की गई राशि को सत्यापित किया जा सकता है तथा धारा 73/ धारा 74 के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, गलत तरीके से लिये गये किसी भी क्रेडिट, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

चार्ट 3.1: लेखापरीक्षा प्रतिदर्श



इस प्रकार, सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए राज्य कर विभाग द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए एक उचित एवं प्रभावी तंत्र प्रारम्भ किया जाना था। तथापि, ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा कोई उचित तंत्र विकसित नहीं किया गया था। कुल प्राप्त 994 टीआरएएन-1 दावों में से, 659 दावों का सत्यापन किया गया है (09/2021); हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया के लिए कोई विशिष्ट एकसमान मानदंड नहीं अपनाया गया है। यद्यपि, आयुक्त, राज्य कर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने कहा कि सभी एसजीएसटी टीआरएएन-1 मामलों में लेखा वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 (07 जुलाई 2017 तक) के लिए जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के अंतर्गत आंकलन किया गया था; हालाँकि, यह पाया गया कि कुछ करदाताओं के लिए, तत्कालीन कर व्यवस्था (वैट) से नई जीएसटी व्यवस्था में सार्थक मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित करने के बावजूद, जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के तहत वैट लेखापरीक्षा आंकलन लगातार चार से पाँच वर्षों से अधिक तक के लिए नहीं लिया गया था। ऐसे मामलों के उदाहरण तालिका 3.2 में दिये गये हैं:

तालिका 3.2: मूल्यांकन न किए गए वैट मामलों का विवरण

करदाता का नाम	जीएसटीआईएन	अवधि जिसे जम्मू एवं कश्मीर वैट अधि., 2005 के अंतर्गत निर्धारण के लिए नहीं लिया गया	टीआरएएन-1 राशि (₹ लाख में)
मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स	01ALNPG2132M1ZD	2012-13 से 2017-18	15.67
मैसर्स रवि कुमार गुप्ता एण्ड सन्स	01AAZPG9997R1ZB	2014-15 से 2017-18	625.27
मैसर्स इखवान कार्पोरेशन	01AABF19251J1ZJ	2016-17 से 2017-18	148.70

विभाग द्वारा अपनाये गये व्यवस्थित एवं एकसमान टीआरएएन-1 सत्यापन मानदंड के अभाव में, वैट व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में ले जाने वाले टीआरएएन-1 दावों की वास्तविकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3.7.2 प्रणालीगत मुद्दा - आंकड़ों का बेमेल होना

1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में कराधान सुधार किया गया, जिसने देश को एक एकल बाजार में एकीकृत करके अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया है। डिजिटल तकनीक इस ऐतिहासिक सुधार का आधार रही है एवं जीएसटी का विचार आईटी बैकबोन- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के बिना अधूरा है।

एक साझा जीएसटी को बनाने और प्रबंधित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2012 को देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए साझा आईटी अवसंरचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना को स्वीकृति दी थी।

जीएसटीएन की मुख्य विशेषताओं/ मिशनों में से जीएसटी के लिए एक साझा पोर्टल प्रबंधित करना शामिल है, जो सभी जीएसटी करदाताओं को फ्रंट एंड सेवाएँ प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के कर विभागों को अनुरोध पर कुशल बैक एंड सेवाएँ प्रदान करता है। जिन राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने बैक एंड आईटी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था, उन्हें 'मॉडल 2' राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर एक 'मॉडल 2' संघ शासित क्षेत्र होने के कारण जीएसटी के लिए सभी आईटी सेवाएँ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को जीएसटीएन से प्राप्त करता है।

जम्मू एवं कश्मीर एक मॉडल-2 संघ शासित क्षेत्र से संबंधित 195 ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों के प्रतिदर्श की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान, 46 ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों के संबंध में यह पाया गया कि जीएसटीएन द्वारा साझा किया गया फ्रंट एंड डेटा, जीएसटीएन द्वारा साझा किया गया बैक एंड डेटा से मेल नहीं खाता था। इन 46 मामलों में विशिष्ट तालिका श्रेणियों के अंतर्गत ₹ 282.56 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (टीआरएएन-1) के संबंध में डेटा बेमेल था। इन 46 ट्रांज़िशनल क्रेडिट बेमेल मामलों में से, 13 मामले संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू मंडल से संबंधित हैं तथा 33 मामले कश्मीर मंडल से संबंधित हैं।

46 ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों में बेमेल डेटा अधिकतर और विशेष रूप से 7डी तालिका के अंतर्गत दिखाये गये क्रेडिट से संबंधित था। बेमेल डेटा की पहचान करने के लिए, इन मामलों का सत्यापन किया गया एवं करदाताओं द्वारा भरे गये टीआरएएन-2 दावों के संबंध में किया गया। हालाँकि, यह देखा गया कि जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत टीआरएएन-2 के अंतर्गत क्रेडिट का दावा करने का प्रावधान अनुपस्थित पाया गया। इसके अतिरिक्त, 46 बेमेल मामलों के प्रतिदर्श में से, यह पाया गया कि जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत तीन मामलों (परिशिष्ट 3.2 में विस्तृत) में ₹ 10.48 लाख के लिए दावा किया गया टीआरएएन-2 क्रेडिट, सिस्टम

द्वारा पीएमटी-2 पोर्टल संबंधित करदाताओं के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्वीकार/ क्रेडिट किया गया, प्रावधानों के अभाव में स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सत्यापन योग्य नहीं हैं।

बेमेल डेटा के उपर्युक्त मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जीएसटीएन द्वारा बनाए और साझा किये गये डेटा की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन संदेहजनक है।

3.7.3 जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम 2017 एवं जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत अनुपस्थित तथा अस्पष्ट प्रावधान

भारत ने एक दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है जिसके अंतर्गत राज्य या संघ शासित क्षेत्र के भीतर होने वाली कर योग्य आपूर्तियों पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाया जाता है, जबकि अंतर्राज्यीय लेनदेन के मामले में कर को सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार के मध्य समान रूप से वितरित किया जाता है। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए, केंद्र के साथ-साथ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के स्तर पर मॉडल अधिनियम बनाये गये थे। यद्यपि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत रखे गये लगभग समान प्रावधानों को राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बनाया गया है; तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित कुछ प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत अनुपस्थित और अस्पष्ट थे।

(क) टीआरएएन-2 के अंतर्गत दावा किए गये क्रेडिट के सत्यापन/ अस्वीकृति के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत अनुपस्थित हैं

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) का प्रावधान टीआरएएन-2 क्रेडिट से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि “जहां एक पंजीकृत व्यक्ति जो निर्माता या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता न हो, के पास कोई चालान या इनपुट पर कर के भुगतान का साक्ष्य के रूप कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, ऐसी निर्धारित शर्त, सीमाओं तथा सुरक्षा जिसके तहत उक्त कराधीन व्यक्ति द्वारा इस तरह के क्रेडिट लाभ को दूसरों को हस्तांतरित करना जिसमें घटायी गई दरों पर वस्तु का हस्तांतरण शामिल है, के अधीन इस तरह के इनपुट क्रेडिट के लिए अनुमत्य किया जा सकता है।” हालाँकि, यह देखा गया है कि जम्मू एवं कश्मीर

जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत इस प्रकार के क्रेडिट के दावा के तरीके संबंधित प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 में अनुपस्थित हैं। टीआरएएन-2 के तहत क्रेडिट के दावा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत प्रक्रिया संबंधित प्रावधानों के अभाव में, या तो करदाता टीआरएएन-2 फाइल नहीं कर सकता और क्रेडिट के दावा करे या जहां फाइल करे, वहाँ साझे पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-2 में करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की गई राशि की वैधता की पुष्टि सत्यापन योग्य नहीं है।

(ख) धारा 142(11)(बी) के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत प्रदान किये गये नियम के अनुरूप नहीं हैं

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142(11)(बी) में प्रावधान है कि जहां किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (2005 का III) एवं जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 (1962 का XX) के अंतर्गत किया गया था, उन पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर लगाया जाएगा एवं कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के बाद की गई आपूर्ति मौजूद कानून के अंतर्गत भुगतान की गई सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर की सीमा तक का क्रेडिट लेने का हकदार होगा तथा इस तरह के क्रेडिट की गणना इस प्रकार से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 118 के अंतर्गत बनाये गये संबंधित नियम में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उप-धारा (11) के खंड (सी) का प्रावधान लागू होता है, नियत दिन के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म जीएसटी टीआरएएन-1 में आपूर्ति के उस भाग का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिस पर सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर का भुगतान नियत दिन से पहले कर दिया गया हो परंतु आपूर्ति नियत दिन के बाद की गयी है।

इस प्रकार नियम 118 जो धारा 142(11)(बी) के बजाय धारा 142(11)(सी) पर प्रावधानित है, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 तथा उसके तहत बनाए गये नियमों को प्रयोग एवं व्याख्या के लिए अस्पष्ट बनाते हैं।

3.8 अनुपालन के मुद्दे

अनुपालन के मुद्दे जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 तथा जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत निहित ट्रांज़िशनल प्रावधानों के संबंध में मौजूदा कानून से जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं द्वारा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट के विचलन को समाविष्ट करते हैं। करदाताओं को टीआरएएन-1 एवं टीआरएएन-2 की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं में ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा करना था। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मुद्दों का उल्लेख विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत किया गया है।

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र टैक्स के रूप में टैक्स क्रेडिट की राशि को अंतिम रिटर्न के क्रेडिट के अंतिम शेष से टीआरएएन-1/ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेषित किया गया।

3.8.1 अतिरिक्त क्रेडिट अग्रेषित किया गया

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को छोड़कर, एक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषित मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को मौजूदा कानून के अंतर्गत बताये गए निर्धारित तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा। हालाँकि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत वैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य था तथा इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य है।

इसके अतिरिक्त, धारा 50(3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट टैक्स देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियत तिथि अर्थात् 08 जुलाई 2017 से पहले डीलर द्वारा दाखिल किये गये छह तिमाहियों के वैट रिटर्न का जीएसटी पोर्टल के बैंक एंड सिस्टम पर उपलब्ध एवं प्राप्य डेटा के साथ-साथ, टीआरएएन-1 दावे के फॉर्म तथा ईसीएल (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर) के साथ सत्यापन

के माध्यम से नमूनाकृत ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के दौरान चार मामलों (परिशिष्ट 3.3 में विस्तृत) में देखा गया कि ₹ 11.25 लाख का ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया जो पूर्व के वैट व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के वास्तविक शेष से अधिक था।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि डीलर ने ₹ 1.08 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया था, जबकि जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 07 जुलाई 2017 को फाइल किये गये लिगेसी तिमाही रिटर्न के अनुसार मात्र ₹ 0.81 लाख की क्रेडिट राशि उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.27 लाख के अतिरिक्त क्रेडिट को अग्रेषित किया गया।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 5.94 लाख की ब्याज देयता के साथ-साथ चार मामलों में ₹ 11.25 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट के अतिरिक्त दावे के प्रत्यावर्तन के लिए विभाग को सूचित किया गया था (मार्च 2021 एवं जून 2021 के मध्य), जिसके आलोक में एसटीओ सर्कल, सोपोर एवं एसटीओ सर्कल, श्रीनगर ने क्रमशः ₹ 7.67 लाख तथा ₹ 1.97 लाख की मूल राशि वसूल की, जबकि, ब्याज वसूली लंबित है। आगे, शेष मामलों में विभाग/ कार्यालय की कार्रवाई/ उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और उस पर लागू ब्याज के साथ दिए गए अतिरिक्त ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वसूली करे।

3.8.2 अपात्र/ अस्वीकार्य क्रेडिट लिया गया

(क) लिगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना दावा किया गया ट्रांज़िशनल क्रेडिट

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) में प्रावधान है कि धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मूल्य वर्धित कर की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने नियत तारीख से ठीक पहले छह महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी रिटर्न जमा किए हैं। अतः, मौजूदा कानूनों के तहत एक पंजीकृत डीलर के लिए वैट से जीएसटी में ट्रांज़िशनल आईटीसी का दावा करने की पात्रता इस तथ्य से निर्धारित होती है कि पिछले छह

तिमाहियों अर्थात् 01 जनवरी 2016 से 07 जुलाई 2017 के लिए सभी रिटर्न करदाता द्वारा दाखिल किये जाने चाहिए थे। तथापि, चार मामलों में यह देखा गया (परिशिष्ट 3.4 में विस्तृत) कि डीलर ने सभी अपेक्षित रिटर्न दाखिल नहीं किये थे परंतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया था। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 3.80 लाख की ब्याज देयता के साथ आईटीसी की ₹ 10.75 लाख की राशि का अपात्र ट्रांज़िशनल क्रेडिट हुआ।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि डीलर ने ₹ 3.58 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया था, जबकि वह क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि वह जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत 01 जुलाई 2017 से 07 जुलाई 2017 की कर अवधि के लिए पूर्व-आवश्यक दूसरी तिमाही लिगेसी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा था।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 3.58 लाख की ब्याज देयता के साथ-साथ चार मामलों में ₹ 10.75 लाख की अपात्र ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की वापसी/ वसूली के लिए विभाग को सूचित (जून 2021 से जुलाई 2021 के मध्य) किया गया था। विभाग का उत्तर/ कार्रवाई प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और ब्याज सहित ₹ 10.75 लाख के अपात्र ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वसूली करे।

(ख) लिगेसी व्यवस्था के अंतर्गत क्रेडिट का उपलब्ध/ अनुमति नहीं होना

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषित मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि, मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा निर्धारित तरीके से एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा। हालाँकि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत वैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य था और इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य है।

इसके अतिरिक्त, धारा 50(3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मौजूदा कानून के तहत उपलब्ध दिखाया गया क्रेडिट अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत डीलर द्वारा प्रस्तुत/ फाइल किया गया रिटर्न जीएसटी व्यवस्था को अग्रेषित करने के लिए स्वीकार्य होना चाहिए था। हालाँकि, चार मामलों (परिशिष्ट 3.5 में विस्तृत) में देखा गया कि कर अवधि 01 अप्रैल 2017 से 07 जुलाई 2017 के लिए जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये आकलन के परिणामस्वरूप, इनपुट टैक्स क्रेडिट डीलर द्वारा अपने रिटर्न में दिखाया गया शेष कर को प्राधिकरण द्वारा जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत एक आदेश पारित करके अस्वीकृत कर दिया था। वैट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा शेष आईटीसी को अस्वीकार करने के बाद भी, करदाताओं ने जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत टीआरएएन-1 दावा दाखिल करके अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांज़िशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया है।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि डीलर ने ₹ 1.85 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया था जिसमें से ₹ 1.49 लाख को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखा वर्ष 2017-18 के लिए आकलन कार्यवाही के दौरान अपात्र माना गया था। हालाँकि, लिगेसी व्यवस्था के अंतर्गत ₹ 1.49 लाख के क्रेडिट की अनुमति नहीं थी, फिर भी जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शून्य मांग उठायी गयी।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत (तीन मामलों के संबंध में) ₹ 3.03 लाख की ब्याज देयता के साथ-साथ चार मामलों में ₹ 15.37 लाख की अस्वीकार्य ट्रांज़िशनल क्रेडिट के दावों की वापसी/ वसूली के लिए विभाग को सूचित (मार्च 2021 तथा जुलाई 2021 के मध्य) किया गया था। विभाग का उत्तर/ कार्रवाई प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और ब्याज सहित इन मामलों में ₹ 15.37 लाख का अस्वीकार्य क्रेडिट वसूल करे।

(ग) गलत क्रेडिट को अग्रेषित किया गया

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषित मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि, मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा निर्धारित तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा। हालाँकि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत वैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य था और इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य है।

इसके अलावा, धारा 50(3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

किसी विशेष लेखा वर्ष/ कर अवधि के संबंध में क्रय पर इनपुट करों के समायोजन के बाद विक्रय पर आउटपुट के अतिरिक्त कर का शेष तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न दोनों में वैट-11 फॉर्म के कॉलम/ क्र.सं. 74 के अंतर्गत अगले लेखा वर्ष/ कर अवधि के लिए अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध था। इस प्रकार 07 जुलाई 2017 को करदाता द्वारा भरे गये तिमाही रिटर्न में डेटा घोषणा के अनुसार उपलब्ध/ दावा किया गया ट्रांज़िशनल क्रेडिट वास्तव में पिछले कर अवधि से 01 जुलाई 2017 से 07 जुलाई 2017 की अवधि में अग्रेषित इनपुट टैक्स क्रेडिट था। 07 जुलाई 2017 को दाखिल तिमाही रिटर्न में प्रकट किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वैधता और वास्तविक दावे का पता लगाने के उद्देश्य से, पिछले कर अवधि से अग्रेषित इनपुट टैक्स के प्रवाह को पुराने अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया था।

नमूनाकृत ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के दौरान, परिशिष्ट 3.6 में वर्णित 10 मामलों (नीचे दिये गये दृष्टांत मामले सहित) में यह देखा गया कि इनपुट टैक्स

क्रेडिट उपलब्ध नहीं था जो कि पिछली कर अवधि से आईटीसी को अग्रेषित किया गया था और 07 जुलाई 2017 तक वैट रिटर्न दाखिल करके नियत दिन से ठीक पहले क्रेडिट पर दिखाया गया था क्योंकि करदाता ने पिछली कर अवधि से आईटीसी को सही ढंग से/ वैध रूप से अग्रेषित नहीं किया है।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया (परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत) कि डीलर ने 07 जुलाई 2017 को अपनी लिगेसी रिटर्न में ₹ 625.27 लाख के क्रेडिट की घोषणा की तथा ₹ 625.27 लाख के लिए टीआरएएन-1 दाखिल किया। चूंकि दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट की पर्याप्त राशि पिछले लेखा वर्ष 2015-16, 2016-17 से ले ली गयी थी, इन लेखांकन वर्षों के लिगेसी अभिलेखों की जाँच की गयी और यह पाया गया कि डीलर ने 2015-16 से 2016-17 तक की अवधि जब उनके खाते में मात्र ₹ 65.16 लाख का आईटीसी था, कर से ₹ 583.00 लाख के आईटीसी को अग्रेषित किया था, जिसके परिणामस्वरूप लेखा वर्ष 2016-17 में ₹ 500.77 लाख का अधिक अग्रेषण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 65.16 लाख का आईटीसी लेखा वर्ष 2016-17 से लेखा वर्ष 2017-18 तक अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध था, हालाँकि, ₹ 611.07 लाख के आईटीसी को अग्रेषित किया गया है जिससे ₹ 545.90 लाख के गलत/ अधिक आईटीसी को अग्रेषित किया गया है। लेखा वर्ष 2017-18 के दौरान इनपुट टैक्स के प्रति आउटपुट टैक्स के समायोजन के बाद, जीएसटी में परिवर्तित होने के लिए 07 जुलाई 2017 को ₹ 79.08 लाख के लिए आईटीसी उपलब्ध था। तथापि, ₹ 625.53 लाख के आईटीसी को संक्रमित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 546.44 लाख का गलत/ अधिक संक्रमण हुआ।

10 मामलों (परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत) में आईटीसी के गलत अग्रेषण के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 136.37 लाख की ब्याज देयता के साथ ₹ 553.25 लाख का अधिक ट्रांज़िशनल क्रेडिट विभाग को सूचित (मार्च 2021 एवं अगस्त 2021 के मध्य) किया गया था, जिसके प्रति एसटीओ सर्कल-के, जम्मू ने एक मामले में ₹ 1.71 लाख की मूल राशि की वसूली की है, हालाँकि, ब्याज वसूली लंबित है। शेष मामलों में विभाग/ कार्यालय की कार्रवाई प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और उस पर ब्याज सहित गलत क्रेडिट को अग्रेषित कर वसूली करे।

3.8.3 धारा 142(11)(सी) के तहत प्राप्त क्रेडिट का विवरण अर्थात् नियत दिन से पूर्व भुगतान किये गये कर के संबंध में क्रेडिट तथा नियत दिन के बाद की गयी आपूर्ति

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142(11)(सी) में प्रावधान है कि जहाँ मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अंतर्गत किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, इस अधिनियम के तहत कर लगाया जायेगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के बाद की गयी आपूर्ति की सीमा तक मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और इस तरह के क्रेडिट की गणना इस तरह से की जायेगी जैसा कि निर्धारित किया जाये।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142(11)(बी) के अंतर्गत समरूप प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का III) के अंतर्गत एवं जम्मू एवं कश्मीर सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1962 (1962 का XX) के अंतर्गत किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, उस पर इस अधिनियम के तहत कर लगाया जायेगा एवं कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के बाद की गयी आपूर्ति की सीमा तक मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान की गयी सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा तथा इस तरह के क्रेडिट की गणना ऐसे की जायेगी जैसा कि निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी नियम, 2017 के नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 142 की उप-धारा (11) के खंड (सी) का प्रावधान लागू होता है, नियत दिन के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म जीएसटी टीआरएएन-1 में आपूर्ति के भाग का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिस पर सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर का भुगतान नियत दिन से पहले किया गया है, परंतु आपूर्ति नियत दिन के बाद की गयी हो और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य है। जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो एक निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या मौजूदा कानून के अंतर्गत देय कर के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था, स्टॉक में रखे गये इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट एवं नियत दिन पर स्टॉक में रखे गये अर्ध-तैयार या तैयार वस्तु में निहित इनपुट कर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा, बशर्ते उप-खंड (iv) के अधीन उक्त

पंजीकृत व्यक्ति के पास चालान या मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान का सबूत देने वाले अन्य निर्धारित दस्तावेज हों। हालाँकि उप-खंड (v) के अनुसार ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक बारह महीने से पूर्व जारी नहीं किये गये हों। लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार नोटिस किया:

(क) कालातीत दस्तावेजों पर लिया गया क्रेडिट

एक मामले (परिशिष्ट 3.7 में विस्तृत) में यह पाया गया कि करदाता ने टीआरएएन-1 प्रस्तुत किया है एवं धारा 142(11) के अंतर्गत ₹ 41.92 लाख के लिए राज्य कर क्रेडिट का दावा किया है। कॉलम/ तालिका 11 के अंतर्गत टीआरएएन-1 फॉर्म में अपलोड किये गये चालानों के विवरण के अवलोकन से पता चला कि दावा की गयी ₹ 41.92 लाख की क्रेडिट राशि में से, ₹ 18.23 लाख की क्रेडिट राशि के संबंध में चालान एक वर्ष से अधिक पुराने अर्थात् दिनांक 06 जुलाई 2016 से पूर्व के थे। इस प्रकार, ₹ 41.92 लाख के कुल क्रेडिट दावे में से ₹ 18.23 लाख की राशि का क्रेडिट कालातीत था। चूंकि क्रेडिट 06 जुलाई 2016 से 07 जुलाई 2017 के बीच चालान की वैध अवधि के साथ इनपुट स्टॉक पर स्वीकार्य था, जीएसटी पीएमटी-2 पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्व-निर्मित ₹ 18.23 लाख की क्रेडिट राशि के परिणामस्वरूप कालातीत दस्तावेजों पर अस्वीकार्य क्रेडिट दिया गया।

उपर्युक्त करदाता से अधिनियम की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 4.37 लाख की राशि के ब्याज देयता के साथ-साथ कालातीत चालान पर ₹ 18.23 लाख का अस्वीकार्य ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वसूली के लिए जून 2021 में विभाग को सूचित किया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और ₹ 18.23 लाख के कालातीत चालान पर ब्याज सहित अस्वीकार्य ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वसूली करे।

(ख) सहायक दस्तावेजों के बिना लिया गया क्रेडिट

- टीआरएएन-1 फॉर्म के 7(बी) के अंतर्गत दावा किया गया क्रेडिट धारा 140(5) के अंतर्गत इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क एवं करों/ वैट [ईटी] की राशि को दर्शाता है।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(5) में यह उपबंध है कि नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट,

यदि कोई हो, परंतु कर के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा, इस शर्त के अधीन कि चालान या कोई अन्य कर भुगतान दस्तावेज नियत दिन से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के लेखा पुस्तिका में दर्ज किया गया था। बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गये क्रेडिट के संबंध में, ऐसे तरीके में, जैसा कि निर्धारित किया जाए, एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन के दौरान, पाँच मामलों (परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत) में देखा गया था कि करदाताओं ने आवश्यक सहायक चालान, लेखा पुस्तिका/ विवरण को फाइल/ प्रस्तुत किये बिना टीआरएएन-1 फॉर्म की तालिका 7(बी) के अंतर्गत ₹ 23.92 लाख की ट्रांज़िशनल क्रेडिट राशि का दावा किया है। आवश्यक सहायक चालानों, लेखा पुस्तिका/ क्रेडिट विवरणों के अभाव में ₹ 23.92 लाख का ट्रांज़िशनल क्रेडिट अनियमित है।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि डीलर ने नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर के क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करते हुए 7(बी) के अंतर्गत ₹ 12.22 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया था, जिस कर के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान किया है; हालाँकि, पंजीकृत व्यक्ति ने दावा किये गये इनपुट क्रेडिट के समर्थन में विवरण/ चालान प्रस्तुत नहीं किया।

पाँच मामलों में चालान एवं लेखा पुस्तकों के समर्थन के बिना अनियमित ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावे को ₹ 10.58 लाख की ब्याज देयता के साथ जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वापसी/ वसूली के लिए विभाग को सूचित (जून 2021 तथा जुलाई 2021 के मध्य) किया गया था। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई/ उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

- टीआरएएन-1 फॉर्म के 7(सी) के अंतर्गत दावा किया गया क्रेडिट, धारा 140(3), 140(4)(बी) तथा 140(6) के अंतर्गत एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेषित कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले चालान/ दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किये गये वैट की राशि को दर्शाता है।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के अधीन नहीं था या जो छूट प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री में लगा हुआ था, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, या उन वस्तुओं जिन पर राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर लगा हो और उनकी उत्तरगामी बिक्री मौजूदा कानून के अंतर्गत राज्य में कर के अधीन नहीं हैं परंतु जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी है या जहां कोई व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री के समय इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार था, यदि कोई हो, तो वह, स्टॉक में रखे गये इनपुट तथा नियत दिन पर स्टॉक में रखे गये अर्ध-तैयार या तैयार वस्तु में निहित इनपुट के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने का हकदार होना, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ऐसे इनपुट या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है;
- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज़ हैं;
- (iv) ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज़ नियत दिन से ठीक बारह महीने से पूर्व जारी नहीं किये गये थे।

धारा 140(4)(बी) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के अंतर्गत कराधीन वस्तुओं के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री में लगा हुआ था, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, परंतु जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी हैं, नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तैयार या तैयार वस्तु में निहित इनपुट के संबंध में, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मूल्य वर्धित कर के क्रेडिट की राशि, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा, भले ही उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह की छूट वाली वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं से संबंधित कर को किसी भी नाम से जाना जाता हो।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(6) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो एक निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या मौजूदा कानून के तहत देय कर के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था,

अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट और नियत दिन पर स्टॉक में अर्ध-तैयार या तैयार वस्तुओं में निहित इनपुट का क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन लेने का हकदार होगा, अर्थात्:-

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ऐसे इनपुट या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है;
- (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं कर रहा है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iv) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं;

अधिनियम की उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत संबंधित करदाता अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, नियत दिन पर स्टॉक में रखे गये इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट इस शर्त के अधीन कि पंजीकृत व्यक्ति के पास चालान है या ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान का साक्ष्य के रूप में अन्य निर्धारित दस्तावेज थे तथा ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किये गये थे, लेने का हकदार होगा।

ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन के दौरान 21 मामलों (परिशिष्ट 3.9 में विस्तृत) में यह देखा गया कि करदाताओं ने अपेक्षित सहायक चालानों को फाइल/ प्रस्तुत किये बिना टीआरएएन-1 फॉर्म की तालिका 7(सी) के अंतर्गत ₹ 95.04 लाख की ट्रांज़िशनल क्रेडिट राशि का दावा किया है। चूंकि टीआरएएन-1 में दावा किया गया क्रेडिट करदाताओं के जीएसटी पीएमटी-2 पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रतिबिंबित/ स्वतः भर जाता है, अपेक्षित चालान के बिना दावा किया गया क्रेडिट अनियमित है।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि डीलर ने 7(सी) के अंतर्गत ₹ 27.54 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया था, जो एसजीएसटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेषित कर के भुगतान का साक्ष्य चालान/ दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर के क्रेडिट को दर्शाता है। हालाँकि उस पंजीकृत व्यक्ति ने उक्त क्रेडिट के दावे के समर्थन में चालान/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे।

21 मामलों (परिशिष्ट 3.9 में विस्तृत) में बिना चालानों के समर्थन किये ₹ 95.04 लाख के अनियमित ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावे के संबंध में, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 58.54 लाख (19 मामलों के संबंध में) की ब्याज देयता के साथ जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वापसी/ वसूली के लिए विभाग को सूचित (अप्रैल 2021 तथा जुलाई 2021 के मध्य) किया गया था, जिसके प्रति एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू एवं एसटीओ-1, श्रीनगर ने क्रमशः ₹ 0.16 लाख तथा ₹ 4.31 लाख की मूल राशि वसूल की है। आगे, शेष मामलों में विभाग/ कार्यालय की कार्रवाई/ उत्तर प्रतीक्षित है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और अनियमित ऋण को ब्याज सहित वसूल करे।

3.8.4 अस्वीकार्य/ असत्यापित ट्रांज़िशनल क्रेडिट

जीएसटी व्यवस्था को अग्रेषित करने के लिए 'टैक्स क्रेडिट' की स्वीकार्यता मौजूदा कानून/ वैट के अंतर्गत मात्र इसकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं है; बल्कि, पूर्ववर्ती कर अवधि से परिवर्तन/ अग्रेषित किए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैधता और यथार्थता महत्वपूर्ण सत्यापन कारक है।

एक मामले (परिशिष्ट 3.10 में विस्तृत) में यह देखा गया था कि ₹ 15.67 लाख के ट्रांज़िशनल दावे की कोई वैधता नहीं थी क्योंकि लेखा वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 से अग्रेषित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वैट-चालानों के संबंध में सत्यापित/ मान्य नहीं किया गया है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान डीलर का आईटीसी दावा असत्यापित रहा है क्योंकि उक्त वर्षों के लिए जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारण की पुष्टि नहीं की गई है। चूंकि डीलर ने आवश्यक अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिए सांविधिक नोटिस का अनुपालन नहीं किया, इसलिए सीएसटी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारण को जम्मू एवं कश्मीर वैट अधिनियम, 2005 की धारा 39(6) के साथ पठित सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के अंतर्गत स्वतः संज्ञान से अंतिम रूप दिया गया है और लेखांकन वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए क्रमशः ₹ 260.82 लाख तथा ₹ 46.93 लाख की माँग सीएसटी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उठायी गयी है। परंतु, उसी अवधि के लिए वैट निर्धारण पूरा नहीं किया गया था।

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की पूर्व कर अवधियों से अग्रेषित किये गये समर्थित चालानों के बिना असत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के परिणामस्वरूप ₹ 15.67 लाख का अस्वीकार्य/ असत्यापित ट्रांज़िशनल क्रेडिट हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹ 3.76 लाख की ब्याज देयता के साथ जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अंतर्गत ₹ 15.67 लाख के अस्वीकार्य ट्रांज़िशनल क्रेडिट के बारे में करदाता से वापसी/ वसूली के लिए जुलाई, 2021 में विभाग को सूचित किया गया था। विभाग का उत्तर/ कार्रवाई प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और उस पर ब्याज सहित ₹ 15.67 लाख के अस्वीकार्य/ असत्यापित ट्रांज़िशनल क्रेडिट की वसूली करे।

3.8.5 ट्रांज़िशनल क्रेडिट के वापसी पर ब्याज का भुगतान न करना

जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) प्रावधान करता है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट टैक्स देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगी जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के दौरान 13 मामलों (परिशिष्ट 3.11 में विस्तृत) में यह देखा गया कि जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अंतर्गत अनुचित/ अधिक ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों की वापसी की गई थी। हालाँकि, जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 2017 की 50(3) के अंतर्गत ब्याज देयता प्रभारित नहीं की गई।

दृष्टांत के रूप में एक मामला

एक मामले में यह देखा गया कि 27 दिसम्बर 2017 को डीलर द्वारा अनियमित रूप से दावा किये गये ₹ 29.30 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट को वापिस किया गया तथा 28 सितम्बर 2018 को नकद में भुगतान किया गया; हालाँकि, 28 सितम्बर 2018 को भुगतान किये जाने तक आउटपुट टैक्स देयताओं के प्रति दावा किये गये और उपयोग

किये गये अनियमित ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर ₹ 5.14 लाख की ब्याज देयता का भुगतान डीलर द्वारा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त 13 मामलों (परिशिष्ट 3.11 में विस्तृत) में ₹ 17.48 लाख की ब्याज देयता की वसूली के लिए विभाग को सूचित (मार्च 2021 एवं जुलाई 2021 के मध्य) किया गया था जिसके प्रति एसटीओ सर्कल, कठुआ-1 ने ₹ 0.86 लाख की ब्याज राशि वसूल की गई। आगे, शेष मामलों में विभाग/ कार्यालय की कार्रवाई/ उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) है।

विभाग इन मामलों की समीक्षा करे और ट्रांज़िशनल क्रेडिट के वापसी पर ब्याज की वसूली करे।

3.9 निष्कर्ष


लिगेसी व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एकमुश्त प्रवाह जीएसटी के अंतर्गत नये पंजीकर्ताओं के साथ-साथ पिछले व्यवस्था से पलायन करने वाले दोनों प्रकार के करदाताओं को ट्रांज़िशनल क्रेडिट उपलब्ध कराया गया था। सत्यापन के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के 195 मामलों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श में से, 61 प्रतिशत दावों का एक महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा उन दावों का प्रतिनिधित्व करता है जो लिगेसी वैट रिटर्न से प्राप्त होते हैं और शेष 39 प्रतिशत का अन्य तालिकाओं में दावा किया गया है। सत्यापन राज्य कर विभाग द्वारा अपनाये गये सत्यापन क्रियाविधि की पर्याप्तता के साथ-साथ जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं द्वारा सामान्य अनुपालन का आकलन करने के लिए किया गया था।

195 मामलों के प्रतिदर्श में, लेखापरीक्षा में सभी 195 मामलों (अर्थात् 100 प्रतिशत) के सत्यापन को समाविष्ट किया गया तथा एक प्रणाली के दृष्टिकोण में हमने यह पाया कि;

➤ 46 ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों में पाये गये डेटा बेमेल को ध्यान में रखते हुए मॉडल-2 राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों तथा हितधारकों के लिए बैंक ऑफिस आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम के रूप में जीएसटीएन द्वारा साझा किये गये डेटा की विश्वसनीयता में कमियाँ हैं।

➤ यद्यपि विभाग ने कुछ ट्रांज़िशनल क्रेडिट मामलों का सत्यापन किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि विभाग में 34 प्रतिशत मामलों का सत्यापन करना शेष है; इसके बाद भी, सत्यापन के लिए उचित क्रियाविधि तैयार नहीं किया गया था।

चार्ट 3.2: कमियों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिदर्श मामले



अनुपालन की दृष्टिकोण से हमने लेखापरीक्षा किये गए 195 प्रतिदर्श मामलों में से 56 मामलों में कमियाँ पाई, जो 29 प्रतिशत की त्रुटि दर का सूचक है। पिछली लिगेसी रिटर्न में क्रेडिट के अंतिम शेष के संक्रमण में कमियाँ एवं अनियमितताएँ, कर भुगतान किये गये स्टॉक तथा इनपुट/ इनपुट सेवाओं पर बिना चालान का समर्थन किये क्रेडिट प्राप्त करना और कालातीत चालान पर प्राप्त किये गए क्रेडिट कुछ अनुपालन विचलनों का निर्माण करती है। अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ उठाना, प्राप्त किये जा रहे अतिरिक्त क्रेडिट, अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त किये गए क्रेडिट एवं कालातीत साधनों के साथ क्रेडिट का लाभ उठाना मुख्य कमियाँ थी।

अध्याय IV

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन

अध्याय IV: शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन

कृषि उत्पादन विभाग

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा में श्रमशक्ति योजना, नियुक्तियों, कैरियर एडवांसमेंट और पात्रताओं में कमियाँ पाई गईं। विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए यूजीसी के मानदंडों का उल्लंघन किया और इन पदों को पार्श्वक प्रवेश के माध्यम से भरा। शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर एडवांसमेंट के लिए अनिवार्य मानदंड को शिथिल किया गया था। समयपूर्व पदोन्नति, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का अस्वीकार्य लाभ, गलत वेतन निर्धारण, अस्वीकार्य भत्ते और पात्रता के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

4.1 प्रस्तावना

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्कॉस्ट) की स्थापना 01 अप्रैल 1982 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982 में एक संशोधन (20 सितंबर 1999) के बाद, स्कॉस्ट को दो विश्वविद्यालयों, अर्थात् शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू (स्कॉस्ट-जम्मू) और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (स्कॉस्ट-कश्मीर) में विभाजित किया गया था।

सरकारी स्तर पर, कृषि विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/ सचिव, राज्य कृषि विभाग के पास होता है। वित्तीय नियंत्रण आयुक्त/ सचिव, राज्य वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, जो वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता है। कृषि विश्वविद्यालयों का समग्र कामकाज विश्वविद्यालय परिषद और प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासित होता है।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए मानव संसाधन प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गयी थी कि क्या कृषि विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों की भर्ती, सेवा में कैरियर एडवांसमेंट, पेंशन भुगतान और

पात्रता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों की सांविधियों के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच कुलसचिव, विभिन्न संकायों के डीन और स्कॉस्ट-जम्मू और स्कॉस्ट-कश्मीर के नियंत्रक के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा आयोजित किया गया था। मार्च 2021 तक पदस्थ कुल कार्मिकों (2,462)¹ के 739² कर्मियों (30 प्रतिशत) के सेवा अभिलेखों को विस्तृत जाँच के लिए प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर चुना गया था।

4.2 संस्वीकृत पद एवं पदस्थापना स्थिति

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत पदों और पदस्थ व्यक्तियों की स्थिति तालिका 4.1 में दी गयी है।

तालिका 4.1: संस्वीकृत पद और पदस्थ व्यक्ति

वर्ष	स्कॉस्ट-जम्मू							
	शिक्षण				गैर-शिक्षण			
	संस्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त	कमी (प्रतिशत)
2016-17	352	262	90	26	787	635	152	19
2017-18	352	259	93	26	787	622	165	21
2018-19	353	258	95	27	795	641	154	19
2019-20	353	251	102	29	800	626	174	22
2020-21	356	240	116	33	799	593	206	26

(स्रोत: विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना)

वर्ष	स्कॉस्ट-कश्मीर							
	शिक्षण				गैर-शिक्षण			
	संस्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त	कमी (प्रतिशत)
2016-17	658	443	215	33	1682	1154	528	31
2017-18	658	478	180	27	1682	1152	530	32
2018-19	537	398	139	26	1785	1258	527	30
2019-20	561	440	121	22	1763	1246	517	29
2020-21	561	428	133	24	1762	1201	561	32

(स्रोत: विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना)

¹ स्कॉस्ट-जम्मू: 833, स्कॉस्ट-कश्मीर: 1,629

² स्कॉस्ट-जम्मू: 250, स्कॉस्ट-कश्मीर: 489

स्कॉस्ट-जम्मू में इस अवधि के दौरान शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत 26 और 33 प्रतिशत और गैर-शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत 19 और 26 प्रतिशत के बीच कमी थी। इसी प्रकार, वर्ष 2016-21 के दौरान स्कॉस्ट-कश्मीर में श्रमशक्ति की कमी शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत 22 और 33 प्रतिशत और गैर-शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत 29 और 32 प्रतिशत के बीच थी। जबकि वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान स्कॉस्ट-जम्मू ने शिक्षण संवर्ग के संबंध में केवल 07 और गैर-शिक्षण संवर्ग के लिए 59 नियुक्तियाँ की और स्कॉस्ट-कश्मीर ने शिक्षण और गैर-शिक्षण संवर्ग में क्रमशः 173 और 193 नियुक्तियाँ की।

4.3 स्थापना व्यय

कृषि विश्वविद्यालयों को मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए व्यय की स्थिति तालिका 4.2 में दी गई है।

तालिका 4.2: कुल व्यय की तुलना में वेतन व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्कॉस्ट-जम्मू			स्कॉस्ट-कश्मीर		
	कुल व्यय	कुल वेतन व्यय	कुल व्यय में वेतन व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय	कुल वेतन व्यय	कुल व्यय में वेतन व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	111.37	61.08	55	168.59	125.21	74
2017-18	109.96	69.17	63	195.01	135.85	70
2018-19	148.45	95.07	64	264.56	171.05	65
2019-20	162.64	140.51	86	292.16	182.80	63
2020-21	144.73	93.44	65	309.36	196.26	63

(स्रोत: विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना)

वर्ष 2016-2021 अवधि के दौरान कुल व्यय के संबंध में वेतन पर व्यय स्कॉस्ट-जम्मू में 55 और 86 प्रतिशत और स्कॉस्ट-कश्मीर में 63 और 74 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.4 अपूर्ण श्रमशक्ति योजना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार (जीओआई) के दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2010) ने निर्धारित किया कि भर्ती नियमों की पाँच साल में एक बार समीक्षा

की जानी चाहिए ताकि नियमों में जो जरूरी है ऐसे बदलावों को किया जा सके जिनमें कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने या कमी की जरूरत भी शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रशासनिक सुधार निरीक्षण और प्रशिक्षण विभाग³ द्वारा सभी प्रमुख सचिवों को जारी किये गये हैं और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी सेवाओं (राजपत्रित/ अराजपत्रित) के सभी भर्ती नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए समय-समय पर व दिसंबर 2020 में नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कृषि विश्वविद्यालयों ने उनके सृजन के बाद से न तो भर्ती नियमों की समीक्षा की थी और न ही रिक्तियों के आवधिक मूल्यांकन, स्वीकृत पदों और समय सीमा जिसके भीतर रिक्त पदों को भरा जाना था, की समीक्षा के निर्धारण के लिए कोई तंत्र स्थापित किया था जिससे स्वीकृत पद से अधिक नियुक्तियों, शासन विधि में तदर्थवाद और रिक्त पदों का दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ जिस पर कंडिकाओं 4.6, 4.7 और 4.8 में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने भर्ती नियमों में अस्पष्टताओं और विसंगतियों को भी देखा जिस पर कंडिका 4.13 में चर्चा की गई है। मार्च 2022 तक, कृषि विश्वविद्यालयों ने अगस्त 2006 के यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित वर्गों से शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं की थी।

सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (फरवरी 2022) कि दोनों विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमों के अनुसार शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण नीति अपनाने की प्रक्रिया विचाराधीन थी। तथ्य यह है कि आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लंबित रहने से, विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सके।

विश्वविद्यालयों ने गैर-शैक्षणिक संवर्ग का पुनर्गठन भी नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य मुकदमेबाजी और निरर्थक पदों की निरंतरता बनी रही।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (मार्च 2022) कि प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए विश्वविद्यालय विभिन्न पदों की संवर्ग समीक्षा करेगा।

³ प्रशासनिक सुधार निरीक्षण एवं प्रशिक्षण विभाग सभी सरकारी विभागों (राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवाओं) के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने/ अद्यतन करने के लिए अधिकृत है।

4.5 रिक्त पद

मार्च 2021 तक स्कॉस्ट-जम्मू में 206 रिक्त गैर-शिक्षण पदों में से 23 श्रेणियों के अंतर्गत 96 पद लगातार पाँच वर्षों से रिक्त पड़े थे। इसी तरह, स्कॉस्ट-कश्मीर में मार्च 2021 तक 561 रिक्त गैर-शिक्षण पदों में से 52 श्रेणियों के तहत 357 पद लगातार पाँच वर्षों से रिक्त पड़े थे। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी एवं वित्त विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मान्य किए गए निर्देशों, जिसमें यह आवश्यक था कि दो वर्षों से अधिक समय तक रिक्त रहने वाले पदों को समाप्त समझा जाए, के आलोक में इन पदों को न तो विज्ञापित किया गया और न ही समाप्त किया गया।

लेखापरीक्षा में आगे आकलन किया गया कि स्कॉस्ट-जम्मू में सहायक निदेशक, सांख्यिकी, सहायक परियोजना नियोजन और निगरानी अधिकारी के पदों को उनके सृजन (जून 2000) से विज्ञापित नहीं किया गया था। इन पदों पर योजना एवं विकास विभाग से क्रमशः फरवरी 2006 और मई 2007 तक अधिकारी नियुक्त किए गए थे और उसके बाद ये पद लगातार खाली पड़े थे। इसी तरह, स्कॉस्ट-जम्मू में सहायक निदेशक, रेजिडेंट इन्सट्रक्शन का पद इसके सृजन (जून 2000) के बाद से जनवरी 2012 में बारह दिनों के एक संक्षिप्त कार्यकाल को छोड़कर लगातार खाली पड़ा था। यह समीक्षा नहीं की गई थी कि इन पदों को जारी रखा जाए या अन्यथा और इनमें से दो⁴ का उपयोग विश्वविद्यालय के अन्य संभागों/ संकायों से जुड़े कर्मचारियों के वेतन आहरण के लिए किया जा रहा था। मार्च 2021 तक स्कॉस्ट-जम्मू और स्कॉस्ट-कश्मीर में क्रमशः 116 और 133 शिक्षण पद रिक्त थे।

स्वीकृत पदों के गैर युक्तिकरण की पुष्टि इस तथ्य द्वारा होती है कि स्कॉस्ट-जम्मू ने अगस्त 2005 में अनुमोदित चार नए संकायों⁵ के सृजन हेतु पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय में अधिशेष घोषित (नवंबर 2011) 39 पदों में से 27 रिक्त शिक्षण पदों के पुनः आवंटन पर विचार नहीं किया। यह वित्त/ योजना एवं विकास विभाग (जनवरी 2019 और मार्च 2021) के अधिशेष पदों की पहचान और उपलब्ध संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग के लिए श्रमशक्ति लेखापरीक्षा करने के निर्देशों के बावजूद था।

⁴ सहायक निदेशक, रेजिडेंट इन्सट्रक्शन एवं सहायक परियोजना नियोजन और निगरानी अधिकारी

⁵ बागवानी और वानिकी संकाय, कृषि इंजीनियरिंग संकाय, डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेज संकाय और जैव प्रौद्योगिकी संकाय

निर्धारित अधिशेष पदों के गैर उपयोगीकरण के कारण, विश्वविद्यालय पदों के सृजन के लिए लंबित सहमति के कारण इन संकायों को संस्थागत नहीं कर सका, जो नवंबर 2021 में प्राप्त हुआ था।

स्कॉस्ट-जम्मू ने रिक्त पदों को भरने में देरी के लिए वित्त विभाग से सहमति में विलंब, यूजीसी के विनियमों को अपनाने में विलंब और पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति में विलंब को जिम्मेदार ठहराया। तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय ने स्वीकृत/ प्रभावी पदों की संख्या पर दोबारा गौर नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ पद 8 से 16 वर्षों की बीच की अवधि से लगातार रिक्त पड़े थे।

4.6 पदों का अनधिकृत रूपांतरण/ पुनः पदनाम और विषयांतरण

सामान्य प्रशासन विभाग (दिसंबर 2007) और वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय (मार्च 2009 और जुलाई 2019) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालयों में पदों के सृजन/ पुनः पदनाम और उन्नयन के लिए वित्त एवं योजना विभाग की सहमति एक पूर्व-आवश्यकता थी क्योंकि सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों ने पदों के सृजन/ उन्नयन/ रूपांतरण संबंधी निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किया है। रिक्त पदों की उपलब्धता ने, अनियमित नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए पदों के पुनः पदनाम, वेतन के आहरण के उद्देश्य से स्वीकृत पद से अधिक नियुक्त कर्मचारियों के संलग्नता और समायोजन को सुविधा प्रदान की जिस पर आगे कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.6.1 गैर-शिक्षण पदों का पुनः पदनाम

स्कॉस्ट-जम्मू में 593 पदों में से 180 के सेवा अभिलेखों की नमूना परीक्षण से पता चला कि वरिष्ठ/ कनिष्ठ वैज्ञानिक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक कुलसचिव, आशुलिपिक इत्यादि के स्वीकृत 20 पदों को उप/ सहायक कुलसचिव, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्य पर्यवेक्षक, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि के पद पर वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना पुनः पदनामित (अप्रैल 1993 और 2017 के बीच) किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, गैर-मौजूद पदों पर पाँच गैर-शिक्षण पदों की नियुक्ति की गयी है। इन पदधारियों को तत्पश्चात नियुक्तियों के लिए अलग-अलग मानदंडों के साथ अलग-अलग या समान वेतन वाले अन्य रिक्त पदों को पुनः पदनामित

या परिवर्तित करके समायोजित किया गया था। अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को संदर्भित किए बिना, पाँच नए पदों⁶ के सृजन और पहले से स्वीकृत पदों को समाप्त करने वाले पदों के विचलन का विवरण परिशिष्ट 4.2 में सूचीबद्ध है।

इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर में 1,201 पदों में से 377 में, वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना तीन पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर, फील्ड कम लैबोरेट्री असिस्टेंट और उर्दू टंकक के एक-एक पद को क्रमशः चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सहायक और कलाकार सह फोटोग्राफर के रूप में पुनः नामित (दिसंबर 2003 और मार्च 2017 के बीच) किया गया था। उर्दू टंकक के पद का उपयोग पूर्वव्यापी रूप (जुलाई 2003) में एक कलाकार सह फोटोग्राफर को समायोजित करने के लिए किया गया था और अन्य दो पद रिक्त रहे (मार्च 2021) जिसके परिणामस्वरूप इन पदों का अनावश्यक रूपांतरण हुआ।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (नवम्बर 2021) कि किसी भी पद को पुनः पदनामित करने की शक्ति कुलपति के पास निहित है। सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने बताया (मार्च 2022) कि मत्स्य पालन संकाय के डीन के अनुरोध पर असिस्टेंट प्रोफेसर और फील्ड सह प्रयोगशाला सहायक को क्रमशः चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा सहायक के रूप में पुनः नामित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पदों के सृजन के लिए वित्त एवं योजना विभागों की सहमति एक पूर्व-आवश्यकता थी और वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय ने समय-समय पर विश्वविद्यालयों को किसी भी रिक्त पद को भरने या किसी अन्य पद के प्रति वेतन आहरण से मना किया था।

वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय ने अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों को एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान पक्षपात करने से परहेज करने की सलाह दी।

4.6.2 नियंत्रक के पद का उन्नयन

नियंत्रक (स्कॉस्ट-जम्मू) के पद का वेतनमान ₹ 16,400 - ₹ 20,000 था जो विश्वविद्यालय परिषद द्वारा अनुमोदित (अप्रैल 1994) था। पद को ₹ 16,400 - ₹ 22,400 में उन्नयन के प्रस्ताव को प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखा गया (जुलाई 2001) था, किंतु उसे वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय द्वारा इस आशंका से अस्वीकार कर

⁶ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सहायक, कानूनी अधीक्षक, सुरक्षा अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर

दिया गया था कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों में लेखा संवर्ग में समस्या पैदा करेगी। एक नया प्रस्ताव वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना व पूर्व निर्णय के किसी संदर्भ के बिना प्रबंधन बोर्ड के समक्ष फिर से रखा गया (मार्च 2005) और अनुमोदित हो गया। लेखापरीक्षा ने आकलन किया कि जनवरी 2006 और जनवरी 2009 के बीच नियंत्रक का पद धारण करने वाले अधिकारी को ₹ 0.46 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि प्रबंधन बोर्ड ने अपनी 5वीं बैठक में, नियंत्रक के वेतनमान में विसंगति को दूर करने के लिए अनुमति (मार्च 2005) दी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव को वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद प्रबंधन बोर्ड को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

4.6.3 बिना आवश्यक अनुमोदन के सांविधिक पदों का पुनः पदनाम/ पुनः नामकरण

स्कॉस्ट-कश्मीर में प्रबंधन बोर्ड की एक बैठक (अप्रैल 2012) में निदेशक आयोजना के रूप में परियोजना नियोजन और निगरानी अधिकारी के पद के पुनः नामकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित किया कि परियोजना नियोजन और निगरानी अधिकारी पद, जो विश्वविद्यालय द्वारा भरा जाएगा, के अलावा राज्य सरकार योजना और विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति पर निदेशक, आयोजना को भेजेगी।

लेखापरीक्षा में हालांकि देखा गया कि, प्रबंधन बोर्ड द्वारा परियोजना नियोजन और निगरानी अधिकारी के पद को निदेशक आयोजना के रूप में पुनः पदनामित (जुलाई 2017) किया गया था और पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता को स्नातकोत्तर डिग्री से डॉक्टरेट की डिग्री में संशोधित किया गया। हालांकि इसके लिए वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय की सहमति जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

इसी प्रकार, निदेशक, रेजिडेंट इन्सट्रक्शन सह डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन और निदेशक विस्तार शिक्षा के पदों का नामकरण भी क्रमशः निदेशक, शिक्षा और निदेशक, विस्तार में परिवर्तित कर (स्कॉस्ट-जम्मू: दिसंबर 2011 और स्कॉस्ट-कश्मीर: अप्रैल 2014) दिया गया था। हालांकि, सांविधिक पद होने के कारण नामकरण में परिवर्तन के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी जिसे मार्च 2021 तक कार्यान्वित नहीं किया गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि निदेशक, रेजिडेंट इन्सट्रक्शन के पद के निदेशक, शिक्षा के रूप में पुनः नामकरण के अनुसमर्थन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

4.7 स्वीकृत पद/ विज्ञापित पदों से अधिक नियुक्तियां

अभिलेखों से पता चला कि कृषि विश्वविद्यालयों ने भर्ती के लिए अधिसूचना (सितंबर 2006 और मार्च 2008 के बीच) जारी करने से पहले पदों की वास्तविक उपलब्धता का आकलन नहीं किया था। स्कॉस्ट-जम्मू ने सात असिस्टेंट प्रोफेसरों/ कनिष्ठ वैज्ञानिक/ विषय-वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) को अधिसूचित पदों से अधिक व इसकी स्वीकृत पदों से ज्यादा नियुक्त (अक्टूबर 2007 और जुलाई 2008 के बीच) किया। जबकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर/ कनिष्ठ वैज्ञानिक को बागवानी के क्षेत्र में कोई पद न होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर (रेशम उत्पादन) के उपलब्ध पद पर नियुक्त (जुलाई 2008) कर वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और बाद में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र भद्रवाह से वापस लिए गए कनिष्ठ वैज्ञानिक (फल विज्ञान) के पद के प्रति समायोजित (नवंबर 2016) किया गया था और वित्त विभाग के हस्तक्षेप पर छह नियुक्तियों को सेवा समाप्ति/ कारण बताओ नोटिस जारी (2009) किया गया। हालांकि, नियुक्तियों को जारी रखने और वेतन जारी रखने की अनुमति देने के निर्देश के साथ माननीय जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इनमें से तीन नियुक्तियों को बाद में फरवरी 2012 और जून 2014 के बीच फिर से नियुक्त किया गया था वहीं एक ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और दो की वेतन आहरण के उद्देश्य से अन्य रिक्त पदों के प्रति जनवरी 2022 तक सेवा जारी रही।

इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर द्वारा विज्ञापित (सितंबर 2006) असिस्टेंट प्रोफेसर (वानिकी) के एक पद के लिए तीन असिस्टेंट प्रोफेसर और एक विषय-वस्तु विशेषज्ञ नियुक्त (अक्टूबर 2007 और दिसंबर 2007) किए गए। इसके अतिरिक्त, दो कृषि विकास केंद्रों में तीन विषय-वस्तु विशेषज्ञ की विज्ञापित रिक्तियों के लिए स्कॉस्ट-कश्मीर ने पाँच विषय-वस्तु विशेषज्ञ नियुक्त (अगस्त 2017) किए जिसके परिणामस्वरूप गैर-विज्ञापित पदों पर नियुक्तियां हुईं।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि तत्कालीन प्रशासन द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक की नियुक्ति की

गई थी और अतिरिक्त पद की स्वीकृति के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार से अनुरोध किया गया है।

सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (मार्च 2022) कि विज्ञापन में निर्देशों को शामिल किए गया था कि नियुक्ति के समय उनकी उपलब्धता के अनुसार भरे जाने वाले पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। उत्तर पुष्टि करता है कि विश्वविद्यालय ने विज्ञापन जारी करने से पूर्व रिक्त पदों की स्थिति का आकलन नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा यह बताया गया कि नियुक्तियां पिछले वर्षों से संबंधित हैं और 2010 के बाद ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

4.8 विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति

'विश्वविद्यालय के अधिकारी' संदर्भित किए जाने वाले डीन/ निदेशकों और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से सीधी भर्ती, स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जानी है। स्कॉस्ट अधिनियम 1982 की धारा 27, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रबंधन बोर्ड को सूचित करते हुए केवल छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी उपाय के रूप में इन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार देती है। लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2021 और फरवरी 2022) कि विश्वविद्यालयों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार (अगस्त 2012 और अप्रैल 2021 के बीच) रिक्त होने वाले पदों पर इन अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया था और इसके बजाय कुलपति ने स्कॉस्ट-जम्मू के संबंध में 11 महीने से सात साल तीन महीने और स्कॉस्ट-कश्मीर के संबंध में सात महीने और चार साल चार महीने के बीच की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार देकर इन पदों पर शिक्षण कर्मचारियों को नामित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा कुलसचिव और निदेशक आयोजना एवं निगरानी के पदों जो क्रमशः फरवरी 2016 और अप्रैल 2017 में खाली हो गए थे, को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया (मई 2018) को देर से शुरू किया गया था जो कि बोर्ड रूम में विशेषज्ञों को प्रभावित करने और स्क्रीनिंग प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन होने की शिकायतों के कारण पूरा नहीं हो सका। गठित समिति (अगस्त 2018) द्वारा आरोपों की जाँच के लिए अनुशंसित आवेदन पत्रों का पुनर्मूल्यांकन शुरू नहीं

किया गया था और अधिसूचना सितंबर 2020 में वापस ले ली गई थी। इसी तरह जुलाई 2021 में विज्ञापित विभिन्न प्रबंधन पदों के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया भी आज तक लंबित थी।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि स्कॉस्ट अधिनियम के अनुसार, इन अधिकारियों के सामान्य कर्तव्यों के अलावा, सक्षम अधिकारियों ने इन अधिकारियों को बिना किसी वित्तीय लाभ के अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन बोर्ड को सूचित किए बिना अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त प्रभार देना विश्वविद्यालयों में एक आम बात बन गयी थी जो कृषि विश्वविद्यालयों के कामकाज को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अनुकूल नहीं था।

4.9 शिक्षण/ वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति

यूजीसी और आईसीएआर द्वारा क्रमशः शिक्षण और वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। व्याख्याताओं, पाठकों और प्रोफेसरों के तत्कालीन पदानुक्रम के लिए 2010 के संशोधित यूजीसी नियमों ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के तीन पदनाम निर्धारित किए। संबंधित वैज्ञानिक पदों के लिए आईसीएआर द्वारा निर्धारित पदनाम वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान वैज्ञानिक हैं। कृषि अनुसंधान और विस्तार विभाग, कृषि मंत्रालय ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को यूजीसी विनियमन नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं, सेवा के दौरान कैरियर एडवांसमेंट और वेतनमान के निर्धारण का समर्थन (मार्च 1999 और अगस्त 2010) किया था।

लेखापरीक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया और अनिवार्य शैक्षणिक निष्पादन संकेतकों को अपनाये बिना नियुक्तियां, अनिवार्य नेट योग्यता के बिना नियुक्तियां, शिक्षण अनुभव में अस्वीकार्य अवधि की गणना करके नियुक्तियां और तकनीकी पदों के अनियमित उन्नयन द्वारा पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से नियुक्तियां, जैसे मामले पाए। दृष्टांत मामलों का विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

4.9.1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अकादमिक निष्पादन संकेतकों को न अपनाना

यूजीसी विनियम 2010 ने शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए विशिष्ट शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) के साथ निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) का निर्धारण किया। कृषि विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा निर्धारित

टेम्प्लेट प्रोफार्मा को अपनाना था या पीबीएस के सख्त पालन में शिक्षकों के लिए स्वयं का स्व-मूल्यांकन सह निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना था। यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया (सितंबर 2015) कि यूजीसी विनियम अनिवार्य थे और बिना किसी विचलन के अक्षरशः और पूर्णता से पालन किए जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कृषि विश्वविद्यालयों ने संशोधित यूजीसी वेतनमानों को अपनाया (जुलाई 2009) था, उन्होंने जुलाई 2017 में छह वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर एडवांसमेंट के लिए पीबीएस का एक मिलाजुला संस्करण अधिसूचित किया, जैसा कि **कंडिका 4.10.1** में वर्णित है। जनवरी 2011 (यूजीसी नियमों के कार्यान्वयन की नियत तारीख) और जुलाई 2017 के बीच की अवधि के दौरान, स्कॉस्ट-जम्मू ने 2014 तक के साक्षात्कार के लिए 31 असिस्टेंट प्रोफेसरों, 14 एसोसिएट प्रोफेसरों और सात प्रोफेसरों को स्व-निर्मित प्रारूप के आधार पर 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत, एवं उसके बाद 30 प्रतिशत भारांक देकर नियुक्त किया गया जबकि निर्धारित भारांक 20 प्रतिशत था। इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर ने जनवरी 2011 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान 68 असिस्टेंट प्रोफेसरों, चार एसोसिएट प्रोफेसरों और दो प्रोफेसरों को इसी आधार पर नियुक्त किया। पीबीएस की अनुपस्थिति में, प्रत्याशियों के शिक्षण, अधिगम, व्यावसायिक विकास, अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान का आकलन नहीं किया गया।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (दिसंबर 2021) कि 2010 के यूजीसी विनियम शिक्षकों और शिक्षाविदों पर लागू होते थे जबकि स्कॉस्ट-जम्मू में अकादमिक, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता था जिसके लिए इनमें बदलाव की आवश्यकता थी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि 1998 और 2010 के यूजीसी विनियम यूजीसी स्तर अपनाने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू थे और आईसीएआर (मार्च 1999 और अगस्त 2010) द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को बिना किसी विचलन के राज्य कृषि विश्वविद्यालय में उनके अंगीकरण के लिए समर्थन किया गया था।

4.9.2 अनिवार्य नेट योग्यता के बिना नियुक्तियां

विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसरों/ कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए, यूजीसी और आईसीएआर विनियम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/ राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) की अतिरिक्त योग्यता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

की योग्यता निर्दिष्ट करते हैं। जिन प्रत्याशियों को यूजीसी विनियम, 2010 के अनुपालन में पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी, उन्हें नेट/ एसएलईटी की अर्हता से छूट दी गई थी। कुलपति की अध्यक्षता में एक चयन समिति जिसमें विश्वविद्यालय के बाहर से दो विशेषज्ञ, और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे न हो, को असिस्टेंट प्रोफेसरों/ कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति की अनुशंसा करनी थी।

स्कॉस्ट-जम्मू में, वर्ष 2011 और 2017 के बीच 31 असिस्टेंट प्रोफेसर/ जूनियर वैज्ञानिक और 13 विषय-वस्तु विशेषज्ञ नियुक्त किए गए थे। 31 असिस्टेंट प्रोफेसरों/ कनिष्ठ वैज्ञानिकों में से सात के पास नेट की न्यूनतम पात्रता नहीं थी। चयन समिति ने इन मामलों की अनुशंसा लाभार्थियों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त के अधीन की थी कि उनकी पीएचडी की डिग्री यूजीसी के नियमों, 2009 के अनुसार थी। अपेक्षित प्रमाण पत्र, मांगे जाने (दिसंबर 2021) के बावजूद न तो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए और न ही अभिलेखों में उपलब्ध थे। 44 नियुक्तियों में से आठ में राज्य सरकार का प्रतिनिधि चयन समिति की बैठक में मौजूद नहीं था। इस प्रकार, इन नियुक्तियों के संबंध में स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा सरकार के निरीक्षण तंत्र का लाभ नहीं उठाया गया।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कृषि विश्वविद्यालयों ने साक्षात्कार आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवेदनों के संबंध में कोई मानदंड निर्दिष्ट नहीं किया था। अभिलेखों से पता चला कि 29⁷ मामलों में, साक्षात्कार आयोजित किये गये थे जब प्राप्त आवेदनों की संख्या तीन से कम थी और आठ⁸ मामलों में साक्षात्कार आयोजित किये गये थे जब केवल एक उम्मीदवार था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (फरवरी 2022) कि स्क्रीनिंग समितियों ने लाभार्थियों को योग्य घोषित किया था। स्क्रीनिंग कमेटी को जिम्मेदारी सौंपकर, विश्वविद्यालय प्रबंधन, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को अंजाम देने की अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं हो सकता।

यह भी कहा गया कि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु साक्षात्कार आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवेदन प्रपत्रों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अंगीकृत किए जाएंगे।

⁷ स्कॉस्ट-कश्मीर: 26, स्कॉस्ट-जम्मू: तीन

⁸ स्कॉस्ट-कश्मीर: सात; स्कॉस्ट-जम्मू: एक

4.9.3 अपेक्षित शिक्षण अनुभव के बिना नियुक्तियां

यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आठ साल के अनुभव की आवश्यकता को कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा देर से (जनवरी 2014 और सितंबर 2014) अपनाया गया था। इस तरह के अंगीकार से पहले विश्वविद्यालयों की सांविधियों और अधिसूचनाओं में केवल सात वर्षों का शिक्षण अनुभव निर्दिष्ट किया गया था। यूजीसी के विनियमों और विश्वविद्यालय के कानूनों में यह प्रावधान है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या समकक्ष पद के रूप में पिछली नियमित सेवा की गणना की जानी चाहिए। पीएचडी प्राप्त करने और अतिथि व्याख्याता के रूप में बिताया गया समय शिक्षण अनुभव के रूप में गणना किए जाने हेतु योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष से अधिक की अवधि की विगत तदर्थ सेवा की गणना की जा सकती है बशर्ते कि बिना किसी विराम के तदर्थ या अस्थायी सेवा की निरंतरता में स्थायी पद पर पदधारी का चयन किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2004 और नवंबर 2015 के बीच नियुक्त छह एसोसिएट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-जम्मू: चार, स्कॉस्ट-कश्मीर: दो) के संबंध में, पीएचडी प्राप्त करने में लगने वाला समय, अतिथि व्याख्याता के रूप में प्रदान की गई सेवा, तदर्थ/ समेकित सेवा और एक अतिथि वैज्ञानिक के रूप में प्रदान की गयी सेवा को एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवश्यक सात/ आठ वर्ष के शिक्षण अनुभव में शामिल किया गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि आवश्यक संकाय की कमी के कारण, स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति ने इन उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थक दस्तावेजों के आधार पर योग्य घोषित किया था। सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (फरवरी 2022) कि उम्मीदवारों को तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से योग्य घोषित किया गया था।

4.9.4 पार्श्वक प्रवेश (लेटरल एंट्री) के माध्यम से शिक्षण पदों पर नियुक्ति - राजकोष पर ₹ 10.16 करोड़ का वित्तीय बोझ

यूजीसी के विनियम (1986, 1998, और 2010) ने निर्धारित किया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती एक अखिल भारतीय विज्ञापन और विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी। विनियमों में पदोन्नति के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं था।

यूजीसी के विनियमों का उल्लंघन करते हुए, जो केवल सीधी भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को निर्धारित करता है, कृषि विश्वविद्यालयों ने तकनीकी पदों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) अधिसूचित (1994, 2012 और 2018) की जिसमें गैर-शिक्षण तकनीकी कर्मचारियों को शिक्षण पदों पर पदोन्नति का प्रावधान था। 1994 की अधिसूचना दो साल की परीक्षा के सफल समापन के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारत वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (एसटीए) को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियोजन को विनिर्दिष्ट करती थी और सितंबर 2012 और जुलाई 2018 की अधिसूचनाओं ने इस योजना के लाभ को आईसीएआर पर भारत कार्यक्रम सहायक/ तकनीकी सहायक (टीए) के तकनीकी पदों तक बढ़ा दिया।

तदनुसार, कृषि विश्वविद्यालयों ने अनियमित रूप से स्कॉस्ट-जम्मू में 10 वरिष्ठ तकनीकी सहायकों और स्कॉस्ट-कश्मीर में 45 वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को असिस्टेंट प्रोफेसरों के यूजीसी प्रविष्टि स्तर वेतनमान में उन्नयन (जुलाई 1994 और दिसंबर 2013 के बीच) किया। लेखापरीक्षा द्वारा स्कॉस्ट-जम्मू में आठ मामलों और स्कॉस्ट-कश्मीर में 11 मामलों की विस्तृत जाँच की गई। यह पाया गया कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों के लिए लागू भविष्य के उन्नयन के साथ बढ़े हुए वेतन और भत्तों के कारण राजकोष पर ₹ 5.37 करोड़⁹ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से तय की गई दो साल की सेवा की आवश्यकता का भी पालन नहीं किया गया था क्योंकि वरिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में केवल चार महीने की सेवा पूरी करने के बाद स्कॉस्ट-कश्मीर के एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक को समय से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर (फरवरी 1998) के रूप में नामित किया गया था, जिसके कारण आगे जाकर उसका पुनः उन्नयन जल्दी हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 0.30 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, स्कॉस्ट-कश्मीर में एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक को परीक्षा के सफल समापन से पहले अगले उच्च वेतनमान में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें समय से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था, जिससे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उच्च वेतनमान में आगे की नियुक्ति जल्दी हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.26 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इसी प्रकार, 2012 और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर, स्कॉस्ट-जम्मू ने आईसीएआर योजनाओं के 12 कार्यक्रम सहायकों/ तकनीकी सहायकों को ₹ 4,200 (स्तर 06) के पदक्रम वेतन से ₹ 6,000 (स्तर 10) के पदक्रम वेतन में उन्नयन (जून 2021)

⁹ स्कॉस्ट-जम्मू: आठ मामलों में ₹ 3.08 करोड़; स्कॉस्ट-कश्मीर: 11 मामलों में ₹ 2.29 करोड़

किया। इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर ने आईसीएआर योजनाओं के 19 कार्यक्रम सहायकों/ तकनीकी सहायकों को ₹ 4,200 (स्तर 06) के पदक्रम वेतन से ₹ 6,000 (स्तर 10) के पदक्रम वेतन में उन्नयन (सितंबर 2012 से जून 2016) किया। स्कॉस्ट-कश्मीर के 19 कार्यक्रम सहायकों/ तकनीकी सहायकों में से 10 को तत्पश्चात परिवीक्षा की समाप्ति के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किया गया। आईसीएआर योजनाओं पर भारत तकनीकी कर्मियों की यूजीसी प्रवेश स्तर वेतनमान में सीधे अनियमित नियोजन के परिणामस्वरूप स्कॉस्ट-जम्मू के संबंध में अभी तक भुगतान नहीं किए गए ₹ 0.98 करोड़ के बकाया के लिए और स्कॉस्ट-कश्मीर के संबंध में इन कर्मियों को भुगतान किए गए ₹ 3.25 करोड़ के बकाया के लिए देनदारी बनी।

गैर-शिक्षण कर्मचारियों को शिक्षण पदों पर उन्नयन करके कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया था और इच्छुक उम्मीदवारों को शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने के अवसरों से वंचित कर दिया था और इस तरह ऐसे मामलों में शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किया था क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए नहीं रखा गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि विश्वविद्यालय ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक/ तकनीकी सहायक के पदों को असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में उन्नयन के लिए पूर्ववर्ती संयुक्त स्कॉस्ट योजना का पालन किया था और यह पद वरिष्ठ तकनीकी सहायक/ तकनीकी सहायक द्वारा उनकी निजी क्षमताओं से प्राप्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि उन्नयन किए गए कर्मियों को उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया जाएगा, जब उनके मूल पदों पर स्थित पदधारियों की सेवानिवृत्ति या अन्य पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप वे पद रिक्त होते हैं। तथ्य यह है कि विश्वविद्यालयों के यूजीसी विनियमों या सांविधियों में कोई प्रावधान नहीं था, जो गैर-शिक्षण पोषक संवर्गों से पदोन्नति के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रविष्टि स्तर के पद को भरने की अनुमति देते हैं।

4.10 शिक्षण कर्मचारी-वर्ग की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएस)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षकों और अन्य समकक्ष संवर्गों के पास अपने कैरियर के दौरान आगे बढ़ने के कई अवसर उपलब्ध हैं, प्रत्येक वेतन बैंड में यूजीसी/ आईसीएआर द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदक्रम वेतन (एजीपी)/ अनुसंधान पदक्रम वेतन (आरजीपी) बनाए गए थे। यूजीसी के विनियमों के अनुसार, अगले उच्च वेतनमान के

लिए शिक्षकों और समकक्षों का आगे बढ़ना और एजीपी के ₹ 7,000, ₹ 8,000, ₹ 9,000, ₹ 10,000 और एचएजी और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अनुसार 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर आवश्यक शैक्षणिक निष्पादन संकेतक स्कोर प्राप्त करने पर आधारित होना था। तथापि, प्रविष्टि स्तर के संवर्ग के लिए रिक्तियों को केवल सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना था।

लेखापरीक्षा ने यूजीसी/ आईसीएआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से विचलन पाया जिसके परिणामस्वरूप, शैक्षणिक निष्पादन संकेतकों और अनुसंधान प्रकाशनों की आवश्यकता के संबंध में निर्धारित मानदंडों को शिथिल करना, प्रत्यक्ष नियुक्तियों को पूर्वव्यापी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लाभ का विस्तार, समयपूर्व प्रतिस्थापन, अस्वीकार्य विगत सेवा की गणना, अनिवार्य प्रशिक्षणों को पूरा न करना, पीएचडी प्राप्त करने में लगा समय एवं वेतन रहित छुट्टी की अवधि की शिक्षण अनुभव के लिए गणना, प्रासंगिक विषयों में पीएचडी न होना, इत्यादि के कारण कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का दोषपूर्ण कार्यान्वयन हुआ। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए कुल 200¹⁰ मामलों में से 67 मामलों में ₹ 6.19 करोड़ का अनुचित लाभ का आकलन किया गया जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

4.10.1 निर्धारित मानदंडों को कम करने के कारण अनियमित पदोन्नति

विनियम 2010 में शिक्षण, अधिगम, व्यावसायिक विकास, अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान के निष्पादन आधारित मूल्यांकन को तीन व्यापक श्रेणियों¹¹ के तहत जिसमें श्रेणी-I के तहत 75, श्रेणी-II के तहत 15 और श्रेणी-III में 10 से 40 के अनिवार्य न्यूनतम वर्ष-वार स्कोर के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए 20 प्रतिशत वेटेज तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि/ अनुसंधान निष्पादन/

¹⁰ स्कॉस्ट-जम्मू: 72; स्कॉस्ट-कश्मीर: 128

¹¹ श्रेणी-I (क) शिक्षण संबंधी गतिविधियाँ (ख) डोमेन ज्ञान (ग) परीक्षा और मूल्यांकन में भागीदारी (घ) 125 के कुल स्कोर के साथ नवीन शिक्षण, नए पाठ्यक्रम आदि में योगदान। एक संकाय सदस्य को इस श्रेणी के तहत प्रति वर्ष न्यूनतम 75 अंक अर्जित करना होगा।

श्रेणी-II में 50 के कुल अंक के साथ सह-पाठ्यचर्या, विस्तार और व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं और एक शिक्षक को प्रति वर्ष 15 अंक अर्जित करने होते हैं।

श्रेणी-III में अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान शामिल हैं और इसमें शोध पत्र, पुस्तकें और प्रकाशित पुस्तक अध्याय, अनुसंधान परियोजनाएं और दिए गए परामर्श, एम.फिल और पीएचडी अनुसंधान मार्गदर्शन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सम्मेलन, आयोजित कार्यशालाएं और दिए गए व्याख्यान शामिल हैं।

डोमेन नॉलेज के आकलन के लिए 80 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था। प्रोफेसर के पद के लिए न्यूनतम पाँच शोध प्रकाशन और एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए तीन प्रकाशन, तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने थे और केवल सकारात्मक सिफारिशों के मामले में, उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र होता। साथ ही, चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय प्रकाशनों के मूल्यांकन को वेटेज स्कोर में शामिल किया जाना था।

अभिलेखों ने दर्शाया (जनवरी 2022) कि कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रत्येक श्रेणी के तहत न्यूनतम स्कोर पात्रता और एपीआई दोनों को परिवर्तित कर जुलाई 2017 में अधिसूचित निर्धारित एपीआई को संशोधित किया था। संशोधित प्रोफार्मा में सभी गतिविधियों को शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के तहत संयोजित किया गया जिससे पृथक रूप में शिक्षण, अधिगम, व्यावसायिक विकास अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान के निष्पादन आधारित मूल्यांकन के उद्देश्य को विफल कर दिया। निष्पादन के वर्षवार मूल्यांकन को हटाकर, संपूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिए सकल 75 का न्यूनतम एपीआई स्कोर निर्धारित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या और गुणवत्ता के मानदंड को कम करके प्रोफेसरों के पद पर पदोन्नति का दावा करने वाले उम्मीदवारों की शोध उपलब्धियों के आकलन के लिए मानकों से समझौता किया था। प्रोफेसरों के लिए पाँच प्रकाशनों की आवश्यकता के विरुद्ध विश्वविद्यालयों ने केवल तीन प्रकाशनों की आवश्यकता निर्धारित की। साक्षात्कार से पूर्व प्रख्यात विशेषज्ञों के आकलन हेतु प्रकाशन प्रस्तुत करना भी विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालयों ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए यूजीसी विनियमों में निर्धारित कार्यप्रणाली से परहेज किया, जिसने पीबीएस के उद्देश्य को विफल कर दिया। इससे विश्वविद्यालयों में 122 एसोसिएट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-जम्मू में 62 और स्कॉस्ट-कश्मीर में 60) की प्रोफेसरों के पद पर पदोन्नति (जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच) अनियमित हो गई।

सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (फरवरी 2022) कि दोनों कृषि विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड आधारित प्रारूप तैयार किया था क्योंकि विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रणाली सीधे यूजीसी द्वारा शासित अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में मौजूद प्रणाली से भिन्न थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि

श्रेणियों को मिलाकर और कुल अंकों को निर्धारित करके, विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों की नियुक्ति के मानकों को कम कर दिया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि नया यूजीसी विनियमन 2018 बिना किसी विचलन के अपनी समग्रता में कार्यान्वित किया जा रहा था।

4.10.2 पूर्वव्यापी सीएस के लाभ के विस्तार के कारण अस्वीकार्य पदोन्नति

स्कॉस्ट-जम्मू में चार सेवारत एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सीधी भर्ती द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त (मार्च 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच) किया गया था। यद्यपि पूर्वव्यापी सीएस का लाभ उच्च वेतनमानों पर सीधी भर्ती के तहत पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन शिक्षकों को उनके पिछले पदों के उन्नयन द्वारा सीएस के लाभ की अनुमति (जनवरी 2009 से अगस्त 2013) दी गई थी। इन पदोन्नतियों को उनके पूर्व पदों पर लौटने और प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से प्राप्त पदों को त्यागने की अनुमति देकर प्रभावी किया गया था। शिक्षकों द्वारा सीधी नियुक्ति के पदों को त्यागने के कारण, ये पद रिक्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप इन शिक्षकों को ₹ 8.42 लाख का अनुचित लाभ देने के अतिरिक्त, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित कर दिया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया निरर्थक हो गई।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि इन मामलों का पुनः आकलन उन शिक्षकों के आवेदनों पर किया गया था, जिन्होंने प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनकी सीधी नियुक्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों पर कैरियर एडवांसमेंट के लिए अनुरोध किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन शिक्षकों ने सीधी नियुक्ति के वक्त अपने विगत पदों पर कार्य करना बंद कर दिया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिव द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.3 न्यूनतम कार्यकाल अवधि पूरी न होने के कारण अस्वीकार्य पदोन्नति

यूजीसी के विनियमों, विश्वविद्यालयों के आईसीएआर मानदंडों और विधियों के अनुसार, ₹ 8,000 के पदक्रम वेतन में वित्तीय उन्नयन हेतु ₹ 7,000 के पदक्रम वेतन में पाँच वर्ष पूरे करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ₹ 9,000 के पदक्रम वेतन में वित्तीय उन्नयन हेतु ₹ 8,000 के पदक्रम वेतन में तीन साल की सेवा पूरी करने की आवश्यकता है, एसोसिएट प्रोफेसर (₹ 9,000 का पदक्रम वेतन) को प्रोफेसर के पद पर उन्नयन करने हेतु (पदक्रम वेतन ₹ 10,000), ₹ 9,000 के पदक्रम वेतन में तीन वर्ष की सेवा की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में निर्धारित कार्यकाल अवधि को पूर्ण किए बिना अगले उच्च पदक्रम वेतन में समयपूर्व प्रतिस्थापन के मामले देखे गए, जिनकी नीचे चर्चा की गई है:

1. ₹ 8,000 के अगले उच्च पदक्रम वेतन में नियुक्ति हेतु आवश्यक पाँच वर्ष की न्यूनतम कार्यकाल अवधि के विरुद्ध 17 असिस्टेंट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-जम्मू: 05; स्कॉस्ट-कश्मीर: 12) को उच्च पदक्रम में (अगस्त 2010 और जुलाई 2017 के मध्य) रखा गया था और केवल दो वर्ष से चार वर्ष आठ महीने के मध्य की सेवा पूरी करने के उपरांत समय से पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्नयन किया गया था।

स्कॉस्ट-जम्मू ने पुनः आकलन के पश्चात इन नियुक्तियों को स्थगित कर दिया और दो शिक्षकों से अतिरिक्त वेतन और भत्तों की वसूली की। तथापि, तीन शिक्षकों को भुगतान किए गए ₹ 0.24 करोड़ (अगस्त 2010 और सितंबर 2017 के बीच) जनवरी 2022 तक वसूली किया जाना शेष था।

उच्च पदक्रम वेतन में समय से पूर्व नियुक्ति के कारण, 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-कश्मीर) में से नौ को समय से पूर्व अगले उच्च पदक्रम वेतन ₹ 9,000 में रखा गया था और दो को अभी भी ₹ 10,000 के पदक्रम वेतन में रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2010 और दिसंबर 2021 के मध्य ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

2. ₹ 9,000 के अगले उच्च पदक्रम वेतन में रखे जाने हेतु ₹ 8,000 के पदक्रम वेतन में तीन वर्ष की आवश्यक कार्यकाल अवधि के विरुद्ध स्कॉस्ट-कश्मीर के पाँच शिक्षकों को केवल एक वर्ष से दो वर्ष पाँच महीने की सेवा पूर्ण करने के पश्चात उच्च पदक्रम में (अक्टूबर 2013 और अक्टूबर 2019 के मध्य) रखा गया था। इनमें से एक

असिस्टेंट प्रोफेसर को आगे जाकर ₹ 10,000 के पदक्रम वेतन में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप जून 2014 और दिसंबर 2021 के मध्य ₹ 0.52 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर में एक एसोसिएट प्रोफेसर को केवल नौ महीने की सेवा करने के पश्चात ₹ 10,000 के पदक्रम वेतन में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ पाँच लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सहायक कुलसचिव (शिक्षण), स्कॉस्ट-कश्मीर ने बताया (फरवरी 2022) कि शिक्षकों को सीएएस, 2006 के तहत ₹ 9,000 के पदक्रम वेतन में रखा गया था जिसे जुलाई 2017 में अधिसूचित किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित सीएएस यूजीसी विनियमों के अनुरूप नहीं है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु ₹ 8,000 के पदक्रम वेतन में तीन वर्ष की न्यूनतम कार्यकाल अवधि की परिकल्पना की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.4 आवश्यक प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण अस्वीकार्य पदोन्नति

यूजीसी के विनियमों और विश्वविद्यालय के सांविधियों के अनुसार, पदक्रम वेतन ₹ 7,000 से पदक्रम वेतन ₹ 8,000 और पदक्रम वेतन ₹ 8,000 से पदक्रम वेतन ₹ 9,000 में उन्नयन करने के लिए निर्दिष्ट कार्यकाल अवधि को पूरा करने के अतिरिक्त, असिस्टेंट प्रोफेसरों को कम से कम दो/ तीन सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे थे, नौ असिस्टेंट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-जम्मू: 07; स्कॉस्ट-कश्मीर: 02) ने उन्नयन के लिए तीन/ पाँच वर्षों की आवश्यक सेवा के दौरान आवश्यक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इन प्रशिक्षणों के पूरा होने तक उनकी पदोन्नति को स्थगित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ (स्कॉस्ट-जम्मू: ₹ 0.52 करोड़; स्कॉस्ट-कश्मीर: ₹ 0.28 करोड़) के वेतन और भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.5 बिना वेतन के अनाधिकृत अवकाश पर व्यतीत अवधि की गणना

यूजीसी के विनियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय में अपने काम से सीधे संबंधित अध्ययन या शोध की एक विशेष विधा को आगे बढ़ाने हेतु न्यूनतम तीन साल की निरंतर सेवा के पश्चात प्रविष्ट स्तर के पदक्रम वेतन वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के सांविधियों के अनुसार, कुलपति को अध्ययन अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टी देने का अधिकार है।

स्कॉस्ट-जम्मू के अभिलेखों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय परिषद/ प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के बिना पीएचडी कार्यक्रम के लिए वर्ष 2011 और 2016 के बीच बिना वेतन के अध्ययन अवकाश पर देश के भीतर और बाहर नौ असिस्टेंट प्रोफेसरों को अनियमित रूप से प्रतिनियुक्त किया था। इन शिक्षकों को बिना वेतन के अध्ययन अवकाश की अवधि की गणना करके अगले उच्च पदक्रम वेतन ₹ 7,000 में रखा (मार्च 2014 से मार्च 2020) गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.70 करोड़ के अधिक वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.6 अध्ययन अवकाश के दौरान अनुपस्थिति की अवधि में पदोन्नति को स्थगित न करना

विनियमों में वर्णित है कि अध्ययन अवकाश के दौरान उच्च पद पर चयनित होने वाले शिक्षक को पद ग्रहण करने के पश्चात ही उस पद पर रखा जाएगा। विनियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उच्च पदक्रम वेतन में नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा विचार की तिथि पर पदधारी शिक्षक को विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका पर होना चाहिए।

कृषि विश्वविद्यालयों के अभिलेखों से पता चला है कि पीएचडी करने हेतु संबंधित विभागों से कार्यमुक्त किए गए 15 असिस्टेंट प्रोफेसरों (स्कॉस्ट-जम्मू: तीन और स्कॉस्ट-

कश्मीर: 12) के सीएस को पाठ्यक्रम कार्य पूरा होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक आगे नहीं बढ़ाया गया था। इन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश के दौरान उनकी अनुपस्थिति के वक्त अगले पदक्रम वेतन में रखा गया था। इन 15 में से, स्कॉस्ट-कश्मीर के 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को समय से पूर्व अगले उच्च पदक्रम वेतन ₹ 8,000 में रखा गया था। 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से तीन को अगले उच्च पदक्रम वेतन ₹ 9,000 में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप जून 2002 और अक्टूबर 2019 के बीच ₹ 1.01 करोड़¹² का अधिक भुगतान हुआ था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.7 शिक्षण अनुभव हेतु पीएचडी प्राप्त करने में बिताई गई अवधि की गणना के कारण अस्वीकार्य पदोन्नति

यूजीसी के नियम, 1998 और 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता निर्धारित है। पशु चिकित्सा/ पशुपालन और कृषि इंजीनियरिंग के विषयों सहित चार विषयों के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी की अनिवार्य योग्यता को विलंब से अपनाया (2011) गया था। पीएचडी की योग्यता के संबंध में मानदंड को विलंब से अंगीकार करने के कारण, यूजीसी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में इन विषयों में पीएचडी डिग्री नहीं रखने वाले छह एसोसिएट प्रोफेसर (स्कॉस्ट-जम्मू: दो; स्कॉस्ट-कश्मीर: चार) नियुक्त (अक्टूबर 2007 और नवंबर 2010 के बीच) किए गए थे। इसके पश्चात, उन्हें राज्य के बाहर से पीएचडी करने की अनुमति दी गई। यूजीसी ने स्पष्ट किया (मार्च 2016) कि एसोसिएट प्रोफेसर और उससे ऊपर के पद पर सीधी भर्ती/ पदोन्नति के उद्देश्य से, बिना किसी प्रकार की छुट्टी लिए, एक साथ पीएचडी प्राप्त करने के लिए शोध डिग्री प्राप्त करने में व्यय की गई सक्रिय सेवा की अवधि को शिक्षण अनुभव के रूप में माना जा सकता है।

अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि इन एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर के रूप में (मार्च 2018/ अक्टूबर 2018 पूर्वव्यापी प्रभाव से मार्च 2014 और नवंबर 2016 के बीच) पदोन्नत किया गया था और बिना तीन साल के अनुभव के ₹ 10,000 के पदक्रम वेतन में रखा गया था क्योंकि राज्य के बाहर से पीएचडी प्राप्त करने में व्यतीत अवधि

¹² स्कॉस्ट-जम्मू: ₹ 0.14 करोड़ व स्कॉस्ट-कश्मीर: ₹ 0.87 करोड़

की गणना शिक्षण अनुभव के लिए की गयी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इनमें से दो शिक्षकों के रिकॉर्ड किए गए एपीआई में शिक्षण और विस्तार के संबंध में प्राप्त अंक शामिल थे जो तथ्यों पर आधारित नहीं थे। अतः शिक्षण अनुभव में पीएचडी प्राप्त करने में व्यतीत अवधि की गणना के परिणामस्वरूप पीएचडी प्राप्त करने के लिए दी गई अस्वीकार्य अग्रिम वेतन वृद्धि सहित ₹ 1.32 करोड़ (स्कॉस्ट-जम्मू: ₹ 0.10 करोड़ और स्कॉस्ट-कश्मीर: ₹ 1.22 करोड़) के अतिरिक्त वेतन और भत्तों का भुगतान हुआ। एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.10.8 अपर्याप्त शोध पत्र और संबंधित विषयों में पीएचडी न होने के कारण अस्वीकार्य पदोन्नति

पदक्रम वेतन ₹ 9,000 से पदक्रम वेतन ₹ 10,000 में उन्नयन के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर के पास मूल्यांकन अवधि के लिए 4.00 से अधिक की एनएएएस¹³ रेटिंग वाले कम से कम तीन शोध पत्र होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कॉस्ट-जम्मू में दो एसोसिएट प्रोफेसरों को सीएएस के तहत प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था, हालांकि प्रकाशनों की रेटिंग निर्धारण अवधि से संबंधित नहीं थी। स्कॉस्ट-कश्मीर के अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि कृषि और संबद्ध विज्ञान के लिए अप्रासंगिक विषय में पीएचडी करने वाले दो असिस्टेंट प्रोफेसरों को सीएएस के तहत उच्च पदक्रम वेतन में उन्नयन द्वारा ₹ 0.28 करोड़ के अनुचित लाभ की अनुमति दी गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

4.11 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति

विश्वविद्यालय की सांविधियां, विश्वविद्यालय पदों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के तरीके और प्रणाली को निर्दिष्ट करते हैं।

¹³ राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी

कुल 1,794¹⁴ में से 557¹⁵ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में तदर्थ/ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के माध्यम से भर्ती, अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्ति, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए निर्धारित पदों पर पार्श्व प्रविष्टि इत्यादि के मामले सामने आए। दृष्टांत मामलों की चर्चा बाद की कंडिकाओं में की गई है।

4.11.1 नियमितीकरण को भर्ती के तरीके के रूप में अपनाया जाना

विश्वविद्यालय के सांविधियों के अनुसार, किसी पद पर भर्ती के लिए, कुलपति उस पद पर आवेदन करने के लिए अपेक्षित योग्यता इंगित करने का विज्ञापन दिलाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले¹⁶ में फैसला (अप्रैल 2006) दिया कि किसी कर्मचारी का नियमितीकरण भर्ती का एक तरीका नहीं हो सकता है और यह नियमितीकरण उस कर्मचारी को स्थायी दर्जा नहीं दे सकता जिसकी सेवाएं तदर्थ प्रकृति की हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 557 मामलों में से 112 (स्कॉस्ट-जम्मू: 31; स्कॉस्ट-कश्मीर: 81) कर्मियों को प्रारंभ में 89 दिनों की अवधि के लिए तदर्थ या अनुबंध के आधार पर लगाया (मार्च 1992 और नवंबर 2010 के बीच) गया था। उनकी कार्यकाल की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। इन तदर्थ/ संविदा कर्मचारियों को पद का विज्ञापन दिए बिना नियमित (2015) कर दिया गया।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (नवंबर 2021) कि अधिकांश तदर्थ कर्मचारी पूर्ववर्ती संयुक्त स्कॉस्ट में लगे हुए थे और इन कर्मचारियों को बाद में प्रशासन द्वारा उनके नियंत्रक अधिकारियों की अनुशंसा पर नियमित किया गया था। तथ्य यह है कि ये नियमितीकरण संबंधित कुलपति द्वारा कृषि या वित्त विभागों को संदर्भित किये बिना किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संयुक्त कृषि विश्वविद्यालय के द्विभाजन के पश्चात भी निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी रही।

¹⁴ स्कॉस्ट-जम्मू: 593; स्कॉस्ट-कश्मीर: 1,201

¹⁵ स्कॉस्ट-जम्मू: 180; स्कॉस्ट-कश्मीर: 377

¹⁶ उमादेवी बनाम कर्नाटक राज्य

4.11.2 सीधी भर्ती की प्रक्रिया का उल्लंघन कर नियुक्तियां

विश्वविद्यालय के सांविधियों में लेखा सहायक के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है। मासिक वृत्ति पर एक वर्ष के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को नियमित वेतनमान दिया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सांविधियों का उल्लंघन करते हुए, स्कॉस्ट-कश्मीर में प्रारंभिक रूप से समेकित वेतन पर लगे 13 व्यक्तियों को लेखा प्रशिक्षण स्कूल (एटीएस) द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त (नवंबर 1995) किया गया था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें लेखा सहायक के रूप में नियुक्त (जनवरी 1997) किया गया था।

उप नियंत्रक (मुख्यालय) ने कहा (मार्च 2022) कि ये कर्मचारी लेखा कार्य से भली-भांति परिचित थे इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें एटीएस प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त करना उचित समझा। तथ्य यह है कि लेखा सहायकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जानी थी।

इसी तरह, स्कॉस्ट-कश्मीर के पाँच वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (एसटीए)/ तकनीकी सहायकों (टीए) को प्रारंभ में, फील्ड सह प्रयोगशाला सहायक (एफसीएलए)/ म्यूजियम कीपर/ सांख्यिकीय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें बाद में टीए/ एसटीए के रूप में पदोन्नत किया गया और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्नयन किया गया था, जैसा कि कंडिका 4.9.3 में चर्चा की गई है। यह आईसीएआर भर्ती नियमों/ विश्वविद्यालय सांविधियों का उल्लंघन है जिसके अनुसार केवल सीधी भर्ती के माध्यम से वरिष्ठ तकनीकी सहायकों/ तकनीकी सहायकों के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

4.11.3 सांविधियों के उल्लंघन में नियुक्तियां

विश्वविद्यालय के नियम यह निर्धारित करते हैं कि वरिष्ठ आशुलिपिक के शत प्रतिशत पद कनिष्ठ आशुलिपिक (वरिष्ठ वेतनमान) के पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए, जिनके पास निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिमानकों से विचलन में, स्कॉस्ट-जम्मू ने अनियमित रूप से तीन वरिष्ठ आशुलिपिकों को सीधी भर्ती द्वारा (जुलाई और अगस्त 2002) नियुक्त किया था। इस प्रकार, इन वरिष्ठ आशुलिपिकों को जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ), सहायक कुलसचिव और वीसी के सचिव के पदों पर आगे पदोन्नति/ उन्नयन हेतु पात्र बनाने के लिए एक लाभप्रद स्थिति प्रदान किया गया। इन अनियमित नियुक्तियों से

उत्पन्न विसंगतियों के कारण, विश्वविद्यालय को समय से पूर्व एक कनिष्ठ आशुलिपिक को वरिष्ठ आशुलिपिक और बाद में सहायक कुलसचिव के रूप में पदोन्नत करना पड़ा। कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू (नवंबर 2021) ने बताया कि वरिष्ठ आशुलिपिकों के पदों को भरने की आवश्यकता थी और पोषक संवर्ग में कोई आशुलिपिक नहीं होने के कारण, वरिष्ठ आशुलिपिकों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वरिष्ठ आशुलिपिकों के रिक्त पदों को केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।

4.11.4 अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्तियां

विश्वविद्यालय के सांविधियों में सहायक-सह-टंकक (एसीटी) और लेखा सहायक के पदों का शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है। एसीटी की सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए।

स्कॉस्ट-कश्मीर के अभिलेखों से पता चलता है कि एक तदर्थ सहायक-सह-टंकक (दिसंबर 1996 में नियुक्त) को अनिवार्य टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना सहायक-सह-टंकक के रूप में नियमित (सितंबर 2006) किया गया था। सहायक-सह-टंकक को आगे लेखा सहायक के रूप में समायोजित (अगस्त 2007) किया गया और अक्टूबर 2011 में संवर्ग में नियमित किया गया। इसी प्रकार, स्कॉस्ट-कश्मीर में एक प्रयोगशाला सहायक और एक ऑपरेटर (कक्षा VI) को सीधी भर्ती और अनिवार्य परीक्षाओं की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सहायक-सह-टंकक के रूप में पदोन्नत (अगस्त 1997) किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान यह कहा गया कि भर्ती की प्रक्रिया को अब सुव्यवस्थित कर दिया गया है।

4.11.5 अपात्र दैनिक दरनिर्धारित श्रमिकों का नियमितीकरण

जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मार्च 1994 के एसआरओ-64 द्वारा दैनिक दर निर्धारित श्रमिकों (डीआरडब्ल्यू)/ कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, तथा 31.3.1994 की कटऑफ तिथि से पूर्व जुड़े डीआरडब्ल्यू को चतुर्थ श्रेणी के नियमित वेतनमान पर सात वर्ष की सेवा पूरी करने के अधीन नियमितीकरण को भी अधिकृत किया गया था। उक्त एसआरओ के अनुसरण में, संयुक्त स्कॉस्ट ने

कटऑफ तिथि से पहले 78 डीआरडब्ल्यू को नियमित (अक्टूबर 2001 और जनवरी 2004) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसआरओ के उल्लंघन में, 46 डीआरडब्ल्यू को कटऑफ तिथि के पश्चात संयुक्त स्कॉस्ट द्वारा लगाया गया था। अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि विश्वविद्यालयों के द्विभाजन के पश्चात, कट-ऑफ तिथि के पश्चात लगे 46 सहित 79 डीआरडब्ल्यू को नियमितीकरण के लिए स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा सशक्त समिति को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत (मार्च 2005) किया गया था। प्रस्ताव में, एक असत्य वचनबंध दिया गया था कि पहले किसी भी डीआरडब्ल्यू को नियमित नहीं किया गया था। 33 डीआरडब्ल्यू के ठौर-ठिकाने और कार्यव्यस्तता से संबंधित स्थिति के तथ्य अभिलेखों से स्पष्ट नहीं थे। समिति ने सहायकों के नए पदों के सृजन द्वारा 69 डीआरडब्ल्यू के नियमितीकरण और उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों के स्थान पर 10 डीआरडब्ल्यू के समायोजन को इस शर्त के अधीन अनुमोदित (जुलाई 2005) किया कि सभी डीआरडब्ल्यू एसआरओ-64 के प्रावधानों को पूरा करते हैं। सशक्त समिति के विचार-विमर्श के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने 79 डीआरडब्ल्यू के नियमितीकरण के आदेश जारी किए (2005) जिसमें 46 डीआरडब्ल्यू शामिल थे, जिसके संबंध में विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया कि ये एसआरओ-64 के प्रावधानों को पूरा नहीं करते हैं।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (मार्च 2022) कि तत्कालीन प्राधिकारियों ने दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त किया था जिन्हें सीएएस के तहत लाभ भी दिया गया था। तथ्य यह रहा कि विश्वविद्यालय ने 1994 के एसआरओ-64 के उल्लंघन में 79 डीआरडब्ल्यू को नियमित किया था।

4.12 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कैरियर उन्नयन

कृषि विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कैरियर एडवांसमेंट विश्वविद्यालय सांविधियों द्वारा शासित होती है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों (एआईसीआरपी) जैसे आईसीएआर की आयोजना योजनाओं पर वहन करने वाले कर्मचारियों की कैरियर एडवांसमेंट, आईसीएआर के साथ विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों और समय-समय पर बाद में जारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया और पाया कि दो स्तरीय कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, समयपूर्व पदोन्नति

आदि के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नमूना जाँच किए गए 56 कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन और भत्ते/ पेंशनरी लाभों के रूप में ₹ 3.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। दृष्टांत मामलों का विस्तृत विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

4.12.1 दो स्तरीय कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का अस्वीकार्य लाभ - ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

कैरियर एडवांसमेंट की किसी भी मौजूदा योजना के तहत अन्तर्निहित नहीं किए गए पदों के लिए दोनों कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 1992 से जम्मू एवं कश्मीर के शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में संचालन में दो स्तरीय कैरियर एडवांसमेंट स्कीम¹⁷ (टीटीसीएस) को, सितंबर 2005 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपनाया (मार्च/ अप्रैल 2013) गया था। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित योजना केवल उन पृथक पदों के लिए थी जो दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए एक विशेष वेतनमान पर स्थिर रहते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना को कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सही तरीके से लागू नहीं किया गया था और योजना का लाभ सभी गैर-शैक्षणिक पदों पर ₹ 6500 - ₹ 10,500 के स्तर तक बढ़ाया गया था, हालांकि वे पहले से ही नियमित पदोन्नति के तहत आते थे। अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि एक कर्मचारी की संपूर्ण सेवा में पदोन्नति की संख्या दो या तीन उन्नयन तक सीमित नहीं थी। इसके कारण नमूना परीक्षण किए गए 14 चालकों (स्कॉस्ट-जम्मू: आठ; स्कॉस्ट-कश्मीर: छह), 31 एफसीएलए (स्कॉस्ट-जम्मू: 26; स्कॉस्ट-कश्मीर: पाँच) और एक लेखाकार (स्कॉस्ट-कश्मीर) को अस्वीकार्य कैरियर एडवांसमेंट प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा में आकलन किया कि इन नमूना परीक्षण किए गए मामलों के संबंध में सितंबर 2005 से जनवरी 2022 के दौरान अतिरिक्त वेतन और भत्तों के कारण ₹ 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्कॉस्ट-जम्मू में 26 एफसीएलए को ₹ 0.85 करोड़ का अधिक पेंशन लाभ हुआ, जैसा कि लेखापरीक्षा में आकलन किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि लेखाकारों को द्विस्तरीय योजना का अनुचित लाभ प्रदान करने के परिणामस्वरूप वेतन विसंगतियां भी हुईं; लेखाकारों को ₹ 6600 के उच्च पदक्रम वेतन और सहायक नियंत्रकों को ₹ 5400 के पदक्रम वेतन में रखा गया।

¹⁷ दो पदोन्नति प्रदान करना।

कुलसचिव स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (अक्टूबर 2021) कि द्विस्तरीय सीएस अगले उच्चतर स्तर में कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, यदि वे आठ या नौ साल के लिए एक ही वेतनमान पर स्थिर हैं। उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि द्विस्तरीय सीएस उन पदों के लिए था जिनमें पदोन्नति की कोई निर्धारित संभावना नहीं थी और चालकों, एफसीएलए और लेखाकारों ने पहले ही विश्वविद्यालय के सांविधियों के अनुसार उच्चतर पदक्रम वेतन का लाभ उठाया था। सहायक कुलसचिव (एनटी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि यह योजना एफसीएलए और चालकों के पदों पर लागू नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई थी कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

4.12.2 विगत पदक्रम में आवश्यक सेवा पूरी किए बिना समयपूर्व स्थापन

➤ विश्वविद्यालय के सांविधियों में सहायक नियंत्रक के रूप में पदोन्नत होने हेतु लेखाकार के चयन स्तर में पाँच वर्ष की कार्यकाल अवधि और वरिष्ठ स्तरीय सहायक नियंत्रक के पद पर पदोन्नत होने हेतु सहायक नियंत्रक के पद पर आठ वर्ष के न्यूनतम कार्यावधि निर्धारित हैं।

स्कॉस्ट-जम्मू के अभिलेखों की नमूना परीक्षण से पता चला कि तीन सहायक नियंत्रकों को पूर्व स्तर में आठ वर्ष पूरे किए बगैर वरिष्ठ स्तरीय सहायक नियंत्रक के रूप में पदोन्नत (जनवरी 2004 और मई 2005) किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2004 से दिसंबर 2015 के बीच ₹ 6.56 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि लेखापरीक्षा में पूर्वाकलन किया गया था।

स्कॉस्ट-कश्मीर में, तीन वरिष्ठ स्तरीय लेखाकारों को अपने स्तर में केवल चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर, समय से पूर्व सहायक नियंत्रक के रूप में पदोन्नत (दिसंबर 1996 और जनवरी 1997) करने के परिणामस्वरूप नवंबर 1996 से जनवरी 2021 के दौरान ₹ 0.15 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (फरवरी 2022) कि कार्मिक अपने स्वयं के वेतन और स्तर (ओपीजी) में सहायक नियंत्रक के रूप में काम कर रहे थे और स्पष्ट रिक्तियों पर उनके द्वारा सेवा प्रदान की गई, जिसके लिए प्रभार भत्ता का भुगतान किया गया था, स्कॉस्ट सांविधियों के संदर्भ में सहायक नियंत्रक के वरिष्ठ स्तर में स्थापन के लिए गिने गए थे। सहायक कुलसचिव (गैर-शिक्षण), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (मार्च 2022)

कि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में योग्य लेखाकारों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया जो विश्वविद्यालय की प्रणाली और नियमों के साथ सुप्रवीण थे और 12 साल से अधिक की सेवा कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पदोन्नति हेतु आवश्यक अपेक्षित सेवा की अवधि निर्धारित करने वाली सांविधियों का उल्लंघन किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्कॉस्ट-जम्मू के मामले में, वरिष्ठ स्तरीय लेखाकारों को आवश्यक आठ वर्ष की सेवा पूरी किए बिना ओपीजी में वरिष्ठ स्तरीय सहायक नियंत्रक के रूप में रखा गया था।

- पूर्ववर्ती राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों पर लागू सीएएस को ₹ 6,600 के अगले पदक्रम वेतन में स्थापन के लिए ₹ 5,400 के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय के सांविधियों में चिकित्सा अधिकारियों के कैरियर एडवांसमेंट के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, स्कॉस्ट-जम्मू ने केवल आठ वर्षों की सेवा प्रदान करने के पश्चात एक चिकित्सा अधिकारी (एमओ) को ₹ 6,600 के पदक्रम वेतन में (अप्रैल 2005) रखा जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2005 से अप्रैल 2007 के दौरान ₹ 0.04 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने बताया (जनवरी 2022) कि उस समय सीएएस की अनुपस्थिति के कारण चिकित्सा अधिकारी को वरिष्ठ स्तर में रखा गया था। उत्तर विश्वस्त नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों पर लागू सीएएस को स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा देरी से अपनाया (जुलाई 2015) गया और उच्चतर पदक्रम वेतन में चिकित्सा अधिकारियों के समयपूर्व स्थापन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए था।

- चालकों के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 25 प्रतिशत सफाईकर्मियों के पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, जिनके पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्कॉस्ट-जम्मू के अभिलेखों से पता चला कि सितंबर 2001 और नवंबर 2001 के मध्य विश्वविद्यालय में नियुक्त तीन सफाईकर्मियों को 2.5 और तीन वर्ष के मध्य सेवा प्रदान करने के पश्चात चालकों के रूप में पदोन्नत (अक्टूबर 2004) किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2004 से अगस्त 2021 के दौरान ₹ 0.15 करोड़ के अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों का भुगतान हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई थी कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

4.12.3 चयन समिति के आवश्यक गणपूर्ति के बगैर अनियमित उन्नयन

विश्वविद्यालय के सांविधियों के अनुसार, वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय के चयन समिति के सदस्य के रूप में, उप नियंत्रक के रूप में सहायक नियंत्रकों के उन्नयन की अनुशंसा करने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयन प्रक्रिया में वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय की भागीदारी के बगैर उप नियंत्रक (मार्च 2012) के रूप में एक वरिष्ठ स्तरीय सहायक नियंत्रक के उन्नयन हेतु चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, जिससे आवश्यक गणपूर्ति के मानदंडों का उल्लंघन हुआ।

4.12.4 अर्हक परीक्षाओं के बिना उन्नयन

स्कॉस्ट-जम्म् में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ के निर्माण हेतु, वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय द्वारा उप नियंत्रक (लेखा परीक्षा) और लेखाकार के अगले उच्च पद पर क्रमशः आठ वर्ष के अनुभव के साथ एक सहायक नियंत्रक और पाँच वर्ष के अनुभव के साथ दो लेखा सहायकों के उन्नयन को अनुमोदित (दिसंबर 2013) किया गया था। अनुमोदन इस शर्त के अधीन था कि लेखा सहायक अधीनस्थ लेखा पाठ्यक्रम (एसएसी) भाग-I और सहायक नियंत्रक एसएसी भाग-I और भाग-II दोनों उत्तीर्ण होने चाहिए थे। स्वायत्त निकायों के लिए इन परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु राज्य सरकार की अभिकरणों के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, प्रबंधन बोर्ड ने निश्चय किया (सितंबर 2017) कि विश्वविद्यालय निदेशक, लेखा परीक्षा और निरीक्षण के परामर्श से एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और ऐसी परीक्षाएं आंतरिक रूप से आयोजित की जाएं। जबकि मसौदा पाठ्यक्रम निदेशक, लेखा परीक्षा और निरीक्षण के पास लंबित था, एसएसी भाग-I और एसएसी भाग-II की अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए प्रबंधन बोर्ड के समक्ष एक कार्यसूची रखी गयी थी (फरवरी 2020), जिसे वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बिना प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2020) किया गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (फरवरी 2022) कि महानिदेशक, लेखा और कोषागार से मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में, उनके द्वारा बताया गया कि निगमों और स्वायत्त निकायों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था और तदनुसार मामले को परीक्षा से विमुक्त करने हेतु प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखा गया था। आंतरिक रूप से ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रबंधन बोर्ड के निर्णय का अनुपालन न करने के विषय में उत्तर मौन है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में भी देखा जाना है कि वित्तीय समिति (मार्च 2015) ने यह भी मत दिया था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को उप नियंत्रक (लेखापरीक्षा) और लेखाकार की भर्ती हेतु नियमों में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

4.13 त्रुटिपूर्ण भर्ती नियम

लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालयों के भर्ती नियमों में अस्पष्टता/ असंगतता देखी गई जिसके परिणामस्वरूप अनियमित नियुक्तियां, उच्चतर स्तर में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन निरंतरता और परिहार्य मुकदमेबाजी/ पदों को न भरने के मामले देखे गए। भर्ती नियमों में असंगत और चयनात्मक संशोधनों के भी मामले थे जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में विस्तृत है।

4.13.1 अनुचित एवं तर्कहीन आयु में छूट देकर नियुक्तियां

विश्वविद्यालय सांविधियां, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट करती हैं, हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति सेवारत उम्मीदवारों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। हालांकि, सेवारत उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की निर्धारित छूट है, विश्वविद्यालय सांविधियों में ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

स्कॉस्ट-जम्मू में लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप सचिव और सहायक नियंत्रक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए दो सेवारत उम्मीदवारों को आयु में नौ और 13 वर्ष की अनुचित और तर्कहीन छूट (2012 और 2018) प्रदान की गई थी। सेवारत उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की अवधि निर्दिष्ट न करके, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सेवारत उम्मीदवारों को आयु में भारी छूट देकर अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनने के लिए बेलगाम शक्ति का प्रयोग किया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (नवंबर 2021) कि विश्वविद्यालय सांविधियों में सेवारत कर्मचारियों में सीधी भर्ती हेतु आयु में छूट की किसी सीमा का कोई उल्लेख नहीं था। तथ्य यह रहा कि यद्यपि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ऊपरी आयु सीमा को अपनाया था, इसने राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारियों हेतु लागू तीन वर्ष की छूट के मानदंडों की अनदेखी की थी। यह इन तथ्यों के आलोक में भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2001, 2005 और 2008 में जारी अधिसूचनाओं में विश्वविद्यालय ने सेवारत उम्मीदवारों के संबंध में आयु में छूट के लिए तीन वर्ष की सीमा निर्धारित की थी।

4.13.2 भर्ती नियमों में विवेकाधीन प्रावधान

विश्वविद्यालय सांविधियों के अनुसार, कुलपति के प्राधिकार पर वरिष्ठ आशुलिपिकों से कुलपति के सचिव (एसवीसी) और जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के पदों को भरा जाना है। उच्च पदों हेतु चयन किए गए वरिष्ठ आशुलिपिकों को कुलपति के निर्णय पर पूर्व पद पर वापस किया जा सकता है। तथापि, वरिष्ठ आशुलिपिकों के प्रत्यावर्तन हेतु संविधियों में निर्दिष्ट कोई दिशानिर्देश या मानदंड नहीं हैं।

पदों से जुड़े किसी भी निश्चित कार्यकाल के अभाव में, स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा एसवीसी के रूप में (सितंबर 2009 और मई 2013) नामित दो वरिष्ठ आशुलिपिक अपने मूल पदों पर वापस आए बिना अनिश्चित काल तक उच्च पदों का लाभ लेते रहे। जबकि एक वरिष्ठ आशुलिपिक को, एसवीसी के रूप में तीन वर्ष लगाने के पश्चात, प्रशासनिक अधिकारी का प्रभार सौंपा (मई 2013) गया था और बाद में बिना किसी उपलब्ध पद के सहायक कुलसचिव के रूप में समायोजित (सितंबर 2015) किया गया था, अन्य वरिष्ठ आशुलिपिक मई 2013 से अनिश्चित काल हेतु कुलपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके परिणामस्वरूप समान रूप से नियुक्त कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार हुआ और अनुवर्ती मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को एक वरिष्ठ आशुलिपिक के पद को सहायक कुलसचिव के पद में परिवर्तित करके समायोजित (मई 2015) करना पड़ा।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने (मार्च 2022) कहा कि किसी भी बिंदु पर सक्षम प्राधिकारी को उच्च पदों पर कार्यरत वरिष्ठ आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और सीधी भर्ती के माध्यम से या सहायक कुलसचिव के समकक्ष संवर्ग से एसवीसी/ पीआरओ के पदों को भरने हेतु प्रणाली को कारगर बनाने हेतु प्रबंधन

बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तथापि, तथ्य यह रहा कि ये वरिष्ठ आशुलिपिक प्रत्यावर्तन हेतु किसी मानदंड/ दिशानिर्देश के अभाव में अनिश्चित काल तक उच्च पदों पर बने रहे।

4.13.3 भर्ती नियमों में असंगत प्रावधान

विश्वविद्यालय सांविधियों में निर्धारित किया गया है कि सहायक कार्यकारी अभियंताओं (एईई) के दो स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत विशिष्ट अनुभव और योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। हालाँकि, सिविल और इलेक्ट्रिकल की दो शाखाएँ होने के कारण, सांविधियों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि कौन सा पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है और कौन सा पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है।

स्कॉस्ट-जम्मू के अभिलेखों से पता चला कि यद्यपि सहायक कार्यकारी अभियंता के एक पद को दो कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल) में से एक की पदोन्नति से (2005) भरा गया था, जिनकी नियुक्ति (अक्टूबर 1997) कनिष्ठ अभियंता के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित रूप से स्कॉस्ट सांविधियों (1999) के उल्लंघन के रूप में स्थापित की गई थी और सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के अन्य पद को सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित (अगस्त 2010) किया गया था। हालाँकि चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि अन्य कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) द्वारा अपनी पदोन्नति के मार्ग अवरुद्ध होने के विरोध में एक रिट याचिका दायर की गई थी। इस प्रकार, सांविधि में असंगत प्रावधान जिसमें एक पद को पदानुक्रम में पदोन्नति द्वारा और दूसरे को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई और पद को न भरने वाले दो कनिष्ठ अभियंताओं में से एक को समान अवसर से वंचित कर दिया गया था।

4.13.4 असंगत संशोधन

विश्वविद्यालय सांविधियां ₹ 5,400 के पदक्रम वेतन वाले सहायक कुलसचिव के पद के लिए 03 वर्ष के शैक्षणिक/ प्रशासनिक अनुभव के साथ विज्ञान/ कृषि विज्ञान/ पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री की योग्यता निर्धारित करते हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ₹ 6,000 (असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्ष) के पदक्रम वेतन वाले सहायक निदेशक, रेजिडेंट इन्सट्रक्शन (एडीआरआई) एवं सहायक निदेशक, अनुसंधान

(एडीआर) के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता कृषि¹⁸ में पीएचडी डिग्री के साथ नेट है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कॉस्ट-जम्मू ने 'स्थानांतरण द्वारा समायोजन' के प्रावधान को सम्मिलित करके एडीआरआई और एडीआर के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन (जनवरी 2018) किया और पदों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले सहायक कुलसचिवों को पद हेतु योग्य बनाया।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (मार्च 2022) कि विश्वविद्यालय ने प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा और विश्वविद्यालय परिषद के अनुमोदन के पश्चात स्कॉस्ट सांविधियों में संशोधन किया था। तथापि तथ्य यह है कि पद न तो अनुरूप थे और न ही समकक्ष थे क्योंकि वेतनमान, योग्यता, अनुभव और कार्यक्षेत्र समरूप नहीं थे।

4.14 पूर्व संवर्ग पदों पर नियुक्ति

कृषि विज्ञान केंद्र, आईसीएआर की एक नियोजन योजना है, जो आईसीएआर से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त करती है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में छह विषय-वस्तु विशेषज्ञ और तीन कार्यक्रम सहायक सहित 16 स्वीकृत पद हैं, जिसके लिए न्यूनतम आवश्यक निर्धारित योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक की डिग्री है। विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर आईसीएआर के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, नियुक्त कर्मचारियों का वेतनमान और योग्यता पद से जुड़े वेतन और नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में समझौता ज्ञापनों से निम्नलिखित विचलन देखा।

4.14.1 विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति

कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञों के तकनीकी पद आईसीएआर मानदंडों द्वारा शासित होते हैं और इन पदों पर पूरे देश भर में ₹ 5,400 का पदक्रम वेतन समान रूप से लागू होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कृषि विश्वविद्यालयों ने इन पदों को कनिष्ठ वैज्ञानिकों और असिस्टेंट प्रोफेसरों (जो क्रमशः आईसीएआर और यूजीसी की कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) द्वारा शासित होते हैं) के पदों के साथ जोड़कर ₹ 6,000 के पदक्रम वेतन के साथ विज्ञापित (01.01.2006 से) किया था, जिसके लिए उच्च योग्यता निर्धारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक,

¹⁸ पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए पीएचडी में छूट

वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को मिलाना इन पदों को विनिमय योग्य बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप आईसीएआर की स्थानांतरण नीति का भी उल्लंघन होता है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र कर्मचारियों का स्थानांतरण केवल कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत ही किया जा सकता है। स्कॉस्ट-जम्मू ने आईसीएआर से स्पष्टीकरण (मार्च 2011) प्राप्त करने के पश्चात विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद को पृथक (मार्च 2011) कर दिया और ₹ 5,400 के पदक्रम वेतन में विषय वस्तु विशेषज्ञ की अगली नियुक्ति की, स्कॉस्ट-कश्मीर ने जनवरी 2020 तक, वित्त पोषण एजेंसी की मंजूरी प्राप्त किए बिना और विश्वविद्यालय परिषद/ प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के बिना भी अपने सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ को ₹ 6,000 के पदक्रम वेतन की मंजूरी देना जारी रखा। हालांकि, स्कॉस्ट-जम्मू ने मार्च 2013 और जून 2015 के बीच नियुक्त 10 विषय वस्तु विशेषज्ञों के पदक्रम वेतन को ₹ 5,400 से बढ़ाकर ₹ 6,000 उन्नयन किया (जुलाई 2018), उन्हें नियुक्ति की तिथि से ₹ 6,000 के पदक्रम वेतन में नियुक्त माना गया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए इन विषय वस्तु विशेषज्ञ को भुगतान किए गए बकाया के संबंध में ₹ 0.19 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा और प्रति माह ₹ 1.38 लाख की आवर्ती देयता बनी, क्योंकि वित्त पोषण एजेंसी ने स्पष्ट (फरवरी 2020) किया कि स्वीकृत वेतन से अतिरिक्त किसी भी तदर्थ वृद्धि को मेजबान संस्थान द्वारा वहन किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप इन विषय वस्तु विशेषज्ञ को शिक्षण संवर्ग में स्वतः ही शामिल किया गया।

4.14.2 कार्यक्रम सहायकों की नियुक्ति

आईसीएआर के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, स्कॉस्ट-जम्मू ने वेतनमान ₹ 9,300 - ₹ 34,800 (पदक्रम वेतन ₹ 4,200) में विषय विशिष्ट कार्यक्रम सहायकों की नियुक्ति (2008 और 2012) के लिए अधिसूचना जारी की, जिसमें स्नातक की डिग्री के बजाय स्नातकोत्तर डिग्री की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी। उच्च न्यूनतम योग्यता निर्धारित करके, आवश्यक योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। इससे नियुक्त व्यक्तियों के असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में अनुवर्ती उन्नयन (2018) का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, जैसा कि कंडिका 4.9.3 के अंतर्गत चर्चा की गई है।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि विज्ञापन तत्कालीन प्रशासन द्वारा उस समय महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार जारी किया गया था। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यक्रम सहायकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अतिरिक्त की आवश्यकता वाली अधिसूचना जारी करना आईसीएआर मानदंडों के विपरीत था।

4.15 स्थानान्तरण और परिनियोजन

4.15.1 स्थानांतरण नीति का अभाव

यद्यपि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक इकाइयों में कर्मचारियों के स्थानांतरण और रोटेशन के संबंध में एक मसौदा स्थानांतरण नीति स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा प्रबंधन बोर्ड की 23वीं बैठक के विचार-विमर्श के अनुसरण (दिसंबर 2014) में तैयार किया गया था, नीति को मार्च 2021 तक अनुमोदित नहीं किया गया था। स्कॉस्ट-कश्मीर ने भी कोई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई थी। किसी स्थानान्तरण नीति को न अपनाने के परिणामस्वरूप किसी विशेष स्थान पर कार्यकाल की अवधि पर विचार किए बिना, कर्मचारियों को मनचाहे तरीके से स्थानांतरित किया गया और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को विश्वविद्यालयों की ऑफसाइट इकाइयों से अनिश्चित काल हेतु संलग्न किया गया। मार्च 2021 तक, 13 शिक्षक/ वैज्ञानिक¹⁹ और 105 गैर-शिक्षण कर्मचारी²⁰, उन स्थानों से वेतन आहरित कर रहे थे जहां उनके पद स्थित थे जबकि इन कर्मचारियों को कृषि विश्वविद्यालयों की अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अनुलग्न किया गया था एवं ऐसे अनुलग्नकों हेतु कोई कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं था।

सहायक कुलसचिव (गैर-शिक्षण) ने कहा (दिसंबर 2021) कि नई नियुक्तियों पर रोक (अगस्त 2019) के कारण, अत्यावश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य कार्यालयों/ इकाइयों से स्टॉप गैप के आधार पर कर्मचारी को परिनियोजित किया गया था। सहायक कुलसचिव (जीएडी) स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (जनवरी 2022) कि स्थानांतरण नीति तैयार करने हेतु एक समिति गठित (जून 2021) की गई है।

4.15.2 आईसीएआर की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन

स्कॉस्ट-जम्मू द्वारा समय-समय पर आईसीएआर के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, किसी भी वैज्ञानिक, तकनीकी कर्मचारी या कार्यालय के कर्मचारी को कृषि विज्ञान केंद्र से किसी अन्य कार्य में स्थानांतरित नहीं किया जाना था और केन्द्र या उसमें कार्यरत कार्मिकों के कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व आईसीएआर से

¹⁹ स्कॉस्ट-जम्मू: पाँच; स्कॉस्ट-कश्मीर: आठ

²⁰ स्कॉस्ट-जम्मू: 43; स्कॉस्ट-कश्मीर: 62

परामर्श किया जाना था। आईसीएआर ने अपने विभिन्न पत्राचार (जनवरी 2020 में नवीनतम) के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विज्ञान केंद्र के किसी भी कर्मचारी को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में परिनियोजित नहीं करने का निर्देश दिया एवं बताया कि ऐसा न करने की स्थिति में उसका भावी वेतन रोक दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र (जोन-प्रथम) की एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भी निर्देश जारी किए गए थे कि कृषि विज्ञान केंद्र योजना से वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को केवल कृषि विज्ञान केंद्र में ही परिनियोजित किया जाना चाहिए, अन्यथा मेजबान संस्थान को उनके वेतन की व्यवस्था स्वयं के स्रोतों से करनी थी। तदनुसार, स्कॉस्ट-जम्मू ने अधिसूचित किया (जुलाई 2018) कि कृषि विज्ञान केंद्र हेतु नियुक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण केवल कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत ही होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त चार वरिष्ठ वैज्ञानिकों जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख थे, को मई 2016 और मार्च 2020 के मध्य स्कॉस्ट-जम्मू में शिक्षण पदों पर अनियमित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे यह भी देखा गया कि मार्च 2021 तक, कृषि विज्ञान केंद्र के आठ कर्मचारियों और आईसीएआर अनुदान से वेतन आहरित करने वाले दो एफसीएलए क्रमशः स्कॉस्ट-जम्मू और स्कॉस्ट-कश्मीर से अनियमित रूप से संलग्न थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह बताया गया (जून 2022) कि कृषि विज्ञान केंद्र कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन हेतु नीति तैयार की गई थी जहां एसएमएस के तहत प्रत्यावर्तन किया गया था और अन्य कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन पर विचार किया जा रहा था।

4.16 वेतन और हकदारी

वेतन और अन्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता (एचआरए), पेंशन, गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए), वेतन संरक्षण, अवकाश की मंजूरी आदि से संबंधित पात्रता मुद्दों की जाँच से पता चला कि ₹ 22.91 करोड़ का अस्वीकार्य/ अधिक भुगतान हुआ, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ा। दृष्टांत मामलों को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

4.16.1 उच्च वेतनमानों का अनियमित रूप से अंगीकरण

विश्वविद्यालय सांविधियों के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारी केंद्रीय वेतनमानों द्वारा शासित होते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय वेतनमानों के अंगीकरण के दौरान, विश्वविद्यालयों ने क्रमानुसार लागू होने वाले अगले पाँच वेतनमानों

को छोड़कर उसके पश्चात् आने वाले उच्च वेतनमानों को अनियमित रूप से अंगीकार किया था, जिसके परिणामस्वरूप 53²¹ कर्मचारियों के संबंध में ₹ दो करोड़²² का अनुचित मौद्रिक लाभ और केंद्र सरकार के समान पदस्थ कर्मचारियों के साथ वेतन की असमानता हुई। विश्वविद्यालयों द्वारा छोड़े गए और अंगीकार किए गए वेतनमानों की तुलना में केंद्रीय वेतनमानों का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: केंद्रीय वेतनमान (सीपीएस), छोड़े गए सीपीएस और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए सीपीएस का विवरण

(राशि ₹ में)

केंद्रीय वेतनमान	कृषि विश्वविद्यालयों के वेतनमान	कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा छोड़ दिया गया अगला उच्च सीपीएस	कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया वेतनमान
750-940/ 2,550-3,200	750-940/ 2,550-3,200	775-1025/ 2,610-3,540	800-1150/ 2,650-4,000
800-1150/ 2,650-4,000	800-1150/ 2,650-4,000	825-1200/ 2,750-4,400	950-1500/ 3,050-4,590
1,200-2040/ 4,000-6,000	1,200-2040/ 4,000-6,000	1,350-2,300/ 4,500-7,000	1,400-2600/ 5,000-8,000
1,400-2600/ 5,000-8,000	1,400-2600/ 5,000-8,000	1,640-2,900/ 5,500-9,000	2,000-3,200/ 6,500-10,500
2,000-3,200/ 6,500-10,500	2,000-3,200/ 6,500-10,500	2,375-3,500/ 7,450-11,500 एवं 2,500-4,000/ 7,500-12,000	2,200-4,000/ 8,000-13,500

सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (मई 2022) कि मामले की जाँच की जा रही है और विस्तृत उत्तर उचित समय पर भेजा जाएगा। उप कुलसचिव (गोपनीयता), स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा कि विभिन्न संवर्गों के लिए लागू स्कॉस्ट सांविधियों के प्रासंगिक अनुसूचियों/ अध्यायों के अनुसार केंद्रीय वेतनमान में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। उत्तर स्पष्ट नहीं है और विशिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मामले का निदान नहीं करता है।

4.16.2 संशोधित वेतनमान का अनुचित विस्तार

जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती संयुक्त स्कॉस्ट के 'गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ' द्वारा दायर एक रिट याचिका पर एक अंतरिम आदेश (फरवरी 1994) पारित किया, जिसमें ₹ 1,400 - ₹ 2,600 और ₹ 1,640 - ₹ 2,900 के पूर्व संशोधित वेतनमान

²¹ स्कॉस्ट-जम्मू: 09; स्कॉस्ट-कश्मीर: 44

²² स्कॉस्ट-जम्मू: ₹ 0.09 करोड़; स्कॉस्ट-कश्मीर: ₹ 1.91 करोड़

रखने वाले याचिकाकर्ताओं को क्रमशः ₹ 1,640 - ₹ 2,900 और ₹ 2,000 - ₹ 3,500 के वेतनमान में रखने की अनुमति दी।

तदनुसार, स्कॉस्ट-कश्मीर ने इन वेतनमानों को धारण करने वाले सभी कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अधीन लाभ (अगस्त 2007) दिया जिसमें एक शर्त यह भी शामिल थी कि सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन द्वारा की गई नियुक्तियों को उपरोक्त लाभ द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था।

अभिलेखों से पता चला कि स्कॉस्ट-जम्मू ने संबंधित कर्मचारियों को स्कॉस्ट-कश्मीर के निर्णय (अगस्त 2007) के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान (जून 2008) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीधे भर्ती किए गए पाँच गैर-शिक्षण कर्मचारियों²³ को अनियमित रूप से उच्च वेतनमान दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

4.16.3 उच्च दरों पर आवास किराया भत्ता का भुगतान

जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा नियम 1992 (आवास किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता) के खंड-II की अनुसूची XXII के अनुसार, श्रीनगर और जम्मू के शहरों के नगरीय समूहन (यूए) को 'वाई' श्रेणी के शहरों के तहत वर्गीकृत किया गया था। इन नगरीय समूहन के बाहर के क्षेत्रों को 'जेड' वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नगरीय समूहन के अंतर्गत सेवारत सरकारी कर्मचारी मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से आवास किराया भत्ता के लिए पात्र हैं और नगरीय समूहन के बाहर सेवा करने वाले आठ प्रतिशत की दर से आवास किराया भत्ता के पात्र हैं।

यह देखा गया कि स्कॉस्ट-जम्मू में, 11 कर्मचारी जो जम्मू नगरीय समूहन के बाहर स्थित पाँच इकाइयों से मुख्य विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े थे, उन्हें ₹ 0.22 करोड़ के अतिरिक्त आवास किराये भत्ते का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रीनगर नगरीय समूहन के अंतर्गत स्थित संकायों/ अनुसंधान स्टेशनों में सेवारत स्कॉस्ट-कश्मीर के कर्मचारियों के संबंध में आठ प्रतिशत (अप्रैल 2018 से पहले की अवधि के लिए 10 प्रतिशत) के बजाय मूल वेतन के 16 प्रतिशत (अप्रैल 2018 से पहले की अवधि के लिए 20 प्रतिशत) की उच्च दरों पर आवास किराया भत्ता आहरित किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2015

²³ दो वरिष्ठ आशुलिपिक, एक सांख्यिकी सहायक, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक कनिष्ठ अभियंता

और मार्च 2021 के बीच ₹ 3.94 करोड़ के अतिरिक्त आवास किराये भत्ते का भुगतान हुआ, जैसा कि 13 संभागों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आकलित किया गया था। ₹ 3.94 करोड़ में से ₹ 2.48 लाख की वसूली डीन, वानिकी संकाय, स्कॉस्ट-कश्मीर द्वारा दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के दौरान की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान पुष्टि की गई थी कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली को प्रभावी करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।

4.16.4 छुट्टी नकदीकरण का अनियमित भुगतान

जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1979 के नियम 16 में कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न करने हेतु निर्धारित प्रारूप में छह मासिक अवकाश लेखा (प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई तक) के रखरखाव की परिकल्पना की गई है। अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन सेवा के अंतिम दिन कर्मचारी के खाते में अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर एकमुश्त राशि को अधिकृत करता है।

स्कॉस्ट-कश्मीर में सेवा अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि कर्मचारियों के अवकाश खातों का रखरखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में छुट्टी सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार अप्रैल 2016 और दिसंबर 2021 के बीच 220 सेवानिवृत्तों को अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के लिए भुगतान किए गए ₹ 8.24 करोड़ प्रश्न योग्य हैं।

स्कॉस्ट-कश्मीर के आठ डीडीओ/ एचओडी ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी विवरण तैयार किए गए थे और आश्वासन दिया कि भविष्य में छुट्टी खातों को बनाए रखा जाएगा।

4.16.5 पुराने दावों के संबंध में बकाया के रूप में ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खंड-1 के नियम 2.40, 2.41 और 2.43 पुराने दावों के संबंध में बकाया के भुगतान को मना करते हैं और ये नियम परिकल्पना करते हैं कि जहां ऐसे मामले एक समयमान में प्रारंभिक वेतन के पुनर्निर्धारण के संबंध में खोले जाते हैं, वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना बकाया की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन नियमों के विपरीत, वित्त विभाग की सहमति के बिना स्कॉस्ट-कश्मीर के

218 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के ₹ 2.76 करोड़ के बकाया का भुगतान (मार्च 2017) किया गया था।

इसी तरह, प्रबंधन बोर्ड या वित्त विभाग से आवश्यक सहमति प्राप्त किए बिना, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों हेतु एसआरओ 311²⁴ के मौद्रिक लाभ को पूर्वव्यापी रूप से अनुमति (मार्च 2020) देकर नियमित (अप्रैल 1994 और अप्रैल 2002 के बीच) किए गए स्कॉस्ट-कश्मीर के 135 डीआरडब्ल्यू को ₹ 2.07 करोड़ के बकाया राशि का भुगतान किया गया था।

सहायक कुलसचिव (गैर शिक्षण/ कानूनी मामलों) ने कहा (फरवरी 2022) कि विभिन्न योजनाओं के तहत पदोन्नति की स्वीकृति के कारण कर्मचारियों को बकाया वेतन राशि का भुगतान किया गया था और इस तरह के लाभ से इनकार करना कानून की नजर में अमान्य होता और कर्मचारियों के साथ निष्ठुरता होती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग से पुराने दावों के संबंध में बकाया भुगतान हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

4.16.6 शिक्षण स्टाफ को दी गई अस्वीकार्य वेतन सुरक्षा

भेड़ एवं पशुपालन विभाग में ₹ 7,500 - ₹ 12,000 के वेतनमान वाले पशु चिकित्सा सहायक सर्जन (वीएएस), को वित्त विभाग द्वारा 01.01.1996 से ₹ 8,000 - ₹ 13,500 के वेतनमान में उन्नयन (फरवरी 2004 का एसआरओ-43) किया गया। पशुपालन विभाग के पूर्ववर्ती सहायक सर्जन, जिन्हें सीधे स्कॉस्ट-जम्मू में नियुक्त किया गया था, को दिए जाने वाले वेतन संरक्षण के मामले को वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया था जिन्होंने स्पष्ट (अप्रैल 2006) किया कि एसआरओ-43 का लाभ उन कर्मचारियों पर लागू नहीं था जिनका ग्रहणाधिकार (लियन) पिछले विभाग में समाप्त हो गया था।

स्कॉस्ट-जम्मू के अभिलेखों से पता चला कि वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के उल्लंघन में, एसआरओ-43 का लाभ उच्च स्तर पर उनके वेतन को निर्धारित करके शिक्षण पदों पर सीधे नियुक्त (01.01.1996 के बाद) दो पशु चिकित्सा सहायक सर्जनों को दिया गया था। लेखापरीक्षा में आकलन किया कि मार्च 2021 तक इन शिक्षकों को ₹ 5.99 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

²⁴ वित्त विभाग द्वारा जारी 1997 का एसआरओ 311, परिकल्पना करता है कि डीआरडब्ल्यू द्वारा की गई 50 प्रतिशत सेवा (3½ वर्ष) को सभी उद्देश्यों के लिए नियमित सेवा के लिए गिना जा सकता है।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (मई 2022) कि उप निदेशक, पशुपालन निदेशालय, जम्मू द्वारा जारी (अक्टूबर 2007) वेतन के पुनर्निर्धारण के आलोक में पदक्रम वेतन के बजाय वेतनमान उनके पक्ष में संरक्षित किया गया था। हालांकि तथ्य यह है कि पिछले विभाग में कर्मचारियों के ग्रहणाधिकार (लियन) की समाप्ति के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा वेतन का पुनर्निर्धारण स्वीकार कर लिया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान पुष्टि की गई थी कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली को प्रभावी करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।

4.16.7 प्रैक्टिस बंदी भत्ता (एनपीए) की अनियमित स्वीकृति और 2½ दिन के वेतन का अतिरिक्त प्रोत्साहन

भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अप्रैल 1998 के एसआरओ-132 के अनुसार, प्रैक्टिस बंदी भत्ता (एनपीए) का भुगतान केवल उन डॉक्टरों को किया जाना था जो प्रशासनिक पदों पर थे या शिक्षण पेशे में शामिल थे। इसी प्रकार, मार्च 1991 के एसआरओ 274-एचएमई के अनुसार रोस्टर ड्यूटी पर रहने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को 2½ दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाना था।

इन मानदंडों के विपरीत, अगस्त 2012 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्कॉस्ट-जम्मू में दो चिकित्सा अधिकारियों (एमओ), जो न तो प्रशासनिक पदों पर थे और न ही शिक्षण पेशे में शामिल थे, को ₹ 0.34 करोड़ का भुगतान प्रैक्टिस बंदी भत्ता के रूप में किया गया था। कृषि विश्वविद्यालयों में रोस्टर ड्यूटी करने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद, जून 2016 और अक्टूबर 2021 के बीच स्कॉस्ट-कश्मीर में चार चिकित्सा सहायकों और एक नर्स को ₹ 0.11 करोड़ का अतिरिक्त वेतन²⁵ दिया गया।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक रूप से स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन कर रहे थे और उन्होंने हलफनामा प्रस्तुत किया था कि वे कोई निजी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चिकित्सा अधिकारी न तो प्रशासनिक पदों पर थे और न ही शिक्षण व्यवसाय में लगे हुए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस (जून 2022) के दौरान संबंधित कुलसचिवों द्वारा पुष्टि की गई कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली शुरू करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

²⁵ मूल वेतन, डीए और विशेष वेतन

4.16.8 गलत वेतन निर्धारण

स्कॉस्ट-कश्मीर में 18 प्रकरणों में गलत वेतन निर्धारण और पाँच प्रकरणों में निर्वाचन इयूटी के संबंध में अनुचित भत्तों के भुगतान के परिणामस्वरूप 23 कर्मचारियों को ₹ 0.36 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

उप नियंत्रक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय एवं सहायक नियंत्रक, मत्स्यिकी संकाय ने बताया (फरवरी 2022) कि कर्मचारियों को भुगतान किए गए अनुचित भत्तों की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

4.16.9 अध्ययन अवकाश का अस्वीकार्य स्वीकृति

आईसीएआर के मानदंडों के अनुसार, एक स्थायी पूर्णकालिक वैज्ञानिक को एक विशेष क्रम का अध्ययन के साथ शोध/ पीएचडी डिग्री, जो संगठन में सीधे उसके कार्य से संबंधित हो, को करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। यूजीसी के नियम असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी अध्ययन अवकाश देने की अनुमति देते हैं। इन विनियमों या विश्वविद्यालय सांविधियों में से किसी में भी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (नवंबर 2021) कि 21²⁶ गैर-शिक्षण कर्मचारी (एफसीएलए: 10, एसटीए/ टीए/ पीए: 10 और फार्म मैनेजर: एक) को कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक/ स्नातकोत्तर/ पीएचडी डिग्री प्राप्त करने हेतु प्रायोजित किया गया था जिसके लिए उनके पक्ष में अध्ययन अवकाश स्वीकृत (अगस्त 2005 से फरवरी 2021) किया गया था। इन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश वेतन के रूप में ₹ 3.03 करोड़²⁷ का भुगतान किया गया था।

कुलसचिव, स्कॉस्ट-जम्मू ने कहा (जनवरी 2022) कि विश्वविद्यालय के हित में गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च योग्यता प्राप्त करने के उनके अनुरोध पर अध्ययन अवकाश पर प्रतिनियुक्त किया गया था।

तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय विनियमों के प्रतिकूल गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अनियमित रूप से अध्ययन अवकाश पर भेजा गया था।

²⁶ स्कॉस्ट-जम्मू: 15; स्कॉस्ट-कश्मीर: छह

²⁷ स्कॉस्ट-कश्मीर: ₹ 1.08 करोड़ व स्कॉस्ट-जम्मू: ₹ 1.95 करोड़

4.16.10 गैर-पेंशन योग्य सेवा को पेंशन योग्य सेवा में परिवर्तित करना

विश्वविद्यालय सांविधियों में यह परिकल्पना की गई है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी या तो पेंशन योग्य या गैर-पेंशन योग्य सेवा का विकल्प चयन करेगा। एक कर्मचारी जो निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, उसे पेंशन योग्य सेवा के लिए चयन किया गया माना जाएगा और एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। अभिलेखों से पता चला कि यद्यपि विश्वविद्यालय के 34 कर्मचारियों (स्कॉस्ट-जम्मू: 14; स्कॉस्ट-कश्मीर: 20) ने अपनी सेवा के कार्यग्रहण के समय गैर-पेंशन योग्य सेवा का विकल्प चयन किया था, उनकी सेवा को विश्वविद्यालय परिषद के अनुमोदन और वित्त विभाग की सहमति के बगैर पेंशन योग्य सेवा में परिवर्तित (अप्रैल 2005 और अगस्त 2021 के बीच) कर दिया गया था।

सहायक कुलसचिव (जीएडी), स्कॉस्ट-कश्मीर ने कहा (नवंबर 2021) कि प्रबंधन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने के पश्चात इसे विश्वविद्यालय परिषद के समक्ष रखने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था क्योंकि निर्णय में भारी वित्तीय संलिप्तता थी।

4.16.11 पारिवारिक पेंशन की दोषपूर्ण प्राधिकृति

वित्त विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी (अप्रैल 2018) किया कि 28 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति, विशिष्ट, सेवानिवृत्त, मुआवजे और अमान्य पेंशन की राशि, 01.01.2016 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने पर, अंतिम आहरित परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर गणना की जाएगी और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की दर से प्राधिकार पत्र में इस शर्त के साथ शामिल की जानी थी, कि यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु सेवानिवृत्ति के सात वर्षों के भीतर होती है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से सात वर्ष तक देय होगी।

पेंशन अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 17 मामलों में (101 नमूना जाँच किए गए मामलों में से) सेवानिवृत्ति के सात वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन सात वर्षों के बजाय केवल पाँच वर्ष तक की अवधि हेतु अधिकृत की गई थी। नौ मामलों के संबंध में, सेवानिवृत्ति के सात वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु

की स्थिति में बढ़ी हुई दर का भुगतान का उल्लेख किए बिना अंतिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन को अधिकृत किया गया था।

4.17 निष्कर्ष

विश्वविद्यालयों का मानव संसाधन कार्य संतोषजनक नहीं था और अनियमित नियुक्तियों, पक्षपात पूर्ण और अस्वीकार्य वित्तीय उन्नयन से त्रस्त था। शिक्षकों की नियुक्तियों और पदोन्नति हेतु न्यूनतम मानकों को शिथिल करते हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता से समझौता किया। निम्न तकनीकी पदों से शिक्षण पदों पर पार्श्व प्रविष्टि ने विश्वविद्यालय को सीधे विज्ञापनों के माध्यम से मेधावी शिक्षकों की भर्ती का लाभ लेने से वंचित कर दिया। वेतन, भत्तों और हकदारियों के अतिरिक्त आहरण के कारण अनुचित लाभों के विस्तार से राज्य के कोष पर वित्तीय दबाव पड़ा।

4.18 अनुशंसाएं

- अनावश्यक पदों को छंटवाई करने हेतु स्वीकृत पदों की समीक्षा करने और सीधी भर्ती के माध्यम से प्रबंधन पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की तत्काल आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों को पूर्णतः अंगीकार करना चाहिए और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों को अनुरक्षण करने हेतु तकनीकी संवर्ग के शिक्षण पदों पर पार्श्व प्रवेश से परिवर्जन करना चाहिए।
- आईसीएआर पर भारित तकनीकी संवर्ग की कैरियर एडवांसमेंट को आईसीएआर मानदंडों के अनुसार सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- शिक्षण पदों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम यूजीसी विनियमन के अनुरूप हो, इस पर पुनः विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- लेखा विंग में दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय तत्काल एसएसी भाग-I और II को आरंभ करने पर विचार करे।

अध्याय V
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत दो घटकों अर्थात् व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सार्वजनिक शौचालय (पीटी), की वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। यह देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों ने आईएचएचएल उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया था। कार्य की प्रगति का बारीकी से अनुवीक्षण नहीं किया गया था और कोई अनुवीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं था। गैर सरकारी संगठनों द्वारा दर्शाए गए चयनित 942 निर्मित आईएचएचएल के लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन से पता चला कि मात्र 95 (10 प्रतिशत) कार्यात्मक थे। इसके अलावा, आईएचएचएल के निर्माण के संबंध में गैर सरकारी संगठनों को ₹ 116.48 लाख का संदिग्ध भुगतान किया गया था और 522 आईएचएचएल के संबंध में ₹ 91.30 लाख का अनुत्पादक व्यय था। भौतिक रूप से जाँचे गए 173 पीटी में से 108 पीटी (63 प्रतिशत) अपूर्ण, परित्यक्त या गैर-कार्यात्मक थे।

5.1 परिचय

भारत सरकार (जीओआई) ने अक्टूबर 2019 तक देश में शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शहरी भारत को खुले में शौच से शत-प्रतिशत मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की फ्लैगशिप योजना का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2014 को किया था। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचएंडयूए), भारत सरकार और आवास एवं शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडी), जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के विभिन्न घटक¹ हैं तथा इसे भारत सरकार (जीओआई) और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सार्वजनिक शौचालय के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित 10 प्रतिशत राज्य के अंश के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य योगदान भी जारी किया गया था, इस प्रकार राज्य के कुल योगदान की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक थी। आवास और शहरी

¹ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय; सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; सूचना शिक्षा, संचार और जन जागरूकता और क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय

विकास विभाग (एचएंडयूडी), जम्मू नगर निगम (जेएमसी), श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), जम्मू और श्रीनगर के निदेशक और 76 नगर परिषद/ समितियां स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दो घटकों अर्थात् व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सार्वजनिक शौचालय (पीटी), की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी थी। अभिलेखों के अनुसार 2016-21 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के 78 यूएलबी (जेएमसी, एसएमसी और 76 नगर परिषदें/ समितियाँ) में 51,246 आईएचएचएल और 2,621 पीटी का निर्माण किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), जम्मू और श्रीनगर के निदेशकों और जेएमसी, एसएमसी और 19 अन्य यूएलबी² (76 नगर परिषदों/ समितियों में से) के निदेशकों के अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी। इन 21 शहरी स्थानीय निकायों का चयन एसबीएम के अंतर्गत किए गए अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया था। अभिलेखों के अनुसार इन 21 चयनित शहरी स्थानीय निकायों के 416 वार्डों में कुल 27,317 आईएचएचएल और 290 पीटी का निर्माण दर्शाया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा के अतिरिक्त, यूएलबी के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से आईएचएचएल/ पीटी का लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन किया गया था ताकि यह देखा जा सके कि क्या मिशन के तहत सृजन की गई परिसंपत्तियां पूर्ण, कार्यशील और अच्छी तरह से अनुरक्षित थी। आईएचएचएल के लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन हेतु, चयनित 21 यूएलबी में कुल 416 वार्डों में से 102 वार्ड (25 प्रतिशत) का चयन निर्मित आईएचएचएल की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया था। इन 102 वार्डों में 14,675 आईएचएचएल का निर्माण किया गया था जिनमें से 1,588 (10 प्रतिशत) लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन हेतु चयनित किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, 21 चयनित शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित कुल 290 पीटी में से 173 पीटी³ का भौतिक सत्यापन हेतु चयन किया गया था।

² कश्मीर संभाग: अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, डूरू, फ़िसल, कुलगाम, कुपवाड़ा, मडन, सोपोर, शोपियां और जम्मू संभाग: अरनिया, भद्रवाह, डोडा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, रामनगर, सांबा और उधमपुर

³ एसएमसी और जेएमसी में 25 प्रतिशत पीटी और शेष 19 प्रतिदर्शित यूएलबी में सभी पीटी

5.2 निधियों के विमोचन और किए गए व्यय की स्थिति

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और मिशन निदेशालय द्वारा निधियों का विमोचन और घटक-वार व्यय तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1: राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निधियों के विमोचन, किये गये व्यय की घटकवार स्थिति (2016-21)

(₹ करोड़ में)

घटक	विमोचन	व्यय	अव्ययित	अव्ययित निधियों की प्रतिशतता
आईएचएचएल	83.20	75.05	8.15	9.80
पीटी	71.23	58.76	12.47	17.51
कुल	154.43	133.81	20.62	

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के चयनित 21 यूएलबी द्वारा घटकवार निधियों के विमोचन और किये गये व्यय को तालिका 5.2 में दिखाया गया है।

तालिका 5.2: निधियों के विमोचन और किए गए व्यय की घटकवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

घटक	विमोचन	व्यय	अव्ययित
आईएचएचएल	47.49	34.43	13.06
पीटी	27.96	26.38	1.58
कुल	75.45	60.81	14.19

5.3 लाभार्थियों की पहचान

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा निर्देशों का कंडिका 4.3 में अनुबंध है कि एक लाभार्थी का अर्थ ऐसे किसी भी घर से होगा जिसके पास व्यक्तिगत घरेलू शौचालय नहीं है या इनसेनीटरी शौचालय⁴ है। एसबीएम दिशा निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों या खुले में शौच करने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए उपलब्ध किसी हालिया सर्वेक्षण के आधार पर घर-घर सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक था। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आधारभूत आंकड़ों को 15.02.2015 तक पब्लिक डोमेन में डाला जाना था। इन आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारियों को घरेलू शौचालय या परिवारों के समूह हेतु सामुदायिक शौचालय (सीटी) को अनुमोदित करने की आवश्यकता थी।

⁴ सूखा और एकल गर्त शौचालय

कोई घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था जो दर्शाता हो कि लाभार्थियों के पास मौजूदा सेनेटरी शौचालय था या नहीं। इसके अतिरिक्त, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से केवल अधिसूचनाएं (2015-16) जारी की थी जिनमें उन परिवारों को अपने आवेदनों को नजदीकी सामान्य सेवा केंद्रों/ खिदमत केंद्रों पर पंजीकृत कराने की सलाह दी गई थी जिनके पास शौचालय नहीं हैं या इनसेनेटरी शौचालय है। घर-घर सर्वेक्षण न करने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की गलत पहचान भी हुई, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से पता चलता है:

- जेएमसी के तहत, एक घर के लिए एक घरेलू शौचालय स्वीकृत करने के बजाय, 45 घरों को 134 आईएचएचएल स्वीकृत किए गए थे जिनमें 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पव्यस्कों के पक्ष में स्वीकृत 35 आईएचएचएल भी शामिल थे। भुगतान विमोचन हेतु पाँच लाभार्थियों के संबंध में एक ही व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग किया गया था। मुख्य लेखा अधिकारी (सीएओ), जेएमसी ने कहा (मार्च 2022) कि मामले की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

- एसबीएम दिशा निर्देशों के कंडिका 4.4.1 और 4.4.2 में प्रावधान है कि आईएचएचएल के निर्माण हेतु प्रोत्साहन की प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) लाभार्थी के सत्यापन के बिना विमोचित नहीं की जानी चाहिए। नगर पालिका परिषद सोपोर और शोपियां में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,563 लाभार्थियों में से 154 लाभार्थियों को वर्ष 2016-17 में सेनेटरी शौचालयों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 3.15 लाख का भुगतान किया गया था। उन्हें अग्रिम सहायता का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि यह कहा गया था कि उनके पास पहले से ही आईएचएचएल थे। इस प्रकार, गलत पहचान किये गये इन लाभार्थियों को ₹ 3.15 लाख का अनुचित भुगतान किया गया। मई 2022 तक कोई वसूली प्रारम्भ नहीं की गई थी।

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2021/ फरवरी 2022) कि इन लाभार्थियों को, जिन्हें दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभ में सहायता का भुगतान किया गया था, सत्यापन के उपरांत पाया गया कि उनके पास पहले से ही शौचालय मौजूद थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोपोर ने बताया (जून 2022) कि आईएचएचएल इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु लाभार्थियों को प्रथम किस्त निर्गत की गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि सत्यापन के उपरांत, यह देखा गया कि लाभार्थियों ने राशि का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों हेतु किया था और तदनुसार अगले भुगतानों को रोक दिया गया था।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने लाभार्थियों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों/ खिदमत केंद्रों में पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया था एवं यूएलबी ने नोटिस जारी किए थे और घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद आवेदन प्राप्त किए थे।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन के संबंध में किया गया दावा यूएलबी के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2021/ फरवरी 2022/ जून 2022) उपर्युक्त उत्तरों के विपरीत था।

अल्पव्यस्कों के पक्ष में स्वीकृत 35 आईएचएचएल की स्वीकृति के संबंध में, यह कहा गया कि आयुक्त, जेएमसी ने इसके लिए गठित एक समिति द्वारा पुनः सत्यापन प्रारंभ किया था और यदि कोई अपात्र लाभार्थी पाया गया तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

5.3.1 लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियाँ

मिशन अवधि (2014-21) हेतु राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के सभी यूएलबी के लिए 1,34,073 आईएचएचएल और 3,779 सीटी/ पीटी के मिशन लक्ष्यों को राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (एसएलएसी)⁵ द्वारा संशोधित कर 51,232 आईएचएचएल और 2,757 सीटी/ पीटी में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध 51,246 आईएचएचएल और 2,621 सीटी/ पीटी को मिशन के अंतर्गत अभिलेखों में लक्ष्य प्राप्ति दर्शाया गया था। चयनित 21 यूएलबी में 27,596 आईएचएचएल और 323 सीटी/ पीटी के लक्ष्य के विरुद्ध 27,523 आईएचएचएल (स्वयं लाभार्थियों द्वारा निर्मित: 14,043 और गैर सरकारी संगठन: 13,480) और 290 सीटी/ पीटी को अभिलेखों में लक्ष्य प्राप्ति

⁵ संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, एसएलएसी [अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव व सदस्य के रूप में सात विभागों (योजना और विकास, वित्त, जल शक्ति, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, आवास और शहरी विकास, सूचना और ग्रामीण विकास और पंचायती राज) के प्रशासनिक सचिव, मिशन निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता, आयुक्त एसएमसी, आयुक्त जेएमसी, निदेशक यूएलबी जम्मू और निदेशक यूएलबी कश्मीर को मिलाकर] के पास आईएचएचएल और पीटी हेतु लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने का अधिकार है।

दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मिशन लक्ष्य लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण करने के पश्चात निर्धारित नहीं किए गए थे, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किये गए थे।

5.4 स्वयं लाभार्थियों द्वारा आईएचएचएल का निर्माण

आईएचएचएल के निर्माण हेतु, घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि ₹ 4,000 प्रति आईएचएचएल थी। प्रोत्साहन राशि को संशोधित (जुलाई 2016) कर ₹ 10,800 प्रति आईएचएचएल किया गया था। राज्य का अंश जो ₹ 444 (10 प्रतिशत) प्रति यूनिट था, को संशोधित कर (जुलाई 2017) ₹ 1,200 प्रति आईएचएचएल कर दिया गया था तथा नए निर्माण के लिए ₹ 5,490 के अतिरिक्त राज्य अंशदान भी मिलना था। 21 चयनित यूएलबी के अभिलेखों से पता चला कि मार्च 2021 तक 14,043 आईएचएचएल का निर्माण किया गया था।

योजना दिशा निर्देशों के अनुसार, आईएचएचएल के निर्माण हेतु चिन्हित लाभार्थियों के पक्ष में प्रोत्साहन की प्रथम किस्त⁶ के विमोचन के उपरांत, दूसरी किस्त निर्माण की भौतिक प्रगति के सत्यापन पर जारी की जानी थी। सत्यापन की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि लाभार्थी ने आईएचएचएल का निर्माण शुरू किया था या नहीं यह सुनिश्चित करने हेतु पहली किस्त जारी करने के उपरांत, कार्य की भौतिक प्रगति के सत्यापन की वास्तविक प्रक्रिया एचएंडयूडी के प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। राज्य मिशन निदेशक द्वारा जारी निधि विमोचन आदेशों के अनुसार, कार्य के फोटोग्राफिक/ वीडियोग्राफिक साक्ष्य को अनुरक्षित रखा जाना था। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने विभिन्न चरणों पर कार्य की भौतिक प्रगति की अनुवीक्षण हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप इनसेनीटरी शौचालयों को सेनीटरी में परिवर्तित नहीं किया गया और लाभार्थियों को अतिरिक्त/ दोगुना भुगतान किया गया जैसा कि कंडिका 5.4.1 और 5.4.2 में वर्णित है।

5.4.1 ₹ 1.09 करोड़ का अपव्यय

एसएमसी में इनसेनीटरी शौचालयों को सेनीटरी शौचालयों में बदलने हेतु 1,828 लाभार्थियों को ₹ 6,000 प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1.09 करोड़ के भुगतान की सहायता (अक्टूबर 2019) दी गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया कि सितम्बर

⁶ कुल का 50 प्रतिशत

2021 तक उनके पक्ष में दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी। लाभार्थियों के पक्ष में दूसरी किस्त जारी न करने का कोई कारण अभिलेखों में नहीं था। एसएमसी के विभागीय कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन/ लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए एसएमसी के सात चयनित वार्डों में 1,828 लाभार्थियों में से 51 का चयन किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन/ लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि चयनित लाभार्थियों में से किसी ने भी पिट/ सेप्टिक टैंकों का निर्माण नहीं किया था और अभी भी वह उनके शौचालयों के मानव अपशिष्ट/ मल को खुली सतह की नालियों में बहा रहे थे। लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण न करने के परिणामस्वरूप इन 1,828 लाभार्थियों को भुगतान किए गए ₹ 1.09 करोड़ (इन 51 लाभार्थियों को भुगतान किए गए ₹ 3.06 लाख सहित) का अपव्यय हुआ। इस प्रकार, एसएमसी ने अभिलेखों में 1,828 इनसेनीटरी आईएचएचएल को सेनीटरी इकाइयों में परिवर्तित करने की गलत उपलब्धि को दर्शाया था।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि एसएमसी ने वार्ड अधिकारियों, सेनीटरी पर्यवेक्षकों एवं सेनीटरी निरीक्षकों द्वारा एक पुनर्सत्यापन सर्वेक्षण शुरू किया था और बताया कि यदि दोष पाया गया तो कार्य पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे तथा गैर-अनुपालन के मामले में, अर्थदण्ड लगाने सहित वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

5.4.2 29 लाभार्थियों को ₹ 2.85 लाख का अतिरिक्त/ दोहरा भुगतान

नमूना जाँच किए गए 21 शहरी स्थानीय निकायों में से दो⁷ में, वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान 26 लाभार्थियों को ₹ 2.21 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि का भुगतान किया गया था और एमसी शोपियां में तीन लाभार्थियों को इनसेनीटरी शौचालयों को सेनीटरी शौचालयों में परिवर्तित करने और नए शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 0.64 लाख का दोहरा भुगतान किया गया था। कार्यकारी अधिकारी (ईओ), एमसी सोपोर और एमसी शोपियां ने कहा कि लाभार्थियों से अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी। ईओ, एमसी शोपियां ने कहा (जून 2022) किया कि एक लाभार्थी से ₹ 10,000 का अतिरिक्त भुगतान वसूल कर लिया गया था और ₹ 0.64 लाख के दोहरे भुगतान की राशि की वसूली की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। ईओ, एमसी सोपोर ने कहा (जून 2022) कि 23 लाभार्थियों से ₹ 1.95 लाख पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष राशि जल्द ही वसूल कर ली जाएगी।

⁷ शोपियां: एक (₹ 0.10 लाख) और सोपोर: 25 (₹ 2.11 लाख)

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि सीईओ शोपियां और सीईओ सोपोर ने संबंधित लाभार्थियों से वसूली शुरू कर दी थी और शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया कम से कम समय में पूरी कर ली जाएगी।

5.5 गैर सरकारी संगठनों द्वारा आईएचएचएल का निर्माण

योजना दिशा निर्देश में अनुबंध है कि आईएचएचएल का निर्माण स्वयं परिवार द्वारा किया जाना चाहिए। यद्यपि, दिशा-निर्देश में ठेकेदारों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से आईएचएचएल के निर्माण का प्रावधान नहीं था, एमओयूडी ने ओडीएफ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चिन्हित लाभार्थियों के लिए आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों और ठेकेदारों की नियुक्ति को प्राधिकृत किया। तत्कालीन राज्य सरकार ने ₹ 17,490 प्रति यूनिट की लागत से नए आईएचएचएल के निर्माण हेतु विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को पैनल में शामिल किया था।

आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए आदेशों के नियमों और शर्तों में यह अनुबंध किया गया था कि निर्माण कार्य की संबंधित यूएलबी के इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा बारीकी से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य का निष्पादन योजना दिशा निर्देशों में निर्धारित अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार किया गया था। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा निर्मित आईएचएचएल के संबंध में भुगतान संबंधित लाभार्थी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही, चरणों में किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएचएचएल के निर्माण के लिए चरणों में भुगतान करने हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले और यूएलबी के इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले आईएचएचएल के निर्माण के संबंध में चरणवार दस्तावेजी साक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे जिसके कारण अनियमितताएं हुईं, जैसा कि कंडिका 5.5.1 में वर्णित है।

5.5.1 गैर सरकारी संगठनों को चरणों में भुगतान के बजाय एकमुश्त भुगतान और अनुवीक्षण के बिना अनुमोदित विनिर्देशों के साथ कार्य का निष्पादन

20 शहरी स्थानीय निकायों⁸ में चिन्हित लाभार्थियों के लिए 12,297 आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों को ₹ 19.87 करोड़ का भुगतान किया गया था।

⁸ अनंतनाग, अरनिया, बारामूला, बांदीपोरा, भद्रवाह, डोडा, डूरू, फ़िसल, जेएमसी, कठुआ, कुलगाम, कुपवाड़ा, मट्टन, पुंछ, रामनगर, सांबा, शोपियां, एसएमसी, सोपोर और उधमपुर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों हेतु निर्मित आईएचएचएल का कार्य निष्पादन किया गया था या नहीं, यह देखने के लिए बारीकी से अनुवीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि कोई अनुवीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं था। नामिकायन और आबंटन आदेशों में परिकल्पित गैर-सरकारी संगठनों को चरणों में भुगतान करने के बजाय, एकमुश्त भुगतान किया गया। चरणों में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति की बारीकी से अनुवीक्षण करने के समर्थन में फोटोग्राफिक साक्ष्य अभिलेख में नहीं रखे गए थे।

- लेखापरीक्षा ने गैर सरकारी संगठनों के पक्ष में भुगतान पारित करने हेतु लाभार्थियों से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में आँकड़ों के संग्रह हेतु आईएचएचएल के 1,315 मामलों को चयन किया और पाया कि 364 आईएचएचएल के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलेख में नहीं थे; 123 आईएचएचएल के पूर्णता प्रमाणपत्रों के संबंध में, हालांकि लाभार्थियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, वे यूएलबी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये थे और छह मामलों में लाभार्थियों द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद शोपियां ने बताया (जून 2022) कि लाभार्थी, कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व अनुवीक्षण समिति से पूर्णता प्रमाण पत्र/ सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात गैर सरकारी संगठनों को अंतिम किस्त जारी की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद अनंतनाग ने कहा (जून 2022) कि इन इकाइयों के संबंध में तकनीकी सत्यापन संबंधित एईई से प्राप्त हुआ था और सभी पूर्णता प्रमाणपत्रों पर सीईओ के साथ-साथ इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं है क्योंकि लाभार्थियों का कोई पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलेख में नहीं था।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि लाभार्थियों/ जेई/ सीईओ से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एनजीओ को भुगतान जारी किया गया था। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं है क्योंकि आईएचएचएल के 1,315 चयनित मामलों में से 364 आईएचएचएल के पूर्णता प्रमाण पत्र अभिलेख में नहीं थे और 123 आईएचएचएल के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र यद्यपि लाभार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित थे,

यूएलबी प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं थे और छह मामलों में पूर्णता प्रमाण पत्रों पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर नहीं थे।

उत्तर विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि चरणों में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति की बारीकी से अनुवीक्षण करने के समर्थन में कोई अनुवीक्षण प्रतिवेदन और फोटोग्राफिक साक्ष्य अभिलेख में नहीं थे और गैर-सरकारी संगठनों को एकमुश्त भुगतान किया गया था।

- जेएमसी में, लेखापरीक्षा में पाया कि 339 लाभार्थियों के संबंध में गैर सरकारी संगठनों द्वारा आईएचएचएल के निर्माण के वास्तविक स्थल का अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया था। अभिलेख के अनुसार 331 लाभार्थियों के पते जेएमसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर अवस्थित थे और आठ लाभार्थियों के पते अन्य राज्यों के थे।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा पुनः सत्यापन शुरू किया गया था और यदि कोई अपात्र लाभार्थी पाया गया तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

यूएलबी प्राधिकारियों की ओर से इन व्यपगतों ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा आईएचएचएल के निर्माण की प्रामाणिकता के साथ-साथ इन निर्माणों पर किए गए व्यय की वास्तविकता पर संशय पैदा किया। गैर सरकारी संगठनों द्वारा आईएचएचएल के संदिग्ध निर्माण की संपुष्टि भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण द्वारा भी की गई थी जैसा कि कंडिका 5.5.1 (क) में चर्चा की गई है।

5.5.1 (क) ₹ 116.46 लाख का संदिग्ध भुगतान

21 चयनित यूएलबी में से 18⁹ में, सूचीबद्ध एनजीओ को 11,577 लाभार्थियों के संबंध में नए आईएचएचएल के निर्माण और इनसेनीटरी को सेनीटरी आईएचएचएल में परिवर्तन हेतु कार्य आबंटित (2016-2018) किया गया था।

यादृच्छिक रूप से चयनित 942 लाभार्थियों के साथ 18 शहरी स्थानीय निकायों में लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था, जिनके आईएचएचएल का भौतिक सत्यापन भी किया गया था।

⁹ कश्मीर: (एसएमसी, अनंतनाग, बांदीपोरा, डूरू, फ़िसल, कुलगाम, कुपवाड़ा, मट्टन, शोपियां) और जम्मू: (जेएमसी, अरनिया, भद्रवाह, डोडा, कठुआ, पुंछ, रामनगर, सांबा और उधमपुर)

- चयनित 942¹⁰ लाभार्थियों में से 633 लाभार्थियों¹¹ ने कहा कि उनके आईएचएचएल का निर्माण गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया था। इन 633 आईएचएचएल में से, 453 आईएचएचएल गैर-कार्यात्मक थे, 95 पूर्ण थे, 16 अधूरे¹² छोड़ दिए गए थे और 69 आईएचएचएल को लाभार्थियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। (गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित आईएचएचएल से संबंधित अवलोकनों का विवरण कंडिका 5.5.1(ख) में दिया गया है।) इस प्रकार, गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित 942 चयनित आईएचएचएल में से केवल 95 आईएचएचएल (10 प्रतिशत) कार्यात्मक पाए गए थे।
- 942 चयनित लाभार्थियों में से, 238 लाभार्थियों¹³ ने बताया कि गैर सरकारी संगठनों ने उनके आईएचएचएल का निर्माण नहीं किया था बल्कि उन्होंने आईएचएचएल का निर्माण स्वयं किया था। इन 238 लाभार्थियों में से 137¹⁴ ने बताया कि उन्हें गैर सरकारी संगठनों से ₹ 11.23 लाख (₹ 22.86 लाख की देय राशि में से) प्राप्त हुए थे।
- चयनित 942 लाभार्थियों में से, जेएमसी के 66 लाभार्थियों के आईएचएचएल निर्मित नहीं पाए गए और पाँच लाभार्थियों¹⁵ के आईएचएचएल का पता नहीं लगाया जा सका।

यह दर्शाता है कि शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकारियों ने एनजीओ द्वारा 325 आईएचएचएल¹⁶ के वास्तविक निर्माण को सुनिश्चित किए बिना गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 57.17 लाख का भुगतान किया था जो संदेहजनक था।

¹⁰ कश्मीर: (एसएमसी: 36, अनंतनाग: 36, बांदीपोरा: 25, डूरू: 22, फ़िसल: 13, कुपवाड़ा: 25, कुलगाम: 30, मट्टन: 32 और शोपियां: 18) जम्मू: (जेएमसी: 407, अरनिया: 39, भद्रवाह: नौ, डोडा: 33, कठुआ: 60, पुंछ: 16, रामनगर: 28, सांबा: 65 और उधमपुर: 48)

¹¹ कश्मीर: (बांदीपोरा: 18, कुपवाड़ा: आठ, मट्टन: एक) जम्मू: (जेएमसी: 341, अरनिया: 39, भद्रवाह: नौ, कठुआ: 60, पुंछ: 16, रामनगर: 28, सांबा: 65 और उधमपुर: 48)

¹² कुपवाड़ा: छह और बांदीपोरा: 10

¹³ एसएमसी: 36, अनंतनाग: 35, बांदीपोरा: चार, डोडा: 33, डूरू: 22, फ़िसल: 13, कुलगाम: 30, कुपवाड़ा: 17, मट्टन: 30 और शोपियां: 18

¹⁴ एसएमसी: छह, अनंतनाग: 34, बांदीपोरा: तीन, डूरू: 22, फ़िसल: 12 कुपवाड़ा: 13, कुलगाम: 23, मट्टन: 18 और शोपियां: छह

¹⁵ अनंतनाग: एक, बांदीपोरा: तीन, मट्टन: एक

¹⁶ आईएचएचएल अधूरे छोड़ दिये गये थे: 16, लाभार्थी जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दम पर आईएचएचएल का निर्माण किया: 238, लाभार्थी जिन्होंने कहा कि एनजीओ ने अपने आईएचएचएल का निर्माण नहीं किया था: 66, लाभार्थी जिनका पता नहीं लगाया जा सका: पाँच

यादृच्छिक रूप से चयनित 942 लाभार्थियों के अलावा लेखापरीक्षा ने 339 लाभार्थियों के संबंध में भौतिक सत्यापन और लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया, जिनके स्थानों के पते जेएमसी अधिकार क्षेत्र और अन्य राज्यों के बाहर अवस्थित दर्शाए गए थे। जेएमसी के संबंधित अधिकारी उन स्थलों के अवस्थिति की पहचान करने में विफल रहे जहां आईएचएचएल को गैर सरकारी संगठनों द्वारा अभिलेखों में निर्मित दर्शाया गया था। इस प्रकार, इन 339 आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को किए गए ₹ 59.29 लाख का भुगतान संदिग्ध था जो लाभार्थियों की पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण नहीं करने के कारण भी हुआ था। सीएओ, जेएमसी ने कहा (मार्च 2022) कि लाभार्थियों ने केवल आधार कार्ड की प्रति प्रदान की थी और लाभार्थियों के वर्तमान पते जेएमसी के पास उपलब्ध नहीं थे।

कुल मिलाकर, 664 मामलों¹⁷ के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 116.46 लाख का संदिग्ध भुगतान किया गया था। आठ शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया कि मामले की जाँच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडीडी ने कहा (अगस्त 2022) कि डीयूएलबीजे ने एनजीओ को किए गए भुगतानों की जाँच का आदेश दिया था और उसके निष्कर्षों के आधार पर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह भी कहा गया कि जेएमसी ने 339 आईएचएचएल के संबंध में सूचित किया था कि ये पात्र लाभार्थियों के पक्ष में स्वीकृत किए गए थे, हालांकि, इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा पुनः सत्यापन शुरू किया गया था और यदि कोई अपात्र लाभार्थी पाया गया तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

संदिग्ध भुगतान के ऐसे सभी मामलों की जिम्मेदारी तय करने और जिम्मेदार पक्षों से वसूली को प्रभावित करने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।

5.5.1 (ख) ₹ 91.30 लाख का निष्फल व्यय

633 लाभार्थियों में से, जिन्होंने कहा था कि उनके आईएचएचएल का निर्माण गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया था, 69¹⁸ आईएचएचएल को लाभार्थियों द्वारा

¹⁷ 16 लाभार्थी जिनके आईएचएचएल अधूरे रह गए थे, पाँच गैर-मौजूदा आईएचएचएल और 238 लाभार्थी जिन्होंने स्वयं अपनी आईएचएचएल इकाई का निर्माण किया था, जेएमसी द्वारा निर्माण नहीं किया था: 66 और जेएमसी: 339 जिनके पते बाहर के थे।

¹⁸ जेएमसी: 53, बांदीपोरा: पाँच, कठुआ: सात और उधमपुर: चार

ध्वस्त किया गया था, जिन्होंने कहा था कि वे उपयोग के लायक नहीं थे। 453¹⁹ आईएचएचएल गैर-कार्यात्मक पाए गए जिनमें से 374 आईएचएचएल को भंडार के रूप में उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 522 आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों को भुगतान पर ₹ 91.30 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बांदीपुरा ने कहा (जून 2022) कि लाभार्थियों द्वारा सभी आईएचएचएल इकाइयों को क्रियाशील बना दिया गया है। उत्तर विश्वस्नीय नहीं है क्योंकि ध्वस्त आईएचएचएल को क्रियाशील नहीं बनाया जा सकता है।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि डीयूएलबीजे ने मामले की जाँच के आदेश दिए थे।

5.5.1 (ग) आईएचएचएल के संबंध में दो चेम्बर पिट के स्थान पर एकल चेम्बर पिट का निर्माण

योजना दिशा निर्देशों में अनुबंध है कि आईएचएचएल के संबंध में वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो चेम्बर पिट का निर्माण किया जाना चाहिए। पिट को कम से कम 12 माह के लिए मल कीचड़ रखने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और भंडारण के दौरान ये गंधहीन और रोगजनकों से मुक्त होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 21 शहरी स्थानीय निकायों में से दो²⁰ में देखा कि एकल पिट के साथ 720 आईएचएचएल का निर्माण विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा ₹ 12,000 प्रति यूनिट की लागत से करवाया गया था। एकल पिट का निर्माण दिशा निर्देशों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप एनजीओ को अतिरिक्त भुगतान भी हुआ था।

77 आईएचएचएल²¹ के भौतिक सत्यापन के दौरान योजना दिशा निर्देशों से विचलन भी देखा गया था। इन 77 आईएचएचएल में से 75 आईएचएचएल के संबंध में गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकल पिट का निर्माण किया गया था और इस प्रकार, इन मामलों में गैर सरकारी संगठनों को अतिरिक्त भुगतान किया गया था। एमसी

¹⁹ जेएमसी: 318, अरनिया: 33, भद्रवाह: दो, बांदीपुरा: तीन, डोडा: चार, कठुआ: सात, पुंछ: तीन, रामनगर: 14, सांबा: 50, और उधमपुर: 19

²⁰ बारामूला: ₹ 32.94 लाख (549 लाभार्थी) और सोपोर: ₹ 10.26 लाख (171 लाभार्थी)

²¹ बारामूला: 33 और सोपोर: 44

बारामूला और एमसी सोपोर के कार्यकारी अधिकारियों ने कहा (जनवरी 2022) कि मामले की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बारामूला ने स्वीकार किया (जून 2022) कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकल पिट वाले शौचालयों का निर्माण किया गया था।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि डीयूएलबीके ने इस संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

5.5.1 (घ) गैर सरकारी संगठनों को ₹ 3.15 लाख का दोहरा भुगतान

जम्मू संभाग के दो शहरी स्थानीय निकायों²² में नए शौचालयों के निर्माण हेतु 17 लाभार्थियों के संबंध में गैर सरकारी संगठनों को ₹ 3.15²³ लाख का दोहरा भुगतान किया गया था।

मुख्य लेखा अधिकारी, जेएमसी ने कहा (मार्च 2022) कि गैर सरकारी संगठनों को भूलवश दोहरा भुगतान किया गया था जिनके साथ इसे वापस करने हेतु मामला उठाया गया है। ईओ नगर पालिका समिति, अरनिया ने कहा (दिसंबर 2021) कि मामले की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

5.5.1 (च) आईएचएचएल के निर्माण से संबंधित फाइलों का गुम होना और फाइलों का गैर-प्रस्तुतीकरण

नमूना जाँच किए गए 21 शहरी स्थानीय निकायों में से दो शहरी स्थानीय निकायों²⁴ ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित लाभार्थियों के लिए 616 आईएचएचएल के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों को ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया था। जेएमसी के 585 लाभार्थियों के आईएचएचएल से संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गईं क्योंकि यह कहा गया था कि फाइलें गायब थीं। एमसी भद्रवाह के 31 लाभार्थियों के 31 आईएचएचएल के अभिलेख भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

²² अरनिया: 13 (₹ 2.45 लाख) और जेएमसी: चार (₹ 0.70 लाख)

²³ दो लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए जिनके आईएचएचएल का निर्माण एनजीओ के माध्यम से किया गया था, उन्हें भी डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था और अन्य तीन लाभार्थियों के संबंध में प्रोत्साहन को दो अलग-अलग बैंक खातों में दो बार स्थानांतरित किया गया था।

²⁴ भद्रवाह: 31 और जेएमसी: 585

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि जेएमसी ने रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने गुम हुई फाइलों के मुद्दे को देखने के लिए एक समिति बनाई थी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आगे कहा था कि डीयूबीएलजे ने खोई हुई फाइलों के संबंध में जिम्मेदारी तय करने के लिए एमसी भद्रवाह से रिपोर्ट मांगी थी।

5.5.1 (छ) लक्ष्यों की गलत उपलब्धि का वर्णन

एसएमसी में छह एनजीओ द्वारा निर्मित 704 आईएचएचएल पर ₹ 1.14 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि एनजीओ द्वारा वास्तव में निर्मित 704 आईएचएचएल के विरुद्ध एसएमसी ने 1,887 आईएचएचएल के निर्माण की उपलब्धि को दर्शाया था। इस प्रकार, एसएमसी द्वारा अभिलेखों में दर्शायी गयी 1,183 आईएचएचएल की उपलब्धि तथ्य पर आधारित नहीं थी। गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित दर्शाए गए 1,183 में से 47 चयनित आईएचएचएल के भौतिक सत्यापन/ लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने आईएचएचएल का निर्माण स्वयं किया था। लाभार्थियों ने यह भी कहा कि एसएमसी अधिकारियों ने उनके स्वयं निर्मित आईएचएचएल को जियो-टैग किया था। यह दर्शाता था कि एसएमसी ने लक्ष्यों की उपलब्धि दिखाने के लिए 1,183 लाभार्थियों के आईएचएचएल को एनजीओ द्वारा निर्मित बताया।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि एचएंडयूडी ने एसएमसी में मामले की जाँच शुरू की थी (दिसंबर 2020) और भ्रष्टाचार-निरोधक ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी और जाँच प्रक्रियाधीन थी।

5.6 सार्वजनिक शौचालय

सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच के उन्मूलन के लिए और स्वच्छता के रखरखाव के संबंध में जनता के बीच व्यवहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु, योजना दिशा निर्देशों में बाजार और रेलवे स्टेशनों जैसे स्थानों पर आम जनता के लिए एक सार्वजनिक शौचालय (पीटी) उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी है। यह सुनिश्चित किया जाना था कि एक पीटी में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रावधान हों और विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए रैंप और ब्रेल साइनेज जैसी सुविधाएं हों। एमएचयूडी द्वारा जारी एडवाइजरी (नवंबर 2018) के अनुसार, पीटी के निर्माण के लिए एक ऐसे सार्वजनिक स्थान का चयन किया जाना चाहिए,

जहां भारी संख्या में लोग आते हैं और पीटी आम जनता के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। पीटी के संचालन और रखरखाव के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी। दिशा निर्देशों में पीपीपी मोड के माध्यम से पीटी के निर्माण और प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी परिकल्पना की गयी है। राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार ने कश्मीर घाटी और जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹ 13.60 लाख²⁵ और जम्मू के गैर-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹ 10.50 लाख की स्वीकृत (मार्च 2016) निवल दर पर पीटी के निर्माण हेतु विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

5.6.1 वैध अनुबंधों के बिना कार्यों का आबंटन एवं कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब

गैर सरकारी संगठनों द्वारा पीटी के निर्माण हेतु कार्य आबंटन आदेश (मार्च 2016 से अक्टूबर 2017) के नियम और शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60-90 दिनों के भीतर कार्य को पूर्ण किया जाना था एवं निर्धारित समय के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के मामले में दंड के प्रावधान को संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में रखा जाना आवश्यक था। अनुबंध में गैर सरकारी संगठनों द्वारा कम से कम 10 वर्षों के लिए शौचालयों के रखरखाव हेतु प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 21 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 10 में 75 पीटी के संबंध में पाया कि अनुबंधों के नाम पर गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अभियंताओं द्वारा हस्ताक्षरित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर साधारण हलफनामे अभिलेखों में रखे गए थे। इन हलफनामों में कार्यों के पूर्ण होने में विलंब के लिए कोई अर्थदंड के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि, रखरखाव के प्रावधान को उसमें शामिल किया गया था, यूएलबी के अधिकारी वैध अनुबंधों के निष्पादन को सुनिश्चित करने में विफल रहे थे ताकि रखरखाव के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार, इन गैर सरकारी संगठनों को पीटी के निर्माण हेतु ₹ 10.07 करोड़²⁶ का भुगतान किया गया था जिसके संबंध में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध निष्पादित नहीं किये गए थे।

²⁵ ₹ 15.11 लाख की कुल लागत का 10 प्रतिशत (₹ 1.52 लाख) गैर सरकारी संगठनों द्वारा साझा किया जाना था।

²⁶ अनंतनाग: ₹ 1.35 करोड़, बांदीपुर: ₹ 0.27 करोड़, बारामूला: ₹ 1.01 करोड़, डोरू: ₹ 0.53 करोड़, कुलगाम: ₹ 0.56 करोड़, कुपवाड़ा: ₹ 1.04 करोड़, मट्टन: ₹ 0.54 करोड़, शोपियां: ₹ 1.30 करोड़, सोपोर: ₹ 0.80 करोड़ और एसएमसी: ₹ 2.67 करोड़

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 21 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 में 75 पीटी के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने में 21 और 1,319 दिनों के मध्य का विलम्ब भी देखा। सात नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया कि विलंब वर्ष 2019-20 में लॉकडाउन के कारण हुआ था। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि 75 पीटी में से केवल सात को ही वर्ष 2019-20 में निष्पादन हेतु लिया गया था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, शोपियां ने स्वीकार किया (जून 2022) कि अनुबंध गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किए गए थे जो माननीय न्यायालय में प्रमाणित नहीं थे।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि अनुबंध स्व-सत्यापित नोटरी द्वारा तैयार किए गए थे, जो सरकार की प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत दस्तावेज थे। विभाग ने आगे बताया कि यूएलबी ने सूचना दी थी कि अनुबंधों को न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया था। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अनुबंधों की प्रतियाँ न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं थीं।

5.6.2 समय पर कार्यों को पूर्ण न करने पर ठेकेदारों पर ₹ 45.15 लाख की अर्थदंड का गैर-अधिरोपण/ कम अधिरोपण

पीटी के निर्माण हेतु आबंटन आदेश के नियम और शर्तों में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में आबंटन की तिथि से 90 दिनों से अधिक विलंब हेतु दो प्रतिशत प्रति माह की दर से अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि जेएमसी के संबंध में, गैर सरकारी संगठनों द्वारा 24 पीटी को पूरा करने में 13 दिनों और 1,103 दिनों के बीच की देरी थी। जेएमसी ने एनजीओ पर या तो कोई अर्थदंड नहीं लगाया था या 0.05 प्रतिशत से लेकर 0.15 प्रतिशत के बीच की कम दरों पर अर्थदंड लगाया था। इसके परिणामस्वरूप गैर सरकारी संगठनों पर ₹ 45.15 लाख का अर्थदंड गैर-अधिरोपित हुआ।

सीएओ, जेएमसी ने बताया (मार्च 2022) कि कोविड-19 के प्रसार और निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण, ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सके। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं है क्योंकि अधिकांश कार्य कोविड-19 के प्रसार से पहले निष्पादित किए गए थे।

5.6.3 बाधा मुक्त स्थलों का चयन नहीं करने के कारण सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर ₹ 20.36 लाख का अपव्यय

श्रीनगर नगर निगम में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 121 पीटी में से पाँच के निर्माण के लिए चयनित स्थल या तो विवादित थे या कार्यों के निष्पादन से पूर्व अन्य विभागों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इन पीटी के कार्यों को एसएमसी द्वारा ₹ 20.36 लाख की लागत से निष्पादित (फरवरी 2018 से अक्टूबर 2018) कराया गया था। निशात और शालीमार बाग में लिंटेल् स्तर तक पीटी के कार्यों को निष्पादित करने के पश्चात, जिला पुष्प कृषि अधिकारी ने कार्य को आगे निष्पादन की अनुमति देने से इनकार कर दिया (जून 2021) क्योंकि कार्यस्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत कार्यक्रम के तहत नामित किया गया था। ग्रीन पैच, बेमिना क्रॉसिंग पर पीटी के संबंध में काम रोक दिया गया था क्योंकि श्रीनगर विकास प्राधिकरण से एनओसी प्रतीक्षित था। गुरुद्वारा, रैनावाड़ी में पीटी के कार्य को छोड़ दिया गया था, जिसका कोई कारण अभिलेख में नहीं था। बॉयज हाई स्कूल, जदीबल में पीटी का काम विवाद के कारण रोक दिया गया था जिसके लिए माननीय न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश दिये थे। पीटी के निर्माण के लिए बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं कराने के परिणामस्वरूप ₹ 20.36 लाख का अपव्यय हुआ।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि एसएमसी ने रिपोर्ट दी थी कि शालीमार और निशात बागों में पीटी के संबंध में, पुष्प कृषि विभाग ने निर्माण कार्य शुरू होने पर कोई आपत्ति नहीं की थी, परंतु आपत्ति तब उठाई गई जब विभाग ने यूनेस्को को प्रस्तुत करने के लिए डोजियर तैयार किया। ग्रीन पैच बेमिना में पीटी के संबंध में यह कहा गया था कि पीटी का निर्माण एसडीए द्वारा ग्रेड सेपरेटर के कार्य को अनुमोदित करने और लेने से पहले शुरू किया गया था। रैनावाड़ी में गुरुद्वारे के संबंध में यह कहा गया कि सिख समुदाय में विवाद के कारण पीटी का काम जारी नहीं रखा जा सका। तथ्य यह है कि कार्यों के निष्पादन से पहले संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त नहीं किया गया था।



5.6.4 गैर सरकारी संगठनों द्वारा नौ पीटी के कार्यों का परित्याग

लेखापरीक्षा ने एसएमसी में पाया कि न तो गैर सरकारी संगठनों के साथ कोई अनुबंध निष्पादित किया गया था, न ही कार्य के विलंब/ गैर-निष्पादन के लिए अर्थदंड के संबंध में शर्तें और पीटी के रखरखाव के अनुबंध को अलग से निर्धारित किया गया था। गैर सरकारी संगठनों ने ₹ 58.64 लाख का व्यय करने के बाद नौ पीटी के निर्माण कार्यों को परित्याग किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परित्याग किए गए पीटी में से एक फल मंडी श्रीनगर के पास परिमपोरा बस अड्डा में था, जहां प्रतिदिन लगभग 5,000 से 7,000 व्यक्तियों की भारी भीड़ देखी जाती है।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि एसएमसी ने सूचित किया था कि एनजीओ को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है और शेष कार्य नियमित निविदा प्रक्रिया के बाद पूरा किया जाएगा।



5.6.5 गैर-कार्यात्मक/ गैर-परिचालन पीटी

एसएमसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 150 पीटी को कार्य आबंटन की तिथि से तीन माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य (2017-19) रखा गया था। इनमें से मात्र 121 पीटी पूर्ण किए गए थे, 12 पीटी का निर्माण प्रगति पर था, 14 पीटी को ठेकेदारों द्वारा बीच में ही छोड़ दिया गया था अथवा भूमि विवाद के कारण पूरा नहीं किया जा सका था और तीन पीटी का कार्य अभी शुरू होने थे। अक्टूबर 2021 तक इन 121 पीटी में से मात्र 74 पीटी कार्यात्मक थे तथा 47 पीटी गैर-कार्यात्मक थे। इन 47 पीटी के निर्माण पर ₹ 4.92 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा और उनके निर्माण पर किया गया ₹ 4.92 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि एसएमसी ने रिपोर्ट किया था कि अनुबंधों के अनुसार, एनजीओ ने पीटी के रखरखाव के लिए अपने निगरानी स्टाफ रखे थे और कुछ पीटी जिन्हें कुछ एनजीओ द्वारा ऑफ अवर्स के दौरान बंद रखा गया था, उन्हें लेखापरीक्षा टीम ने गैर-कार्यात्मक मान लिया था। आगे यह कहा गया कि एनजीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि ये पीटी चौबीसों घंटे खुले रहें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टिप्पणी पीटी के भौतिक सत्यापन के बारे में नहीं थी बल्कि एसएमसी के अभिलेखों पर आधारित थी जिसके अनुसार 47 पीटी गैर-कार्यात्मक थे।

5.6.6 ₹ 7.08 लाख का अतिरिक्त भुगतान

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹ 13.59 लाख प्रति पीटी की निर्दिष्ट राशि पर पीटी के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों को लगाया। तीन शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार पीटी²⁷ के संबंध में, गैर सरकारी संगठनों को ₹ 61.48 लाख निर्गत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.08 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुपवाड़ा ने कहा (जून 2022) कि ईई यूएलबी कश्मीर से प्राप्त विमोचन आदेश के अनुसार, राशि निर्गत की गई थी। जवाब

²⁷ अनंतनाग: एक, कुपवाड़ा: दो, शोपियां: एक

तथ्य पर आधारित नहीं है क्योंकि यूएलबी द्वारा गैर सरकारी संगठनों को केवल देय भुगतान किया जाना था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद शोपियां ने बताया (जून 2022) कि अतिरिक्त राशि की वसूली गैर सरकारी संगठन से की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद अनंतनाग ने बताया (जून 2022) कि पीटी के निर्माण हेतु आदेशों में लाभार्थी अंशदान की कटौती का कोई उल्लेख नहीं था और बिल इंजीनियरिंग विंग द्वारा तैयार किए गए थे। उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं है क्योंकि गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति हेतु नामिकायन आदेश के अनुसार, पीटी के निर्माण हेतु गैर सरकारी संगठनों को केवल ₹ 13.59 लाख देय था।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि डीयूएलबीके ने रिपोर्ट किया था कि जिला अस्पताल अनंतनाग में पीटी के संबंध में किए गए ₹ 2.46 लाख के अतिरिक्त भुगतान के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी तथा अन्य यूएलबी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान रिपोर्ट नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि कुपवाड़ा और शोपियां में दो अन्य पीटी के संबंध में भी अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

5.6.7 सार्वजनिक शौचालयों का भौतिक सत्यापन

नमूना जाँच किए गए 21 शहरी स्थानीय निकायों में, 173 चयनित पीटी में से, इन शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों में 155 पीटी (90 प्रतिशत) को कार्यात्मक, 12 पीटी को अपूर्ण और छह को गैर-कार्यात्मक रूप में दर्शाया गया था।

पीटी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ देखा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत निर्मित अधिकांश पीटी या तो गैर-कार्यात्मक थे या रखरखाव के बिना कार्यात्मक थे। सरकारी कार्यालयों और धार्मिक स्थानों पर निर्मित पीटी के दृष्टांत थे जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे। भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

- रखरखाव के साथ केवल 44 पीटी (25 प्रतिशत) कार्यात्मक थे। वैध रूप से प्रवर्तन करने योग्य अनुबंधों के गैर-निष्पादन के कारण, रखरखाव के प्रावधान को प्रवर्तन नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 21 पीटी (12 प्रतिशत) जिनमें ₹ 2.85 करोड़ खर्च किया गया था, रखरखाव के बिना कार्यात्मक थे, 91 पीटी

(53 प्रतिशत) जिनमें ₹ 11.22 करोड़ खर्च किया गया था, गैर-कार्यात्मक/ बंद थे और 17 पीटी (10 प्रतिशत) जिनमें ₹ 1.09 करोड़ खर्च किया गया था अपूर्ण या परित्यक्त थे।

- धार्मिक स्थलों के अंतर्गत निर्मित 41 पीटी और सरकारी कार्यालयों के परिसर में निर्मित आठ पीटी आम जनता के लिए आसानी से सुलभ नहीं थे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पंथा चौक और शाल्टेंग बायपास के बीच, जिला न्यायालय परिसर के रास्ते में बटमालू और बेमिना के बीच तथा एसएमसी कार्यालय से एसकेआईएमएस, सौरा के बीच भारी भीड़ वाले स्थानों पर कोई पीटी नहीं पाया गया। अनंतनाग, श्रीनगर, सोपोर और बारामूला के रेलवे स्टेशनों पर एक भी पीटी का निर्माण नहीं किया गया था।

- गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, रैनावाड़ी में पीटी के संबंध में, समिति के सदस्यों ने भौतिक सत्यापन/ लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान कहा कि पीटी के निर्माण हेतु स्थान को एसएमसी द्वारा उनकी सहमति के बिना एकतरफा चुना गया था। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उन्हें भवन के निर्माण हेतु स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए प्लिंथ स्तर तक निर्मित संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था।

- सरकारी अस्पताल, राजौरी के सामने का पीटी जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त पाया गया क्योंकि यह सड़क संरक्षण के तहत आ रहा था जिससे ₹ 13.59 लाख का अपव्यय हुआ।

- केवल पाँच पीटी में महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार था। किसी भी पीटी में बच्चे की देखभाल और मासिक धर्म स्वच्छता का प्रावधान नहीं था। 121 पीटी में दिव्यांगजनों हेतु रैंप की कोई सुविधा नहीं थी। 91 पीटी मुख्य सड़क/ लेन से दिखाई नहीं दे रहे थे। 125 पीटी में उपयोगकर्ता शुल्क को दर्शाने वाला साइनबोर्ड प्रदर्शित नहीं था। रखरखाव लागत को कम करने के लिए किसी भी पीटी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सौर पैनल नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा अधूरे छोड़े गए पीटी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बांदीपोरा द्वारा रखरखाव कार्यों को पे एंड यूज के आधार पर आउटसोर्सिंग द्वारा कार्यात्मक और परिचालित किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि पीटी को कार्यात्मक बनाने हेतु अन्य नगर निगमों द्वारा इसी तरह के प्रयास नहीं किए गए थे।

निदेशक वित्त, एचएंडयूडी ने कहा (अगस्त 2022) कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में निर्मित कुल 530 पीटी में से 528 पीटी कार्यात्मक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 108 पीटी (जो भौतिक जाँच के दौरान गैर-कार्यात्मक/ परित्यक्त पाए गए थे) के कार्यात्मक होने के इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उत्तर के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

5.7 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों ने व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया था। कार्य की प्रगति का बारीकी से अनुवीक्षण नहीं किया गया था और कोई अनुवीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं था। भौतिक सत्यापन हेतु चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों में 942 चयनित आईएचएचएल में से केवल 10 प्रतिशत ही कार्यात्मक पाए गए। 664 आईएचएचएल के निर्माण के संबंध में गैर सरकारी संगठनों को ₹ 116.48 लाख का संदिग्ध भुगतान किया गया था और 522 आईएचएचएल के संबंध में ₹ 91.30 लाख का अनुत्पादक व्यय था। भौतिक रूप से सत्यापित 90 प्रतिशत पीटी को अभिलेखों में कार्यात्मक दर्शाया गया था, परन्तु वास्तव में केवल 25 प्रतिशत प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के साथ कार्यात्मक थे, 12 प्रतिशत प्रचालन और अनुरक्षण के बिना कार्यात्मक थे, 53 प्रतिशत गैर-कार्यात्मक/ बंद थे और 10 प्रतिशत अपूर्ण, परित्यक्त और ध्वस्त थे।

5.8 अनुशंसाएं

- विभाग व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करे।
- आईएचएचएल के निर्माण की भौतिक प्रगति का बारीकी से अनुवीक्षण किया जाए और निर्माण के विभिन्न चरणों में फोटोग्राफिक साक्ष्य को अभिलेख में रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आईएचएचएल वास्तव में निर्मित और कार्यात्मक हैं।
- आईएचएचएल के निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि के संबंध में जिम्मेदारियां तय की जाएं और जिम्मेदार पार्टियों से वसूली की जाए, जहाँ निर्माण में कमियाँ एवं/ अथवा अनियमितताएँ देखी गई थीं।

- यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाए कि निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रचालन और अनुरक्षण के साथ कार्यात्मक हैं।
- सार्वजनिक शौचालयों को धार्मिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों के परिसरों में निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिये, जो आम जनता के लिए आसानी से सुलभ नहीं हैं।
- सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का उन स्थानों पर विचार किया जाए, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर के अंदरूनी हिस्सों सहित भारी संख्या में लोग आते हैं।

अध्याय VI

सिविल विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा
कंडिका

अध्याय VI: सिविल विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

राज्य कर विभाग

6.1 टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारी, राज्य कर सर्कल-एच, जम्मू द्वारा लेखांकन वर्षों 2014-15 से 2017-18 (07 जुलाई 2017 तक) हेतु दो व्यापारियों के आंकलन के समय सही दरों पर कर उद्ग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹ 4.49 करोड़ के कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर में सेवाओं का कराधान जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू (08 जुलाई 2017) होने तक जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर (जीएसटी) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत लगाया जाता था। जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, एक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित दरों पर कर योग्य टर्नओवर पर कर का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर, ब्याज का भुगतान भी वास्तविक तिथि से जिस तिथि से कर देय था, उद्ग्राह्य था।

वित्त विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ज्ञापन एसआरओ 117 दिनांक 30 मार्च 2007 द्वारा 'बैंक्वेट हॉल सर्विसेस'¹ और 'केटरिंग सर्विसेस' को जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कर योग्य किया जाना ज्ञापित किया गया था। ये सेवाएँ, 01 अप्रैल 2010 से 10 प्रतिशत और 01 अप्रैल 2015 से 12 प्रतिशत की दर और साथ में उस पर पाँच प्रतिशत के अधिभार सहित कर योग्य थी। राज्य कर अधिकारी, सर्कल-एच, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवंबर 2019) निम्नानुसार प्रकट करती है:

(I) वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 (07 जुलाई 2017 तक) हेतु खाद्य तथा सिगरेट की बिक्री के कारण जम्मू एवं कश्मीर मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की धारा 37 के अंतर्गत तथा शराब की बिक्री के कारण जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 की धारा 7(6) के अंतर्गत एक व्यापारी का

¹ बैंक्वेट एक स्थान है जहाँ भोजन/ औपचारिक भोजन/ रात्रिभोज का आयोजन किसी आधिकारिक/ सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है। "बैंक्वेट" के संबंध में व्यापार या व्यवसाय में स्थान/ हॉल, क्रॉकरी/ कटलरी, टेंट, वेटर प्रभार, सजावट, संगीत/ डिस्क जॉकी इत्यादि सम्मिलित हैं; तथा स्पष्ट तौर पर उक्त सभी सेवाओं का उपयोग करते हुए भोजन को परोसा जाता है।

आंकलन किया गया। व्यापारी ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 (07 जुलाई 2017 तक) हेतु अपने लाभ व हानि खातों में ₹ 11.93 करोड़ की बिक्री को दर्शाया, जिसमें ₹ 8.79 करोड़ की 'बैंकवेट बिक्री' सम्मिलित थी। ₹ 8.79 करोड़ की सीमा तक 'बैंकवेट बिक्री' को जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 'बैंकवेट हॉल सर्विसेस' तथा 'केटरिंग सर्विसेस' हेतु निर्धारित दरों पर कर का प्रभार किया जाना था। तथापि, इन्हें पाँच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 104.67 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। ₹ 88.71 लाख (लेखापरीक्षा संवीक्षा की तिथि तक) का ब्याज भी उद्ग्रह्य था। इस प्रकार, कर तथा ब्याज की कुल ₹ 1.93 करोड़ की राशि के रूप में कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने के पश्चात्, निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का पुनः आंकलन (अक्टूबर 2021) किया और उससे ₹ 2.48 करोड़² की माँग की।

(II) वर्ष 2016-17 हेतु जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 की धारा 7(6) के अन्तर्गत शराब की बिक्री के कारण तथा जम्मू और कश्मीर मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की धारा 37 के अन्तर्गत खाद्य एवं सिगरेट की बिक्री के कारण, एक अन्य व्यापारी का आंकलन (अप्रैल 2018) किया गया जो कि शराब, खाद्य तथा सिगरेट की बिक्री हेतु पंजीकृत था। वर्ष 2016-17 हेतु व्यापारी ने अपने व्यापार लेखे में ₹ 11.97 करोड़ की बिक्री को दर्शाया, जिसमें ₹ 5.45 करोड़ की 'बैंकवेट खाद्य बिक्री' सम्मिलित थी। वर्ष 2016-17 के दौरान अप्रैल 2018 में वर्ष 2016-17 हेतु व्यापारी का आंकलन करते हुए ₹ 5.45 करोड़ की सीमा तक 'बैंकवेट खाद्य बिक्री' को जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 12.6 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 68.65 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। ₹ 43.94 लाख (लेखापरीक्षा संवीक्षा की तिथि तक) का ब्याज भी उद्ग्रह्य था। इस प्रकार ₹ 1.13 करोड़ की कुल राशि का कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने के पश्चात्, निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का पुनः आंकलन (फरवरी 2022) किया और ₹ 1.54 करोड़³ की माँग की।

² कर: ₹ 104.67 लाख तथा ब्याज: ₹ 143.64 लाख

³ कर: ₹ 68.65 लाख; तथा ब्याज: ₹ 85.13 लाख

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि व्यापारी ने डिस्क जॉकी (डीजे)/ सजावट प्रभार, गेम जोन बिक्री तथा सेवा प्रभार नियोक्ता अंश के कारण ₹ 1.66 करोड़⁴ की 'प्रत्यक्ष आय' को भी उद्घोषित किया। व्यापारी द्वारा दर्शाई गई व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त यह प्रत्यक्ष आय तथा बैंकवेट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित यह प्रभार वास्तव में इसकी कुल बिक्री थी तदनुसार जम्मू एवं कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 12.6 प्रतिशत की दर से कर को बढ़ावा दिया। निर्धारण प्राधिकारी (एए) ने वर्ष 2016-17 के लिए व्यापारी का आंकलन करते हुए अप्रैल 2018 में ₹ 1.66 करोड़ की इस प्रत्यक्ष आय पर 'बैंकवेट हॉल सेवाओं' के भाग के रूप में कर नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.32 लाख⁵ की राशि का कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का पुनः आंकलन (फरवरी 2021) किया और ₹ 1.66 करोड़ के छूटे हुए कुल टर्नओवर पर ₹ 46.88 लाख⁶ की माँग की।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी, राज्य कर सर्कल एच, जम्मू के कर के उद्ग्रहण का सही दर का पता लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.49 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामले को सरकार को सौंपा (फरवरी 2022) गया। तथापि, उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) था।

6.2 खरीद के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य कर सर्कल-सी, एल, जे जम्मू तथा सर्कल-आई उधमपुर में व्यापारियों द्वारा की गई अंतर्राज्यीय खरीद के छिपाव का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड को समेकित करते हुए ₹ 80.20 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके), मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की धारा 42(1) उपबंध करती है कि, जब किसी व्यापारी का किसी वर्ष या उसके किसी भाग

⁴ डिस्क जॉकी तथा साज-सज्जा प्रभार: ₹ 136.76 लाख, गेम जोन बिक्री: ₹ 11.12 लाख तथा सेवा प्रभार नियोक्ता अंशदान: ₹ 18.21 लाख

⁵ कर: ₹ 20.93 लाख; ब्याज: ₹ 13.39 लाख

⁶ कर: ₹ 20.93 लाख; तथा ब्याज: ₹ 25.95 लाख

हेतु अधिनियम की धारा 37 से 40 के अन्तर्गत आंकलन करने के पश्चात् यदि निर्धारण प्राधिकारी को लगता है कि व्यापारी के कुल टर्नओवर का सम्पूर्ण या कोई भाग आंकलन से बच गया है या कम आंकलन किया है, तो निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी को नोटिस दे सकता है तथा उसे सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करने और ऐसी पूछताछ करने जैसा कि वह आवश्यक समझे के उपरांत, उचित निर्णय के आधार पर मूल्यांकन करेगा और ऐसे टर्नओवर के संबंध में व्यापारी द्वारा देय कर राशि का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 69(1)(एफ)(vi) अनुबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने टर्नओवर को छिपाता है या उसका गलत विवरण प्रदान करता है, उपयुक्त अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अर्थदंड के माध्यम से शुल्क या कर के अतिरिक्त, कर अपवंचन के प्रयास की राशि के दोगुना राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 से 40 के अन्तर्गत भुगतान में त्रुटि करने के लिए व्यापारी ऐसी राशि पर अधिनियम की धारा 51(4) के अन्तर्गत प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(I) राज्य कर अधिकारी, सर्कल-‘सी’ तथा सर्कल-‘एल’ जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (दिसंबर 2017 तथा सितंबर 2018) ने प्रकट किया कि दो पंजीकृत व्यापारियों ने क्रमशः वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 हेतु अपने व्यापार लेखे में ₹ 295.70 लाख⁷ की अंतर्राज्यीय खरीदों को दर्शाया था। वर्ष 2013-14 हेतु सर्कल ‘सी’ जम्मू व्यापारी के खरीद लेखे के साथ राज्य कर जाँच चौकी लखनपुर/ सी फॉर्म उपभोग के अंतर्राज्यीय खरीदों के विवरण के परस्पर सत्यापन ने दर्शाया कि व्यापारी द्वारा ₹ 29.38 लाख की खरीद का लेखांकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सर्कल ‘एल’ जम्मू में व्यापारी द्वारा ₹ 9.49 लाख मूल्य की खरीद का छिपाव किया गया। खरीदों के छिपाव तथा अनुवर्ती ₹ 44.69 लाख⁸ के कारोबार के दमन के परिणामस्वरूप ₹ 12.36 लाख⁹ तक की राशि के कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण हुआ। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रमशः फरवरी 2017 तथा नवंबर 2017 में व्यापारियों का आंकलन करते हुए खरीदों के छिपाव को परिलक्षित नहीं किया जा सका।

⁷ सर्कल सी - ₹ 208.54 लाख; सर्कल एल- ₹ 87.16 लाख

⁸ सर्कल सी - ₹ 33.78 लाख; सर्कल एल- ₹ 10.91 लाख

⁹ कर: ₹ 3.16 लाख; ब्याज; ₹ 2.87 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 6.33 लाख

(II) राज्य कर अधिकारी, सर्कल-‘जे’, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2019/ फरवरी 2020) ने प्रकट किया कि एक व्यापारी ने लेखांकन वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 हेतु न तो बिक्री/ खरीद के विवरण की सूचना दी और न ही इन वर्षों के लिए उसका आंकलन किया गया। निर्धारण प्राधिकारी ने एक पक्षीय आधार पर वर्ष 2015-16 हेतु व्यापारी का आंकलन करते हुए वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कर योग्य कारोबार (टीटीओ) को निश्चित करने के लिए इन तथ्यों को सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, टीटीओ को त्रुटिपूर्ण ढंग से निश्चित किया गया, क्योंकि लखनपुर जाँच चौकी तथा ईटीओ पंजाब की जालंधर विंग के आयात फोल्डर में दर्ज एक समान खरीदों की उपेक्षा की गई तथा मात्र उन खरीदों को लिया गया जो दोनों फोल्डर में नहीं थे। लखनपुर जाँच चौकी/ ईटीओ पंजाब की जालंधर विंग के आयात फोल्डर की कंप्यूटरीकृत खरीद विवरणों तथा व्यापारी द्वारा प्रदान किए गए वैट 65 फॉर्म के उपभोग विवरण के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रमशः वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लेखांकन वर्षों के लिए ₹ 2.09 लाख, ₹ 33.53 लाख तथा ₹ 17.36 लाख तक की राशि की खरीदों को व्यापारी द्वारा छिपाया गया जो निर्धारण प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आ पाया था। इन खरीदों के छिपाव तथा अनुवर्ती कारोबार के दमन के परिणामस्वरूप ₹ 11.42 लाख¹⁰ की राशि तक के कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात्, निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारियों का पुनः आंकलन (मार्च 2019, मार्च 2020 तथा मार्च 2021) किया और ₹ 98.18 लाख के टर्नओवर के छिपाव की पुष्टि की तथा ₹ 25.24 लाख¹¹ की माँग की।

(III) राज्य कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू तथा सर्कल-आई, ऊधमपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (सितंबर 2018 तथा जनवरी 2020) ने प्रकट किया कि तीन पंजीकृत व्यापारियों ने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 हेतु अपनी वार्षिक विवरणी और व्यापार लेखाओं में क्रमशः ₹ 3.41 करोड़, ₹ 20.78 करोड़ (सर्कल-एल) तथा ₹ 53.72 लाख (सर्कल-आई) की अंतर्राज्यीय खरीदों को दर्शाया। राज्य कर जाँच चौकी लखनपुर/ सी फॉर्म उपभोग के खरीद विवरण सहित अंतर्राज्यीय खरीदों के विवरण के परस्पर सत्यापन ने दर्शाया कि ₹ 36.21 लाख, ₹ 56.32 लाख तथा ₹ 10.48 लाख की खरीदों का अंतर्राज्यीय खरीद विवरणों में शामिल नहीं किया था। इसके

¹⁰ कर: ₹ 2.91 लाख; ब्याज: ₹ 2.68 लाख; तथा अर्थदण्ड: ₹ 5.83 लाख

¹¹ कर: ₹ 5.84 लाख; ब्याज: ₹ 7.43 लाख; तथा अर्थदण्ड: ₹ 11.97 लाख

परिणामस्वरूप खरीदों के छिपाव तथा ₹ 1.18 करोड़ के कारोबार के अनुवर्ती दमन, एवं ₹ 26.67 लाख¹² की राशि का कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण का मार्ग प्रशस्त हुआ। निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रमशः अक्टूबर 2017, फरवरी 2018 तथा मार्च 2019 में व्यापारियों का आंकलन करते हुए खरीदों के छिपाव पर ध्यान नहीं दिया।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों का पुनः आंकलन (मार्च 2020 तथा अक्टूबर 2020) किया तथा ₹ 26.39 लाख¹³ की माँग की।

(IV) राज्य कर, सर्कल-एल, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (सितंबर 2018) ने प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 3.87 करोड़ के बिक्री टर्नओवर पर एक व्यापारी का आंकलन (जनवरी 2018) किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए वैट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वैट 52-53) के साथ डीलर द्वारा दाखिल की गई व्यापारिक लेखे और वार्षिक विवरणी के परस्पर सत्यापन से पता चला है कि आवक स्टॉक में ₹ 25.04 लाख¹⁴ की भिन्नता थी। निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2018 में व्यापारी का आंकलन करते हुए विसंगति की ओर ध्यान नहीं दिया जिससे ₹ 28.79 लाख के कारोबार के कम निर्धारण तथा परिणामस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड को समेकित करते हुए ₹ 14.85 लाख¹⁵ के कम उद्ग्रहण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2018), निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का पुनः आंकलन (मार्च 2020) किया तथा ₹ 28.97 लाख के छिपाए गए टर्नओवर पर ₹ 16.48 लाख¹⁶ की माँग (मार्च 2020) की।

(V) राज्य कर अधिकारी, सर्कल-जे, जम्मू के अभिलेखों (जनवरी 2019) की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि कॉपर वायर, कॉपर केबल तथा कॉपर बस बार (13.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य) जैसी मदों के व्यापार हेतु पंजीकृत किए गए एक व्यापारी को 13.5 प्रतिशत की बजाय पाँच प्रतिशत के अन्तर्गत ₹ 21.52 लाख के बिक्री टर्नओवर को त्रुटिपूर्ण ढंग से वर्गीकृत किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी

¹² कर: ₹ 6.95 लाख; ब्याज; ₹ 5.82 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 13.90 लाख

¹³ कर: ₹ 6.36 लाख; ब्याज: ₹ 7.31 लाख; तथा अर्थदण्ड: ₹ 12.72 लाख

¹⁴ व्यापार खाते के अनुसार स्टॉक आवक: ₹ 480.60 लाख; वैट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्टॉक आवक: ₹ 505.64 लाख

¹⁵ कर: ₹ 3.89 लाख; ब्याज : ₹ 3.19 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 7.77 लाख

¹⁶ कर: ₹ 3.89 लाख; ब्याज: ₹ 4.82 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 7.77 लाख

पाया कि व्यापारी की सभी खरीदें अंतर्राज्यीय खरीदें थीं परंतु न तो भाड़ा और न ही टोल चार्ज उसके ट्रेडिंग खाते में प्रतिबिम्बित हुआ जिससे कि ₹ 13.57 लाख के बिक्री टर्नओवर के दमन का मार्ग प्रशस्त किया। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण तथा कारोबार के दमन का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.95 लाख¹⁷ की राशि तक कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड की कम माँग हुई। इसके इंगित किए जाने पर (जनवरी 2019), निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का पुनः आंकलन (दिसंबर 2019) कर व्यापारी के विरुद्ध ₹ 12.09 लाख¹⁸ की माँग की।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारियों के बिक्रियों के सही आंकलन तथा कर की सही दर के अनुप्रयोग में विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड को समेकित करते हुए ₹ 80.20 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामले को सरकार को भेजा (नवंबर 2021 तथा दिसंबर 2021) गया। तथापि, उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) था।

आवास एवं शहरी विकास विभाग

6.3 स्थल की नीलामी में विलंब तथा परिणामस्वरूप किराये की गैर वसूली के कारण संभावित हानि

न्यूनतम आरक्षित किराये के निर्धारण के पश्चात् नीलामी द्वारा दुकानों/ स्थानों को किराये पर देने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ की संभावित हानि हुई।

जम्मू एवं कश्मीर आर्थिक पुनर्गठन अभिकरण द्वारा लाल चौक में निर्मित बहु-स्तरीय मशीनीकृत कार पार्किंग (एमएलसीपी) को मई 2017 में श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए) को सौंपा गया। भवन में कुछ वाणिज्यिक स्थान¹⁹ भी सम्मिलित थे, जिन्हें किराये पर दिया जाना था। एसडीए की नीलामी समिति ने अपनी बैठक (अक्टूबर 2017) में उपलब्ध स्थानों की नीलामी करने का निर्णय लिया, एवं तदनुसार भवन के प्रत्येक तल का न्यूनतम आरक्षित किराया²⁰ निर्धारित किया जिसे प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना था। किराये के निर्धारण के

¹⁷ कर: ₹ 3.66 लाख; ब्याज: ₹ 3.63 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 3.66 लाख

¹⁸ कर: ₹ 3.66 लाख; ब्याज: ₹ 4.76 लाख; अर्थदण्ड: ₹ 3.67 लाख

¹⁹ 1. प्रत्येक भूतल पर (पृष्ठ भाग की ओर) 82.85 वर्ग फुट (व.फु.) की पाँच दुकानें; 2. भूतल स्थान: 2,473 वर्गफुट; 3. प्रथम तल स्थान: 4,647 वर्गफुट; 4. द्वितीय तल स्थान: 4,647 वर्गफुट

²⁰ भूतल, प्रथम तथा द्वितीय तल हेतु क्रमशः ₹ 120, ₹ 110 तथा ₹ 80 प्रति वर्गफुट प्रति माह

परिणामस्वरूप, एमएलसीपी भवन की दुकानों/ स्थानों के आबंटन के लिए एसडीए को ₹ 12.41 लाख प्रति माह न्यूनतम किराया प्राप्त होना था, जिसके लिए विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। तथापि, उपाध्यक्ष, एसडीए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2021) ने प्रकट किया कि नीलामी में तीन वर्षों की देरी के कारण विभाग को ₹ 2.70 करोड़²¹ के किराये की संभावित हानि हुई, जिस पर इस प्रकार चर्चा की गई है:

एसडीए के निदेशक बोर्ड (बीओडी) ने अपनी 77^{वीं} बैठक (अक्टूबर 2018) में निदेश दिया कि एमएलसीपी भवन के स्थान का आबंटन संभावित आबंटियों को नीलामी समिति द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। आगे यह भी निदेश दिया गया कि एक पारदर्शी ढंग से प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए, उसके तौर-तरीकों को वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ परामर्श करके वित्त आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। विभाग द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई तथा बीओडी को इसकी 78^{वीं} बैठक में (अक्टूबर 2019) सूचित किया गया कि वित्त समिति बैठक के पश्चात् उपलब्ध स्थानों को नीलामी में रखा जाएगा। प्रशासनिक तौर-तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण वित्त समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका इसलिए बीओडी के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2021 तक कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात्, बीओडी ने अपनी 79^{वीं} बैठक में (जनवरी 2021) ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से एमएलसीपी भवन की दुकानों/ स्थानों की नीलामी की स्वीकृति प्रदान की तथा निजी पार्टियों के पक्ष में स्थानों/ दुकानों को आबंटित (नवंबर 2021) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2017 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान नीलामी के तौर-तरीकों को विभाग द्वारा तैयार नहीं किये जाने के कारण विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ अभिकरणों से प्राप्त मांग पर एसडीए द्वारा एमएलसीपी के स्थान के आबंटन के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस प्रकार विभाग ने स्थानों/ दुकानों के आबंटन के लिए तौर-तरीकों को स्वीकृति प्रदान करने में तीन साल से अधिक का

²¹ 248.55 वर्ग फुट की भूतल पर तीन दुकानों के लिए ₹ 150 प्रति वर्ग की दर से 15 माह के लिए निश्चित माँगों के आधार पर परिकल्पित: ₹ 0.05 करोड़, प्रथम तल 4,647 वर्ग फुट का हॉल/ स्थल ₹ 110 प्रति वर्ग फुट की दर से प्रति माह 30 माह के लिए: ₹ 1.53 करोड़ तथा द्वितीय तल 4,647 वर्ग फुट का हॉल/ स्थल ₹ 80 प्रति वर्ग फुट की दर से प्रति माह 30 माह के लिए: ₹ 1.12 करोड़

समय लिया तथा अक्टूबर 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान किराये की गैर-वसूली के कारण ₹ 2.70 करोड़ की संभावित हानि को सहना पड़ा।

जनवरी 2022 में मामले को सरकार/ विभाग को भेजा गया। उपाध्यक्ष (वीसी), श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने कहा (जून 2022) कि यद्यपि तौर-तरीकों की स्वीकृति में कुछ प्रक्रियात्मक विलंब हो सकता है, किंतु इसे बहुस्तरीय मशीनीकृत कार पार्किंग भवन की दुकानों की नीलामी में विलंब करने के लिए एसडीए द्वारा जान बूझ कर किए गए प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है। तथापि, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) था।

गृह विभाग

6.4 पुलिस कार्मिकों को एक महीने के अतिरिक्त वेतन के कारण अस्वीकार्य भुगतान

नगरपालिका/ पंचायत चुनाव, 2018 के संचालन के दौरान गृह विभाग द्वारा 483 पुलिस कार्मिकों के संबंध में, जिन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए परिनियोजित नहीं किया गया था, को एक माह के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने की अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्मिकों के संबंध में जिन्हें नगरपालिका/ पंचायत चुनाव, 2018 या दोनों के संचालन हेतु, यथास्थिति एक माह का अतिरिक्त वेतन/ मेहनताना/ पारिश्रमिक हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

गृह विभाग के छह²² आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों (दिसंबर 2020 से जून 2021 तक) की लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि 483²³ पुलिस कार्मिकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन का अनियमित रूप से भुगतान किया गया, जिन्हें नगरपालिका/ पंचायत चुनाव, 2018 के संचालन के लिए परिनियोजित नहीं किया गया था, क्योंकि जिन महीनों में चुनावों का आयोजन किया जाना था उस दौरान वे अपने संबंधित जिलों में और जिलों से बाहर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) और अन्य

²² 1. एसएसपी जम्मू, 2. एसएसपी राजौरी, 3. एसएसपी डोडा, 4. एसएसपी रियासी, 5. एसएसपी कठुआ तथा 6. कमांडेंट आईआर- द्वितीय वाहिनी, राजौरी

²³ एसएसपी जम्मू: 355; एसएसपी राजौरी: 48; एसएसपी कठुआ: 40; एसएसपी रियासी: 20; एसएसपी डोडा एसएसपी: 16; तथा कमांडेंट आईआर - द्वितीय वाहिनी, राजौरी: 4

संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप 483 कर्मचारियों के संबंध में ₹ 1.58 करोड़²⁴ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित (दिसंबर से जून 2021) किए जाने पर, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), जम्मू तथा राजौरी, एसएसपी डोडा तथा कमांडेंट आईआर द्वितीय वाहिनी, राजौरी के कार्यालयों ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार (सितंबर 2021) किया और कहा कि भुगतान त्रुटिवश किया गया तथा उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली को आरंभ किया जाएगा। लेखा अधिकारी, एसएसपी कार्यालय, रियासी ने कहा (सितंबर 2021) कि उक्त कर्मचारियों के संबंध में मई 2021 के वेतन से वसूली का आरंभ²⁵ किया जा चुका था।

इस प्रकार, नगरपालिका/ पंचायत चुनाव, 2018 के संचालन के दौरान पुलिस कार्मिक, जिन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए परिनियोजित नहीं किया गया था, को एक माह के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने की गृह विभाग की अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

मामले को जनवरी 2022 में सरकार को सौंपा गया। वित्त सलाहकार/ सीएओ गृह विभाग ने कहा (मई 2022) कि ₹ 1.58 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के विरुद्ध ₹ 1.10 करोड़ की राशि की वसूली की गई। आगे, यह कहा गया कि एसएसपी जम्मू, एसएसपी डोडा तथा एसएसपी, राजौरी ने 75 प्रतिशत से अधिक की वसूली की तथा बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया में थे।

लोक निर्माण विभाग

6.5 पर्यवेक्षण प्रभारों की गैर-वसूली

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के निर्माण कार्यों के संबंध में दो निर्माण कार्य निष्पादन प्रभागों की वर्तमान नियमों के पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन प्रभागों द्वारा पर्यवेक्षण प्रभारों की गैर-कटौती के कारण ₹ 1.61 करोड़ की हानि हुई।

जम्मू एवं कश्मीर लोक निर्माण लेखा संहिता (जेकेपीडबल्यूएसी) के परिशिष्ट 03 का नियम 4-अन्य सरकारों या स्वायत्त निकायों, राज्य स्वामित्व निगमों इत्यादि या ऐसे

²⁴ एसएसपी जम्मू: ₹ 114.10 लाख; एसएसपी राजौरी: ₹ 15.98 लाख; एसएसपी कठुआ: ₹ 13.78 लाख; एसएसपी रियासी: ₹ 7.27 लाख; एसएसपी डोडा: ₹ 5.72 लाख; तथा कमांडेंट आईआर- द्वितीय वाहिनी, राजौरी: ₹ 1.29 लाख

²⁵ ₹ 5,000 प्रति माह

कार्य जिनके संबंध में राज्य सरकार अपनी लागत अन्य सरकारों या निकायो से प्राप्त करती है, उन मामलों में स्थापना और यंत्रों तथा संयंत्र की लागत की वसूली प्रतिशत आधार²⁶ पर की जानी चाहिए जब तक कि सरकार के विशेष आदेश इसके विपरीत न हो।

कार्यपालक अभियंता (ईई), आरण्डबी प्रभाग, बांदीपोर तथा ईई, विशेष उप प्रभाग, गुरेज के अभिलेखों (अगस्त 2020) की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि किशन गंगा परियोजना से संबंधित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) के ₹ 33.43 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 26 पुनर्वास तथा विकास कार्य, जिला विकास आयुक्त, बांदीपोर के माध्यम से इन प्रभागों को निष्पादन हेतु सौंपा (फरवरी 2013 तथा जून 2017) गया था। इन कार्यों के निष्पादन पर इन प्रभागों द्वारा ₹ 20.17 करोड़²⁷ का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि इन कार्यों के संबंध में कोई विशेष छूट नहीं थी, तथापि पूर्वोक्त नियमों के उल्लंघन में दो प्रभागों ने इन कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में पर्यवेक्षण प्रभारों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप एनएचपीसी से ₹ 1.61 करोड़²⁸ की गैर-वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसके इंगित किए जाने के पश्चात् कार्यपालक अभियंता विशेष उप प्रभाग गुरेज तथा आरण्डबी प्रभाग बांदीपोर ने (दिसंबर 2021) कहा कि पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली का मामला एनएचपीसी के समक्ष उठाया जाएगा। यह भी कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार के निर्माण कार्यों के आंकलन में पर्यवेक्षण प्रभारों का प्रावधान किया जाएगा।

इस प्रकार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के निर्माण कार्यों के संबंध में दो निर्माण कार्य निष्पादन प्रभागों की वर्तमान नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन प्रभागों द्वारा पर्यवेक्षण प्रभारों की गैर-कटौती के कारण ₹ 1.61 करोड़ की हानि हुई।

²⁶ स्थापना प्रभार: 7½ प्रतिशत तथा यंत्र एवं संयंत्र प्रभार: ½ प्रतिशत; जम्मू एवं कश्मीर लोक निर्माण लेखा संहिता के परिशिष्ट के नियम पाँच के अनुसार

²⁷ बांदीपुर प्रभाग: सितंबर 2013 से जुलाई 2020 तक ₹ 12.40 करोड़ तथा गुरेज प्रभाग: जून 2018 से मार्च 2021 तक ₹ 7.77 करोड़

²⁸ स्थापना मूल्य: ₹ 1.51 करोड़ (₹ 20.17 करोड़ का 7.5 प्रतिशत) तथा यंत्र एवं संयंत्र प्रभार: ₹ 0.10 करोड़ (₹ 20.17 करोड़ का 0.5 प्रतिशत)

मामले को फरवरी 2022 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) था।

समाज कल्याण विभाग

6.6 अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु किराये पर ली गई छात्रावास इमारत के किराया, अनुरक्षण तथा समारक्षण पर परिहार्य अपव्यय

जम्मू एवं कश्मीर राज्य परामर्शदात्री बोर्ड के सितंबर 2014 से मार्च 2021 तक छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने की विद्यार्थियों की इच्छा संबंधी सर्वेक्षण कराए बिना तथा माँग की कमी के बावजूद दो निजी भवनों को छात्रावास के रूप में किराये पर लेने के विवेकहीन निर्णय के परिणामस्वरूप किराये पर लिए गए छात्रावास के किराये, अनुरक्षण तथा समारक्षण पर ₹ 66.05 लाख का परिहार्य अपव्यय हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य ओबीसी²⁹ कल्याण एवं विकास परामर्शदात्री बोर्ड (इसके पश्चात् बोर्ड के रूप में संदर्भित) ने अपनी द्वितीय बैठक में ओबीसी विद्यार्थियों हेतु छात्रावास को किराये पर लेने का निर्णय (अप्रैल 2012) लिया। निर्णय के पीछे कथित लक्ष्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से वहनीय सुविधाओं को प्रदान करना था, जिनके निवास स्थानों के निकट शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं। बोर्ड ने निर्णय लिया कि जब तक छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि को चिन्हित नहीं किया जाता, इन्हें किराये पर लिए गए भवनों में चलाया जाना था।

सचिव, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ओबीसी कल्याण एवं विकास परामर्शदात्री बोर्ड के अभिलेखों (मार्च 2021) की लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि, ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठाने की इच्छा का सर्वेक्षण किए बिना ही छात्रावास भवनों को किराये पर लेने का निर्णय (अप्रैल 2012) लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूप में उपयोग हेतु जम्मू और श्रीनगर, प्रत्येक में पच्चीस विद्यार्थियों की क्षमता रखने वाले दो निजी भवनों³⁰ को किराये (सितंबर/ अक्टूबर 2014) पर लिया। यद्यपि अक्टूबर 2014 तथा मार्च 2019 के मध्य सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आह्वान हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में कई

²⁹ मुख्य मंत्री बोर्ड अध्यक्ष के रूप में

³⁰ जम्मू तथा कश्मीर में क्रमशः ₹ 25,460 और ₹ 37,000 की मासिक किराया दर

अधिसूचनाएँ प्रकाशित³¹ की गई, तथापि छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी ओबीसी विद्यार्थी ने आवेदन नहीं किया। बोर्ड सचिव ने सचिव, समाज कल्याण विभाग को अवगत (अक्टूबर 2018) कराया कि बोर्ड सितंबर/ अक्टूबर 2014 से भवन स्वामियों को बिना किसी लाभ के बड़ी मात्रा में मासिक देय राशि का अनावश्यक रूप से भुगतान कर रहा था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि किसी ओबीसी विद्यार्थी ने छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं किया था, अक्टूबर 2018 में बोर्ड सचिव द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात् भी बोर्ड ने सितंबर 2014 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान भवनों को किराये पर लेना जारी रखा तथा छह वर्षों तक किराये पर लिए गए छात्रावास के किराये, समारक्षण तथा साज-सज्जा पर ₹ 66.05 लाख³² का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.05 लाख का परिहार्य अपव्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसके इंगित (मार्च 2021) किए जाने के पश्चात्, बोर्ड सचिव ने कहा (मार्च 2021) कि बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठाने की सम्मति का आंकलन/ सर्वेक्षण किए बिना दो भवनों को किराये पर लिया गया। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नियमित विज्ञापनों के बावजूद, किसी भी ओबीसी विद्यार्थी ने छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं किया। आगे यह भी कहा (दिसंबर 2021) गया कि बोर्ड के अंतर्निर्मित अधिदेश के अनुसार ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाएँ प्रदान किया जाना था, इसलिए ऐसा सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के अधिदेश के अनुसार ओबीसी विद्यार्थियों के कल्याण एवं विकास को प्रोत्साहन देना था एवं ओबीसी छात्रावास के लिए कोई माँग नहीं थी, इसलिए बोर्ड को इन निधियों का उपयोग अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्वयं (अक्टूबर 2018) सचिव, समाज कल्याण विभाग को अवगत कराया कि सितंबर/ अक्टूबर 2014 से भवन स्वामियों को अनावश्यक रूप से भारी मासिक देय का भुगतान बिना किसी लाभ के किया जा रहा था।

³¹ 25 अक्टूबर 2014, 26 नवंबर 2014, 07 फरवरी 2015, 02 नवंबर 2016, 17 नवंबर 2016, 30 नवंबर 2016 तथा 27 मार्च 2019

³² भुगतान किया गया किराया: ₹ 48.98 लाख; भवनों का अनुरक्षण तथा समारक्षण: ₹ 16.07 लाख

मामले को जनवरी 2022 में विभाग/ सरकार को सौंपा गया। उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) थे।

6.7 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बालकों के छात्रावास के निर्माण पर अपव्यय

समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु डीपीआर को स्वीकृत करवाने तथा भारत सरकार द्वारा विमोचित निधियों के केंद्रीय अंश को प्राप्त करने में विफलता के साथ मूल योजनांतर्गत राज्य द्वारा प्रदत्त निधि से छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ का अपव्यय हुआ।

जिला विकास बोर्ड, डोडा ने राजकीय डिग्री महाविद्यालय (जीडीसी), डोडा में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 96 बिस्तर युक्त तीन मंजिला बालकों के छात्रावास का निर्माण करने का एक बैठक में निर्णय (जुलाई 2011) लिया। कार्यकारी अभियंता (ईई), पीडबल्यूडी (आरण्डबी), डोडा द्वारा ₹ 5.44 करोड़ की अनुमानित लागत पर तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जम्मू को प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत (जून 2012) की गई। छात्रावास के भूतल (साज-सज्जा के कार्य में कुछ मर्दों के सिवाय) के निर्माण कार्य जिसे नौ महीनों में पूर्ण किया जाना था, को ₹ 1.05 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (अक्टूबर 2014) गया। ठेकेदार ने अप्रैल 2017 तक छात्रावास भवन के भूतल का निर्माण कार्य किया तथा मार्च 2018 तक ठेकेदार को ₹ 1.17 करोड़ का भुगतान किया गया। ठेकेदार ने कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य भी किए तथा कुछ निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ दिए।

इस बीच, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए भारत सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के मध्य निधियों को साझा (60:40) करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित³³ (जून 2015) किए गए। ईई, पीडबल्यूडी, (आरण्डबी), डोडा ने निदेशक, समाज कल्याण विभाग (जम्मू) के निदेशों पर ₹ 3.25 करोड़³⁴ की अनुमानित लागत से जीडीसी, डोडा में ओबीसी बालकों के लिए 100 बिस्तरयुक्त दो मंजिला छात्रावास

³³ संख्या 11015/04/2015-बीसी-I दिनांक 08 जून, 2015 द्वारा

³⁴ केंद्र अंशदान: ₹ 1.95 करोड़, राज्य अंशदान: ₹ 1.30 करोड़।

के निर्माण हेतु परिशोधित डीपीआर प्रस्तुत (नवंबर 2016) की। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति सीट ₹ 3.25 लाख की दर को ध्यान में रखते हुए 100 बिस्तरयुक्त छात्रावास के लिए ₹ 3.25 करोड़ हेतु परिशोधित डीपीआर निर्मित की गई।

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जुलाई 2020) ने प्रकट किया कि केंद्रीय सहायता के विमोचन हेतु जीओआई से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹ 1.07 करोड़ की लागत से दो मंजिला 100 बिस्तरयुक्त ओबीसी बालकों के छात्रावास के निर्माण के लिए संविदा को पुनः एक अन्य ठेकेदार को सौंपा (नवंबर 2017) गया। ठेकेदार को भूतल के शेष निर्माण कार्य सहित भवन के प्रथम तल का भी निर्माण करना पड़ा।

प्रशासनिक विभाग द्वारा मार्च 2018 में भारत सरकार को केंद्रीय सहायता के अनुदान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने i) 100 सीटों हेतु छात्रावास (कुल 1215 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र सहित प्रति सीट 12.15 वर्ग मी. का निर्मित क्षेत्र) के लिए सांकेतिक भौतिक मानदंडों के गैर प्रस्तुतीकरण ii) 100 बिस्तरयुक्त लेआउट योजना के विरुद्ध मात्र 46 बिस्तरयुक्त लेआउट योजना को दर्शाये जाने, तथा iii) महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त भूमि उपलब्धता दस्तावेज के अनुसार 100 सीटों की आवश्यकता के मुकाबले प्रस्ताव 97 सीटों के दिये जाने की कमियों को इंगित करते हुए संस्वीकृति नहीं दी गयी।

भवन के प्रथम तल के संबंध में संपादित निर्माण कार्य हेतु फरवरी 2019 तक ₹ 0.37 करोड़ का भुगतान द्वितीय ठेकेदार को किया गया। निधियों की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य को और आगे निष्पादित नहीं किया जा सका। फरवरी 2019 तक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य के संबंध में द्वितीय ठेकेदार को ₹ 0.37 करोड़ का भुगतान किये जाने के पश्चात्, ईई, पीडबल्यूडी (आरएण्डबी), डोडा ने भूतल और प्रथम तल के शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने हेतु ₹ 1.10 करोड़³⁵ की माँग (मई 2021) की। लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रावास भवन के निर्माण के लिए त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप परियोजना की अस्वीकृति तथा भारत सरकार द्वारा निधियों का गैर-विमोचन हुआ। वर्ष 2012-19 के दौरान

³⁵ ठेकेदार की देयता पर किया गया कार्य: ₹ 0.50 करोड़, भूतल के पूरा करने हेतु अपेक्षित निधियाँ: ₹ 0.40 करोड़ तथा प्रथम तल के पूरा करने हेतु अपेक्षित निधियाँ: ₹ 0.20 करोड़

छात्रावास भवन के निर्माण पर किए गए ₹ 1.55 करोड़³⁶ (राज्य अंश) के कुल व्यय के पश्चात्, फरवरी 2019 से निर्माण कार्य परित्यक्त रहा। दिसंबर 2021 की स्थिति में भूतल और प्रथम तल का सिविल/ संरचनात्मक कार्य पूर्ण था। समाज कल्याण विभाग ने मूल योजना के अनुसार राज्य वित्तपोषण से छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाओं के लाभों की वंचितता के अतिरिक्त छात्रावास भवन के निर्माण पर ₹ 1.55 करोड़ का अपव्यय हुआ।

यह इंगित करने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग निदेशालय, जम्मू ने (अगस्त 2020) कहा कि समय-समय पर प्रशासनिक विभाग से केंद्रीय अंश के विमोचन हेतु भारत सरकार के समक्ष मामला रखने के लिए अनुरोध किया था ताकि भवन को पूरा किया जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समाज कल्याण विभाग भारत सरकार को अपूर्ण प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के कारण अपेक्षित विमोचित केंद्रीय अंश को प्राप्त करने में विफल रहा तथा मौलिक योजना के अनुसार राज्य निधि से छात्रावास भवन को पूरा करने हेतु निर्माण कार्य के सतत संपादन को सुनिश्चित नहीं किया।

इस प्रकार, समाज कल्याण विभाग की अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए स्वीकृत छात्रावास के निर्माण हेतु डीपीआर को प्राप्त करने तथा भारत सरकार द्वारा विमोचित निधियों के केंद्रीय अंश को प्राप्त करने में विफलता, और जैसा कि मौलिक रूप से योजित किया गया था राज्य द्वारा प्रदत्त निधि से छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाओं के इच्छित लाभों की वंचितता के अतिरिक्त ₹ 1.55 करोड़ का अपव्यय हुआ।

मामले को फरवरी 2022 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित (मई 2022) था।

³⁶ 2012-13: ₹ 42 लाख, 2014-15: ₹ 15 लाख, 2015-16: ₹ 15 लाख, 2016-17: ₹ 25.80 लाख
2017-18: ₹ 32.20 लाख, 2018-19: ₹ 25 लाख

अध्याय VII

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय VII: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

यह अध्याय जम्मू एवं कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कार्य पद्धति पर चर्चा करता है। पीएसयू में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएंडके) के स्वामित्व वाली कंपनियां, संसद द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निगम तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां (जीसीओसी) शामिल हैं।

7.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी के 51 प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी¹ को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित है।

7.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकार को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस रीति से लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है उस पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा

¹ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014 द्वारा जारी कंपनियाँ (कठिनाइयों का निराकरण) सातवाँ आदेश, 2014

करने का अधिकार है। विधियों द्वारा शासित सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अपेक्षित है।

7.3 जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू

पीएसयू की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने तथा जम्मू एवं कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 42 पीएसयू थे। इनमें 39 सरकारी कंपनियां (चार वर्ष से 31 वर्ष के बीच लेखाओं में विलंब वाली छह² निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित), दो सांविधिक निगम तथा एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी³ शामिल हैं। इन पीएसयू के नाम परिशिष्ट 7.1 में दिये गये हैं।

एक पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। छह निष्क्रिय पीएसयू (चार परिसमापन की प्रक्रिया में) में पूंजीगत निवेश ₹ 57.57 करोड़ (जीओजेएंडके: ₹ 56.59 करोड़ एवं अन्य ₹ 0.98 करोड़) तथा दीर्घकालिक ऋण ₹ 0.83 करोड़ (जीओजेएंडके: ₹ 0.83 करोड़ एवं अन्य: शून्य) है।

7.4 पीएसयू में निवेश एवं बजटीय सहायता

(क) इक्विटी होल्डिंग एवं दिये गये ऋण

31 मार्च 2021 तक 42 पीएसयू में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में किये गये निवेश का विवरण परिशिष्ट 7.2 में दिया गया है। इस निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 7.1 में दिया गया है।

² (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कोम्बेर्स लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा, हस्तशिल्प, कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड, (हिमालयन वूल कॉम्बेर्स लिमिटेड की एक अनुषंगी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र एवं (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड

³ चेनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), जेकेपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम, राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत निगम (एनएचपीसी) एवं विद्युत व्यापार निगम (पीटीसी) जहां जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया।

तालिका 7.1: पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार का निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	निवेश				कुल निवेश	जीओजेएंडके का कुल निवेश
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण			
		कुल	जीओजेएंडके	कुल	जीओजेएंडके		
विद्युत क्षेत्र पीएसयू	6	5,073.32	2,593.54	7,269.04	0	12,342.36	2,593.54
गैर-विद्युत क्षेत्र पीएसयू	36	969.10	847.80	5,021.44	1,437.72	5,990.54	2,285.52
कुल	42	6,042.42	3,441.34	12,290.48	1,437.72	18,332.90	4,879.06

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र ने कुल निवेश ₹ 18,332.90 करोड़ का 67.32 प्रतिशत (₹ 12,342.36 करोड़) आकर्षित किया। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अपने कुल निवेश ₹ 4,879.06 करोड़ का 53.16 प्रतिशत (₹ 2,593.54 करोड़) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश किया था।

(ख) पीएसयू को सहायिकी एवं अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में पीएसयू को इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों हेतु पीएसयू के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है।

तालिका 7.2: 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पीएसयू को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		पीएसयू की संख्या*	राशि	पीएसयू की संख्या*	राशि	पीएसयू की संख्या*	राशि
1.	इक्विटी पूँजीगत व्यय	9	120.74	3	2,616.82	7	83.47
2.	दिये गये ऋण	9	56.18	8	48.07	7	51.85
3.	उपलब्ध कराये गये अनुदान/ सहायिकी	8	48.91	12	100.50	11	3,016.38
	कुल व्यय		225.83		2,765.39		3,151.70

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		पीएसयू की संख्या*	राशि	पीएसयू की संख्या*	राशि	पीएसयू की संख्या*	राशि
4.	बड़े खाते में डाले गये ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण	-	-	-	-	2	152.42
6.	जारी की गई प्रत्याभूतियाँ	1	20.00	-	-	-	-
7.	बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	1,822.09	3	1,580.90	5	7,698.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें एक या अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/ सहायिकी के अंतर्गत बजट से व्यय प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता राशि में वृद्धि मुख्य रूप से चार विद्युत क्षेत्र के पीएसयू (कार्यात्मक, परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय के लिए) अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचरण निगम लिमिटेड, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दिये गये अनुदान/ सहायिकी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 में प्रत्याभूति प्रतिबद्धताओं में वृद्धि जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹ 1,539.71 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 6,012.24 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹ 64.05 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड (₹ 73.87 करोड़) तथा जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम लिमिटेड (₹ 9.10 करोड़) के मामले में हुई।

7.5 सीएजी की निगरानी भूमिका

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) तथा (7) के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनी तथा राज्य सरकार द्वारा

नियंत्रित अन्य कंपनी⁴ के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर की जाती है। सीएजी को एक अनुपूरक लेखापरीक्षा करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या अनुपूरक करने का अधिकार है। कुछ निगमों द्वारा शासित विधानों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

7.6 पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

(क) समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्य एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है तथा इस प्रकार की तैयारी के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक के साथ रखी जाए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह क्रियाविधि राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेशित लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तिथि तथा आगामी एजीएम की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह अनुबंध करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार करने के लिए उक्त एजीएम के समक्ष रखा जाए।

⁴ एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी के 51 प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी है। केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7), जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना जैसे अर्थदंड लगाने एवं कारावास का भी प्रावधान करती है।

उपर्युक्त के बाद भी, विभिन्न पीएसयू के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित कंडिका में बताया गया है।

(ख) सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने की समय सीमा

31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 40 कंपनियां थीं। इनमें से 34 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2020-21 के लेखे बकाया⁵ थे। तथापि, मात्र तीन सरकारी कंपनियों ने अपने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के लिए 30 नवम्बर 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किये थे। 37 सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका 7.3 में दिया गया है:

तालिका 7.3: लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण	कुल
दिनांक 31.03.2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	40
कम: नई कंपनियां जिनके 2020-21 के लिए लेखे बकाया नहीं थे	0
कम: परिसमापन/ निष्क्रिय ⁶ के अंतर्गत कंपनियां	6
कंपनियों की संख्या जिनके 2020-21 के लिए लेखे बकाया थे	34
उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने 30 नवंबर 2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए	3
बकाया लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या	31
बकायों का विभाजन	
(i) निष्क्रिय	0
(ii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	6
(iii) अन्य	25
“अन्य श्रेणी” के प्रति बकाया राशि का अवधि-वार विश्लेषण	
दो वर्षों तक (2019-20 एवं 2020-21)	14
तीन वर्षों तथा उससे अधिक	17

⁵ लेखाओं को प्रस्तुत करने की नियत तिथि 30 नवम्बर 2021 मानी गयी है।

⁶ जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा, हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (परिसमापन की प्रक्रिया में); जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड तथा जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (निष्क्रिय)

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति के साथ इन कंपनियों का विवरण परिशिष्ट 7.3 में दर्शाया गया है।

(ग) सांविधिक निगमों द्वारा लेखा तैयार करने की समय सीमा

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में दो सांविधिक निगम थे। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों में से, सीएजी जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा और अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा संचालित की जाती है।

30 नवम्बर 2021 तक, जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम तथा जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लेखे प्रतीक्षित थे।

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन निगमों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति के साथ इन निगमों का विवरण परिशिष्ट 7.3 में दर्शाया गया है।

7.7 सीएजी की निगरानी - लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

(क) वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों को अपने लेखे सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान में तैयार करना अपेक्षित है।

(ख) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं; तथा उस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन का अनुवीक्षण करते हुए निगरानी करने की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गये कार्यों का उचित एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करें। इस प्रकार को निम्नलिखित कार्य शक्ति का प्रयोग करके निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करके एवं
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी देकर।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा एक अनुपूरक लेखापरीक्षा करके समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हो, को वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

7.8 सीएजी की निगरानी करने की भूमिका का परिणाम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा पीएसयू के वर्ष 2020-21 (या पूर्व वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा की स्थिति पर अगले कंडिका में चर्चा की गयी है।

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

दो⁷ सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी⁸ के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से दो⁹ सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में की गई थी।

⁷ जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड तथा जेकेबी वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड

⁸ चेनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड

⁹ जेकेबी वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड को वर्ष 2020-21 के लिए गैर समीक्षा प्रमाण-पत्र दिया गया

01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 की अवधि के दौरान पिछले वर्षों के बत्तीस लेखे भी प्राप्त हुए थे, जिनमें से छः लेखाओं के लिए गैर समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, पाँच लेखाओं के मामले में टिप्पणियाँ जारी की गई थीं और 30 नवम्बर 2021 तक 21 लेखे लंबित थे। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों से संबंधित 10 पीएसयू के 42 लेखे, जो 01 जनवरी 2021 से पूर्व प्राप्त हुए थे, की भी वर्तमान वर्ष के दौरान समीक्षा की गई थी। 42 वित्तीय विवरणों में से, आठ पीएसयू के 32 लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ जारी की गयीं और दो पीएसयू को प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे।

7.9 अनुशंसाएँ

- सरकार उन पीएसयू पर, जिनके लेखा बकाया में हैं, जोर दे ताकि उनके वित्तीय विवरणों का अंतिम रूप शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि उनके अंतिम रूप नहीं दिये जाने की स्थिति में, ऐसे पीएसयू में सरकारी निवेश विधायी निगरानी से बाहर रहे हैं; एवं
- संघ शासित सरकार का निष्क्रिय पीएसयू के परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना अपेक्षित है क्योंकि वे न तो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।

अध्याय VIII

जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु
जलविद्युत परियोजनाओं का विकास

अध्याय VIII: जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी/ लघु जलविद्युत परियोजनाओं का विकास

विद्युत विकास विभाग

विद्युत विकास निगम लिमिटेड

जम्मू एवं कश्मीर की उपलब्ध जलविद्युत के त्वरित विकास के लिए लघु जलविद्युत परियोजना/ सूक्ष्म/ मिनी जलविद्युत परियोजना हेतु जलविद्युत नीति का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

1,725.53 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले 374 चिन्हित परियोजना स्थलों में से, 79.75 मेगावाट (पाँच प्रतिशत) की क्षमता वाली केवल 10 परियोजनाओं को चार महीने से सात वर्ष तक के विलंब के साथ आरंभ किया गया था। जबकि 225 स्थलों (60 प्रतिशत) की पहचान के बाद उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, केवल 115 स्थलों (31 प्रतिशत) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थी। 70 स्थलों के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी और जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दी गई 45 स्थलों में से 32 आईपीपी या तो परियोजनाओं के निष्पादन के लिए वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने जैसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे या अग्रिम प्रीमियम जमा नहीं किया या परियोजनाओं का आबंटन भूमि मुद्दे, धीमी प्रगति और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता कारणों से समाप्त कर दिया गया। प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित 20 स्थलों (पाँच प्रतिशत) के लिए, भारत सरकार ने इन 20 परियोजनाओं की उच्च परियोजना लागत और अव्यवहार्य टैरिफ को देखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।

नोडल एजेंसियों ने समयबद्ध ढंग से अपनी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति, अनुमोदन और वित्त प्राप्त करने में आईपीपी की सुविधा के लिए संबंधित विभागों/ एजेंसियों के साथ समन्वय नहीं किया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी नहीं की गई थी। आईपीपी ने परियोजनाओं के विकास में खराब प्रदर्शन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ बायबैक एग्रीमेंट की अनुपलब्धता के कारण बैंकों द्वारा वित्तपोषण की कमी को भी उत्तरदायी ठहराया था।

दाह में जलविद्युत परियोजना के प्रारम्भ के साथ-साथ संचरण लाइन को पूरा करने को सुनिश्चित करने में जेकेपीडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप 59.37 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का उपयोग नहीं किया गया और साथ ही ₹ 16.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

8.1 परिचय

जम्मू एवं कश्मीर की जलविद्युत क्षमता 20,000 मेगावाट (एमडबल्यू) आंकी गई है, जिसमें लघु जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में 1,500 मेगावाट सम्मिलित है। अक्टूबर 2021 तक, इस क्षमता का केवल 2,813.46 मेगावाट (16 प्रतिशत) दोहन किया गया था, जिसमें लघु जलविद्युत परियोजनाओं का 79.75 मेगावाट सम्मिलित था। वर्ष 2021-22 के अंत में जम्मू एवं कश्मीर में विद्युत की मांग 4,217 मेगावाट (21,887 मिलियन यूनिट) होने का अनुमान¹ लगाया गया था।

8.1.1 जेकेपीडीसी द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नीति

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएंडके) ने ऊर्जा के लघु जलविद्युत स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति का निर्माण (अक्टूबर 2003) किया। 25 मेगावाट तक की अनुमानित स्थापित क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं/ स्टेशनों तथा जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम (जेकेपीडीसी) लिमिटेड² द्वारा समय-समय पर अधिसूचित है, वे इस नीति के अंतर्गत पात्र हैं। जलविद्युत क्षमता के दोहन को और गति देने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जुलाई 2011 में 2003 की इस राज्य जलविद्युत नीति को संशोधित किया। राज्य जलविद्युत परियोजना विकास नीति-2011 को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) द्वारा निष्पादन के लिए जेकेपीडीसी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली 2-100 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली ऐसी जलविद्युत परियोजनाओं/ स्टेशनों पर लागू किया जाना था:

- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की उपलब्ध जलविद्युत का त्वरित विकास;
- आईपीपी के कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करके निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जलविद्युत विकास की गति को तीव्र करना और निजी क्षेत्र से निवेश और संबंधित दक्षता लाना।

¹ 18^{वें} अखिल भारतीय विद्युत सर्वेक्षण के आंकलनों के अनुसार

² जीओजेएंडके का पीएसयू, 1995 में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया।

8.1.2 जेएकेईडीए द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति

जम्मू एवं कश्मीर में सूक्ष्म/ मिनी³ जल परियोजनाओं (एमएचपी) को बढ़ावा तथा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास अभिकरण⁴ (जेएकेईडीए) को दो मेगावाट की स्थापित धारिता तक सभी सूक्ष्म/ मिनी जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेश प्रदान किया (अगस्त 2009)। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दिसंबर 2011 में एमएचपी के विकास हेतु नीति को प्रस्तुत किया तथा इस नीति का मुख्य उद्देश्य उन दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं का हल प्रदान करना था जहाँ ग्रिड प्रणाली का विस्तारण गैर-किफायती या अव्यवहार्य है।

8.2 जलविद्युत नीतियों के कार्यान्वयन हेतु क्रियाविधि

(I) जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से 2-25 मेगावाट की क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) तथा दो मेगावाट की क्षमता तक की एमएचपी के विकास हेतु क्रमशः जेकेपीडीसी तथा जेएकेईडीए को नोडल एजेंसियां बनाया गया था। इन अभिकरणों को संभावित स्थलों की पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन, बोली प्रक्रिया, परियोजनाओं को सौंपना, आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करना, समझौतों पर हस्ताक्षर करना, निर्माण एवं संचालन के दौरान अनुवीक्षण करना, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से परियोजना का अधिग्रहण करना तथा नीति के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी आवश्यक कदमों को उठाने के उत्तरदायित्वों को सौंपा गया।

(II) इन परियोजनाओं का निष्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से बिल्ड, ओन, ऑपरेट तथा ट्रांसफर (बीओओटी) के आधार पर आईपीपी द्वारा किया जाना था। परियोजनाओं को नोडल एजेंसियों द्वारा अपनी निधियों का उपयोग करते हुए अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति तथा निर्माण (ईपीसी) के माध्यम से विकसित करने का भी इरादा था।

(III) इन जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विस्तारित किया गया।

³ सूक्ष्म परियोजनाएं: 100 किलो वाट (केडबल्यू) तक तथा मिनी परियोजनाएं: 100 केडबल्यू तथा दो मेगा वाट के मध्य

⁴ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जीओजेएण्डके के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकाय

जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के दौरान पहचान किए गए 374 स्टेशनों/ स्थलों में से जेकेपीडीसी (80 स्टेशनों/ स्थलों) तथा जेएकेईडीए (77 स्टेशनों/ स्थलों) के मुख्यालयों में 157 स्टेशनों/ स्थलों (42 प्रतिशत) की पहचान, बोली, अधिनिर्णय तथा निष्पादन संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

8.3 स्थलों की पहचान तथा एसएचपी और एमएचपी का विकास

(I) जेकेपीडीसी ने वर्ष 2003 से 2020 के दौरान 1,420.16 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले 186 स्टेशनों/ स्थलों की पहचान की तथा जेएकेईडीए ने वर्ष 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान 305.37 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले 188 स्टेशनों/ स्थलों की पहचान की। अक्टूबर 2021 तक दो नोडल एजेंसियों (जेकेपीडीसी तथा जेएकेईडीए) द्वारा दो भिन्न माध्यमों से स्टेशनों/ स्थलों की पहचान तथा उनके निष्पादन की स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 8.1: परियोजनाओं की स्थिति

अभिकरण	पहचान किए गए स्टेशनों/ स्थलों की संख्या (उत्पादन क्षमता)	स्टेशनों/ स्थलों की संख्या जहाँ कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ/ कार्रवाई नहीं की गई	ईपीसी मोड द्वारा निष्पादन हेतु पहचान की गई परियोजनाओं की संख्या	आईपीपी मोड द्वारा निष्पादन हेतु पहचान की गई परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाओं की संख्या (उत्पादन क्षमता)
जेकेपीडीसी	186 (1,420.16 मेगावाट)	129	22	35	6 (64 मेगावाट)
जेएकेईडीए	188 (305.37 मेगावाट)	96	-	92	4 (15.75 मेगावाट)
कुल	374 (1,725.53)	225	22	127	10 (79.75)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, अक्टूबर 2003 में जलविद्युत नीति के आरंभ होने के उपरांत 1,725.53 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले चिन्हित 374 स्टेशनों/ स्थलों में से 79.75 मेगावाट (5 प्रतिशत) की क्षमता वाली मात्र 10 परियोजनाओं का आरंभ किया गया। इसके अलावा, 225 स्थलों (60 प्रतिशत) के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा 139 परियोजनाओं को विकसित (अक्टूबर 2021) नहीं किया जा सका जैसा कि कंडिका 8.4.1 तथा 8.5.1 में चर्चा की गई है।

(II) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई), मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य आयोजित (अगस्त 2015) एक बैठक में जम्मू एवं कश्मीर के लिए 500 मेगावाट का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दो नोडल एजेंसियों (जेकेपीडीसी तथा जेएकेईडीए) द्वारा प्राप्त करने हेतु पृथक रूप से लक्ष्यों का आबंटन नहीं किया था।

(III) नोडल एजेंसियों (जेकेपीडीसी तथा जेएकेईडीए) ने वर्ष 2003-04 से 2020-21 की अवधि के दौरान जेएकेईडीए (वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान ₹ 26.54 करोड़) तथा जेकेपीडीसी (वर्ष 2003-04 से 2020-21 के दौरान ₹ 14.76 करोड़) द्वारा परियोजना के सर्वेक्षण, जाँच, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर की तैयारी तथा बोली प्रक्रिया प्रबंधन इत्यादि पर ₹ 41.30 करोड़ व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2021 तक जेकेपीडीसी द्वारा ईपीसी मोड के अंतर्गत तीन परियोजनाओं के निष्पादन पर ₹ 154 करोड़ व्यय किया गया।

8.4 जेकेपीडीसी द्वारा लघु जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

राज्य जलविद्युत परियोजना विकास नीति-2011 अन्य बातों के साथ-साथ आईपीपी के कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जलविद्युत विकास की गति को त्वरित करना और निजी क्षेत्र से निवेश तथा संबद्ध दक्षता को लाने का उपबंध करती है। 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक चिन्हित स्टेशनों/ स्थलों, सौंपे गए, अधिकृत तथा निष्पादन के अधीन परियोजनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट 8.1 में दिया गया है।

8.4.1 एसएचपी के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन

मुख्यतः आईपीपी के माध्यम से नोडल एजेंसियों द्वारा, पूरी परियोजना की लागत, चिन्हित परियोजना स्थलों का विकास करना अपेक्षित था तथा 35 वर्षों तक परियोजना को उनके नियंत्रण में रहना था। जेकेपीडीसी ने वर्ष 2003 तथा 2020 के मध्य 1,420.16 मेगावाट⁵ की क्षमता वाले 186 स्टेशनों/ स्थलों को चिन्हित किया। इनमें से, वर्ष 2003-04 से 2020-21 की अवधि के दौरान 64 मेगावाट की उत्पादन

⁵ ईपीसी मोड के अधीन 496.60 मेगावाट की क्षमता वाली 35 परियोजनाएं, आईपीपी मोड के अधीन 611.55 मेगावाट की क्षमता वाली 92 परियोजनाएं तथा 312.01 मेगावाट की क्षमता वाली 59 परियोजनाएं जिनके संबंध में निष्पादन के माध्यम को निर्धारित नहीं किया गया था।

क्षमता सहित मात्र छह परियोजनाओं (तीन प्रतिशत) को चार माह तथा सात वर्षों के समय लंघन के साथ विकसित तथा आरंभ किया गया जबकि अक्टूबर 2021 तक दो परियोजनाओं के संबंध में छह वर्षों तथा नौ वर्षों के समय लंघन के साथ तीन परियोजनाएं निष्पादन के अधीन थी। शेष 177 स्थलों की स्थिति इस प्रकार है।

➤ जेकेपीडीसी द्वारा 186 चिन्हित स्थलों में से 129 स्थलों की पूर्व-व्यवहार्यता प्रतिवेदन को तैयार नहीं किया गया था तथा ईपीसी या आईपीपी द्वारा उनके निष्पादन के माध्यम का भी निर्धारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 129 स्थलों (69 प्रतिशत) की बोली प्रक्रिया को आरंभ (अक्टूबर 2021) नहीं किया जा सका। जेकेपीडीसी को सक्षम स्थलों की पूर्व-व्यवहार्यता प्रतिवेदन को तैयार करना पड़ा तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का अनुकरण करते हुए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) को निहित करते हुए द्विस्तरीय बोली प्रक्रिया को अपनाया था।

➤ जेकेपीडीसी ने वर्ष 2011-21 के दौरान आईपीपी मोड के अंतर्गत 27 स्थलों⁶ के लिए बोली आमंत्रण हेतु चार⁷ प्रयास किए। 17 स्थलों (नौ प्रतिशत) के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी तथा शेष 10 स्थलों को परियोजनाओं के विकास हेतु आईपीपी को सौंपा (नवंबर 2012 और जुलाई 2014 के मध्य) गया था। सौंपे गए 10 स्थलों में से छह आईपीपी (तीन प्रतिशत) ₹ 1.98 करोड़ का अग्रिम प्रीमियम जमा करवाने में विफल रहे तथा तदनुसार जेकेपीडीसी द्वारा उनके कार्यप्रदान पत्र को वापस ले लिया (फरवरी 2015) गया, तीन परियोजनाओं के आबंटन को भू मामलों, धीमी प्रगति, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता कारणों के कारण समाप्त कर दिया गया था तथा एक परियोजना वैधानिक निर्बाधताओं/ भू मामलों (अक्टूबर 2021) के कारण लंबित थी।

➤ प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत 20 प्रस्तावित स्थलों के लिए भारत सरकार ने निधियों के विमोचन हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। “लघु जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन” परियोजना को ₹ 2000 करोड़ के प्रावधान सहित पीएमडीपी के अंतर्गत संस्वीकृत (नवंबर 2015) किया गया था। जेकेपीडीसी के निदेशक बोर्ड (बीओडी) ने अपनी 73^{वीं} बैठक (अक्टूबर 2017) में पीएमडीपी के अंतर्गत वित्त पोषित व इसके साथ विद्युत विकास विभाग

⁶ एक निर्माण स्थल को छोड़कर जो डीपीआर तैयारी के अधीन था।

⁷ अक्टूबर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य

(जम्मू एवं कश्मीर सरकार) द्वारा प्रबंध की जाने वाली विद्युत की निकासी की तुलना में उनकी व्यवहार्यता के अधीन निधियों से वित्तपोषित की जाने वाली 20 परियोजनाओं को ईपीसी मोड से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की। पीएमडीपी के अंतर्गत निधियों के मोचन हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध को इन 20 परियोजनाओं की उच्च परियोजना लागत तथा अव्यवहार्य टैरिफ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जेकेपीडीसी भारत सरकार से सहायता प्राप्त नहीं कर सकी। जेकेपीडीसी ने एक परियोजना⁸ का निष्पादन (जुलाई 2019) स्वयं के निधि से किया तथा शेष 19 स्थलों (10 प्रतिशत) को विकसित नहीं किया गया। तथापि, जेकेपीडीसी व्यवहार्य वैकल्पिक स्थलों के चयन व उन्हें पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कारणों से एसएचपी के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन पाया:

- नोडल एजेंसी ने राजस्व अधिकारियों तथा अन्य लाइन डिपार्टमेंट जैसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा वन विभाग से समन्वय नहीं किया ताकि प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु निर्बाधताओं व स्वीकृतियों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र स्तर पर लघु परियोजनाओं के विकास का अनुवीक्षण करने तथा उनकी परियोजनाओं के लिए आईपीपी को वैधानिक निर्बाधताओं तथा वित्त को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए लाइन डिपार्टमेंट/ अभिकरणों के साथ समन्वय करने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं थी।
- नोडल एजेंसी निर्माण के साथ-साथ शुरु करने के बाद के चरण के दौरान परियोजनाओं के अनुवीक्षण में विफल रही। परियोजनाओं के निरीक्षणों का परिचालन नहीं किया गया था तथा आईपीपी से मासिक जनरेशन डाटा प्राप्त नहीं किया गया था।

उपर्युक्त कारणों की पुष्टि करते हुए आईपीपी ने परियोजनाओं के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए अव्यवहार्य टैरिफ, विद्युत विकास विभाग के साथ

⁸ करनाह (कुपवाड़ा)

वापसी क्रय समझौते की गैर-उपलब्धता के कारण बैंकों द्वारा वित्तपोषण की कमी, गैर-कार्यकारी स्थलों का आबंटन, विभिन्न सरकारी विभागों से वैधानिक निर्बाधताओं की प्राप्ति में विलंब, निजी/ वन भूमि की प्राप्ति में कठिनाइयाँ इत्यादि को भी जिम्मेदार (सितंबर 2021) ठहराया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात जेकेपीडीसी प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2021) कि यद्यपि जेकेपीडीसी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जानी थी परंतु नियामक से वैधानिक निर्बाधताओं तथा स्वीकृतियों को प्राप्त करना आईपीपी की जिम्मेदारी थी। इस तथ्य के आलोक में उत्तर का अवलोकन किया जा सकता है कि ऐसी निर्बाधताओं को प्राप्त करने हेतु आबंटित परियोजनाएं पहले से ही उपलब्ध अधिकतम समय सीमा को समाप्त कर चुकी हैं, जो इंगित करता है कि नोडल एजेंसी इन आईपीपी के कार्य को सुविधाजनक बनाने के विस्तारण में विफल रही।

इस प्रकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा जेकेपीडीसी द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने तथा आईपीपी के लिए वित्त के अलावा बोली, अव्यवहार्य टैरिफ, उच्च परियोजना लागत, भूमि अधिग्रहण तथा वैधानिक निर्बाधताओं के मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए थे। परिणामस्वरूप जलविद्युत परियोजनाओं के शीघ्र विकास के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका।

8.4.2 अपूर्ण डीपीआर की तैयारी

राज्य जलविद्युत परियोजना विकास नीति-2011 के अनुसार जेकेपीडीसी को सक्षम स्थलों की पूर्व-व्यवहार्यता प्रतिवेदनों को तैयार करना था। जेकेपीडीसी ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन तथा डीपीआर की तैयारी हेतु एमएनआरई तथा इसके निर्दिष्ट अभिकरणों⁹ द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एमएनआरई के निर्दिष्ट अभिकरणों के मानकों के अनुसार चिन्हित स्थलों के सत्यापन के बिना डीपीआर तैयार किए गए थे। एमएनआरई मानदंडों के उल्लंघन में जेकेपीडीसी द्वारा एमएनआरई को दो लीन सीजन की न्यूनतम अवधि सहित 18 महीने का दैनिक निर्वहन आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। एमएनआरई द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में डीपीआर के लेखापरीक्षा विश्लेषण¹⁰ में निम्न कमियों का प्रकटन हुआ:

⁹ एएचईसी आईआईटी रुड़की, केंद्रीय जल बोर्ड तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

¹⁰ 38 डीपीआर में से 11 डीपीआर (ईपीसी: 8 तथा आईपीपी: 3) का लेखापरीक्षा विश्लेषण

- परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभार और पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जों के लिए लागत प्रदान नहीं की गई थी। परियोजनाओं के वित्तीय विश्लेषण में विस्तृत लाभ लागत (बी-सी) अनुपात विश्लेषण और निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) विश्लेषण का अभाव था।
- परियोजनाओं की लागत में स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभारों पर विचार नहीं करना, क) विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण, ख) स्थल की पूर्व-व्यवहार्यता/ व्यवहार्यता/ जाँच रिपोर्ट के विवरण तथा साइट की भौतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तु का अभाव था।
- जेकेपीडीसी द्वारा संचालित परियोजनाओं की डीपीआर के साथ प्रदान किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में हवाई फोटो व्याख्या, भू-भौतिकीय पूर्वक्षण और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग सम्मिलित नहीं थी। प्रारंभिक जाँच चरण के संबंध में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।
- परियोजनाओं की डीपीआर में मांग पूर्वानुमान¹¹ सम्मिलित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 21 परियोजनाओं के लिए टैरिफ संरचना की उच्च इकाई लागत आई, जिसके कारण परियोजनाओं को भारत सरकार/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा सका।

दोषपूर्ण डीपीआर ने अव्यवहार्य परियोजनाओं को जन्म दिया जिसके कारण या तो वास्तविक आईपीपी जुटाए नहीं जा सके या जिन आईपीपी को परियोजनाएं आबंटित की गई थीं, वे अपना निष्पादन करने में विफल रहीं।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात, महाप्रबंधक (सिविल) जेकेपीडीसी ने कहा (सितंबर 2021) कि उन्होंने आईपीपी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार नहीं की थी और परियोजनाओं को पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर आबंटित किया गया था इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक जलविद्युत केंद्र (एएचईसी), रुड़की के अनुसार विद्युत मांग पूर्वानुमान मॉडल के दिशानिर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेकेपीडीसी को परियोजनाओं के प्रलेखन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी और एमएनआरई ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार एएचईसी रुड़की के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना था।

¹¹ विभिन्न नीतियों के प्रभावों की जाँच के लिए तथा राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक अनुकूलित ऊर्जा योजना के निर्माण के लिए पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है।

8.4.3 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से विद्युत निकासी नहीं किया जाना

आगे के संचरण/ वितरण हेतु एक उत्पादन संयंत्र से ग्रिड तक विद्युत के सुचारु संचरण को सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना के चालू होने से पहले विद्युत निकासी प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। जेकेपीडीसी द्वारा ₹ 217.56 करोड़¹² की लागत पर ईपीसी टर्नकी आधार पर ठेकेदार फर्म¹³ को लेह जिले के दाह और हनु में नौ-नौ मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली दो एचईपी का निर्माण कार्य सौंपा (सितंबर 2012) गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ₹ 111.50 करोड़¹⁴ का ऋण तथा एमएनआरई, भारत सरकार से ₹ 16.20 करोड़ (मार्च 2012) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पश्चात परियोजनाओं के निष्पादन पर ₹ 127.70 करोड़ का व्यय किया गया था।

दाह परियोजना को 36 महीने के विलंब के साथ शुरू (सितंबर 2019) किया गया था और हनु परियोजना 87 प्रतिशत और 96 प्रतिशत (जुलाई 2021) के बीच विभिन्न घटकों की प्रगति के साथ परीक्षण के अधीन थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन एसएचपी से विद्युत की निकासी के लिए, दाह-हनु-खलस्ती 66 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित (मार्च 2017) किया गया था और ₹ 78.88 करोड़ की लागत पर ठेकेदार फर्म के पक्ष में आशय पत्र (एलओआई) जारी (मई 2017) किया गया था तथा कार्य को 12 माह के भीतर अर्थात् मई 2018 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार, तथापि, परिकल्पना के अनुसार कार्य पूरा करने में विफल रहा और प्रतिकूल मौसम की स्थिति और सड़क के बंद होने के आधार पर कार्य पूरा करने की तिथि नवंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, ठेकेदार ने पूर्णता की संशोधित समय-सारणी का पालन नहीं किया और उसके कारण न तो अभिलेख में थे और न ही सूचित किए गए थे। ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की प्रगति बहुत खराब थी क्योंकि टॉवर नींव का कार्य छह प्रतिशत से 25 प्रतिशत के मध्य, टावर सुपरस्ट्रक्चर 60 प्रतिशत से 85 प्रतिशत (अगस्त 2021) के मध्य था। परियोजना की वित्तीय प्रगति ₹ 23.18 करोड़ (29 प्रतिशत) थी।

इस प्रकार, जेकेपीडीसी की दो परियोजनाओं की कमीशनिंग के समानांतर विद्युत निकासी प्रणाली के निर्माण की योजना बनाने में विफलता के कारण और आंबंटित

¹² ईपीसी: ₹ 163 करोड़; अन्य भूमि भवन इत्यादि: ₹ 24.55 करोड़; तथा आईडीसी: ₹ 30.01 करोड़

¹³ मेसर्स पीएण्डआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. चंडीगढ़

¹⁴ दाह: ₹ 53.92 करोड़ तथा हनु: ₹ 57.58 करोड़

समय सीमा के भीतर ठेकेदार द्वारा संचारण लाइन को पूरा करने को सुनिश्चित करने में, दाह जलविद्युत परियोजना में विद्युत की निकासी नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 59.37 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का उपयोग नहीं हुआ और साथ ही ₹ 16.45 करोड़ (जुलाई 2021) के राजस्व की हानि हुई।

8.4.4 दोषी आईपीपी पर अर्थदंड अधिरोपित नहीं किया जाना

जलविद्युत नीति-2011 में निर्धारित किया गया है कि आईपीपी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर चूक की डिग्री के आधार पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। समय-सीमा को पुनः निर्धारित करने से पूर्व वित्तीय समापन में विलम्ब के प्रत्येक माह के लिए आईपीपी पर ₹ पाँच लाख प्रति मेगावाट की दर से अर्थदंड आरोपित किया जाना था। समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के आबंटन निरस्त किया जा सकता है और अग्रिम प्रीमियम राशि जब्त की जा सकती है। नीति यह भी निर्धारित करती है कि आईपीपी के साथ कार्यान्वयन अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए जेकेपीडीसी उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेकेपीडीसी ने नवंबर 2012 और जुलाई 2014 के बीच 92.50 मेगावाट क्षमता वाली नौ परियोजनाएं आबंटित की। पाँच आईपीपी ₹ 1.98 करोड़ अग्रिम प्रीमियम जमा करने में विफल रही और आबंटित परियोजनाओं को नहीं लिया। शेष चार परियोजनाओं के वित्तीय समापन की समय-सीमा जो मई 2015 और जनवरी 2017 के मध्य निर्धारित की गई थी, का आईपीपी द्वारा पालन नहीं किया गया था। तथापि, जेकेपीडीसी ने इन परियोजनाओं के वित्तीय समापन में विलंब के लिए दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके कारण दोषी आईपीपी पर ₹ 12.60 करोड़ का अर्थदंड नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, जेकेपीडीसी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आईपीपी के साथ कार्यान्वयन अनुबंध को क्रियान्वित नहीं किया था जैसा कि जलविद्युत नीति-2011 में अनिवार्य था।

8.4.5 भारत सरकार से आईपीपी के लिए प्रोत्साहन नहीं लिया जाना

एमएनआरई (भारत सरकार) के लघु जलविद्युत कार्यक्रम के अनुसार, 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं एमएनआरई, भारत सरकार से प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं के लिए, एमएनआरई ₹ 1.5 करोड़ प्रति मेगावाट की

वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो प्रति परियोजना ₹ पाँच करोड़ की सीमा के अधीन है। जेकेपीडीसी को आईपीपी द्वारा एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्राप्त करने के लिए कार्य आरंभ होने के छह महीने के भीतर/ वित्तीय संस्थान से पहले संवितरण की प्राप्ति के छह महीने के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करनी थी। प्रोत्साहन लघु और मिनी/ सूक्ष्म एचईपी की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 37.50 मेगावाट क्षमता वाली तीन आईपीपी परियोजनाएं जलविद्युत नीति-2011 के प्रारम्भ के पश्चात जून 2012 और मार्च 2021 के मध्य पूरी और चालू की गई थीं। तथापि, जेकेपीडीसी एमएनआरई को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एचईपी की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इन आईपीपी के लिए भारत सरकार से कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया जा सका।

8.4.6 ओपन एक्सेस चार्ज की वसूली न होना

जलविद्युत नीति-2011 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि चालू किए गए आईपीपी तीसरे पक्ष के उपभोक्ताओं या जम्मू एवं कश्मीर के बाहर विद्युत का विक्रय करता है तब ओपन एक्सेस चार्ज जम्मू एवं कश्मीर एसईआरसी/ सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 55 मेगावाट की क्षमता वाली पाँच आईपीपी परियोजनाएं जो 2009-21 की अवधि के दौरान चालू की गई थीं, जम्मू एवं कश्मीर के बाहर विद्युत का विक्रय कर रही थीं, जिसके लिए इन आईपीपी से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ओपन एक्सेस चार्ज वसूल किया जाना था। तथापि, अप्रैल 2017 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए इन आईपीपी से राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (सितंबर 2021) के बाहर विक्रय की गई विद्युत के लिए ₹ 6.94 करोड़ के ओपन एक्सेस चार्ज की वसूली नहीं की गई थी।

8.5 जेकेईडीए द्वारा सूक्ष्म/ मिनी जलविद्युत परियोजनाओं (एमएचपी) का कार्यान्वयन

सूक्ष्म/ मिनी जलविद्युत परियोजना-2011 के विकास के लिए नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के जल संसाधनों के विकास के लिए निवेशकों को आकर्षित करना, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं का समाधान प्रदान करना और

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के लिए राजस्व उत्पन्न करने में सहायता करना और रोजगार इत्यादि प्रदान करना है। मार्च 2021 तक जेएकेईडीए द्वारा चिन्हित, आबंटित, प्रारम्भ की गई परियोजनाओं और निष्पादन के अंतर्गत स्थलों का विवरण परिशिष्ट 8.2 में दिया गया है।

8.5.1 एमएचपी के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन

जेएकेईडीए (नोडल एजेंसी) ने 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान 305.37 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले 188 स्टेशनों/ स्थलों की पहचान की थी। तथापि, अक्टूबर 2021 तक, 15.75 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली केवल चार परियोजनाएँ (दो प्रतिशत) जुलाई 2019 और मई 2021 के मध्य 19 महीने और चार वर्ष के विलंब के साथ चालू की गई थीं। 184 स्थलों की स्थिति इस प्रकार थी:

- 96 स्थलों (51 प्रतिशत) को विकसित नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्व-व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात, जेएकेईडीए द्वारा इन स्थलों के लिए बोली आमंत्रित नहीं की गई थी। उसके कारण न तो अभिलेख में थे और न ही सूचित किए गए थे।
- जेकेईडीए ने 2011-21 की अवधि के दौरान 188.90 मेगावाट की क्षमता वाली केवल 88 परियोजनाओं (47 प्रतिशत) के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए छह¹⁵ प्रयास किए। इन 88 परियोजना स्थलों में से 53 स्थलों (28 प्रतिशत) ने आईपीपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी। जेएकेईडीए इन परियोजनाओं के आबंटन को रद्द करने और उन्हें फिर से आबंटित करने के साथ-साथ नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार दोषपूर्ण आईपीपी द्वारा जमा किए गए ₹ 49.65 लाख के अग्रिम प्रीमियम को जब्त करने में विफल रहा था।
- जेएकेईडीए द्वारा फरवरी 2013 और अप्रैल 2021 के मध्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 39 स्थलों (21 प्रतिशत) को सौंपा गया। इनमें से केवल पाँच परियोजनाएँ (दो प्रतिशत) 18 महीने और चार वर्ष (अक्टूबर 2021) की समय सीमा से विलंब के साथ प्रगति पर थीं। छब्बीस आईपीपी (14 प्रतिशत) जिन्हें फरवरी 2013 और अगस्त 2017 के मध्य परियोजनाओं के विकास के लिए स्थलों

¹⁵ जुलाई 2012 तथा जनवरी 2016 के मध्य

को आबंटित किया गया था या तो परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर सके या कोई कार्रवाई करने में विफल रहे क्योंकि नौ आईपीपी 18 महीने का निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सके और 17 आईपीपी ने परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा¹⁶ को 14 महीने से 47 महीने (जुलाई 2021) अतिक्रमित किया। फरवरी 2021 और अप्रैल 2021 के दौरान स्विस् चैलेंज मैथड¹⁷ के अंतर्गत शेष चार स्थलों को दो डेवलपर्स/आईपीपी को आबंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएकेईडीए द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन निम्नलिखित कारणों से था।

- जेकेईडीए ने राजस्व विभाग और अन्य लाइन डिपार्टमेंट अर्थात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, राहत एवं पुनर्वास तथा वन इत्यादि के प्राधिकारियों के साथ समन्वय नहीं किया तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की वैधानिक अनुमोदनों एवं स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित नहीं की।
- जलविद्युत नीति-2011 के अंतर्गत जेकेईडीए परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ कमीशनिंग चरण के बाद की निगरानी करने और आईपीपी से आवश्यक मासिक उत्पादन आंकड़ों को प्राप्त करने में विफल रहा था।
- नोडल एजेंसी द्वारा परियोजनाओं का आवश्यक निरीक्षण नहीं किया गया था।
- संघ शासित क्षेत्र स्तर पर एमएचपी के विकास की निगरानी करने और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में आईपीपी की सुविधा के लिए लाइन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, कार्यपालक अभियंता, जेएकेईडीए ने कहा (सितंबर 2021) कि जलविद्युत क्षेत्र सामान्य रूप से परियोजनाओं के विकास और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के दौरान विभिन्न बाधाओं का अनुभव करता है तथा इस तरह के समापन समय को कम करने और ऑनलाइन पोर्टल को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि एक बार निविदाएं आमंत्रित किए जाने के पश्चात यह संभावित बोली लगाने

¹⁶ जल विद्युत नीति 2011 के अधीन पूर्ण करने हेतु अधिकतम 54 महीने की अवधि निर्धारित की गई।

¹⁷ आईपीपी के द्वारा स्थलों तथा प्रस्तावों को स्वयं प्रस्तुत किया गया।

वालों का विशेषाधिकार था कि वे अपनी उपयुक्त पसंद के अनुसार परियोजनाओं के लिए बोली लगाएं और आईपीपी लाइन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय के लिए स्वयं उत्तरदायी थे। उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आबंटित परियोजनाओं ने ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अधिकतम समय सीमा पहले ही समाप्त कर दी थी और आईपीपी को अपनी पसंद की परियोजनाएं प्रदान करने के पश्चात भी, अधिकांश परियोजनाओं का निष्पादन या तो प्रारम्भ नहीं किया जा सका या पूरा नहीं किया जा सका, इससे यह संकेत मिलता है कि नोडल एजेंसी इन आईपीपी को सुविधा प्रदान करने में विफल रही।

उपर्युक्त कारणों की पुष्टि करते हुए आईपीपी ने परियोजनाओं के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए विश्वसनीय विद्युत खरीद अनुबंधों की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं के लिए वित्त प्राप्त करने में विलंब को भी उत्तरदायी (सितंबर 2021) ठहराया।

इस प्रकार, जेएकेईडीए द्वारा स्थलों के आबंटन में निष्क्रियता और आईपीपी की चिंताओं को दूर करने में विफलता के परिणामस्वरूप जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में निराशाजनक प्रदर्शन हुआ जिससे जलविद्युत नीति 2011 का उद्देश्य विफल रहा।

8.5.2 त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करना

सूक्ष्म/ मिनी जलविद्युत परियोजना-2011 के विकास के लिए नीति के अनुसार, आईपीपी को डीपीआर और अन्य जानकारी तैयार और जमा करनी होती है तथा आवश्यक पुष्टि सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संबंधित नियामक प्राधिकरणों से वैधानिक अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रचलित विनियमों/ मानदंडों के अनुसार आवश्यक आवेदन करना होता है। जेएकेईडीए ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन और डीपीआर तैयार करने के लिए एमएनआरई और इसकी निर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआरई की निर्दिष्ट अभिकरणों के बेंचमार्क के अनुसार चिन्हित स्थलों के सत्यापन के बिना डीपीआर तैयार किए गए थे। एमएनआरई द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में डीपीआर के लेखापरीक्षा विश्लेषण¹⁸ से निम्नलिखित कमियों का पता चला।

¹⁸ 23 डीपीआर

- परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभार और पूंजीकृत प्रारंभिक घटकों के लिए लागत प्रदान नहीं की गई थी। परियोजनाओं के वित्तीय विश्लेषण में विस्तृत लाभ लागत (बी-सी) अनुपात विश्लेषण और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) विश्लेषण का अभाव था।
- स्थल की भौतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक पूर्व-व्यवहार्यता/ व्यवहार्यता/ जाँच रिपोर्ट और वस्तुओं के विवरण पर विचार नहीं किया था।
- जैसा कि एमएनआरई मानदंडों में निर्धारित किया गया है, सिविल कार्यों का जीवन 100 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि स्थापित मुख्य विद्युत-यान्त्रिकी उत्पादन उपकरण यानी टर्बाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सहायक उपकरण आदि की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। डीपीआर में इन तथ्यों का अभिलेखन नहीं किया गया।
- जेएकेईडीए द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं की डीपीआर में यह विवरण सम्मिलित नहीं था कि क्या परियोजनाएं केवल ऊर्जा का उत्पादन कर सकती हैं या विश्वसनीय क्षमता मूल्य के लिए भी उपयुक्त हैं। डीपीआर में इस संबंध में बाजार क्षमता और सूत्रीकरण आंकड़ों का विवरण उपलब्ध नहीं था।

त्रुटिपूर्ण डीपीआर के कारण परियोजनाओं की अव्यवहार्यता हुई, जिसके कारण या तो प्रामाणिक आईपीपी जुटाए नहीं जा सके या जिन आईपीपी को परियोजनाएं आबंटित की गई थीं, वे अपना निष्पादन करने में विफल रहीं।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात, कार्यकारी अभियंता, जेएकेईडीए ने कहा (अक्टूबर 2021) कि आईपीपी से चिन्हित स्थलों के लिए खराब/ गैर-प्रतिक्रिया को आईपीपी द्वारा रुचि की कमी के लिए जोखिम और बाधाओं जैसे सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण, विद्युत निकासी संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी इत्यादि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि विद्युत की मांग के पूर्वानुमान और भूवैज्ञानिक अध्ययन के संबंध में कमियाँ प्रतिष्ठान के अधिकार क्षेत्र में नहीं थीं और डीपीआर में वित्तीय विश्लेषण और भूवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित अध्याय सम्मिलित था। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जलविद्युत नीति-2011 के अंतर्गत आईपीपी द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन सुगम कराना नोडल एजेंसी के रूप में जेएकेईडीए द्वारा किया जाना था।

8.5.3 भारत सरकार से आईपीपी के लिए प्रोत्साहन नहीं लिया जाना

एमएनआरई (भारत सरकार) के लघु जलविद्युत कार्यक्रम के अनुसार, 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं एमएनआरई, भारत सरकार से प्रोत्साहन के लिए योग्य हैं। जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं के लिए, एमएनआरई ₹ 1.5 करोड़ प्रति मेगावाट की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो प्रति परियोजना ₹ पाँच करोड़ की सीमा के अधीन है। इसके अतिरिक्त, एमएचपी के लिए जलविद्युत नीति 2011 के अनुसार, परियोजनाओं की सफल स्थापना और कमीशनिंग के पश्चात एक मेगावाट से दो मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायिकी के अतिरिक्त पूंजी निवेश पर ₹ 60 लाख की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत सहायिकी दी जानी थी। जेएकेईडीए को आईपीपी द्वारा एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को कार्य आरंभ होने/ वित्तीय संस्थान से प्रथम संवितरण की प्राप्ति के छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने में सहायता देना था। प्रोत्साहन का उद्देश्य लघु और मिनी/ सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था। लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:

(I) जेएकेईडीए ने एक आईपीपी का सीएफए प्रस्ताव प्रस्तुत (जनवरी 2019) किया जबकि चार आईपीपी ने ₹ 23 करोड़¹⁹ योग्य राशि के लिए अपने प्रस्ताव सीधे एमएनआरई को भेज दिए थे। तथापि, भारत सरकार द्वारा इन आईपीपी को कोई सहायता राशि निर्गत नहीं की गई थी क्योंकि जेएकेईडीए ने परियोजनाओं के निष्पादन का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था जिन्हें एमएनआरई, भारत सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अग्रेषित करना आवश्यक था।

जेएकेईडीए एक अधिकृत परियोजना²⁰ (मई 2021) के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को पूंजीगत सहायिकी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में भी विफल रहा था। परिणामस्वरूप पाँच आईपीपी भारत सरकार/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार से ₹ 23.60 करोड़ के प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सके।

(II) जेएकेईडीए द्वारा "संसाधन आंकलन और नए स्थलों की पहचान के लिए सहायता" योजना के अंतर्गत 50 डीपीआर तैयार करने के लिए एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा ₹ 3.87 करोड़ का सीएफए स्वीकृत (सितंबर 2015) किया गया था।

¹⁹ ₹ तीन करोड़ तथा ₹ पाँच करोड़ के मध्य

²⁰ रायिल-1 (गान्दरबल) 2 मेगावाट

तत्पश्चात, भारत सरकार द्वारा ₹ 1.94 करोड़ (स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत) की प्रथम किस्त का निर्गत (दिसम्बर 2015) किया गया। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने स्थलों की पहचान और पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कैपेक्स बजट के अंतर्गत ₹ दो करोड़ के उपयोग को भी प्राधिकृत (फरवरी 2018) किया जिसमें से 2018-19 के दौरान ₹ एक करोड़ (50 प्रतिशत अंश) का निर्गत किया गया था।

जेएकेईडीए को शेष निधियों को जारी करने के लिए निधियों की पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के साथ एमएनआरई को अनुमोदित डीपीआर की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, जेएकेईडीए ने क्रमशः जून 2017 और अगस्त 2018 में यूसी और डीपीआर विलंब से जमा किए, अर्थात् योजना के व्यपन (मार्च 2017) के पश्चात और एमएनआरई को प्रस्तुत डीपीआर निर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों और प्रासंगिक मानकों के अनुरूप नहीं थे। परिणामस्वरूप, शेष राशि ₹ 1.94 करोड़ एमएनआरई द्वारा रोक ली गई और आगे सीएफए प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, आईपीपी के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने में जेएकेईडीए के गैर-तत्पर दृष्टिकोण ने उनके हतोत्साहित होने और निजी क्षेत्र से निवेश और संबंधित दक्षता लाने से उनके विफल होने में योगदान दिया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात, कार्यकारी अभियंता, जेएकेईडीए ने स्वीकार किया कि योजना के समाप्त होने के पश्चात यूसी और डीपीआर की प्रतियां जमा की गई थीं और उस मामले को मंत्रालय के साथ गहनता से आगे बढ़ाया जा रहा था।

8.5.4 दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पादित विद्युत का लाभ नहीं उठाया जाना

एमएचपी के लिए जलविद्युत नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं का समाधान प्रदान करना है जहां ग्रिड प्रणाली का विस्तार गैर-किफायती या अव्यवहार्य है।

जेएकेईडीए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि चालू (अक्टूबर 2021) चार आईपीपी परियोजनाओं में से 3.75 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली केवल एक परियोजना²¹ स्थानीय स्तर पर विद्युत का विक्रय कर रही थी और 12 मेगावाट की

²¹ खेड़ी: 3.75 मेगावाट (रामबन)

उत्पादन क्षमता वाली अन्य तीन परियोजनाएं²² संघ शासित क्षेत्र के बाहर विद्युत का विक्रय कर रही थीं जिससे संघ शासित क्षेत्र के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए जल नीति का उद्देश्य निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, कार्यकारी अभियंता, जेएकेईडीए ने कहा (जुलाई 2021) कि चालू परियोजनाओं द्वारा स्थानीय क्षेत्र में विद्युत विक्रय करने में मुख्य बाधा विद्युत खरीद के कारण जम्मू और कश्मीर विद्युत निगम द्वारा समय पर भुगतान जारी नहीं करने के कारण थी जिसके कारण वित्तीय संस्थानों से आईपीपी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एनपीए घोषित होने के कगार पर थे और अधिकांश वित्तीय संस्थान विश्वसनीय और विश्वसनीय विद्युत खरीद अनुबंध के बिना इन परियोजनाओं को वित्तपोषण के इच्छुक नहीं हैं। आईपीपी ने भी (सितंबर 2021) संघ शासित क्षेत्र के भीतर उत्पादित विद्युत की बिक्री नहीं करने के लिए इन कारणों के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इच्छा की कमी को एक अन्य कारण के रूप में उत्तरदायी ठहराया।

8.5.5 ईपीसी माध्यम के अधीन परियोजनाओं का गैर-निष्पादन

एमएचपी के लिए 2011 की जल नीति निर्धारित करती है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार की नोडल एजेंसियां आईपीपी से बोलियां आमंत्रित किए बिना किसी भी स्थल पर सूक्ष्म/ मिनी जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सकती हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएकेईडीए ने इस तथ्य के बावजूद कि 85.65 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली 53 परियोजनाओं की आईपीपी को पेशकश की गई थी, जिन्हें आईपीपी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ईपीसी मोड के अंतर्गत चिन्हित इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के विकल्प का पता नहीं लगाया। इसके कारण डीपीआर तैयार करने पर ₹ 4.04 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और संघ शासित क्षेत्र की जलविद्युत उत्पादन क्षमता के विकास के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, कार्यपालक अभियंता जेएकेईडीए ने कहा (जुलाई 2021) कि ईपीसी मोड में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लगभग ₹ 10 करोड़ प्रति मेगावाट के निवेश की आवश्यकता है और जेएकेईडीए को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण ईपीसी मोड के अंतर्गत परियोजनाओं को नहीं लिया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जेएकेईडीए द्वारा ईपीसी मोड के

²² बाल्टीकुलन: 5 मेगावाट (गान्दरबल), इछू: 5 मेगावाट (अनंतनाग) तथा रायिल-1: 2 मेगावाट (गान्दरबल)

अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निधियों की मांग के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार/ भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।

8.6 निष्कर्ष

जलविद्युत नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से उपलब्ध जलविद्युत के त्वरित विकास के कार्यान्वयन से संबंधित आईपीपी की कठिनाइयों को दूर करना था जो कि विफल रहा। 1,725.53 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले 374 चिन्हित परियोजना स्थलों में से, 79.75 मेगावाट (पाँच प्रतिशत) की क्षमता वाली केवल 10 परियोजनाओं को चार महीने और सात वर्ष से अधिक विलंब के साथ चालू किया गया था। जबकि 225 स्थलों (60 प्रतिशत) की पहचान के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल 115 स्थलों (31 प्रतिशत) के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। 70 स्थलों के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दिए गए 45 स्थलों में से 32 आईपीपी या तो परियोजनाओं के निष्पादन के लिए वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने जैसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे या उन्होंने अग्रिम प्रीमियम जमा नहीं किया या परियोजनाओं का आबंटन भूमि मुद्दे, धीमी प्रगति और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता कारणों से समाप्त कर दिया गया। प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित 20 स्थलों (पाँच प्रतिशत) के लिए, भारत सरकार ने इन 20 परियोजनाओं की उच्च परियोजना लागत और अव्यवहार्य टैरिफ को देखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निधि जारी करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। नोडल एजेंसियों ने समयबद्ध ढंग से प्रस्तावित परियोजनाओं की स्वीकृति और अनुमोदन में आईपीपी की सुविधा के लिए लाइन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय नहीं किया और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करने में विफल रही। आईपीपी ने परियोजनाओं के विकास में खराब प्रदर्शन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ क्रय वापसी अनुबंध की अनुपलब्धता के कारण बैंकों द्वारा वित्तपोषण की कमी को भी उत्तरदायी ठहराया था। दाह में जलविद्युत परियोजना के शुरू करने के साथ-साथ संचरण लाइन को पूरा करने को सुनिश्चित करने में जेकेपीडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप 59.37 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का उपयोग नहीं हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। 12 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली तीन परियोजनाएं संघ शासित क्षेत्र के बाहर विद्युत का विक्रय

कर रही थीं जिससे संघ शासित क्षेत्र के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए जलविद्युत नीति का उद्देश्य विफल हो गया।

8.7 अनुशंसाएँ

- आईपीपी के लिए व्यापार करने में आसानी की कमी को दूर किया जाना चाहिए और जलविद्युत नीति 2011 पर पुनः विचार किया जाना चाहिए;
- जम्मू एवं कश्मीर सरकार और जेकेपीडीसी/ जेएकेईडीए स्थलों की व्यवहार्य पहचान, शीघ्र डीपीआर को अंतिम रूप देना, भूमि अधिग्रहण और वैधानिक स्वीकृति के साथ-साथ वित्त/ सहायता प्राप्त करने में आईपीपी की सहायता सुनिश्चित करे ताकि आईपीपी परियोजनाओं को लेने के लिए आगे आ सकें;
- जम्मू एवं कश्मीर सरकार को विश्वसनीय विद्युत खरीद अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिए और इन आईपीपी को देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए; तथा
- जेकेपीडीसी द्वारा विकसित ईपीसी परियोजनाओं के संबंध में, परियोजनाओं को चालू करने से पहले विद्युत निकासी प्रणाली की स्थापना के अतिरिक्त परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

अध्याय IX

**जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा
स्थायी परिसंपत्तियों का प्रबंधन**

अध्याय IX: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का प्रबंधन

वित्त विभाग

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड

बैंक ने 2016-21 के दौरान ₹ 184.92 करोड़ मूल्य की भूमि की खरीद की, जिसमें से ₹ 140.22 करोड़ मूल्य की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका। अनुचित योजना के कारण ₹ 22.78 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही। परिसर किराये पर लेने में ₹ 5.28 करोड़ का अपव्यय हुआ। पट्टा अनुबंध का उल्लंघन कर पट्टा किराया में वृद्धि करने के कारण ₹ 2.61 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। असज्जित परिसर को किराये पर लेने के कारण, बैंक को ₹ 5.14 करोड़ का पट्टा किराया देना पड़ा क्योंकि सज्जित कार्यों में काफी समय लगने के कारण व्यावसायिक इकाइयों के स्थानांतरण में देरी हुई। कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ था, तथापि, ठेकेदारों से ₹ 8.77 करोड़ की अर्थदंड की वसूली नहीं की गई थी।

9.1 परिचय

बैंकिंग कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) की स्थापना (अक्टूबर 1938) की गई थी। बैंक अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निज स्वामित्व या किराये के परिसर से करता है। जनवरी 2017 में, बैंक के निदेशक मंडल (बीओडी) ने पट्टे/ किराये/ एकमुश्त खरीद के आधार पर परिसर के अधिग्रहण की नीति को मंजूरी दी। जनवरी 2017 से पहले, कोई बोर्ड अनुमोदित नीति नहीं थी और बैंक अपने कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों (मार्च 2009 से अप्रैल 2014) के अनुसार परिसर का अधिग्रहण कर रहा था। बैंक द्वारा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा भूमि के अधिग्रहण, सिविल/ आंतरिक कार्यों के निर्माण/ उन्नयन/ रूपांतरण, फर्नीचर, विद्युत कार्यों और परिसर को किराये पर लेने से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए किया गया था।

01 अप्रैल 2016 तक, बैंक की स्थायी परिसंपत्तियों (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिक्सचर और अस्थायी लकड़ी के ढांचे) का ग्राँस ब्लॉक ₹ 812.91 करोड़ था जो

मार्च 2021 के अंत तक बढ़कर ₹ 2,385.48 करोड़¹ हो गया था। 31 मार्च 2021 तक इन परिसंपत्तियों का नेट ब्लॉक² ₹ 1,755.33 करोड़ था। लेखापरीक्षा में कॉर्पोरेट कार्यालय और बैंक के चार क्षेत्रों³ के अभिलेखों की जाँच⁴ की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

9.2 भूमि की खरीद

बैंक ने वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 184.92 करोड़ मूल्य की भूमि खरीदी (स्वयं की व्यावसायिक गतिविधियाँ, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र आदि खोलने के लिए) जैसा कि तालिका 9.1 में वर्णित है।

तालिका 9.1: 2016-17 से 2020-21 के दौरान भूमि की खरीद

क्र.सं.	वर्ष	अधिग्रहण की तिथि	विवरणियां	स्वामित्व/ पट्टे पर	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2016-17	28.12.2016	राम किशोर रोड, नई दिल्ली	स्वामित्व	117.72
				उप जोड़	117.72
2.	2017-18	30.12.2017	न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली	स्वामित्व	22.88
3.		31.01.2018	अतिरिक्त प्रीमियम, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू	पट्टे पर	3.85
				उप जोड़	26.73
4.	2018-19	02.01.2019	गोल गुजराल, जम्मू में अतिरिक्त भूमि	स्वामित्व	13.36
5.		20.03.2019	गोल गुजराल, जम्मू	पट्टे पर	4.60
6.		23.03.2019	पंपोर, श्रीनगर में भूमि	पट्टे पर	22.50
				उप जोड़	40.46
7.	2019-20	21.05.2019	पदम जांस्कर, लद्दाख में भूमि	पट्टे पर	0.01
			कुल		184.92

2016-17 से 2020-21 के दौरान अधिग्रहित की गई ₹ 184.92 करोड़ मूल्य की भूमि में से, बैंक राम किशोर रोड, नई दिल्ली में ₹ 117.72 करोड़ मूल्य की भूमि और पंपोर, श्रीनगर में ₹ 22.50 करोड़ मूल्य की भूमि का क्रमशः पाँच वर्ष और तीन वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद भी उपयोग नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू में भूमि के अधिग्रहण और संबंधित निर्माण गतिविधि के लिए उपयोग किए गए ₹ 22.78 करोड़ की निधि अनुचित योजना के कारण बैंक को बिना कोई लाभ दिए अवरुद्ध रही। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बैंक ने 2016-21 के दौरान अधिग्रहित/ उपयोग की गई भूमि की स्थिति के बारे में अपने

¹ वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के ₹ 1,045.22 करोड़ को शामिल करके

² परिसंपत्ति की लागत में से मूल्यहास कम करके

³ कश्मीर सेंट्रल-I (श्रीनगर), जम्मू सेंट्रल-II (कठुआ), गुरुग्राम और मुंबई में आंचलिक कार्यालय

⁴ मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर 2021 और फरवरी से मार्च 2022

बीओडी को अवगत नहीं कराया, इस प्रकार बीओडी अधिग्रहित भूमि के इच्छित उपयोग हेतु किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई को आरंभ करने से वंचित रह गया। भूमि का उपयोग न करने और अनुचित योजना के कारण निधि के अवरुद्ध होने की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

9.2.1 निधि का अवरोधन

राम किशोर रोड, सिविल लाइंस, नई दिल्ली में आवासीय भूखंड

बैंक ने मैसर्स जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स जैन रियलिटी लिमिटेड के गैर-निष्पादित लेखा (एनपीए) के लिए बंधक (मॉर्गेंज) संपत्ति⁵ को सरफेसी अधिनियम, 2002⁶ के तहत अधिग्रहित (सितंबर 2014) किया और उसे ₹ 135 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर नीलामी के लिए रखा। चूंकि बैंक द्वारा कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, आरक्षित मूल्य को घटाकर ₹ 120 करोड़ (दिसंबर 2014) और बाद में ₹ 110 करोड़ (जून 2015) कर दिया गया। हालांकि, दोनों बार बोली प्राप्त नहीं हुई। बैंक ने स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्णय (मार्च 2016) लिया और भूखण्ड ₹ 117.72 करोड़⁷ में अधिग्रहित (अप्रैल 2016) किया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021) पाया कि अप्रैल 2016 में अधिग्रहित भूखण्ड का पाँच वर्ष (मार्च 2021) बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका। आगे यह देखा गया (अप्रैल 2021) कि भूखण्ड का प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद, तीन बार नीलामी के लिए रखे जाने के तत्पश्चात् भी बेचा नहीं जा सका क्योंकि बैंक द्वारा अधिग्रहित भूमि की सीमा के भीतर 200 वर्ग गज के भूखण्ड का एक टुकड़ा था, जिसमें एक छोटी जर्जर संरचना⁸ थी और जो कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गिरवी रखी गयी थी। तथापि, बैंक ने ऋण स्वीकृत करते समय भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार (जनवरी 2012) करते हुए भूमि का स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित नहीं किया था। एसबीआई के साथ मामले को सुलझाने के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयासों का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

इस प्रकार, भारग्रस्त संपत्ति को बंधक संपत्ति के रूप में स्वीकार करने के कारण, बैंक अधिग्रहण की तिथि से पाँच साल बीत जाने तक के बाद भी न तो इसको बेच

⁵ राम किशोर रोड, सिविल लाइंस, नई दिल्ली में 3411.28 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड

⁶ वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

⁷ जमीन की कीमत: ₹ 110.00 करोड़ और स्टॉप शुल्क: ₹ 7.72 करोड़

⁸ मैसर्स एक्यूरेट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर

सका और न ही इसका उपयोग कर सका, जिसके कारण ₹ 117.72 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गई।

बैंक प्रबंधन ने उत्तर (मार्च 2022) दिया कि संपत्ति उसके स्वयं के उपयोग के लिए थी। हालांकि, आय से उच्च लागत अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अतिरिक्त, संपत्ति को बेचे जाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अधिग्रहण से पहले बैंक ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि संपत्ति भार मुक्त थी और संपत्ति की नीलामी के लिए बैंक के प्रयासों का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

पंपोर में भूमि

बैंक ने श्रीनगर में स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के उद्देश्य से भूमि के आबंटन के लिए जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड (जेकेआई) से संपर्क (जनवरी 2014) किया। बैंक के निदेशक मंडल ने मार्च 2014 में भूमि के अधिग्रहण के लिए स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात्, मेगा करेंसी चेस्ट और स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना के लिए गवर्नमेंट जॉइनरी मिल्स (जेकेआई), पंपोर में स्थित 50 कनाल भूमि को ₹ 45 लाख प्रति कनाल⁹ देय प्रीमियम तथा ₹ 150 प्रति मरला प्रति वर्ष भूमि किराया के भुगतान के बदले में 40 वर्षों¹⁰ की अवधि के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति (जून 2017) प्रदान की गई। बैंक ने ₹ 22.50 करोड़ की लागत से भूमि का अधिग्रहण (मार्च 2019) किया।

तथापि, भूमि तीन वर्षों से अधिक समय तक बेकार पड़ी रही क्योंकि इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी जिससे ₹ 22.50 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2022) कि तत्कालीन राज्य के संघ शासित क्षेत्र में पुनर्गठन और अनुवर्ती लॉक डाउन, उनके द्वारा सीवीसी दिशानिर्देशों को अपनाने के परिणामस्वरूप उनकी खरीद नीति में संशोधन और कोविड 19 महामारी के कारण

⁹ कनाल क्षेत्रफल की एक इकाई है जो 506 वर्ग मीटर के बराबर है।

¹⁰ 90 वर्ष की अधिकतम अवधि तक नवीकरणीय

लॉक डाउन की स्थिति के कारण भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका। तथ्य यह है कि भूमि के उपयोग की प्रक्रिया अभी तक शुरू (मार्च 2022) नहीं की गई है।

रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू

बैंक ने जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) से ₹ 43.75 लाख के प्रीमियम पर 40 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू में 18,900 वर्ग फुट की भूमि (जुलाई 1993) खरीदी। पट्टा अनुबंध के अनुसार, बैंक को दो मंजिला ब्लॉक के निर्माण की अनुमति दी गई थी एवं साथ में बेसमेंट सहित कुल चार तल वाली तीन मंजिला बनाने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना था। हालाँकि, सितंबर 2011 तक भूमि पर निर्माण गतिविधि शुरू नहीं की गई थी, जब करेंसी चेस्ट और अन्य कार्यालयों अर्थात् स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी), स्टेशनरी विभाग, पुस्तकालय सभागार आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया था। बैंक ने डिज़ाइन लेआउट और ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त (सितंबर 2011) किया। बैंक के निदेशक मंडल ने ₹ 46.26 करोड़ की अनुमानित लागत पर दो बेसमेंट, भूतल और चार मंजिला नए कार्यालय परिसर के निर्माण की योजना को मंजूरी (सितंबर 2012) दी।

दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की अनुमति देने के बैंक के अनुरोध के जवाब में, जेडीए ने सूचित किया (जून 2013) कि मौजूदा पट्टा विलेख में संशोधन के पश्चात् ही अनुमति दी जा सकती है। बैंक ने अतिरिक्त दो मंजिलों के निर्माण की अनुमति के लिए जेडीए को आवेदन (मार्च 2014) किया। निविदाएं आमंत्रित (दिसंबर 2014) की गईं और प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, मैसर्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को ₹ 28.35 करोड़ की लागत पर 24 महीने की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ कार्य सौंपा (जनवरी 2016) गया। बैंक ने ₹ 3.85 करोड़ के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के बाद जेडीए के साथ पट्टा विलेख को भी संशोधित (जनवरी 2018) किया। बैंक ने ₹ 22.78 करोड़¹¹ व्यय (मार्च 2021) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक ने भवन निर्माण के प्रस्ताव को शुरू करने में 18 वर्ष का समय लिया। इसके अतिरिक्त, कार्य सौंपने में चार वर्ष से अधिक का समय लगा क्योंकि पट्टा विलेख में संशोधन के लिए जेडीए से संपर्क करने में विलंब हुआ था,

¹¹ जमीन की कीमत: ₹ 4.29 करोड़; जेडीए का अनुमति शुल्क: ₹ 0.08 करोड़; भवन निर्माण कार्य: ₹ 17.68 करोड़ एवं परामर्शी कार्य: ₹ 0.73 करोड़

हालांकि बैंक पहले से ही जानता था कि निर्माण योजना में किसी भी परिवर्तन हेतु जेडीए के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बैंक की अनिर्णयता के कारण कार्य प्रदान करने की तिथि से चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य की प्रगति 62 प्रतिशत थी क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान एसटीसी और सभागार को अलग से अन्य स्थान पर निर्माण को लेकर परिवर्तन किए गए थे। यह भी देखा गया कि मूल संरचना अक्टूबर 2018 तक तैयार हो गया था, हालांकि, कार्य योजना में बदलाव के परिणामस्वरूप डिजाइन में बदलाव के कारण फिनिशिंग और अन्य कार्य पूरे नहीं किए जा सके।

इस प्रकार, ₹ 22.78 करोड़ के व्यय से आज तक बैंक को कोई इच्छित लाभ नहीं मिला।

प्रबंधन ने उत्तर (मार्च 2022) दिया कि बैंक ने अपने पास उपलब्ध भूमि के एक अन्य टुकड़े पर एसटीसी का निर्माण करने का निर्णय लिया, ताकि उस पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचा जा सके, जिसके कारण निर्माण योजना में परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त, रेल हेड कॉम्प्लेक्स में परियोजना पूरी होने वाली है।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं है कि भूमि के एक अन्य टुकड़े पर एसटीसी के निर्माण के निर्णय (दिसंबर 2017) के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि बैंक प्रबंधन की ओर से अनिर्णयता के कारण कार्य बार-बार रुक रहा था। इसके अतिरिक्त, बैंक ने प्रक्रिया शुरू करने में 18 वर्ष का समय लिया और निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चार वर्ष से अधिक का अतिरिक्त समय लिया।

9.2.2 गोल गुजराल में जमीन की खरीद हेतु अनियमित भुगतान

बैंक ने ₹ 10.35 लाख की लागत पर श्री एस और अन्य¹² से बकाया ऋण लेखाओं के समझौते/ निपटान के रूप में गोल गुजराल, जम्मू में 39 कनाल भूमि का अधिग्रहण (नवंबर 1981) किया। पट्टा श्री एस द्वारा स्वयं और दूसरों की ओर से (सामान्य मुख्तारनामा के रूप में) निष्पादित किया गया था। कानूनी उत्तराधिकारी और श्री आईएस की विधवा ने बैंक के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पट्टा विलेख को अमान्य घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर

¹² श्री पीएस, सुश्री बीके, श्री आईएस और सुश्री एमके

(अगस्त 1998) किया क्योंकि श्री एस के पक्ष में श्री आईएस द्वारा कोई मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया गया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जून 2017 में याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, बैंक ने भूमि के हालिया सीमांकन के लिए भू-राजस्व अधिकारियों के साथ मामला उठाया और बैंक के पक्ष में *ततिमा* जारी (जून 2017) किया गया। जम्मू नगर निगम (जेएमसी) द्वारा बैंक के पक्ष में भवन निर्माण की अनुमति (दिसंबर 2017) भी दी गई थी। इस बीच, श्री आरएसजे ने सिविल सूट की बहाली के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जम्मू के समक्ष आवेदन (अप्रैल 2018) किया। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की गई थी जिसमें जेएमसी को भवन निर्माण अनुमति रद्द करने का निदेश देने की मांग की गई थी। रिट का निपटान (अप्रैल 2018) इस निदेश के साथ किया गया कि इसका निर्णय अध्यक्ष, भवन निर्माण अनुमति प्राधिकरण द्वारा किया जाए। जेएमसी ने बैंक को निदेश (मई 2018) दिया कि वह निर्माण आरंभ/ पूर्ण न करे, हालांकि बैंक के जवाब को विचार में रखते हुए जेएमसी ने बैंक का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति (जून 2018) दी। इस बीच, बैंक को श्री आरएसजे¹³ के अधिवक्ता से एक सादे कागज पर अदिनांकित पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बैंक के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए दो विकल्प¹⁴ दिए गए थे। मामले को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया और विवाद को हल करने के लिए समझौता करने का निर्णय (जुलाई 2018) लिया गया। तदनुसार, ₹ 4.60 करोड़ की तय लागत पर समझौता विलेख निष्पादित (अक्टूबर 2018) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक के पास नवंबर 1981 से जमीन पर कब्जा था और स्वामित्व के संबंध में उसके विरुद्ध दायर मामला (अगस्त 1998) भी उसके पक्ष में तय (जून 2017) किया गया था और जेएमसी द्वारा भवन निर्माण की अनुमति (जून 2018) भी दी गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि सभी कानूनी उपाय उसके पक्ष में थे, बैंक ने समझौता किया और ₹ 4.60 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

¹³ श्री आईएस के कानूनी उत्तराधिकारी

¹⁴ विकल्प-I: बैंक को संपत्ति का कब्जा लौटाने के एवज में अद्यतन ब्याज के साथ बैंक को ₹ 10.35 लाख का भुगतान करने का प्रस्ताव; विकल्प-II: बैंक का कब्जा बनाए रखने के एवज में बैंक से ₹ 20 करोड़ की मांग की

बैंक ने उत्तर (मार्च 2022) दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह 1998 से मामले के मुकदमों में उलझा हुआ था, समय और संसाधनों को बचाने के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान करने का निर्णय लिया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय बैंक के पक्ष में आने पश्चात, स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज के निर्माण का निर्णय लिया गया और निर्माण गतिविधि पर भी कोई रोक नहीं थी क्योंकि जेएमसी द्वारा भवन निर्माण की अनुमति भी (जून 2018) दी गई थी तथा दीवानी मुकदमा भी बहाल नहीं किया गया था। फिर भी बैंक ने समझौता करने का निर्णय लिया और ₹ 4.60 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

9.3 परिसरों को किराये पर लेना

बैंक की नीति के अनुसार, इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के पश्चात संपत्तियों को पट्टे के आधार पर किराये पर लिया जाता है। किराये के परिसर से संचालित वर्तमान व्यवसायिक इकाई (बीयू) के मामले में, शाखा प्रमुख को अपने पट्टे का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना अपेक्षित है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, बैंक ने 373 परिसरों का नवीनीकरण/ किराये पर लिया, जिनमें से 103 परिसरों (27.61 प्रतिशत) के नवीनीकरण/ किराये पर लेने से संबंधित अभिलेखों की जाँच कॉर्पोरेट कार्यालय और चयनित क्षेत्रों¹⁵ में की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

9.3.1 परिसर को किराये पर लेने और उसके विकास में हुआ अपव्यय

बैंक को मैसर्स ब्रॉडवे इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) से उनके होटल ब्रॉडवे, एमए रोड, श्रीनगर में जगह किराये पर लेने का अनुरोध (अप्रैल 2016) प्राप्त हुआ। वार्ता के पश्चात, फर्म ₹ 150 प्रति वर्ग फुट के मासिक किराये पर जगह किराये पर देने के लिए सहमत (26 जुलाई 2017) हुई। तत्पश्चात, बैंक ने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल (एचएनआई) शाखा खोलने के लिए फर्म के साथ 5,181.47 वर्ग फुट की जगह किराये पर लेने के लिए पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2017) किया। बैंक ने अपने इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन (आईबीडी) के मौजूदा परिसर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर¹⁶ में जगह की कमी का हवाला देते हुए उसी परिसर में समान नियम और

¹⁵ आंचलिक कार्यालय: कश्मीर सेंट्रल-1 (श्रीनगर), जम्मू सेंट्रल-11 (कठुआ), गुरुग्राम तथा मुम्बई

¹⁶ उपलब्ध स्थान: 4,722 वर्ग फुट @ ₹ 85 प्रति वर्ग फुट

शर्तों पर 4,978.68 वर्ग फुट की जगह किराये पर लेने के लिए एक अन्य पट्टा अनुबंध (मार्च 2019) किया। बैंक ने किराये के परिसर के विकास हेतु ₹ दो करोड़ की लागत का एक कार्यादेश¹⁷ (फरवरी 2019) दिया। तथापि, बैंक ने इस आधार पर परिसर को किराये से हटाने का निर्णय लिया (जनवरी 2020) कि आईबीडी को स्थानांतरित करने से विदेशी मुद्रा व्यापार की अभूतपूर्व वृद्धि नहीं होगी क्योंकि श्रीनगर में विदेशी मुद्रा व्यापार सीमित था। इसके अतिरिक्त, कश्मीर क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के कारण एचएनआई शाखा खोलने से व्यापारिक अवसरों की तुलना में वार्षिक किराये के बहिर्वाह को बहुत अधिक माना गया था। जब तक बैंक ने किराये पर लिए गए परिसर को छोड़ा (जून 2020), तब तक बैंक किराये¹⁸ पर ₹ 3.78 करोड़ का तथा परिसर के विकास पर ₹ 2.43 करोड़ का व्यय कर चुका था। ₹ 2.43 करोड़ में से, ₹ 1.47 करोड़ की राशि सिविल इंटीरियर, फर्नीचर मर्चें पर खर्च की गई थी जिसे या तो ध्वस्त नहीं किया जा सका या भारी/ बड़ी क्षति के साथ ध्वस्त किया गया था। ₹ 2.99 लाख की लागत से ध्वस्त करने का कार्य किया (अगस्त 2020) गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचएनआई ग्राहकों की सेवा के लिए, बैंक ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक ऐसी व्यवसायिक इकाई के साथ चरणबद्ध तरीके से "जेएंडके बैंक प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज" ब्रांड के अन्तर्गत एक नया प्रीमियम डिलीवरी चैनल शुरू करने का निर्णय (मार्च 2017) लिया। तदनुसार, बरजुल्ला, श्रीनगर में ₹ 2.27 लाख¹⁹ के मासिक किराये पर 3,000 वर्ग फुट जगह किराये पर लेने के पश्चात एक एचएनआई शाखा खोलने का निर्णय (05 जुलाई 2017) लिया गया। हालाँकि बैंक पहले ही बरजुल्ला, श्रीनगर में एक एचएनआई शाखा खोलने का फैसला कर चुका था, फिर भी उसने होटल ब्रॉडवे, एम.ए. रोड, श्रीनगर में इसी उद्देश्य हेतु ₹ 7.77 लाख²⁰ के मासिक किराये पर एक अन्य परिसर किराये पर लिया।

हालाँकि, होटल ब्रॉडवे में एचएनआई शाखा खोलने और आईबीडी को स्थानांतरित करने के निर्णय को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बैंक ने वर्तमान होटल भवन के नवीनीकरण और नए भवन के निर्माण के लिए पट्टेदार के पक्ष में ₹ 48.98 करोड़ के एक सावधि ऋण को संस्वीकृत (सितंबर 2016) किया था तथा

¹⁷ सिविल/ इंटीरियर, फर्नीचर तथा विद्युत कार्यों हेतु

¹⁸ 15 मार्च 2018 से 20 जून 2020 तक की अवधि हेतु

¹⁹ ₹ 75 प्रति वर्ग फुट की दर पर

²⁰ ₹ 150 प्रति वर्ग फुट की दर पर

पट्टेदार द्वारा ऋण न चुका पाने के कारण सावधि ऋण को अंततः गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया (जनवरी 2020) गया था।

इस प्रकार, बैंक प्रबंधन ने होटल ब्रॉडवे, श्रीनगर में ₹ 150 प्रति वर्ग फुट के मासिक किराये पर स्थान किराये पर लेते समय, इस तथ्य को नजरअंदाज किया था कि उसने बरजुल्ला, श्रीनगर में प्रीमियम शाखा खोलने और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर में आईबीडी के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान वाले परिसर क्रमशः ₹ 75 प्रति वर्ग फुट और ₹ 85 प्रति वर्ग फुट की मासिक दर पर पहले ही किराये पर लिए थे। बैंक के निर्णय से ₹ 5.28 करोड़²¹ का अपव्यय हुआ क्योंकि होटल ब्रॉडवे में किराये पर लिए गए परिसर का संचालन के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2022) कि वर्ष 2019 में, सुस्त बाजार पैटर्न और समग्र बैंकिंग क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण, इसने आय से लागत अनुपात को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने का निर्णय लिया और किराये की लागत में कटौती करने के लिए परिसरों का खाली करना उन उपायों में से एक था।

हालाँकि, तथ्य यह है कि बैंक ने इस तथ्य का संज्ञान लिए बिना ही परिसर को किराये पर लिया कि बरजुल्ला, श्रीनगर में एचएनआई शाखा खोलने का निर्णय प्रबंधन द्वारा पहले ही ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रीनगर में विदेशी मुद्रा व्यापार के संबंध में सीमित व्यापारिक अवसर होने की जानकारी बैंक को थी क्योंकि अधिकांश ग्राहक पहले से ही इसके साथ काम कर रहे थे।

9.3.2 पट्टेदारों को अनुचित लाभ देने के परिणामस्वरूप पट्टा किराया के लिए अतिरिक्त व्यय करना

परिसर को किराये पर लेने के लिए बैंक पट्टेदारों के साथ तीन से पाँच वर्षों के नियमित अंतराल पर एक निर्दिष्ट दर पर किराये में वृद्धि के प्रावधानों के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक पट्टा अनुबंध करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान नवीकृत 67 परिसरों²² से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। पाँच नवीकरण मामलों में यह देखा गया कि पट्टेदारों को तय किये गए किराये के अतिरिक्त पट्टा किराये में वृद्धि कर अनुचित लाभ दिया गया था जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

²¹ किराया: ₹ 3.78 करोड़, सिविल इंटीरियर कार्य: ₹ 1.47 करोड़ तथा उद्ध्वंसन: ₹ 0.03 करोड़

²² आंचलिक कार्यालय: कश्मीर सेंट्रल-1 (श्रीनगर), जम्मू सेंट्रल-1 (कठुआ), गुरुग्राम तथा मुम्बई

व्यापार इकाई (बी/यू) ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली

बैंक ने ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में अपनी व्यवसायिक इकाई के लिए परिसर किराये पर लेने के लिए पट्टेदारों के साथ एक पट्टा अनुबंध (नवंबर 2003) किया जिसमें गृह कर, संपत्ति कर सहित सभी प्रकार के सरकारी/ नगरपालिका करों, प्रभारों, उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए मासिक किराया ₹ 1.69 लाख था। परिसर को आरंभ में पाँच वर्षों की अवधि हेतु जिसे पाँच वर्षों की तीन अवधियों के लिए बैंक के एकमात्र विकल्प पर समान नियमों और शर्तों पर आगे बढ़ाने की इस शर्त के अन्तर्गत पट्टे पर दिया गया था, कि पट्टे की अवधि के प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर भुगतान किए गए अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। पट्टेदार प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात भुगतान किए गए अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा पट्टे की अवधि तथा उसके नवीकरण के दौरान आरक्षित किराये में किसी भी वृद्धि के प्रस्ताव का हकदार नहीं था। इसके अतिरिक्त, पट्टेदारों को पट्टा अवधि के दौरान पट्टे को समाप्त करने का अधिकार नहीं था।

पट्टा अनुबंध को नवंबर 2007 और नवंबर 2012 में तय की गई शर्तों के अनुसार किराये में वृद्धि के साथ बढ़ाया गया था। पट्टेदारों ने इस तर्क पर किराये में वृद्धि के लिए अनुरोध (मई 2016 और अगस्त 2017) किया कि उन्हें नगर निगम को ₹ 33.50 लाख के संपरिवर्तन प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था तथा जबसे बैंक को पट्टे पर दिया गया था तब से किराये की दरों में कई गुना वृद्धि हुई थी। तथापि, बैंक ने पट्टा अनुबंध के अनुसार किराया ₹ 2.44 लाख से बढ़ाकर (नवम्बर 2017) ₹ 2.92 लाख किया। पट्टेदार के बार-बार अनुरोध²³ पर बैंक ने 15 नवंबर 2017 से किराये को बढ़ाकर कर ₹ पाँच लाख (लागू जीएसटी सहित) तक करने की स्वीकृति (अगस्त 2018) दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक ने 15 नवंबर 2017 से किराये में वृद्धि कर ₹ पाँच लाख प्रति माह कर दिया जबकि पट्टा अनुबंध के अनुसार पट्टेदार ₹ 2.92 लाख के किराये का हकदार था। बैंक ने इस तथ्य के बावजूद किराये को बढ़ाया कि पट्टेदार हर पाँच वर्षों के पश्चात भुगतान किए गए अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की वृद्धि को

²³ मार्च 2018, जून 2018, तथा जुलाई 2018

छोड़कर किसी भी वृद्धि के हकदार नहीं थे तथा पट्टे की अवधि के दौरान पट्टे को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।

इस प्रकार, किराये में वृद्धि करने के बैंक के निर्णय से पट्टेदार को अनुचित लाभ हुआ जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2017 से मार्च 2022 के दौरान ₹ 1.30 करोड़²⁴ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

बैंक ने (मार्च 2022) कहा कि वर्तमान भूस्वामी के लगातार अभ्यावेदनों तथा प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि पर विचार किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमित अंतरालों पर वृद्धि के प्रावधान सहित लंबी अवधि हेतु पट्टा अनुबंध करने का उद्देश्य तय की गई शर्तों के अलावा अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति देकर विफल हो गया था।

बी/यू हरि सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर

आंचलिक कार्यालय (कश्मीर सेंट्रल-1), श्रीनगर ने श्री एमडी और श्री एमआईजेड (पट्टेदार) के साथ हरि सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर में 15 वर्षों अर्थात् 16 दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए परिसर को किराये पर लेने के लिए एक पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2003)²⁵ किया। पट्टा अनुबंध के अनुसार, प्रथम तल (4,620.75 वर्ग फुट) और द्वितीय तल (4,511.33 वर्ग फुट) के परिसर के लिए पट्टा किराया प्रत्येक पाँच वर्षों की समाप्ति पर 20 प्रतिशत की वृद्धि सहित क्रमशः ₹ 10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह तथा ₹ आठ वर्ग फुट प्रति माह पर देय था। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था तथा पट्टा अवधि के दौरान वह किराये में वृद्धि के लिए पूछने का हकदार नहीं था। पट्टेदारों ने क्षेत्र में किराये में कई गुना वृद्धि के कारण पट्टा किराया बढ़ाकर ₹ 100 प्रति वर्ग फुट प्रति माह करने का अनुरोध (अक्टूबर 2016) किया। बैंक 01 नवंबर 2016 से प्रथम तल तथा द्वितीय तल के लिए क्रमशः ₹ 14.40 प्रति वर्ग फुट से ₹ 37 प्रति वर्ग फुट प्रति माह तथा ₹ 11.52 वर्ग फुट से ₹ 35 प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक किराये में वृद्धि करने के लिए सहमत (अक्टूबर 2016) हुआ और पंद्रह वर्षों की एक अन्य अवधि के लिए नए पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2016) किया।

²⁴ किराये में अंतर: ₹ 2.08 लाख (53 माह हेतु ₹ पाँच लाख प्रति माह में से ₹ 2.92 लाख प्रति माह कम कर के) जमा जीएसटी 18 प्रतिशत की दर पर

²⁵ 29 मार्च 2003 से प्रभावी

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक द्वारा दिसंबर 2003 में पट्टेदार के साथ किया गया पट्टा अनुबंध मार्च 2018 तक वैध था तथा पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और वह किराये में वृद्धि के लिए पूछने का भी हकदार नहीं था। इसके बावजूद, बैंक ने पट्टेदार के अनुरोध को स्वीकार किया और 01 नवंबर 2016 से एक अन्य पट्टा अनुबंध कर पट्टा किराया में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2016 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान ₹ 35.76 लाख²⁶ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2022) कि पट्टा दो साल के अन्दर समाप्त होने वाला था और पट्टेदारों ने व्यक्त किया था कि वे आगे नवीनीकरण नहीं करवाएंगे और प्रचलित बाजार दरों की तुलना में भुगतान किया जा रहा किराया बहुत कम था।

बी/यू जवाहर नगर, श्रीनगर

आंचलिक कार्यालय (कश्मीर सेंट्रल-1), श्रीनगर ने 10 साल की अवधि के लिए भूतल और प्रथम तल के 3,904 वर्ग फुट वाले क्षेत्र को ₹ 7.68 प्रति वर्ग फुट प्रति माह के किराये पर लेने के लिए पट्टेदार के साथ एक पट्टा अनुबंध (अप्रैल 2010 से प्रभावी) का नवीनीकरण (जुलाई 2012) किया। बैंक ने 01 जून 2012 को 10 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 7.68 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से 1,390 वर्ग फुट के अतिरिक्त स्थान को किराये पर लेने के लिए एक अन्य पट्टा अनुबंध (अप्रैल 2012) भी किया। पट्टा अनुबंध में प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात पट्टा किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और वह पट्टा अवधि के दौरान किराये में वृद्धि के लिए पूछने का हकदार नहीं था। पट्टा अवधि के चलन के दौरान, पट्टेदार ने बाजार दर के अनुसार पट्टा किराये में वृद्धि का अनुरोध किया। बैंक, पट्टेदारों के साथ वार्ता के पश्चात, प्रथम तल पर 5,094 वर्ग फुट के स्थान के लिए ₹ 36 प्रति वर्ग फुट प्रति माह और भूतल पर 200 वर्ग फुट के लिए ₹ 25 प्रति वर्ग फुट प्रति माह पट्टा किराये में वृद्धि के लिए सहमत (दिसंबर 2016) हुआ। तदनुसार, 30 जनवरी 2017 को नया पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया।

²⁶ प्रथम तल- 4,620.75 वर्ग फुट x ₹ 22.60 (₹ 37 - ₹ 14.40) x 17 माह + द्वितीय तल - 4,511.33 वर्ग फुट x ₹ 23.48 (₹ 35 - ₹ 11.52) x 17 माह

लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टा अनुबंध क्रमशः अप्रैल 2020 और मई 2022 तक वैध थे और पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टेदार को पट्टे को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और वह किराये में वृद्धि के लिए पूछने का भी हकदार नहीं था। तथापि, बैंक ने पट्टेदार के अनुरोध को स्वीकार किया और पट्टा किराये में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2017 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 61.69 लाख²⁷ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

बैंक ने उत्तर (अप्रैल 2022) दिया कि पट्टा तीन वर्षों के अन्दर समाप्त होने वाला था और प्रचलित बाजार दरों की तुलना में भुगतान किया जा रहा किराया बहुत कम था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमित अंतराल पर वृद्धि के प्रावधान सहित लंबी अवधि के लिए पट्टा अनुबंध करने का उद्देश्य सहमत शर्तों के अलावा अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति देकर विफल हो गया था।

बी/यू कुरसू राज बाग, श्रीनगर

आंचलिक कार्यालय (कश्मीर सेंट्रल-1), श्रीनगर ने राज बाग, श्रीनगर में 1,411 वर्ग फुट के परिसर (प्रथम तल) को ₹ 15 प्रति वर्ग फुट प्रति माह के पट्टा किराया पर 10 वर्षों की अवधि के लिए किराये पर लेने के लिए पट्टेदार के साथ एक पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2009) किया। जनवरी 2012 में, बैंक ने उसी परिसर के 1,336 वर्ग फुट के अतिरिक्त स्थान (द्वितीय तल) को 01 दिसंबर 2011 से ₹ 12.50 प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर 10 वर्षों की अवधि के लिए किराये पर लेने के लिए एक और पट्टा अनुबंध किया। पट्टा अनुबंध में प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात पट्टा किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और वह पट्टा अवधि के दौरान किराये में वृद्धि के लिए पूछने का हकदार नहीं था।

पट्टेदार ने पट्टा किराया को ₹ 65 प्रति वर्ग फुट तक बढ़ाने के लिए ज्ञापन (जनवरी 2017) दिया जिसमें विफल रहने पर उसने 31 मार्च 2017 तक परिसर खाली करने का आग्रह किया। ज्ञापन देते हुए, पट्टेदार ने कहा कि दिसंबर 2009 और दिसंबर 2011 के दोनों पट्टा अनुबंध अपंजीकृत हैं और इस प्रकार, नियम और शर्तें प्रवर्तनीय

²⁷ (3,704 वर्ग फुट) x ₹ 26.40 (₹ 36 - ₹ 9.60) x 38.5 माह जमा (1,390 वर्ग फुट) x ₹ 28.32 (₹ 36 - ₹ 7.68) x 4 माह जमा (1,390 वर्ग फुट) x ₹ 26.40 (₹36 - ₹ 9.60) x 58 माह जमा (200 वर्ग फुट) x ₹ 15.40 (₹ 25 - ₹ 9.60) x 38.5 माह

नहीं हैं। तत्पश्चात, पट्टेदार ने परिसर के निष्कासन के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश, श्रीनगर के समक्ष एक मुकदमा दायर (अप्रैल 2017) किया। बैंक, पट्टेदारों के साथ वार्ता के पश्चात, पूरे परिसर के लिए पट्टा किराया बढ़ाकर ₹ 47 प्रति वर्ग फुट प्रति माह करने और प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात किराये पर 25 प्रतिशत की वृद्धि सहित 15 वर्षों की अवधि के लिए नए पट्टा विलेख के निष्पादन पर सहमत (अगस्त 2017) हुआ। तदनुसार, 30 मार्च 2018 को नया पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक द्वारा दिसंबर 2009 और दिसंबर 2011 में पट्टेदार के साथ किया गया पट्टा अनुबंध क्रमशः नवंबर 2019 और नवंबर 2021 तक वैध था और पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था तथा किराये में वृद्धि के लिए पूछने का भी हकदार नहीं था। तथापि, बैंक ने पट्टेदार के अनुरोध को स्वीकार किया और 30 मार्च 2018 को एक अन्य पट्टा अनुबंध करके पट्टा किराया ₹ 18 प्रति वर्ग फुट प्रति माह (दिसंबर 2009 के अनुबंध के अनुसार) तथा ₹ 15 प्रति वर्ग फुट प्रति माह (दिसंबर 2011 के अनुबंध के अनुसार) से बढ़ाकर ₹ 47 प्रति वर्ग फुट प्रति माह किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2018 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान ₹ 27 लाख²⁸ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह भी देखा गया कि दिसम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2011 के पट्टा अनुबंध न्यायालय में पंजीकृत नहीं कराये गये थे।

बैंक ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए मध्यावधि वृद्धि पर विचार किया गया था, वर्ष 2019 में नवीनीकरण होना था इसलिए यह स्पष्ट था कि नई वार्ता द्वारा तय की गई दरें प्रचलित बाजार दरों के अनुसार होगी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बैंक न्यायालय के समक्ष पट्टा अनुबंध को पंजीकृत कराने में विफल था।

बी/यू फिरोजपुर

आंचलिक कार्यालय, कठुआ ने पट्टेदार के साथ 05 सितंबर 1994 को ईएस-25, मलावल रोड, फिरोजपुर में 1,500 वर्ग फुट के परिसर को 15 वर्षों की अवधि के लिए किराये पर लेने के लिए एक पट्टा अनुबंध किया। पट्टा अनुबंध का नवीनीकरण

²⁸ भूतल तथा प्रथम तल: 1,411.295 वर्ग फुट x ₹ 29 (₹ 47- ₹ 18) x 20 माह + द्वितीय तल: 1,336 वर्ग फुट x ₹ 32 (₹ 47- ₹ 15) x 44 माह

11 अगस्त 2011 (5 सितंबर 2009 से प्रभावी) को आगे 10 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 16 प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद भुगतान किए गए अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की वृद्धि सहित किया गया था। पट्टा अनुबंध के अनुसार, बैंक अपने एकमात्र विकल्प पर उपर्युक्त पट्टा को समान नियमों और शर्तों पर अन्य पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत कर सकता है और तत्पश्चात दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पट्टा का नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने एकमात्र विकल्प पर पट्टेदारों को एक महीने का लिखित ज्ञापन देकर या उसके बदले में एक महीने के किराये का भुगतान करके परिसर के पट्टे को समाप्त करने का मन्तव्य व्यक्त कर सकता है। पट्टेदारों को किसी भी मामले में उसमें आरक्षित अवधि के दौरान या उस अवधि के दौरान पट्टे का निर्धारण करने का अधिकार नहीं होगा जिसके लिए बैंक अपने एकमात्र विकल्प पर पट्टे का नवीनीकरण करता है। पहले पाँच वर्षों के लिए देय पट्टा किराया ₹ 24,000 प्रति माह (सितंबर 2009 से आरंभ) था और अगले पाँच वर्षों के लिए ₹ 28,800 प्रति माह था। पट्टा 04 सितंबर 2019 को समाप्त होना था। पट्टेदारों ने आगे दस साल की अवधि के लिए ₹ 37 प्रति वर्ग फुट प्रति माह पट्टा अवधि के नवीनीकरण के लिए अनुरोध (मई 2018) किया। प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए ₹ 37 प्रति वर्ग फुट मासिक किराये पर प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात 25 प्रतिशत की वृद्धि सहित नवीनीकरण के लिए स्वीकृत (मई 2018) किया गया था। तदनुसार, दिनांक 11 जुलाई 2018 को पट्टा अनुबंध का नवीनीकरण 5 सितंबर 2019 से दस साल की अवधि तक के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2011 के पट्टा अनुबंध के अनुसार, बैंक अपने एकमात्र विकल्प पर समान नियमों और शर्तों पर उपर्युक्त पट्टे को पाँच वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का हकदार था और तत्पश्चात दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकता था। इस प्रकार, बैंक भुगतान किए गए अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की दर से किराया बढ़ाने के बाद पाँच साल की एक और अवधि के लिए पट्टा अनुबंध को नवीनीकृत करने का हकदार था, जो कि सितंबर 2019 से ₹ 23 प्रति वर्ग फुट प्रति माह बनता है। तथापि, बैंक ने ₹ 37 वर्ग फुट प्रति माह के किराये पर पट्टा अनुबंध का नवीनीकरण (जुलाई 2018)

सितंबर 2019 से प्रभावी किया, जिससे ₹ 5.80 लाख²⁹ (जनवरी 2022) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

बैंक ने उत्तर (अप्रैल 2022) दिया कि भू-स्वामी ने मौजूदा बाजार दरों के अनुसार पट्टा अनुबंध को नवीनीकृत करने या परिसर को खाली करने का आग्रह किया। इसलिए, बैंक ने व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और नई स्थल पर स्थानांतरण और उसके विकास के कारण भारी पूंजीगत व्यय से बचने के लिए ₹ 37 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की वार्ता द्वारा तय की गई दर पर पट्टा अनुबंध का नवीनीकरण किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बैंक अपने एकमात्र विकल्प पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर पाँच साल की एक और अवधि के लिए पूर्वोक्त पट्टे को नवीनीकृत करने का हकदार था।

9.3.3 किराये के परिसर में संचालन आरंभ करने में विलंब

बैंक, पट्टा अनुबंध करने और असज्जित परिसर का कब्जा लेने के पश्चात, आंतरिक विकास कार्य अर्थात् सिविल इंटीरियर, फर्नीचर, विद्युत कार्यों को आरंभ करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान किराये³⁰ पर लिए गए 36 नए परिसरों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। यह देखा गया कि 30 परिसरों के संबंध में स्थानांतरण में देरी हुई, जिसके कारण ₹ 5.14 करोड़ की राशि के किराये का भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 9.1 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने पूरी तरह से सज्जित परिसर किराये पर लेने का विकल्प नहीं तलाशा।

इन 30 मामलों में से, 12 परिसरों³¹ के किराये का भुगतान कब्जा लेने के 60 दिनों के पश्चात आरंभ हुआ और शेष 18 मामलों में किराये का भुगतान कब्जा लेने के तुरंत बाद आरंभ हुआ। इस प्रकार, बैंक द्वारा किए गए पट्टा अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई एकरूपता नहीं थी।

²⁹ सितंबर 2019 से मई 2020 तक की अवधि के दौरान ₹ 14 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की विभेदक दर से 1,500 वर्ग फुट के लिए तथा जून 2020 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान ₹ 14 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से 1,395 वर्ग फुट पर परिकल्पित

³⁰ आंचलिक कार्यालय: कश्मीर सेंट्रल-1 श्रीनगर, जम्मू सेंट्रल-II कठुआ, गुरुग्राम और मुंबई

³¹ बीयू विकास मार्ग, बीयू कर्नाट प्लेस, बीयू संजय पैलेस (आगरा), बीयू अमीनाबाद (लखनऊ), बीयू बदोई (यूपी), बीयू रुड़की, बीयू नासिक, बीयू एसएम अमृतसर, बीयू पटियाला, बीयू सोलन (एचपी), बीयू जीरकपुर और बीयू बटाला

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बीयू के स्थानांतरण/ समापन के मामले में, आंतरिक विकास पर किया गया व्यय व्यर्थ हो गया था जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि ₹ 36.06 लाख³² मूल्य के फर्नीचर फिक्सचर मदों का ₹ 6.67 लाख के मूल्य पर निपटान किया गया।

विलम्ब के कुछ प्रमुख मामलों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

बीयू प्रीमियम शाखा (क्लस्टर ऑफिस), बरजुल्ला, श्रीनगर

बैंक ने बरजुल्ला, श्रीनगर में प्रीमियम शाखा के रूप में एक नया बीयू खोलने का निर्णय (जुलाई 2017) लिया और 14 दिसंबर 2017 से 15 साल की अवधि के लिए ₹ 2.27 लाख प्रति माह जमा जीएसटी के मासिक किराये पर परिसर को किराये पर लेने के लिए एक पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2017) किया। सिविल इंटीरियर/ फर्नीचर और विद्युत और यांत्रिक/ एचवीएसी³³ कार्यों के लिए कार्य आदेश बाद में सितंबर 2018 में जारी किया गया जिसे कार्य शुरू होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर समाप्त करना था। हालाँकि, कार्य 15 मार्च 2020 अर्थात् 392 दिनों के विलंब के पश्चात पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के पश्चात भी, संचालन आरंभ करने में 10 माह से अधिक का विलंब हुई क्योंकि बीयू ने फरवरी 2021 में अपना संचालन आरंभ किया था। परिणामस्वरूप, बैंक को अपेक्षित उपयोग के बिना दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के दौरान ₹ 80.49 लाख के किराये का भुगतान करना पड़ा।

बैंक ने कहा (अप्रैल 2022) कि उसने आरंभ में एचएनआई शाखा की स्थापना के लिए परिसर का अधिग्रहण किया था, लेकिन यह अमल में नहीं आ सका और फिर क्लस्टर कार्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

कार्य सौंपने में विलम्ब और संचालन शुरू करने के संबंध में बैंक की अनिर्णयता के कारण बैंक को बिना कोई लाभ दिए ₹ 80.49 लाख के किराये का भुगतान हुआ।

बीयू इन्टरनेशनल बैंकिंग डिवीजन (पर्यटक स्वागत केन्द्र), श्रीनगर

बैंक ने पर्यटन विभाग, कश्मीर के साथ 3,000 वर्ग फुट के परिसर को ₹ 2.50 लाख प्रति माह पर प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद 25 प्रतिशत पर किराया में वृद्धि के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए किराये पर लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन

³² बीयू कालबादेवी: ₹ 2.81 लाख, बीयू सिकंदराबाद: ₹ 10.43 लाख और बीयू माहिम: ₹ 22.82 लाख

³³ हिटिंग, वेंटीलेशन और एयर कन्डिशनिंग

(मई 2018) किया। ₹ 2.50 लाख का मासिक किराया 29 मई 2018 से आरंभ होना था। सिविल इंटीरियर/ फर्नीचर और विद्युत कार्यों हेतु कार्य आदेश 13 नवंबर 2018 को जारी किया गया था, जिसे कार्य आरंभ होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। हालाँकि, कार्य 678 दिनों के विलंब के पश्चात दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बाद भी, संचालन शुरू करने में 14 महीने की देरी हुई क्योंकि संचालन फरवरी 2022 में ही शुरू किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, बैंक को मई 2018 से फरवरी 2022 के दौरान बिना किसी तदनुरूपी उपार्जित लाभ के ₹ 1.07 करोड़ के किराये का भुगतान करना पड़ा।

बैंक ने (अप्रैल 2022) कहा कि आरंभ में सरकारी प्राधिकारियों की आपत्ति के कारण कार्य में विलंब हुआ, उसके पश्चात कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्य में विलंब हुआ। हालाँकि, कार्य पूरा होने के बाद भी परिसर से संचालन शुरू करने में 14 महीने की देरी हुई।

9.4 कार्यों को सौंपना और निष्पादन

वर्ष 2016-2019 के दौरान प्रमुख सिविल निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए, बैंक ने खुली निविदा आमंत्रित की जबकि बैंक द्वारा अनुमोदित दरों पर सूचीबद्ध ठेकेदारों के माध्यम से सिविल/ इंटीरियर, फर्नीचर, विद्युत कार्यों के उन्नयन/ रूपांतरण मरम्मत को निष्पादित किया गया था। आंतरिक सिविल कार्यों के लिए बोलियों के आमंत्रण के अभाव में, जिस दर पर उन्हें प्रदान किया गया था उसका औचित्य लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यांत्रिक कार्यों³⁴ के लिए, बैंक ने ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। तकनीकी रूप से योग्य फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सबसे निम्न प्रस्ताव का चयन किया गया और एल1 बोलीदाता के साथ वार्ता के पश्चात अंतिम दरें तय की गयीं। फिर वही दरें अन्य विक्रेताओं को प्रस्तावित की और जो निर्धारित दरों पर कार्य करने को तैयार थे केवल उन्हीं विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया। हालाँकि, बैंक ने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली को अपनाया (फरवरी 2020) जिसके अनुसार इसने ई-टेंडरिंग के माध्यम से कार्यों को प्रदान करना आरंभ किया।

बैंक ने वर्ष 2016-21 के दौरान ₹ 197.26 करोड़ मूल्य के 1,240 कार्य आदेश (डब्ल्यूओ) दिए। 1,240 डब्ल्यूओ में से ₹ 154.17 करोड़ मूल्य के 373 डब्ल्यूओ

³⁴ अग्निशमन प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और एचवीएसी प्रणाली

(30.08 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा में जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

9.4.1 कार्यों के निष्पादन में विलम्ब पर अर्थदंड की वसूली न करना

डब्ल्यूओ के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित था और कार्य के पूरा होने में देरी के मामले में, अनुबंध मूल्य पर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से, अधिकतम अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत तक अर्थदंड लगाया जाना था।

373 कार्यों की संवीक्षा में पाया गया कि 258 कार्यों में विलम्ब हुआ था जिनमें से 25 कार्यों में विलम्ब ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों से हुआ था, जबकि 233 कार्यों में न तो विलम्ब के कारणों को अभिलिखित किया गया और न ही अर्थदंड लगाया गया। इन 233 कार्यों के लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाते हैं कि 107 कार्य 90 दिनों तक विलम्बित थे, 80 कार्य 91 दिनों से 180 दिनों तक की अवधि के लिए विलम्बित थे, 37 कार्य 181 दिनों से एक वर्ष तक की अवधि के लिए विलम्बित थे और नौ कार्य एक वर्ष से अधिक तक की अवधि के लिए विलम्बित थे। शेष 115 कार्य (373-258) या तो समय से पूरे हो गए थे या प्रगति (मार्च 2021) पर थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 233 कार्यों में देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹ 8.77 करोड़ का अर्थदंड नहीं लगाया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 9.2 में वर्णित है।

प्रबंधन ने (मार्च 2022) कहा कि कार्य पूरा होने में विलंब का कारण घाटी के साथ-साथ जम्मू और लद्दाख के कुछ हिस्सों में नागरिक अशांति, भारत सरकार का नोटों को विमुद्रीकृत करने का निर्णय (नवंबर 2016), जीएसटी की शुरुआत (जुलाई 2017), तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन और कोविड-19 महामारी का प्रसार था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बैंक ने ठेकेदार को भुगतान करते समय विलंब के कारण अभिलिखित किए जो केवल 25 कार्यों के मामले में नियंत्रण से बाहर थे। शेष कार्यों (पूर्ण/ प्रगति में) में, बैंक ने न तो विलंब का कोई कारण अभिलिखित किया और न ही कोई अर्थदंड वसूल किया।

9.4.2 कार्यों का परित्यजन

(i) बैंक ने ₹ 194.15 लाख की लागत पर तत्कालीन व्यवसायिक इकाई (बीयू) एसएसआई लाल चौक श्रीनगर में ई-लॉबी³⁵ के विकास के लिए कार्य प्रदान

³⁵ सिविल/ इंटीरियर, फर्नीचर और विद्युत कार्य और यांत्रिक/ एचवीएसी कार्य

(अक्टूबर 2018) किया। ₹ 20.51 लाख³⁶ व्यय करने के पश्चात, लीकेज की समस्या के कारण कार्य बंद कर (दिसंबर 2019) दिया गया जिसका समाधान नहीं हो सका, इस प्रकार ₹ 20.51 लाख का अपव्यय हुआ।

बैंक ने कहा (मार्च 2022) कि पहले चरण में निष्पादित कुछ वस्तुओं का पुनः उपयोग किया गया और कुछ को नष्ट करना पड़ा।

(ii) बैंक ने ₹ 237.67 लाख की लागत से वोकी, कुलगाम में सामान्य सुविधा केंद्र के विकास के लिए कार्य (अप्रैल 2019) सौंपा। चूंकि कार्य निविदा के माध्यम से नहीं दिया गया था, इसे यह कहते हुए बंद (जुलाई 2019) कर दिया गया था कि उच्च मूल्य के कार्यों को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, जुलाई 2019 तक बैंक द्वारा स्थल विकास, चारदीवारी आदि पर ₹ 12.36 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया। तथापि, कार्य को बैंक द्वारा पुनः आबंटित (मार्च 2022) नहीं किया गया था।

(iii) बैंक ने ₹ 1.28 करोड़ की लागत से इकबाल पार्क, श्रीनगर में बोस्टन रेस्तरां के पुनर्विकास/ नवीकरण से संबंधित कार्य (मई 2019) सौंपा। ₹ 5.66 लाख का व्यय करने के बाद कार्य को जून 2019 में बंद कर दिया गया था क्योंकि भवन संरचना की सुरक्षा के लिए सिविल निर्माण कार्यों की आवश्यकता थी।

बैंक ने कहा (मार्च 2022) निधि की अनुपलब्धता के कारण दोनों कार्य रोक दिए गए थे।

9.4.3 एकल निविदा के आधार पर कार्य का आबंटन

बैंक ने ₹ 16.35 करोड़ की अनुमानित लागत पर कश्मीर गोल्फ कोर्स, श्रीनगर के पुनर्विकास के लिए निविदा आमंत्रित (मार्च 2016) किये, जिसके जवाब में दो प्रस्ताव प्राप्त (अप्रैल 2016) हुए। केवल एक बोलीदाता³⁷ तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और वित्तीय बोली खोली गई। वार्ता के पश्चात, ठेकेदार ₹ 22.92 करोड़ पर कार्य निष्पादित करने पर सहमत हुआ। बैंक ने अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए ठेकेदार को कार्य प्रदान (मई 2016) किया क्योंकि सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले परियोजना को पूरा करने के लिए केवल सात माह का कार्य समय उपलब्ध था।

³⁶ ₹ 4.51 लाख के परामर्श शुल्क सहित

³⁷ मैसर्स सोफी एंड कंपनी व मैसर्स सिल्वर ग्लेड्स गोल्ड डेवलपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

तदनुसार, कार्य आदेश 01 जून 2016 को आठ माह की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य का दायरा बढ़ा दिया गया था और ₹ 30.35 करोड़ के कुल लागत पर कार्य पूरा (दिसंबर 2017) किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंक ने संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक मैसर्स सोफी एंड कंपनी को बिना निविदा आमंत्रित किए ₹ 4.71 करोड़ मूल्य के छह कार्य आदेश³⁸ भी दिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक ने कार्य के लिए दोबारा निविदा जारी नहीं की और इस तथ्य के बावजूद कि बैंक द्वारा स्वीकृत दरें अनुमानित लागत से 40 प्रतिशत अधिक थीं इसे केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को (जून 2016) दिया गया। बैंक का लक्ष्य जो कि सर्दियां शुरू होने से पहले कार्य पूरा करने का था हासिल नहीं हुआ क्योंकि कार्य निर्धारित तिथि से 10 महीने की देरी से दिसंबर 2017 में पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त, कार्य के दायरे में ₹ 7.43 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि की गई और ₹ 4.71 करोड़ मूल्य के कार्य बिना निविदा आमंत्रण के सौंपे गए। चूंकि गोल्फ कोर्स के विकास में बैंक के पास कोई विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए एकल बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों और बैंक द्वारा स्वीकृत दरों के औचित्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

बैंक ने (मार्च 2022) कहा कि क्योंकि केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे इसलिए निविदा जमा करने की नियत तारीख को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। समय सीमा विस्तार के बाद भी, कोई अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ इसलिए एकल बोली का मूल्यांकन किया गया था। कार्य पूरा करने में विलंब घाटी में नागरिक अशांति के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2017 में कार्य शुरू किया जा सका। कार्य के दायरे में वृद्धि कार्य के निष्पादन के दौरान साइट की स्थितियों हेतु किए गए परिवर्तनों के कारण हुई जिसकी परिकल्पना पहले नहीं की गई थी। कार्य के निष्पादन को समय सीमा में पूरा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि ₹ 4.71 करोड़ मूल्य के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए किसी एक संयुक्त उद्यम भागीदार को दिया जाए क्योंकि उस स्तर पर निविदा आमंत्रित करने से परियोजना में और देरी होती। कश्मीर गोल्फ कोर्स का पुनर्विकास बैंक द्वारा की गई अपनी तरह की पहली

³⁸ कश्मीर गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास के तहत घास, बंकर रेत, विद्युत कार्य, टर्फ बीज, चारदीवारी नवीनीकरण, सूक्ष्म भूदृश्य, प्रसाधन मरम्मत से संबंधित

परियोजना थी और इसके लिए कोई आंतरिक विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बैंक ने दो परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) को काम पर रखा था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पीएमसी द्वारा तैयार किए गए अनुमानों से 40 प्रतिशत ज्यादा तय दरों के होने के बावजूद कार्य को एकल निविदा के आधार पर दिया गया था और बैंक ने कार्य के लिए फिर से निविदा जारी नहीं की। मई 2016 में काम सौंपने के बाद, बैंक ने जुलाई 2016 से जनवरी 2017 के दौरान निष्पादित कार्य के लिए ₹ 10.21 करोड़ का भुगतान किया, इस प्रकार प्रबंधन का यह तर्क गलत है कि नागरिक अशांति के कारण मार्च 2017 में काम शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया था।

9.5 निष्कर्ष

बैंक वर्ष 2016-21 के दौरान अधिग्रहित ₹ 140.22 करोड़ मूल्य की भूमि का उपयोग नहीं कर सका। अनुचित नियोजन के कारण ₹ 22.78 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही। परिसर को किराये पर लेने में ₹ 5.28 करोड़ का अपव्यय हुआ तथा पट्टा अनुबंध के उल्लंघन से पट्टा किराया वृद्धि के कारण ₹ 2.61 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। सज्जित कार्यों में अधिक समय लगने के कारण व्यावसायिक इकाइयों के स्थानांतरण में विलंब हुआ और बैंक को ₹ 5.14 करोड़ के पट्टा किराया का भुगतान करना पड़ा। कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के बावजूद ठेकेदारों से ₹ 8.77 करोड़ की अर्थदंड नहीं वसूला गया। ₹ 0.39 करोड़ व्यय करने के पश्चात कार्यों को बीच में ही छोड़ दिया गया।

9.6 अनुशंसाएँ

- अधिग्रहित भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके इसके लिए बैंक एक सक्रिय योजना तैयार करे;
- निदेशक मंडल को शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा के लिए आवधिक आधार पर सम्पदा की समेकित स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार नीतिगत निर्देश जारी किये जाए;
- बैंक अपनी व्यावसायिक इकाइयों के लिए सुसज्जित परिसर किराये पर लेने पर विचार करे ताकि बीयू के स्थानांतरण/ समापन होने की स्थिति में इंटीरियर कार्यों में होने वाले विलंब और व्यय से बचा जा सके;

- बैंक प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किराये का भुगतान पट्टा विलेख के शर्तों के अनुसार किया जाता है और पट्टा करार समय पर नवीनीकृत किए जाते हैं; और
- बैंक चल रहे कार्यों की निगरानी के लिए नियमित रूप से एक तंत्र स्थापित करे ताकि कार्यों के निष्पादन में विलंब से बचा जा सके और जहां भी आवश्यक हो, विलंब के लिए ठेकेदार पर अर्थदंड लगाया जा सके।

अध्याय X

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन
लेखापरीक्षा कंडिकाएं**

10.1 बिल डिस्काउटिंग फैसिलिटी को संस्वीकृत/ बढ़ाते समय यथोचित सतर्कता का प्रयोग न करने के कारण वसूली का संदेहास्पद होना

मैसर्स बेग कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में बिल डिस्काउटिंग फैसिलिटी को संस्वीकृत/ बढ़ाते समय यथोचित सतर्कता का प्रयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 102.55 करोड़ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अमरावती चिखली परियोजना के चार लेन करने के कार्य को मैसर्स अमरावती चिखली एक्सप्रेसवे लिमिटेड (एसीईएल)¹ को ₹ 2,288.18 करोड़ (166.00 कि.मी. से 360.00 कि.मी. हेतु) में सौंपा (सितंबर 2015) गया। परियोजना के चार लेन करने के एक भाग² को एसीईएल द्वारा ₹ 461.25 करोड़ की लागत की दर पर मैसर्स बेग कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (ऋणी कम्पनी) को सौंपा (जनवरी 2017) गया।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) की एक बिजनेस यूनिट³ की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2020) में पाया गया कि ₹ 57.60 करोड़ की बिल डिस्काउटिंग फैसिलिटी⁴ को ऋणी कम्पनी के पक्ष में सभी प्रकार के स्टॉक, उपभोग्य वस्तुओं, पुर्जों, परियोजना प्राप्यों के असाइनमेंट, संयंत्र और मशीनरी, विविध स्थायी संपत्तियों और फर्नीचर/ फिक्स्चर को गिरवी रखने की प्राथमिक प्रतिभूति के लिए संस्वीकृत (अप्रैल 2017) किया गया। ऋणी कम्पनी के सभी निदेशकों और एक तृतीय पक्ष की निजी गारंटी भी ली गई थी।

बैंक, ऋणी कम्पनी और आईटीएनएल के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर (जून 2017) किए गए। अनुबंध के अनुसार, आईटीएनएल को बैंक द्वारा प्रस्तुत बिल

¹ मैसर्स आईएलएण्डएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) का एक विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी)

² 220 कि.मी. से 260 कि.मी.

³ रेजीडेंसी रोड, जम्मू

⁴ बिल डिस्काउंट एक व्यापार संबंधी क्रियाकलाप है जिसमें अवैतनिक चालान जिन्हें भविष्य की तिथि को चुकाया जाना बाकी है, को बैंक को विक्रय किया जाता है। बैंक बिल को लेता है और उधारकर्ता को छूट के रूप में कुछ राशि कम करके भुगतान करता है। तब बैंक बिल की निश्चित तिथि को उधारकर्ता के उपभोक्ता को बिल प्रस्तुत करता है और कुल राशि को प्राप्त करता है।

की अपरिवर्तनीय रूप से व बिना शर्त के अदायगी करना अपेक्षित था। बैंक ने उपलब्ध प्राथमिक प्रतिभूति के लिए बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को ₹ 86.34 करोड़ की सीमा तक बढ़ा (अगस्त 2018) दिया। हालांकि, ₹ 12.96 करोड़ मूल्य की भूमि को गिरवी रख कर एक अतिरिक्त आनुषंगिक प्रतिभूति प्राप्त की गई। बैंक ने ऋणी कम्पनी के पक्ष में ऋणों से खरीदी जाने वाली मशीनरी और संयंत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध अगस्त 2017 तथा मई 2018 के मध्य परियोजना हेतु मशीनरी/ उपकरण की खरीद के लिए कुल ₹ 8.79 करोड़ के तीन सावधि ऋणों को संस्वीकृत किया।

आईएलएण्डएफएस और इसकी समूह कम्पनियों में अत्यधिक वित्तीय संकट के कारण आईटीएनएल ने बैंक द्वारा डिस्काउंट किये गये बिलों के भुगतान में चूक (अगस्त 2018) की और 30 सितंबर 2019 को ऋणी कम्पनी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस दौरान, आईएलएण्डएफएस को राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में पुनः प्रवर्तन हेतु संदर्भित किया गया और बैंक ने आईएलएण्डएफएस संबंधित अपने दावे को दाखिल किया। 31 दिसंबर 2021 तक ₹ 113.99 करोड़⁵ की राशि ऋणी कम्पनी के विरुद्ध बकाया थी।

अमरावती-चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के चार लेन के कार्यान्वयन के लिए आईटीएनएल को फायनेंसियल क्लोजर⁶ प्राप्त करनी थी। तथापि, इसने फायनेंसियल क्लोजर को प्राप्त नहीं किया और बैंक ने बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को संस्वीकृत/ बढ़ाते हुए (अप्रैल 2017/ अगस्त 2018) आईटीएनएल द्वारा फायनेंसियल क्लोजर की प्राप्ति न करने पर संज्ञान नहीं लिया। यद्यपि बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को ऋणी कम्पनी के पक्ष में विस्तारित किया गया, त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार आईटीएनएल बैंक द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के अदायगी के दायित्त्व के अधीन था। इसके बावजूद, बैंक ने अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त मूर्त सांपाश्विक प्रतिभूति प्राप्त नहीं की। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनसीएलटी के आदेशों के अनुसार एसीईएल चिह्नित (फरवरी 2019) 'रेड कम्पनियों'⁷ में से एक थी जिसका अर्थ यह है कि यह असुरक्षित ऋणदाता होने के कारण बैंक के भुगतान दायित्त्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं

⁵ मूलधन: ₹ 74.69 करोड़ तथा अनुप्रयोजित ब्याज: ₹ 39.30 करोड़

⁶ वित्तीय समाप्ति एक स्थिति है जब एक वित्तीय अनुबंध की सभी शर्तें निधियों की प्रारम्भिक उपलब्धता से पूर्व ही पूरी कर ली जाती हैं। इस प्रकार, परियोजना के वित्तपोषण के लिए मैसर्स आईटीएनएल को निधिकरण अभिकरणों के साथ अनुबंध में प्रवेश करना था।

⁷ जो उनके सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं के प्रति भुगतान दायित्त्वों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जब कभी उनके भुगतान दायित्त्व देय बन जाते हैं।

होगी। इसके अलावा, बैंक ने ऋणी कम्पनी को सरफेसी⁸ अधिनियम के तहत नोटिस नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऋणी कम्पनी को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के लिए ₹ 11.44 करोड़ मूल्य की गिरवी रखी गई प्रतिभूति को भुना (दिसंबर 2021) नहीं सका।

प्रबंधन ने उत्तर (मई 2021) दिया कि चूंकि बैंक ने अमरावती-चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग परियोजना के लिए निधि प्रदान नहीं की थी अतः सम्पूर्ण परियोजना की वित्तीय समाप्ति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बैंक द्वारा ऋणी कम्पनी के पक्ष में बिल डिस्काउटिंग फैसिलिटी का विस्तार/ बढ़ाने से पूर्व, विशेषकर त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार बिलों की अदायगी करने संबंधी मैसर्स आईटीएनएल के दायित्त्व को दृष्टि में रखते हुए, मैसर्स आईटीएनएल की वित्तीय दृढ़ता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, मैसर्स बेग कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में बिल डिस्काउटिंग फैसिलिटी के संस्वीकृत/ बढ़ाते समय यथोचित सतर्कता का प्रयोग न करने के कारण ₹ 102.55 करोड़⁹ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

10.2 पर्याप्त प्रतिभूति सुरक्षा को प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति के कारण वसूली का संदेहास्पद होना

मैसर्स ऐस इंजीनियरिंग इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पर्याप्त प्रतिभूति सुरक्षा को प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति और संवितरण पूर्व शर्त का अनुपालन किए बिना क्रेडिट सुविधा के विमोचन के परिणामस्वरूप ₹ 11.98 करोड़ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से मैसर्स एसीई इंजीनियरिंग इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी) के पक्ष में ₹ 11.50 करोड़¹⁰ की क्रेडिट सुविधा का अधिकार ले लिया तथा उसे ₹ 14 करोड़¹¹ तक बढ़ा (दिसंबर 2012) दिया। क्रेडिट सुविधाओं को सभी प्रकार के स्टॉक तथा बही ऋणों के असाइनमेंट को

⁸ वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

⁹ ₹ 113.99 करोड़ की बकाया राशि में से ₹ 11.44 करोड़ (बैंक के पास उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य) को कम करके

¹⁰ ₹ 7.50 करोड़ की निधि प्रदत्त क्रेडिट सुविधा तथा ₹ चार करोड़ की गैर निधि प्रदत्त क्रेडिट सुविधा (बैंक प्रत्याभूति)

¹¹ ₹ नौ करोड़ का नकद क्रेडिट तथा ₹ पाँच करोड़ की बैंक प्रत्याभूति

गिरवी रखने की प्राथमिक प्रतिभूति के लिए संस्वीकृत किया गया। इसके अलावा, ₹ 8.06 करोड़ मूल्य की दो स्थायी सम्पत्तियों के बंधक रखने के माध्यम से क्रेडिट सुविधाओं को सांपार्श्विक रूप से सुरक्षित किया गया। गिरवीकर्ता तथा तृतीय पक्ष की निजी गारंटी भी प्राप्त की गई। बैंक ने फरवरी 2013 में ₹ 14.03 करोड़¹² की पुनर्मूल्यांकित सम्पत्तियाँ प्राप्त की।

बैंक ने 107 इंजीनियर रेजीमेंट सी/ओ 99 एपीओ से प्राप्त ₹ 16.14 करोड़ के आपूर्ति आदेश (17 अप्रैल 2015) को पूरा करने के लिए प्राप्यों के असाइनमेंट तथा ₹ 14.03 करोड़ मूल्य की मौजूदा प्राथमिक/ सांपार्श्विक प्रतिभूति के विरुद्ध ₹ चार करोड़ का अतिरिक्त सिक्वोर्ड ओवरड्राफ्ट (एसओडी) भी संस्वीकृत (सितंबर 2015) किया। तत्पश्चात, 107 इंजीनियर रेजीमेंट ने सूचित (मई 2017) किया कि कम्पनी ने रेजीमेंट के लिए किसी भी आदेशित कार्य को निष्पादित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्वीकृत आदेश की संवितरण पूर्व शर्त के अनुसार, बैंक की बिजनेस यूनिट (बीयू) द्वारा संबंधित विभाग से विधिवत स्वीकृत प्राप्यों के असाइनमेंट संबंधी दस्तावेज प्राप्त करना जरूरी था। फिर भी, बिजनेस यूनिट ने ₹ चार करोड़ की एसओडी को संवितरण पूर्व शर्त को पूरा किए बिना ही संवितरित किया।

कम्पनी खाते को चलाने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने खाते को ₹ 18.49 करोड़¹³ के कुल बकाया सहित (अप्रैल 2017) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत (मार्च 2016) किया।

कम्पनी ने बकाया राशि के आंशिक निपटान के लिए बैंक से संपर्क (मई 2017) किया और ₹ 11.58 करोड़ के मूल्य की सम्पत्ति के विमोचन तथा दोनों गारंटीकर्ताओं की निजी गारंटी के निर्वहन के एवज में ₹ 10 करोड़ जमा करने का प्रस्ताव रखा। बैंक ने प्रस्ताव को स्वीकार (जून 2017) किया और कम्पनी ने ₹ 10 करोड़ की राशि को जमा (मई-दिसंबर 2017) किया जिसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा दो गारंटीकर्ताओं को उनकी निजी गारंटी से विमुक्त करने के अतिरिक्त ₹ 10.57 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित (मई 2017) वाणिज्यिक सम्पत्ति का विमोचन किया गया।

¹² वाणिज्यिक सम्पत्ति ₹ 11.58 करोड़ और कारखाना भूखण्ड ₹ 2.45 करोड़

¹³ एनपीए: ₹ 16.17 करोड़ और अनुप्रयोजित ब्याज तथा अन्य प्रभार: ₹ 2.32 करोड़

सरफेसी अधिनियम¹⁴ 2002 के अंतर्गत नोटिस जारी (अप्रैल 2017) किया गया तथा जनवरी 2018 में कारखाने की इकाई का भौतिक अधिग्रहण किया गया। नवंबर 2021 तक कम्पनी के विरुद्ध कुल ₹14.83 करोड़¹⁵ का बकाया था तथा बैंक के पास उपलब्ध प्रतिभूतियाँ मात्र ₹ 2.85 करोड़¹⁶ थी जो बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिए अपर्याप्त थी। बैंक द्वारा दाखिल (जून 2018) वसूली दावा लंबित (नवंबर 2021) था। प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि ₹ चार करोड़ की एसओडी सीमा को ₹ 16.14 करोड़ के मूल्य के आपूर्ति आदेश के निष्पादन हेतु मान्य किया गया क्योंकि फर्म बैंक की बिजनेस यूनिट के साथ लंबे समय से लेन-देन कर रही थी तथा एक संतोषजनक ट्रैकरिकॉर्ड रखने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था थी। इसके अलावा, प्रबंधन ने कहा कि जब 107 इंजीनियर रेजीमेंट सी/ओ 99 एपीओ की मोहर लगा हुआ पावती पत्र जाली सिद्ध हुआ, मामला एसएसपी, अपराध शाखा जम्मू के कार्यालय में दाखिल किया गया तथा प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज (अप्रैल 2019) की गई। प्रबंधन ने यह भी कहा कि बैंक की प्रक्रियाओं के अनुसार छह अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि यह फर्म के साथ लंबे समय से लेन-देन कर रहा है क्योंकि बैंक ने कम्पनी के साथ आईओबी से क्रेडिट सुविधाओं को अधिकार में लेने की तिथि दिसंबर 2012, से लेन-देन आरंभ किया था। बैंक ने ₹ चार करोड़ के ओवरड्राफ्ट के विमोचन से पूर्व कोई अतिरिक्त मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। इसके अलावा, बिजनेस यूनिट ने प्राप्यों के असाइनमेंट के संबंध में रेजीमेंट द्वारा विधिवत स्वीकृत दस्तावेज प्राप्त करने की संवितरण पूर्व शर्त का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.98 करोड़¹⁷ की वसूली संदेहास्पद हो गई।

¹⁴ वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

¹⁵ ₹ 5.12 करोड़ का एनपीए शेष तथा ₹ 9.71 करोड़ का अनुप्रयोजित ब्याज

¹⁶ ₹ 2.51 करोड़ मूल्य की कारखाना भूमि तथा ₹ 0.34 करोड़ मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी

¹⁷ ₹ 14.83 करोड़ के बकाया में से ₹ 2.85 करोड़ मूल्य की प्रतिभूति कम कर के

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

जम्मू एवं कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड

10.3 लघु औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त अग्रिमों का स्वीकृति

लघु औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त अग्रिमों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर में सौभाग्य योजना¹⁸ के कार्यान्वयन के लिए प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) एवं आयुक्त सचिव, विद्युत विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन (सितंबर 2018) किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि पीडीडी, जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के माध्यम से स्टील ट्यूबलर पॉल्स (एसटीपी) को खरीदेगा। आपूर्ति के निष्पादन के लिए कम्पनी ने पीडीडी से ₹ 50 करोड़ के अग्रिम की माँग की, जबकि, बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पीडीडी ₹ 25 करोड़ की राशि का अग्रिम विमोचन करेगी।

तदनुसार, कम्पनी ने पीडीडी को ₹ 25 करोड़ के अग्रिम के विमोचन का अनुरोध (सितंबर 2018) किया। तथापि, पीडीडी द्वारा अग्रिम राशि का विमोचन नहीं किया गया नतीजन कम्पनी ने जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) से आपूर्ति आदेश के कार्यान्वयन के लिए ₹ 70 करोड़ का लघु सावधि ऋण (सितंबर 2018) लिया। ₹ 70 करोड़ के सावधि ऋण में से, कम्पनी द्वारा ऋण के आहरण के 22 दिनों¹⁹ के भीतर ₹ 32 करोड़ की राशि का बैंक को पुनर्भुगतान किया गया जो यह संकेत करता है कि कम्पनी द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही ₹ 70 करोड़ का ऋण लिया था।

अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2020) से प्रकट हुआ कि आपूर्ति आदेश के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी ने विभिन्न एसएसआई इकाइयों को कुल मिलाकर ₹ 43.25 करोड़²⁰

¹⁸ प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों में निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने थे।

¹⁹ 28 सितंबर 2018 को सावधि ऋण आहरित किया गया तथा 19 अक्टूबर 2018 तक ₹ 32 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

²⁰ जम्मू प्रभाग: ₹ 35.01 करोड़, कारगिल: ₹ 2.49 करोड़ तथा लेह: ₹ 5.75 करोड़

का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया जबकि कम्पनी ने सितंबर 2018 और मार्च 2019 के मध्य ऋण पर ब्याज/ प्रसंस्करण शुल्क के लिए बैंक को ₹ 1.91 करोड़²¹ का भुगतान किया था। अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि कम्पनी ने पीडीडी को ₹ 339.15 करोड़ मूल्य की आपूर्ति का निष्पादन किया जिसके लिए इसे ₹ 275.40 करोड़ प्राप्त हुए, और इस प्रकार ₹ 63.75 करोड़ की शेष राशि पीडीडी से वसूली करनी (फरवरी 2022) बाकी रह गई थी।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि पीडीडी द्वारा यह माना गया कि योजना के निष्पादन के लिए कम्पनी को ₹ 25 करोड़ के अग्रिम का मोचन किया जाएगा परंतु बाद में पीडीडी सहमत राशि के विमोचन में विफल रही, नतीजन कम्पनी को एसएसआई इकाइयों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने तथा लक्षित समय सीमा में योजना को पूर्ण करने हेतु ऋण की सुविधा लेनी पड़ी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने ब्याज मुक्त अग्रिमों को प्रदान करने के माध्यम से एसएसआई इकाइयों को अनुचित लाभ दिया जबकि कम्पनी ने ऋण पर ₹ 1.70 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 0.21 करोड़ के प्रसंस्करण शुल्कों का भुगतान अपने स्वयं के स्रोतों से किया।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

10.4 जीएसटी को जमा करने में हुए विलंब के कारण दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान

औद्योगिक इकाइयों से ₹ 95.26 लाख की जीएसटी की वसूली में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप इसे अपने स्रोतों से जीएसटी के भुगतान के अतिरिक्त जीएसटी जमा करने में हुए विलंब के कारण ₹ 20.36 लाख के दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अनुसार एसआरओ-जीएसटी-11 को जारी (जुलाई 2017) किया जो 08 जुलाई 2017 से स्वयं या पट्टे पर ली गई गैर-आवासीय सम्पत्ति को सम्मिलित

²¹ ब्याज: ₹ 1.70 करोड़ तथा ऋण प्रसंस्करण शुल्क: ₹ 0.21 करोड़

करते हुए पट्टा का किराया वाली 'रियल इस्टेट सर्विस' पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के प्रभारण का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर के भुगतान में विफल रहता है, वह प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से दंडस्वरूप ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने औद्योगिक भूमि के भूखंडों को उद्यमियों को पट्टे पर दिया और जिसके लिए पट्टा किराया तथा जल शुल्कों की वसूली की गई। एसआरओ-जीएसटी-11 के अनुसार कम्पनी को 08 जुलाई 2017 से औद्योगिक इकाइयों से उपयोगकर्ता शुल्कों²² पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी की वसूली भी करनी थी।

तथापि, यह पाया गया (मार्च 2021) कि कम्पनी जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए औद्योगिक इकाइयों से उपयोगकर्ता शुल्कों पर जीएसटी की वसूली करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी को नवंबर 2018 से मार्च 2020²³ तक की अवधि के दौरान जीएसटी जमा करने में हुए विलंब के लिए ₹ 20.36 लाख के दंडस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 115.62 लाख²⁴ कर प्राधिकारियों के पास अपने स्वयं के स्रोतों से जमा करने पड़े। अभिलेखों ने आगे दर्शाया कि कम्पनी का कॉर्पोरेट कार्यालय प्रभावी तिथि अर्थात् 08 जुलाई 2017 से जीएसटी वसूली के लिए अपने संपदा कार्यालयों को निदेश देने में विफल रहा जैसा कि अप्रैल 2018 से जीएसटी की वसूली हेतु निदेश जारी (मार्च 2018) किए गए थे।

इस प्रकार, औद्योगिक इकाइयों से ₹ 95.26 लाख की जीएसटी की वसूली में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप इसे अपने स्रोतों से जीएसटी के भुगतान के अतिरिक्त जीएसटी को जमा करने में हुए विलंब के कारण ₹ 20.36 लाख के दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

²² पट्टे का किराया तथा जल शुल्क

²³ कश्मीर क्षेत्र: ₹ 16 लाख (नवंबर 2018), ₹ आठ लाख (जनवरी 2019), ₹ 6.98 लाख (मार्च 2019); जम्मू क्षेत्र: ₹ 65.48 लाख (अगस्त 2019) तथा ₹ 19.16 लाख (मार्च 2020)

²⁴ संग्रहित उपयोगकर्ता शुल्कों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2021) कि लघु औद्योगिक इकाइयां इस अवधारणा में थी कि उन्हें जीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जमा की गई राशि की वसूली की जा रही है तथा भविष्य में, जीएसटी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि औद्योगिक इकाइयों से जीएसटी की समय पर वसूली और कर प्राधिकारियों के पास जमा करने में विफलता के कारण कम्पनी को ₹ 20.36 लाख के दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 21 फरवरी 2023



(प्रमोद कुमार)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 28 फरवरी 2023



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1
श्रेणीवार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और प्रतिदर्श चयन
(संदर्भ कंडिका: 2.3)

क्रमांक सं	श्रेणी	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	प्रतिदर्श चयन
1	सेवाओं का निर्यात- कर के भुगतान के साथ (ईएक्सडब्ल्यूपी)	5	2
2	माल/सेवाओं का निर्यात- कर के भुगतान के बगैर अर्थात् आईटीसी संचित (ईएक्सडब्ल्यूओपी)	99	33
3	निर्यात मान (प्रापक) (ईएक्सपीआरडीई)	1	2
4	निर्यात मान (प्रदायक) (ईएक्सपीएसडीई)	0	0
5	इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता में अतिरिक्त शेष (ईएक्सबीसीएल)	1,008	62
6	विपरीत कर संरचना के कारण संचित किया गया आईटीसी (आईएनवीआईटीसी)	164	33
7	अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर जिसे तत्पश्चात् अंतर-राज्य आपूर्ति और विपर्ययण माना जाता है (आईएनटीआरवीसी)	1	0
8	एसईजेड इकाइयों/ एसईजेड डेवलपर्स को की गई आपूर्ति के लिये (कर के भुगतान के साथ) (एसईजेडडब्ल्यूपी)	1	3
9	एसईजेड इकाई/ एसईजेड डेवलपर को की गई आपूर्ति के लिये (कर के भुगतान के बगैर) (एसईजेडडब्ल्यूओपी)	27	8
10	मूल्यांकन/ अनंतिम मूल्यांकन/ अपील/ किसी अन्य आदेश के लिये (एसएसओआरडी)	1	0
11	कर का अतिरिक्त भुगतान (एक्सएसपीएवाई)	29	8
12	अन्य कोई (एएनवाईओटीएच)	84	15
	कुल	1,420	166

परिशिष्ट 2.2

आवेदनों की पावती में विलंब (सभी प्रकार के धनवापसी) (स्वचालन पूर्व)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.1)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (संभाग)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए पूर्व-स्वचालन धनवापसी मामलों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी मामलों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें पावती में विलंब देखी गई	विलंब की अवधि (दिनों में)
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	44	44	2	15 से 477

धनवापसी मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में विलंब) (स्वचालन पूर्व)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.1)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	धनवापसी आवेदन दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	विलंब की अवधि	विलंब के कारण
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	कश्मीर विरासत	01AAUPW8632L1ZY	AA0109171049852/ 21-01-2018	21-01-2018	28-05-2019	31,872	477	उस समय तकनीकी खराबी /नई कार्यक्षमता
		दार ओवरसीज	01ACQPD2717H1Z0	AA010818003981C/ 15-01-2019	15-01-2019	14-02-2019	2,60,014	15	

सभी प्रकार के धनवापसी हेतु आवेदनों की पावती में विलंब (स्वचालन के बाद)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.1)

लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिदर्श से जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की कुल संख्या जिसमें पावती में विलंब देखी गई	विलंब की अवधि (दिनों में)
83	19	1 - 145

धनवापसी मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में विलंब) (स्वचालन के बाद)
(संदर्भ कंडिका: 2.4.1)

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	विलंब की अवधि (दिनों में)	विलंब का कारण
1	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	मनी मैट्रिक्स मार्ट	01AADCM9369G1ZF	AA011219007650S/ 28-12-19	20-01-2020	4,085	8	उस समय तकनीकी खराबी/ नई कार्यक्षमता
2	जम्मू		मनी मैट्रिक्स मार्ट	01AADCM9369G1ZF	AA011219007653M/ 28-12-19	20-01-2020	2,888	8	ऊपरोक्त अनुसार
3	जम्मू		शाम कुमार गुप्ता एंड संस	01AGYPG2895H1Z2	AA011119003844N/ 28-12-19	28-12-2019	20,000	15	ऊपरोक्त अनुसार
4	जम्मू		जीएसपी पॉवर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA011119000567O/ 04-11-19	28-11-2019	17,80,674	9	ऊपरोक्त अनुसार
5	जम्मू		एक्सेंट फार्मा	01AALFA5121H1Z1	AA011119001385T/ 11-11-19	04-12-2019	71,71,459	8	ऊपरोक्त अनुसार
6	जम्मू		गुलाटी ऑयल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01AABCL1945R1ZD	AA0111190030419/ 22-11-19	21-12-2019	5,81,031	14	ऊपरोक्त अनुसार
7	जम्मू		ओसियन डिजाइनर टाइल्स कंपनी	01AGVPG7623E1ZJ	AA011119003807L/ 27-11-19	20-01-2020	1,200	39	ऊपरोक्त अनुसार
8	जम्मू		जीएसपी पॉवर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA011119003896E/ 28-11-19	21-12-2019	20,70,954	8	ऊपरोक्त अनुसार
9	जम्मू		जीएसपी पॉवर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA0111190040525/ 29-11-19	10-01-2020	9,50,912	27	ऊपरोक्त अनुसार
10	जम्मू		कश्मीर वॉलनट ओवरसीज प्रा. लिमिटेड	01AACCK9136G1ZT	AA010120000630L/ 03-01-20	06-02-2020	25,67,020	19	ऊपरोक्त अनुसार
11	जम्मू		कश्मीर वॉलनट ओवरसीज प्रा. लिमिटेड	01AACCK9136G1ZT	AA010120011334G/ 29-01-20	14-02-2020	15,72,898	1	ऊपरोक्त अनुसार

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	विलंब की अवधि (दिनों में)	विलंब का कारण
12	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	मेसर्स ऋषि ट्रेडिंग कंपनी	01CDOPK2216F2Z0	AA010120001507B/ 07-01-20	23-05-2020	35,000	122	ऊपरोक्त अनुसार
13	जम्मू		फैरोज रेमेडीज लिमिटेड.	01AAECP0493R1Z5	AA010220000307E/ 03-02-20	13-03-2020	42,71,548	24	ऊपरोक्त अनुसार
14	जम्मू		फैरोज रेमेडीज लिमिटेड	01AAECP0493R1Z5	AA010220002599V/ 06-02-20	13-03-2020	6,70,973	21	ऊपरोक्त अनुसार
15	जम्मू		लैबिज़ा ऑनलाइन समाधान	01AADFL6070A1Z2	AA011219004368K/ 18-12-19	26-05-2020	3,462	145	ऊपरोक्त अनुसार
16	जम्मू		स्टेरिल-जीन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	01AAKCS9783R1ZD	AA0103200071871/ 20-03-20	02-05-2020	1,90,532	28	ऊपरोक्त अनुसार
17	जम्मू		कैलाशपति ईट भट्टा	01AABFK5402B1ZD	AA0110190013045/ 13-10-19	15-01-2020	30,788	418	ऊपरोक्त अनुसार
18	कश्मीर		मेसर्स बिजनेस किंग	01ABEPZ0826C1Z4	AA0102200085361/ 20-02-2020	03-11-2020	10,120	5	ऊपरोक्त अनुसार
19	कश्मीर		मेसर्स कश्मीर हेरिटेज	01AAUPW8632L1ZY	AA011019002479L/ 22-10-2019	27-12-2019	52,41,214	51	ऊपरोक्त अनुसार

परिशिष्ट 2.3

समय के भीतर नहीं निपटाए गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान/ भुगतान नहीं किया गया) (स्वचालन पूर्व)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.2)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए पूर्व-स्वचालन धनवापसी आवेदनों की कुल संख्या	प्रतिदर्श के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	विलंब की अवधि	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	विलंब के कारण
कश्मीर	आयुक्त	44	44	11	6 से 446	शून्य	0.20 लाख	धीमी इंटरनेट स्पीड/ इंटरनेट की समस्या/ सॉफ्टवेयर त्रुटि
जम्मू	राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	42	42	7	38-261		0.63 लाख	

धनवापसी के मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (देय ब्याज का भुगतान/ भुगतान नहीं किया गया) (स्वचालन पूर्व)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.2)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	हस्त फाइल करने के मामले में धनवापसी आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी -06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	संस्वीकृत धनवापसी राशि	विलंब की अवधि	विलंब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज भुगतान नहीं किया गया
कश्मीर		यासीन ट्रेडिंग कंपनी	01ALLPM0943Q3ZS	AA011217004217X-24/12/2017	24-12-2017	24-12-2017	01-03-2018	1,05,899	1,05,899	7			122
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग	मतीन सॉफ्ट सॉल्यूशंस.	01AHJPH2761B1Z1	AA010218003372Z-19/02/2018	19-02-2018	19-02-2018	02-01-2019	2,983	2,983	257			126
कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	कैफ़ी एंड कैफ़ी	01AMAPD0231A1ZK	AA010819002348D-31/08/2019	31-08-2019	31-08-2019	07-12-2019	3,03,903	3,03,903	38			1,898
कश्मीर		इंटरप्राइजेज	01AMAPD0231A1ZK	AA010819002350S-31/08/2019	31-08-2019	31-08-2019	07-12-2019	6,59,915	6,59,915	38			4,122
कश्मीर		-वही-	01AMAPD0231A1ZK	AA01081910023520-31/08/2019	31-08-2019	31-08-2019	07-12-2019	10,65,568	10,29,915	38			6,433

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	हस्त फाइल करने के मामले में धनवापसी आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी -06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	संस्वीकृत धनवापसी राशि	विलंब की अवधि	विलंब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज भुगतान नहीं किया गया
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	अब्दुल गनी मीर	01BSCPM3669L1ZL	AA010118005713-31/01/2018	31-01-2018	31-01-2018	20-12-2018	6,000	6,000	263			259
कश्मीर		नासा गुप ऑफ इंजीनियर्स.	01AALFN4835F1ZH	AA0105190039321-16/05/2019	16-05-2019	16-05-2019	09-09-2019	5,525	5,525	56			51
कश्मीर		अब्दुल रशीद तंत्रय.	01AUAPT0839N1ZJ	AA010818004262	29-08-2018	29-08-2018	30-04-2019	8,000	8,000	184			242
कश्मीर		रॉयल विलो वर्क्स	01BNCPS2996F1ZY	AA010619003945A-22/06/2019	22-06-2019	22-06-2019	27-08-2019	68,351	68,351	6			67
कश्मीर		कश्मीर विरासत	01AAUPW8632LIZY	AA0109171049852-21/01/2018	21-01-2018	21-01-2018	11-06-2019	31,872	31,872	446			2,337
कश्मीर		न्यू सिटी फार्मा	01AAEFC4050G1Z6	AA0218002120D-10/02/2018	10-02-2018	10-02-2018	10-05-2018	8,61,602	8,61,602	29			4,107
जम्मू		रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	01AABCI6363G1ZX	AA0103181398077	12-03-2019	12-03-2019	18-06-2019	9,751	9,751	38			61
जम्मू		न्यूक्लियॉन इन्फोटेक कंप्यूटर्स	01BUSPS2490B1ZN	AA010519004504P	18-05-2019	18-05-2019	29-08-2019	53,578	53,578	43			379

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	हस्त फाइल करने के मामले में धनवापसी आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी -06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	संस्वीकृत धनवापसी राशि	विलंब की अवधि	विलंब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज भुगतान नहीं किया गया	
जम्मू	आयुक्त	सेंड एक्स कूरियर एंड कार्गो	01ARTPB2724J1Z0	AA010717002356M	07-06-2019	07-06-2019	30-01-2020	2,33,794	2,33,794	177			6,802	
जम्मू		पंजाब ट्रेडिंग कंपनी	01ANSPT5623K3ZJ	AA011118002574T	18-11-2018	18-11-2018	16-05-2019	6,400	6,400	119			125	
जम्मू		राज्य कर विभाग	पूजा इंटरप्राइजेज	01AMEPR9104J1Z5	AA010319000926J	06-03-2019	06-03-2019	21-01-2020	1,80,000	1,80,000	261			7,723
जम्मू		जम्मू और कश्मीर	रामा मेटल्स	01AARFR0718H1ZD	AA011218001299M	10-12-2019	10-12-2019	02-08-2019	16,37,831	16,37,831	175			47,116
जम्मू		जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड	01AAACJ7163Q1ZC	AA010819001172R		12-08-2019	12-08-2019	25-11-2019	1,29,720	1,29,720	45			960

समय के भीतर नहीं निपटाए गए आवेदन (देय ब्याज का भुगतान/ भुगतान नहीं किया गया) (स्वचालन के बाद)
(संदर्भ कंडिका: 2.4.2)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	विलंब की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	विलंब का कारण
83	25	2 से 164		1.50 लाख	धीमी इंटरनेट स्पीड/ इंटरनेट की समस्या/ सॉफ्टवेयर त्रुटि

धनवापसी मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (समय से नहीं निपटाए गए आवेदन, देय ब्याज का भुगतान/ भुगतान नहीं किया गया) (स्वचालन के बाद)
(संदर्भ कंडिका: 2.4.2)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी - 06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	धनवापसी राशि संस्वीकृत	विलंब की अवधि	विलंब का कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
जम्मू		मनी मैट्रिक्स मार्ट	01AADCM9369G1ZF	AA011219007650S/ 28-12-19	20-01-2020	28-02-2020	4,085	4,085	2			1
				AA011219007653M/ 28-12-19		28-02-2020	2,888	2,888	2		1	
जम्मू	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स ऋषि ट्रेडिंग कंपनी	01CDOPK2216F2Z0	AA010120001507B/ 07-01-20	23-05-2020	09-06-2020	35,000	35,000	94			541
जम्मू	विभाग	न्यू बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी	01BARPS1161G1ZT	AA010220000282I/ 02-02-20	02-02-2020	09-06-2020	2,14,000	2,14,000	68			2,392
जम्मू	जम्मू और कश्मीर	गायत्री-केएमबी संयुक्त उद्यम	01AADAG9992M1Z7	AA0103200007248/ 03-03-20	03-03-2020	08-06-2020	2,10,00,000	2,10,00,000	37			1,27,726
जम्मू		सत साहित्य सेवा केंद्र	01FPGPS0403P1ZV	AA010220014080K/ 29-02-20	29-02-2020	28-05-2020	1,450	1,450	29			7
जम्मू		शर्मा बर्तन भंडार	01DPWPS5122H1ZO	AA0101200048733/ 20-01-20	20-01-2020	21-04-2020	19,720	19,720	32			2,392

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी - 06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	धनवापसी राशि संस्वीकृत	विलंब की अवधि	विलंब का कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारिक संरचना विकास निगम लिमिटेड	01AAECN7759E1ZJ	AA011119001392Y/11-11-19	11-11-2019	22-06-2020	5,15,576	5,15,576	164			1,27,726
जम्मू		तैबिज़ा ऑनलाइन समाधान	01AADFL6070A1Z2	AA011219004368K/18-12-19	26-05-2020	26-05-2020	3,462	3,462	100			7
जम्मू		स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	01AAECS8719B1ZQ	AA010420000351H/08-04-20	08-04-2020	27-06-2020	18,00,000	18,00,000	20			2,392
जम्मू		मैसर्स पुरी स्टोन केशर	01AELPP7537G1ZF	AA011219001485P/12-09-2019	09-12-2019	13-02-2020	1,32,115	1,32,115	6			1,27,726
जम्मू		डिसैंट फर्निशर्स और डेकोरेटर्स	01AAHFD0617P1ZM	AA010220012570D/27-02-20	27-02-2020	08-05-2020	51,393	51,393	11			93
जम्मू		मैपल ट्रेडिंग कंपनी	01AJBPS4268E1ZH	AA0102200141858/29-02-20	29-02-2020	05-05-2020	89,244	89,244	6			88
जम्मू		केलाश पति ईट भट्टा	01AABFK5402B1ZD	AA0110190013045/13-10-19	15-01-2020	15-01-2020	30,788	30,788	34			172
कश्मीर		रहीम इंजीनियरिंग वर्क्स	01AEZPB2511G3ZX	AA010320001649X/03-05-2020	03-05-2020	02-06-2020	1,73,851	1,73,851	29			829
कश्मीर		वी-स्क्राइब	01AFSPN4801R1Z0	AA010220002489Y/02-06-2020	02-06-2020	13-06-2020	1,600	1,600	68			18
कश्मीर		टेकमिनेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	01AAGCT7762H1ZA	AA010320000005M/03-01-2020	01-03-2020	04-07-2020	80,580	80,580	65			861
कश्मीर		शाह रग इंटरनेशनल	01ABBFS8923L1Z2	AA011219000615T/12-04-2019	17-12-2019	13-02-2020	7,41,213	7,17,080	11			1,297
कश्मीर		मैसर्स बिजनेस किंग	01ABEPZ0826C1Z4	AA0102200085361/02-20-2020	11-03-2020	02-06-2020	10,120	10,120	43			72
कश्मीर		कश्मीर परम्परा	01AAUPW8632L1ZY	AA011019002479L/22-10-2019	27-12-2019	27-12-2019	52,41,214	52,41,214	6			5,169

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी - 06 में आदेश की तिथि	दावा की गई धनवापसी राशि	धनवापसी राशि संस्वीकृत	विलंब की अवधि	विलंब का कारण	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	मेसर्स विनर टावर स्टोर	01AENPT8896G1ZT	AA011219005593M-21-12-2019	21-12-2019	26-02-2020	1,26,514	1,26,514	7			146
कश्मीर		सोफी ट्रेडिंग कंपनी	01FIJPS9419D1Z5	AA010320003363B/10-03-2020	10-03-2020	19-06-2020	1,81,688	1,81,688	41			1,225
कश्मीर		सैयद अतहर हसन	01BDJPA6932N1ZL	AA0102200024848/06-02-2020	06-02-2020	23-05-2020	1,880	1,880	47			15
कश्मीर		सज्जाद अहमद मीर	01BUXPM0992D1ZH	AA0102200008173/03-02-2020	03-02-2020	23-05-2020	22,980	22,980	50			189
कश्मीर		इंपीरियल ट्रेड	01ACUPW7696J1ZK	AA010200039790/10-02-2020	10-02-2020	28-05-2020	4,000	4,000	48			32

परिशिष्ट 2.4

इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी की अनियमित अनुमति (स्वचालन पूर्व)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.3)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण पूर्व-स्वचालन धनवापसी मामलों की कुल संख्या	प्रतिदश से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी मामलों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित धनवापसी प्रदान की गई (₹ में)		
					आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
कश्मीर	आयुक्त	6	6	1	2,32,467		
जम्मू	राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	14	14	2	20,62,693		

धनवापसी मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी का अनियमित स्वीकृति)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.3)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम धनवापसी की तिथि	निवल आईटीसी में विभाग द्वारा मानी जाने वाली सेवाओं का आईटीसी	विभाग द्वारा संस्वीकृत धनवापसी राशि (₹ में)			धनवापसी का अनियमित स्वीकृति (₹ में)		
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
जम्मू	आयुक्त	जीएसपी पॉवर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA010218005384S/ 12-04-19	06-12-2019		21,75,910			13,47,047		
जम्मू	राज्य कर विभाग	अप्सरा प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड	01AAACA1046R1ZX	AA010718006125P/ 28-02-19	24-04-2019		19,07,772			7,15,646		
कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	रहीम इंजीनियरिंग वर्क्स	01AEZPB2511G3ZX	AA011118054562M/ 09/01/2019	16-02-2019	20,46,357	4,60,855			2,32,467		

इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी का अनियमित स्वीकृति स्वचालन के बाद
(संदर्भ कंडिका: 2.4.3)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित धनवापसी प्रदान की गई (₹ में)		
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
14	2	16,87,072		

धनवापसी मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की धनवापसी का अनियमित स्वीकृति)
(संदर्भ कंडिका: 2.4.3)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम धनवापसी की तिथि	निवल आईटीसी में विभाग द्वारा मानी जाने वाली सेवाओं का आईटीसी	विभाग द्वारा संस्वीकृत धनवापसी राशि (₹ में)			धनवापसी का अनियमित स्वीकृति (₹ में)		
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	एक्सेंट फार्मा	01AALFA5121H1Z1	AA011119001385T/11-11-19	06-12-2019		26,73,070	21,72,184	23,26,205	13,47,651		
जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	जीएसपी पावर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA011119000567O/04-11-19	28-11-2019		17,80,674			3,39,421		

परिशिष्ट 2.5
अनंतिम धनवापसी का अनियमित स्वीकृति
(संदर्भ कंडिका: 2.4.4)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-रेटेड धनवापसी आवेदनों के अलावा पूर्व-स्वचालन की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य रेटेड धनवापसी आवेदनों के अलावा अन्य की कुल संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिसमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अतिरिक्त राशि धनवापसी की गई (₹ में)		
					आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	27	27	3	19,93,733		

धनवापसी मामलों की सूची जिसमें कमियां देखी गईं (अनंतिम धनवापसी का अनियमित स्वीकृति, स्वचालन पूर्व)
(संदर्भ कंडिका: 2.4.4)

संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश की तिथि	अतिरिक्त राशि धनवापसी की गई (₹ में)		
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
कश्मीर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	कैफ़ी एंड कैफ़ी इंटरप्राइजेज	01AMAPD0231A1ZK	AA010819002348D/ 31-08-2019	12-07-2019	3,03,903		
				AA010819002350S/ 31-08-2019		6,59,915		
				AA010819002352O/ 31-08-2019		10,29,915		

परिशिष्ट 2.6

विवरणियों के गैर फाइलिंग के बावजूद धनवापसी की स्वीकृति

(संदर्भ कंडिका: 2.4.5)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	धनवापसी की गई राशि (₹ में)			
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
166	26	5,96,418	64,65,719	14,65,679	88,578

धनवापसी मामलों की सूची (विवरणियों के गैर फाइलिंग के बावजूद धनवापसी का स्वीकृति) (स्वचालन के बाद)

(संदर्भ कंडिका: 2.4.5)

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या और तिथि	धनवापसी संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)			धनवापसी राशि (₹ लाख में)			उपकर	सर्कल
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	श्रीनगर		मेसर्स बिजनेस किंग	01ABEPZ0826C1Z4	AA0102200085361/ 11-03 -2020			0.10			0.10		सर्कल एच-कश्मीर
2	श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	मेसर्स अबू ज़र इंटरप्राइजेज	01CFFPD5756N1ZD	AA010817000950M/ 02-03-2019		0.12	0.12		0.12	0.12		सर्कल बारामूला-III (सोपोर) कश्मीर
3	जम्मू		राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारिक संरचना विकास निगम लिमिटेड	01AAECN7759E1ZJ	AA011119001392Y/ 11-11-2019	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58		सर्कल पी-जम्मू

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या और तिथि	धनवापसी संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)			धनवापसी राशि (₹ लाख में)			उपकर	सर्कल
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
4	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01AAECC4710G1ZD	AA010520000746Y/ 15-05-2020	0.20	1.06	1.06	0.20	1.06	1.06		सर्कल ई - जम्मू
5	जम्मू		न्यू बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी	01BARPS1161G1ZT	AA010220000282I/ 02-02-2020	0	1.09	1.05	0.00	1.09	1.05		सर्कल एच - जम्मू
6	जम्मू		ध्रुव सिंह	01ACFPJ1918H1Z4	AA010620006005A/ 24-06-2020	0	0.79	0.79	0.00	0.79	0.79		सर्कल क्यू - जम्मू
7	जम्मू		विपुल इंटरप्राइजेज	01AAIFV2623A1ZW	AA010120002003S/ 09-01-2020	1.02	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00		सर्कल जी - जम्मू
8	जम्मू		मेपल ट्रेडिंग कंपनी	01AJBPS4268E1ZH	AA0102200141858/ 29-02-2020	0	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45		सर्कल आर - जम्मू
9	जम्मू		डीसेंट फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स	01AAHFD0617P1ZM	AA010220012570D/ 27-02-2020	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00		सर्कल आर - जम्मू
10	जम्मू		मेसर्स ऋषि ट्रेडिंग कंपनी	01CDOPK2216F2Z0	AA010120001507B/ 07-01-2020							0.35	सर्कल एच - जम्मू

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या और तिथि	धनवापसी संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)			धनवापसी राशि (₹ लाख में)			उपकर	सर्कल
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
11	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	कैलाश पति ईट भट्टा	01AABFK5402B1ZD	AA0110190013045/ 23-10-2019		0.15	0.15	0.00	0.15	0.15		सर्कल एस-जम्मू
12	जम्मू		गीतागिरी इंटरप्राइजेज	01CXPPS1106R5ZZ	AA010520000542A/ 12-05-2020	0	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13		सर्कल ए-जम्मू
13	जम्मू		शर्मा बर्तन भंडार	01DPWPS5122H1ZO	AA0101200048733/ 20-01-2020	0	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10		सर्कल ओ-जम्मू
14	जम्मू		मनी मैट्रिक्स मार्ट	01AADCM9369G1ZF	AA011219007650S/ 28-12-2019	4,085	0.00	0.00	4,085	0.00	0.00		सर्कल बी-जम्मू
15	जम्मू		लबीज़ा ऑनलाइन सॉल्यूशन	01AADFL6070A1Z2	AA011219004368K/ 18-12-2019	0	0.017	0.017	0.00	0.017	0.017		सर्कल पी-जम्मू
16	जम्मू		अखिल मेडिकोज	01AMMPG6675K1ZS	AA010120000535D/ 03-01-2020	0	0.017	0.017	0.00	0.017	0.017		सर्कल जे-जम्मू
17	जम्मू		सतसाहित्य सेवा केंद्र	01FPGPS0403P1ZV	AA010220014080K/ 29-02-2020	0	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01		सर्कल एन-जम्मू

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या और तिथि	धनवापसी संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)			धनवापसी राशि (₹ लाख में)			उपकर	सर्कल	
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी			
स्वचालन पूर्व														
18	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	अमर सिंह एंड संस	01AABFA8440K1ZS	AA010319137815A/ 17-05-2019		56.30	7.32		56.30	7.32		सर्कल जी-जम्मू	
19	जम्मू		जे.के प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	01ABEPK2027J1Z7	AA0110170030259/ 15-05-2019		0.67			0.67			सर्कल आई-जम्मू	
20	जम्मू		न्यूक्लियॉन इन्फोटेक कंप्यूटर्स	01BUSPS2490B1ZN	AA010519004504P/ 18-05-2019							0.54	सर्कल जे-जम्मू	
21	जम्मू		पूजा उद्यम	01AMEPR9104J1Z5	AA010319000926J/ 06-03-2019		0.90	0.90		0.90	0.90		सर्कल क्यू-जम्मू	
22	जम्मू		पंजाब ट्रेडिंग कंपनी	01ANSPT5623K3ZJ	AA011118002574T/ 18-11-2018		0.65	0.65		0.65	0.65		सर्कल पी-जम्मू	
23	जम्मू		आरवीएस इंफॉर्मेटिक्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड	01AAHCR7890M1ZV	AA0103191308777/ 08-05-2019		0.21	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12		सर्कल एल-जम्मू
24	जम्मू		सेंड एक्स करियर एंड कार्गो	01ARTPB2724J1Z0	AA010717002356M/ 07-06-2019		0.23			0.23				सर्कल के-जम्मू

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारित का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या और तिथि	धनवापसी संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)			धनवापसी राशि (₹ लाख में)			उपकर	सर्कल
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
25	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग	शाह अली भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता	01AWHPA2015J1ZB	AA010519004107R/ 07-05-2019		0.18	0.18	0.18	0.18			सर्कल ए-जम्मू
26	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	विद्यालक्ष्मी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	01AAGCV5515Q1Z2	AA010719004178E/ 20-07-2019	3.03556							सर्कल पी-जम्मू

परिशिष्ट 2.7
अन्यायपूर्ण संवर्धन के परीक्षण का भुगतान किए बिना धनवापसी दावों का प्रसंस्करण
(संदर्भ कंडिका: 2.4.6)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं
166	15

उन मामलों की सूची जिसमें अन्यायपूर्ण संवर्धन के परीक्षण का भुगतान किए बिना धनवापसी दावों का प्रसंस्करण किया गया था
(संदर्भ कंडिका: 2.4.6)

(₹ लाख में)

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	जीएसटीआईएन	ए.आर.एन.	एआरएन तिथि	नाम	धनवापसी आर एसएन	दावा की गई धनवापसी की राशि	संस्वीकृत राशि	सीए प्रमाणपत्र	सर्कल
1	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	01AADAG9992M1Z7	AA0103200007248	03-03-2020	गायत्री-केएमबी संयुक्त उद्यम	EXBCL	210.00	210.00	नहीं	सर्कल एच - जम्मू
2	जम्मू		01AAACO7408D1Z2	AA0105200016451	26-05-2020	ओंकार नाथ भल्ला एंड संस कॉन्ट्रैक्टर (प्रा.) लिमिटेड	EXBCL	28.02	28.02	नहीं	सर्कल पी - जम्मू
3	जम्मू		01AAECS8719B1ZQ	AA010420000351H	08-04-2020	स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	EXBCL	18.00	18.00	नहीं	सर्कल पी - जम्मू
4	जम्मू		01AACCK9136G1ZT	AA010120011334G	29-01-2020	कश्मीर वॉलनट ओवरसीज प्रा. लिमिटेड	ANYOTH	15.73	15.73	नहीं	सर्कल जी - जम्मू
5	जम्मू		01ACFFS6753B1ZH	AA0106200012853	09-06-2020	स्काईलाइन होटल	EXBCL	11.57	11.57	नहीं	सर्कल एल - जम्मू
6	जम्मू		01AAECP0493R1Z5	AA010420000621E	16-04-2020	फेरोस रेमेडीज लिमिटेड	EXBCL	8.63	8.63	नहीं	सर्कल आई - जम्मू
7	जम्मू		01AACCD5896N2Z9	AA0111190002070	01-11-2019	डेल्टा पावर सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड	EXBCL	5.61	5.61	नहीं	सर्कल आर - जम्मू

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	जीएसटीआईएन	ए.आर.एन.	एआरएन तिथि	नाम	धनवापसी आर एसएन	दावा की गई धनवापसी की राशि	संस्वीकृत राशि	सीए प्रमाणपत्र	सर्कल
8	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	01AAECN7759E1ZJ	AA011119001392Y	11-11-2019	राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारिक संरचना विकास निगम लिमिटेड	EXBCL	5.16	5.16	नहीं	सर्कल पी - जम्मू
9	जम्मू		01AADCC8088Q1Z6	AA010320007869L	27-03-2020	चेन्नई नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	EXBCL	5.12	5.12	नहीं	सर्कल आर - जम्मू
10	जम्मू		01AARPM9771F1ZE	AA0105200015932	26-05-2020	लक्ष्मी रिफाइनेरीज	EXBCL	2.74	2.74	नहीं	सर्कल आई - जम्मू
11	जम्मू		01AAECC4710G1ZD	AA010520000746Y	15-05-2020	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	EXBCL	2.33	2.33	नहीं	सर्कल ई - जम्मू
12	जम्मू		01BARPS1161G1ZT	AA010220000282I	02-02-2020	न्यू बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी	EXBCL	2.14	2.14	नहीं	सर्कल एच - जम्मू
13	श्रीनगर		01AASFB3621J1ZN	AA010320004649U	13-03-2020	बट शॉल इंडस्ट्रीज	EXBCL	2.13	2.13	नहीं	सर्कल ए - कश्मीर
14	श्रीनगर		01AMKPB6880B1ZJ	AA010320002900C	09-03-2020	लेक सिटी ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी	EXBCL	5.79	5.79	नहीं	सर्कल एच - कश्मीर
15	श्रीनगर		01AAGFH0442P1ZK	AA010520001060L	18-05-2020	हाईवे कंस्ट्रक्शन	EXBCL	16.00	16.00	नहीं	सर्कल अनंतनाग III-कश्मीर

परिशिष्ट 2.8

जीएसटीआर-3बी में परिलक्षित की तुलना में धनवापसी आवेदन में दर्शाए गए उच्च आईटीसी पर अतिरिक्त धनवापसी

(संदर्भ कंडिका: 2.4.9)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं
166	8

जीएसटीआर-3बी में परिलक्षित की तुलना में धनवापसी आवेदन में दर्शाए गए उच्च आईटीसी पर अतिरिक्त धनवापसी वाले मामलों की सूची

(संदर्भ कंडिका: 2.4.9)

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	नाम	एआरएन सं.	जीएसटीआईएन	एआरएन तिथि	धनवापसी राशि संस्वीकृत (₹ लाख में)			सर्कल
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
1	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	कश्मीर वॉलनट ओवरसीज प्रा. लिमिटेड	AA010120000630L	01AACCK9136G1ZT	03-01-2020	0	0	25.67	सर्कल जी- जम्मू
2	जम्मू		चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA010420001351G	01AAJCS1850N1ZA	30-04-2020	0	5.21	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू
3	जम्मू		चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA010520000213H	01AAJCS1850N1ZA	05-05-2020	0	3.96	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू
4	जम्मू		चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA0105200002187	01AAJCS1850N1ZA	05-05-2020	0	11.71	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू
5	जम्मू		चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA010520000220M	01AAJCS1850N1ZA	05-05-2020	0	19.62	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू
6	जम्मू		चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA010520000223G	01AAJCS1850N1ZA	05-05-2020	0	17.15	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	नाम	एआरएन सं.	जीएसटीआईएन	एआरएन तिथि	धनवापसी राशि संस्वीकृत (₹ लाख में)			सर्कल
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
7	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, कठुआ, जम्मू और कश्मीर (प्रोप सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	AA010520000224E	01AAJCS1850N1ZA	05-05-2020	0	5.77	0.00	सर्कल कठुआ II- जम्मू
8	जम्मू		अमर सिंह एंड संस	AA010318126982C	01AABFA8440K1ZS	13-10-2018		29.73	26.62	सर्कल जी - जम्मू

परिशिष्ट 2.9

आईटीसी चूक के मामलों में धनवापसी की अनियमित स्वीकृति
(संदर्भ कंडिका: 2.4.10)

प्रतिदर्श से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए धनवापसी आवेदनों की संख्या	धनवापसी मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं
166	10

आईटीसी बेमेल मामलों में धनवापसी के अनियमित स्वीकृति वाले मामलों की सूची
(संदर्भ कंडिका: 2.4.10)

(₹ लाख में)

क्रमांक.	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन सं.	एआरएन तिथि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सर्कल
1	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	जीस फार्मा लि. यूनिट II	01AAACZ7511N1ZA	AA010718005051X	04-02-2019	44.89	0.90	0.90	सर्कल सांबा II जम्मू
2	जम्मू		जीस फार्मा लि. यूनिट II	01AAACZ7511N1ZA	AA0102200043377	11-02-2020	8.57	2.69	2.69	सर्कल सांबा II जम्मू
3	जम्मू		जीएसपी पावर प्रोजेक्ट	01AFVPP5777K1ZO	AA0111190040525	29-11-2019	9.51	0.00	0.00	सर्कल जी-जम्मू
4	जम्मू		अप्सरा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	01AAACA1046R1ZX	AA010718006125P	28-02-2019			1.91	सर्कल जी-जम्मू
5	जम्मू		न्यू किसान मिल्क फूड्स	AA010120001632G	AA010120001632G	08-01-2020	0.00	0.94	0.94	सर्कल जी-जम्मू
6	जम्मू		न्यू किसान मिल्क फूड्स	AA010120001632G	AA010120001661F	08-01-2020	0.00	3.6037	3.60	सर्कल जी-जम्मू
7	जम्मू		जे.के. प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	01ABEPK2027J1Z7	AA0110170030259	15-05-2019	0.67	0.00	0.00	सर्कल I-जम्मू

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक.	संभाग का नाम	आयुक्तालय का नाम	नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन सं.	एआरएन तिथि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सर्कल
8	जम्मू	आयुक्त राज्य कर विभाग जम्मू और कश्मीर	फेरोस रेमेडीज लिमिटेड	01AAECP0493R1Z5	AA010220000307E	03-02-2020	41.62	0.55	0.55	सर्कल I- जम्मू
9	जम्मू		अमर सिंह एंड संस	AA010318126982C	01AABFA8440K1ZS	13-10-2018		29.73	26.62	सर्कल जी -जम्मू
10	जम्मू		अमर सिंह एंड संस	AA011217119420Y	01AABFA8440K1ZS	14-10-2018		34.91	44.85	सर्कल जी -जम्मू

परिशिष्ट 3.1
लेखापरीक्षित प्रतिदर्श का विवरण
(संदर्भ कंडिका: 3.6)

क्र.सं.	सर्कल का नाम	मामलों की संख्या
1	सर्कल ए-जम्मू	2
2	सर्कल ए- कश्मीर	4
3	सर्कल अनंतनाग III-कश्मीर	3
4	सर्कल अनंतनाग II-कश्मीर	2
5	सर्कल अनंतनाग I-कश्मीर	2
6	सर्कल बांदीपोरा-कश्मीर	4
7	सर्कल बारामूला- I-कश्मीर	4
8	सर्कल बारामूला-II-कश्मीर	1
9	सर्कल बारामूला-III (सोपोर) कश्मीर	8
10	सर्कल बी-जम्मू	3
11	सर्कल बी-कश्मीर	2
12	सर्कल बडगाम-कश्मीर	1
13	सर्कल सी-जम्मू	3
14	सर्कल सी-कश्मीर	2
15	सर्कल डी-जम्मू	2
16	सर्कल डी-कश्मीर	3
17	सर्कल डौडा-जम्मू	1
18	सर्कल ई-जम्मू	6
19	सर्कल ई-कश्मीर	5
20	सर्कल एफ-जम्मू	1
21	सर्कल एफ-कश्मीर	5
22	सर्कल गांदरबल-कश्मीर	1
23	सर्कल जी-जम्मू	1
24	सर्कल जी-कश्मीर	11
25	सर्कल एच-जम्मू	4
26	सर्कल एच-कश्मीर	3
27	सर्कल आई-जम्मू	1
28	सर्कल आई -कश्मीर	4
29	सर्कल जे-जम्मू	12
30	सर्कल जे-कश्मीर	6
31	सर्कल कठुआ II -जम्मू	3
32	सर्कल कठुआ I-जम्मू	13
33	सर्कल के-जम्मू	2
34	सर्कल के-कश्मीर	1
35	सर्कल कुपवाड़ा-कश्मीर	3
36	सर्कल एल-जम्मू	10
37	सर्कल एल-कश्मीर	5
38	सर्कल एन-जम्मू	6
39	सर्कल एन-कश्मीर	4
40	सर्कल ओ-कश्मीर	2

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	सर्कल का नाम	मामलों की संख्या
41	सर्कल पी- कश्मीर	1
42	सर्कल पी-जम्मू	6
43	सर्कल पुंछ-जम्मू	1
44	सर्कल क्यू- कश्मीर	2
45	सर्कल क्यू-जम्मू	5
46	सर्कल आर- कश्मीर	3
47	सर्कल राजौरी-जम्मू	1
48	सर्कल आर-जम्मू	8
49	सर्कल सांबा आई-जम्मू	5
50	सर्कल एस-जम्मू	2
51	सर्कल उधमपुर-जम्मू	5
	कुल	195

परिशिष्ट 3.2
बेमेल मामलों का विवरण
(संदर्भ कंडिका: 3.7.2)

क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	टीआईएन संख्या	डीलर का नाम	तालिका	राशि (₹ में)
एसटीओ सर्कल-सी, श्रीनगर	01AAFFH0302R1ZQ		एच.ए.इंटरप्राइजेज	7डी	4,07,642
एसटीओ सर्कल-अनंतनाग-3	01CGVPB9961L1ZU		यामीन ट्रेडर्स हरनाग	7डी	3,04,542
एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू	01AABCT6921F1ZS		मेसर्स टीके एलिवेटर थिसनक्रुप	5सी एवं-7डी	29,43,000

परिशिष्ट 3.3
अग्रेषित किए गए अतिरिक्त क्रेडिट का विवरण
(संदर्भ कंडिका: 3.8.1)

जीएसटीआईएन	डीलर का नाम	सर्कल/ क्षेत्राधिकार	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01AAAC00809N1ZQ	मेसर्स ऑफकॉम प्रणाली प्रा. लिमिटेड	एसटीओ सर्कल-पी जम्मू	1491200337	1,34,554.39	32,293.05
01AAAFM7256N1Z7	मेसर्स मन्नु लाल एंड संस	एसटीओ सर्कल-ओ, जम्मू	1781181602	26,647	6,395
01AAFFL2136F1ZZ	लज्जत फूड एंड स्पाइसेज	एसटीओ-सोपोर	01282093871	7,66,649	4,29,318
01AAFFJ6459D1ZN	जेएवाईवाई ईएनएन ट्रेडर	एसटीओ सर्कल एल, श्रीनगर	01152150154	1,96,873	1,26,000

परिशिष्ट 3.4
लीगेसी रिटर्न के बिना मामलों का विवरण
(संदर्भ कंडिका: 3.8.2 (क))

जीएसटीआईएन	सर्कल/ क्षेत्राधिकार	डीलर का नाम	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01AANPC3341D1ZI	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	मेसर्स महादेव ट्रेडर्स	1491201792	3,57,930	85,903
01AWOPP1657N1Z3	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	मेसर्स शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स	1061091012	3,42,956	82,309
01BLDPA73491Z1	एसटीओ-एल, श्रीनगर	टॉप गियर ऑटोमोबाइल्स	01822150513	1,70,162	1,63,355
01AXNPS4471R1ZP	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	मेसर्स न्यू चॉइस ऑटोमोबाइल्स	01381090545	2,04,170	49,001

परिशिष्ट 3.5
अग्रेषित किया गया अस्वीकृत क्रेडिट
(संदर्भ कंडिका: 3.8.2 (ख))

जीएसटीआईएन	सर्कल/ क्षेत्राधिकार	डीलर का नाम	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01AYJPS0919F1ZN	एसटीओ-सर्कल बी, जम्मू	मेसर्स गुरमीत सिंह	1021021097	4,60,026	92,005.2
01ADGPG9407L1ZN	एसटीओ सर्कल डी, जम्मू	मेसर्स श्री अंबा फूड ग्रैन कंपनी	1951040228	1,96,161.79	एनए
01AAECS5992E1ZF	एसटीओ सर्कल-एन, जम्मू	मेसर्स संयोग फार्मसी एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड	1511171808	7,31,640.99	1,75,594
01AJGPV7655P1ZH	एसटीओ सर्कल-डी, जम्मू	मेसर्स जय जगदम्बय इंटरप्राइजेज	1721041858	1,48,947	35,747.28

परिशिष्ट 3.6
अग्नेषित किया गया गलत क्रेडिट
(संदर्भ कंडिका: 3.8.2 (ग))

जीएसटीआईएन	सर्कल / क्षेत्राधिकार	डीलर का नाम	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01ANDPL2904J1ZG	एसटीओ कठुआ-I	मेसर्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा	1031104075	5,115.26	1,227.66
01AAWPB5919R1Z5	एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू	मेसर्स एआर इलेक्ट्रॉनिक्स	1151121857	15,124.34	3,629.36
01AAZPG9997R1ZB	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	रवि कुमार गुप्ता एंड संस	1671090337	5,46,44,449	1,31,14,667.8
01AACFT5682P1ZS	एसटीओ सर्कल जी, श्रीनगर	तेली सिगरेट	1692030838	4,250	2,880
01AAUPA5977C1ZT	एसटीओ सर्कल-जी, श्रीनगर	अल्फा एजेंसियां	1502150883	6,470	3,882
01AUKPA7515N1ZP	एसटीओ सर्कल-अनंतनाग-II	एन ए इलेक्ट्रॉनिक्स	1982190292	1,43,248	1,40,383
01AVAPA6664P1ZL	एसटीओ सर्कल एल, श्रीनगर	एन आई ट्रेडर्स	01662151280	47,349	46,402
01AARPB4541N2ZP	एसटीओ सर्कल एल, श्रीनगर	रॉयल केमिस्ट	01842150696	1,47,817	1,44,860
01BFDPS8823J1ZB	एसटीओ सर्कल बारामूला-I	सोफी ट्रेडिंग कार्पोरेशन	1532091454	1,41,165	1,38,342
01AAAJJ0397H1ZI	एसटीओ सर्कल-के, जम्मू	मेसर्स जम्मू सहकारी थोक लिमिटेड	01421130099	1,70,684	40,964.16

परिशिष्ट 3.7
कालातीत दस्तावेजों पर लिया गया क्रेडिट
(संदर्भ कंडिका: 3.8.3 (क))

जीएसटीआईएन	सर्कल / क्षेत्राधिकार	डीलर का नाम	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01AAACK2567P1ZF	एसटीओ सर्कल-ओ, जम्मू	मेसर्स कोन लिफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	1731181872	18,23,371	4,37,609

परिशिष्ट 3.8
सहायक दस्तावेजों के बिना क्रेडिट की अनुमति
(संदर्भ कंडिका: 3.8.3 (ख))

जीएसटीआईएन	डीलर का नाम	सर्कल / क्षेत्राधिकार	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01AYSPR5340L1Z1	अमीना इंटरप्राइजेज	एसटीओ सर्कल- अनंतनाग	1132102150	1,57,182	1,38,320
01AFGPL7573J2ZA	किसान केमिकल्स	एसटीओ सर्कल- बांदीपोरा	1352093008	5,18,200.96	5,07,836
01AAKCS6497E1Z7	मेसर्स. श्री बालाजी पिगमेंट	एसटीओ सर्कल कठुआ-II	1941102653	4,80,228	1,15,254.72
01AABCA9317J1ZY	मेसर्स.आदित्य मीडिया सेल्स	एसटीओ सर्कल-ई, जम्मू	1751050620	15,086	3,620.64
01AAECN8067D1ZQ	मेसर्स. गैमन इंजीनियर्स और संविदाकार	एसटीओ सर्कल-ओ, जम्मू	1671184818	12,21,766	2,93,223.84

परिशिष्ट 3.9
चालानों के समर्थन के बिना क्रेडिट की अनुमति
(संदर्भ कंडिका: 3.8.3 (ख))

जीएसटीआईएन	सर्कल / क्षेत्राधिकार	डौलर का नाम	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	मूलधन
01AAKCS6497E1Z7	एसटीओ सर्कल-कठुआ-II	मेसर्स श्री बालाजी पिगमेंट	1941102653	4,80,228	1,15,254.72
01ABPPD6026R1ZG	एसटीओ सर्कल-कठुआ-I	मेसर्स भवानी ऑटोमोबाइल्स	1371102433	1,18,696	28,487.04
01AAVPG9612K1ZH	एसटीओ सर्कल-राजौरी	मेसर्स राकेश वूल सेंटर	1381121294	85,431.25	20,503.5
01AINPL9361L1ZV	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	मेसर्स सनी मोटर्स इंटरप्राइजेज	1961203037	2,21,310.79	53,114.59
01AAECN8067D1ZQ	एसटीओ सर्कल-ओ, जम्मू	मेसर्स गैमन इंजीनियर्स और संविदाकार	1671184818	27,54,345	6,61,042.8
01BUZPS8632Q1ZH	एसटीओ सर्कल-सोपोर	प्राइम इंटरप्राइजेज	1302093666	6,63,074	6,63,074
01AAGFN0158C1Z0	एसटीओ सर्कल-सोपोर	नई साकिब चिकित्सा एजेंसियां	1032090662	1,50,742	1,33,611
01ACWPL6529P1ZV	एसटीओ सर्कल-सोपोर	जेएवाई एएवाई व्यापार निगम	1112090715	2,27,313	2,12514
01AAIFC1638E1Z2	एसटीओ सर्कल-सोपोर	सेंटूर मोटर्स	1592090936	5,88,065	5,20,848
01AMAPB9147P1Z2	एसटीओ सर्कल-सोपोर	बी कंपनी	1082092526	12,08,371	10,70,253
001AMRPN6709Q1ZD	एसटीओ सर्कल-कुपवाड़ा	उमेर किचन	1582210397	1,90,914	शून्य
01DSAPS4678P1Z4	एसटीओ सर्कल-कुपवाड़ा	फ्रेंड्स मेडिकेट	1732210848	3,15,116	3,08,813
1BSCP0855M2Z3	एसटीओ सर्कल-कुपवाड़ा	अजहर गैलिशियल स्थान	1162211210	4,89,054	4,79,272
01BPRPS4758A1ZT	एसटीओ सर्कल-बडगाम	जीएस ट्रेडर्स	1162080551	5,79,049	5,67,468
01BTDPM5985P1Z3	एसटीओ सर्कल-अनंतनाग-II	बज्जदान ट्रेडर्स	1042192652	89,011.35	87,230
01BCEPB6845B1ZC	एसटीओ सर्कल-अनंतनाग-II	चेस्टी सीमेंट स्टोर	1132102150	5,17,244.5	4,96,555
01AVAPA6664P1ZL	एसटीओ सर्कल-एल, श्रीनगर	एन आई ट्रेडर्स	1662151280	1,62,013	1,58,773
01AWAPM9704F2ZW	एसटीओ सर्कल- बारामूला-I	हथकरघा फर्निशिंग हाउस	1262090778	82,563	80,911
01AKXPD2455K1Z2	एसटीओ सर्कल कठुआ-I	मेसर्स सौम्या मोटर्स	01381101894	1,34,578	32,298.72
01BBKPV9082K2Z1	एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू	मेसर्स साई एंड कंपनी	01491123804	15,653.77	शून्य
01AHSR7026C1ZG	एसटीओ सर्कल-आई, श्रीनगर	टाइल और सेनेटरी स्टोर	1922080036	4,31,759	1,64,048

परिशिष्ट 3.10
गलत असत्यापित क्रेडिट की अनुमति
(संदर्भ कंडिका: 3.8.4 (क))

जीएसटीआईएन	डीलर का नाम	सर्कल / क्षेत्राधिकार	टीआईएन संख्या	ओबी (₹ में)	
				मूलधन	ब्याज
01ALNPG2132M1ZD	मेसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	एसटीओ सर्कल-पी, जम्मू	1981200989	15,66,938	3,76,065

परिशिष्ट 3.11
 क्रेडिट के वापसी पर ब्याज का गैर प्रभार
 (संदर्भ कंडिका: 3.8.5)

जीएसटीआईएन	कार्यालय/सर्कल	डीलर का नाम	टीआईएन संख्या	ब्याज वसूली लंबित (₹ में)
01AABCT6921F1ZS/ 0197112189	एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू	मेसर्स. थिसेनक्रुप एलेवेटर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (वैट के तहत) टीके एलेवेटर इंडिया प्रा. लिमिटेड (जीएसटी के तहत) में परिवर्तित किया गया	1971121891	5,14,026
01AQVPS1009A1ZA/ 01281050054	एसटीओ सर्कल-एल, जम्मू	मेसर्स. दशमेश ट्रेडिंग सेंटर	1281050054	1,24,630.56
01ARRPP7996G1Z3/ 01081200514	एसटीओ सर्कल-एल, जम्मू	मेसर्स. प्रभाकर एसोसिएट्स	1081200514	26,225.4
01AAAJJ0397H1ZI/ 01421130099	एसटीओ सर्कल-के, जम्मू	मेसर्स. जम्मू सहकारी थोक लिमिटेड	1421130099	40,964
01AAHPL7474N1ZC	एसटीओ- कठुआ-आई	मेसर्स. गौतम पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर	01561101213	1,299
01CEYPS1232J2Z9	एसटीओ सर्कल जी, श्रीनगर	तालाबगर गारमेंट	1262070311	7,050
01AAFFJ6459D1ZN	एसटीओ सर्कल एल, श्रीनगर	जेएवाईवाई ईएनएन ट्रेडर	01152150154	1,26,000
01AAAFZ1660R1ZY	एसटीओ सर्कल-ई, श्रीनगर	जैन स्टील	1922110009	1,40,459
01ACXPK8627J2Z3	एसटीओ सर्कल-ई, श्रीनगर	जैन इलेक्ट्रिकल	1142050201	1,26,543
01AHSPR7026C1ZG	एसटीओ सर्कल-आई, श्रीनगर	टाइल और सेनेटरी स्टोर	1922080036	1,64,048
01AACC02119H1Z2	एसटीओ सर्कल-जे, जम्मू	मेसर्स. वन आरएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।	1191123484	9,142
01AEDPS5981H1ZE	एसटीओ कठुआ-।	मेसर्स. हरिओम ऑटोमोबाइल्स	0122101206	38,314.4
01AAFFL2136F1ZZ	एसटीओ-सोपोर	लज्जत फूड एंड स्पाइसेज	01282093871	4,29,318

परिशिष्ट 4.1
पदों का पुनः पदनाम
(संदर्भ कंडिका: 4.6.1)

क्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	के रूप में पुनः नामित	आदेश/बीओएम का संदर्भ
1.	वरिष्ठ वैज्ञानिक पशु पोषण	1	उप कुलसचिव गोपनीयता	15वां बीओएम 8 नवंबर 2010 को आयोजित हुआ 2011 के 11 स्था दिनांक 08.07.2011
2.	इलेक्ट्रिशियन	1	टेलीफोन तकनीकी	15वां बीओएम 8 नवंबर 2010 को आयोजित हुआ 2010 की अधिसूचना 12 दिनांक 31.12.2010
3.	सहायक कुलसचिव एफवी एससी और एएच आरएस पुरा (रिक्त)	1	सहायक कुलसचिव (विधि)	14वां बीओएम, 2010 की अधिसूचना 01 दिनांक 10.08.2010
4.	कनिष्ठ आशुलिपिक (पशु चिकित्सा नैदानिक चिकित्सा संभाग)	1	कनिष्ठ फिजीओथेरेपिस्ट	18वां बीओएम 2012 के 07 (स्था)
5.	एफसीएलए	1	कार्य पर्यवेक्षक	2003 का 90/(स्था) दिनांक 18.08.2003/ सं
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	कंप्यूटर सहायक	2007 के 59 (स्था) दिनांक 09.10.2007/ सं
7.	प्रयोगशाला परिचारक आरएचआरएसएस राया	1	माली	2011 का 16वां बीओएम 20 (स्था) दिनांक 08.07.2011
8.	लेखा सहायक	4	लेखाकार	2017 की 25 गोपनीयता दिनांक 23.11.2017 (28वां बीओएम)
9.	सह डीन एफओए	1	सामान्य विज्ञान के डीन संकाय	2015 की 14 गोपनीयता दिनांक 02.07.2015 और 23वां बीओएम
10.	कनिष्ठ वैज्ञानिक पादप रोगविज्ञान(02 पद)	1	सहायक प्रोफेसर जैव प्रौद्योगिकी	2010 के 01 दिनांक 10.08.2010 (14वां बीओएम)
11.	माली	1	स्वच्छक	2001 के 190 दिनांक 21.11.2011/ सं
12.	एसटीए	1	सहायक प्रोफेसर	2008 के 57 का यू. ओ दिनांक 31.10.2008/सं
13.	प्रयोगशाला परिचारक / पशु परिचारक, आरएआरएस (02 पद)	2	माली	2011 का 16वां बीओएम 20 (स्था) दिनांक 08.07.2011
14.	पशु परिचारक / प्रयोगशाला परिचारक (02 पद)	2	ओसीसी	2011 का 16वां बीओएम 20 (स्था.) दिनांक 08.07.2011

परिशिष्ट 4.2

पुनः पदनाम के आधार पर सृजित गैर-विद्यमान पदों के प्रति नियुक्तियां

(संदर्भ कंडिका: 4.6.1)

क्रमांक	नाम	नियुक्ति आदेश संख्या	से पुनः नामित पद	के रूप में नियुक्त	पत्र संख्या के माध्यम से पद पुनः नामित पद	बीओएम संदर्भ	वित्त विभाग की सहमति प्राप्त	अभ्युक्तियां
1.	डॉ. सुषमा गुप्ता, महिला चिकित्सक	एयूजे/प्रशा./07-08/651-54 दिनांक 15.06.2007	सहायक प्रोफेसर (पशु पोषण), आरएआरएस, राजौरी	महिला चिकित्सा अधिकारी	2006 का 52 (स्था.) दिनांक 31.07.2006	नहीं	नहीं	डॉ. सुषमा गुप्ता (महिला एमओ) को जून 2007 में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र राजौरी के सहायक प्रो. (पशु पोषण) के पद को परिवर्तित कर बिना किसी स्वीकृत पद के विश्वविद्यालय में समायोजित/ आवासित किया गया था।
2.	श्री. संजीव कुमार, चिकित्सा सहायक	एयूजे/प्रशा./06-07/2367-71 दिनांक 31.07.2006	कंप्यूटर सहायक	चिकित्सा सहायक	2006 का 52 (स्था.) दिनांक 31.07.2006	नहीं	नहीं	मार्च 2005 में विज्ञापित एक चिकित्सा सहायक के एकल उपलब्ध पद के प्रति, चयन कार्यवाही की अवधि के दौरान कंप्यूटर सहायक के एक पद को चिकित्सा सहायक के रूप में पुनः पदनामित करके दो चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति की गई थी।
3.	श्री. रमेश चंद्र टीकू, कार्य पर्यवेक्षक	विश्वविद्यालय आदेश संख्या 159 (स्था.) 1993 दिनांक 21.04.1993	कार्य पर्यवेक्षक का पद रिक्त होने तक लाइव स्टॉक सहायक के पद के प्रति आहरित वेतन	कार्य पर्यवेक्षक	-	नहीं	नहीं	कार्य पर्यवेक्षक को समेकित आधार पर नियुक्त कर किसी रिक्त पद के अभाव में फील्ड सह प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित (1993) कर दिया गया है। पद हेतु निर्धारित अपेक्षित योग्यता न होने के बावजूद पद उपलब्ध होने के पश्चात से नियुक्त व्यक्ति को कार्य पर्यवेक्षक के पद के प्रति दिनांक 01.04.1997 से समायोजित किया गया था।
4.	श्री. नरिंदर कुमार रैना, सुरक्षा अधिकारी	2007 का विश्वविद्यालय आदेश संख्या 57 (स्था.) दिनांक 03.10.2007	एफसीएलए	सुरक्षा प्रभारी	2007 का 57 (स्था.) दिनांक 03.10.2007	नहीं	नहीं	श्री. एनके रैना (एफसीएलए) को 24.06.1990 से उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उनके द्वारा धारित एफसीएलए के एक पद के तदनुसूची पुनः पदनाम द्वारा दिनांक 03.10.2007 के 2007 के आदेश संख्या 57 (स्था.) के अनुसार सुरक्षा अधिकारी के रूप में समायोजित माना गया।
5.	श्री. विनायक विक्रम, कानूनी अधीक्षक	एयूजे/प्रशा./07-08/258-59 दिनांक 11.04.2007	वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पोमोलॉजी और पीएचटी उदयवाला (प्लान पोस्ट)) का संभाग,	कानूनी अधीक्षक	एयूजे/प्रशा./05-06/283-85 दिनांक 20.04.2005	नहीं	नहीं	श्री विनायक विक्रम 20-04-2005 को तदर्थ आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए कानूनी अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को अप्रैल 2007 में विश्वविद्यालय में विधि अधीक्षक के किसी स्वीकृत पद के बिना वरिष्ठ तकनीकी सहायक के एक पद की कमी करके नियमित किया गया था और विधि अधीक्षक के पद को अभी तक सांविधियों में स्थान नहीं मिल पाया है।

परिशिष्ट 7.1

31 मार्च 2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में सार्वजनिक उपक्रमों का विवरण
(संदर्भ कंडिका: 7.3)

क्र. सं.	क्षेत्रक प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियां
क	विद्युत क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	-
2.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	-
3.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
4.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	-
II	कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी	
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड	-
ख	सामाजिक क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
7.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	-
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	-
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	-
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	-

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्रक प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
16.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन	-
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड	-
19.	जम्मू एवं कश्मीर सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	कंपनी को जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 के निरस्त होने के पश्चात दिसंबर 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया था।
21.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	-
22.	एआईसी-जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन	-
II	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड	2019 के आदेश संख्या एफडी 453 के अनुसार सरकार ने 24 अक्टूबर 2019 को कंपनी के स्वैच्छिक समापन को संस्वीकृति दे दी है।
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	कंपनी परिसमापन के अधीन है
ग	प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र	
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	-
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-
27.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	-
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	-
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	-
30.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास लिमिटेड	-
II	कार्यशील सांविधिक निगम	
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	-
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-

क्र. सं.	क्षेत्रक प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियां
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापन के अधीन है
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापन के अधीन है
घ	अन्य	
	I कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	-
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-
37.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
38.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
	II निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है

परिशिष्ट 7.2

31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ कंडिका: 7.4. (क))

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएडके	जीओआई	अन्य	कुल	जीओजेएडके	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क	विद्युत क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	विद्युत विकास विभाग (पीडीडी)	फरवरी-1995	2,593.34	0	0	2,593.34	0	0	1,256.80	1,256.80
2.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
3.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून -2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
4.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च- 2013	0.05	0	0	0.05	0	0	6,012.24	6,012.24
	II. कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी										
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं (प्राइवेट) लिमिटेड	पीडीडी	जून -2011	0.00	0	2,479.78	2,479.78	0	0	0	0
	कुल क			2,593.54	0.00	2,479.78	5,073.32	0.00	0.00	7,269.04	7,269.04
ख	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
7.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.60	0.94	0	3.54	71.68	0	0	71.68
8.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.80	3.20	0	10.00	10.25	0	0	10.25

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इन्विटी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल	जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1 अप्रैल 1986	20.77	28.05	0	48.82	0	0	64.05	64.05
10.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	0	0	77.11	77.11
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	28 नवंबर 1975	89.91	0	0	89.91	0	0	0	0
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.64	0	0	17.64	8.05	0	0	8.05
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	264.99	0	0	264.99
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	60.97	0	0	60.97
16.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.5	0	4.99	67.96	0	0	67.96
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	उद्योग एवं वाणिज्य	30 मई 2018	2.55	0	2.68	5.23	0	0	0	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	वित्त	25 सितंबर 2018	0.5	0	0	0.5	0	0	1,347.37	1,347.37
19.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
20.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउंडेशन	उद्योग एवं वाणिज्य	7 सितंबर 2018	0.05	0	0	0.05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	आई टी एवं संचार	7 मार्च 2019	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0
22.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	वन	1 जुलाई 1979	9.03	0	0	9.03	18.00		0	18.00
	कुल ख			182.27	35.58	2.68	219.53	501.90	0	1,488.53	1,990.43
II. निष्क्रिय कंपनी											

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इन्विटी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल	जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड	वित्त	28 अप्रैल 2017	1.02	0	0.98	2	0	0	0	0
24.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	उद्योग एवं वाणिज्य	29 नवंबर 1991	0.4	0	0	0.4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल II ख			1.42	0	0.98	2.40	0	0	0	0
	कुल ख (I+II)			183.69	33.58	4.66	221.93	501.90	0	1,488.53	1,990.43
ग	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	49.86	0	0	49.86	16.34	0	31.09	47.73
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	169.78	0	0	169.78
27.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	48.64	0	22.72	71.36	0	0	2,015.20	2,015.20
29.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	7.70	7.70
30.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	वित्त	2 दिसंबर 1959	172.35	0	0.54	172.89	0	0	40.9	40.9
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 सितंबर 1976	286.79	15.01	24.79	326.59	740.61	0	0	740.61
32.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	15.96	0	0	15.96	8.26	0	0	8.26
	कुल I ग			605.17	15.01	68.05	688.23	934.99	0	2,094.89	3,030.18
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.80	0	0	0.80	0.83	0	0	0.83
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	कुल II ग			2.17	0	0	2.17	0.83	0	0	0.83
	कुल ग (I+II)			607.34	15.01	68.05	690.40	935.82	0	2,094.89	3,031.01

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इन्विटी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल	जीओजेएडंके	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
घ	अन्य										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
35.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0
36.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0
37.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
38.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	12 मार्च 2019	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
39.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	13 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0
40.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0
	कुल I घ			3.77	0	0	3.77	0.00	0	0	0
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2014	5.00	0	0	5.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल II घ			53.00	0	0	53.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल घ (I+II)			56.77	0	0	56.77	0.00	0	0	0
	कुल योग (क+ख+ग+घ)			3,441.34	48.59	2,551.49	6,042.42	1,437.72	0	10,852.46	12,290.48

(स्रोत: पीएसयू द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 7.3

30 नवंबर 2021 तक कार्यशील पीएसयू लेखे, जो बकायों में हैं, जम्मू-कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ कंडिका: 7.7 (ख) एवं 7.7 (ग))

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अंतिम रूप देने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
क	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ								
1.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	3.54	6	0	0.54	0	0.00	0.54
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	9.20	10	0.80	24.00	4.75	0.00	29.55
3.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	3.12	4	0	0	0	0.00	0.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	17.64	7	0	0.00	237.28	0	237.28
5.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.97	2	0	0.00	0	0.00	0.00
6.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2.00	6	0	0.00	0	0.00	0.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.99	2	0	4.60	11.80	0.00	16.40
8.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	8.52	2	0	7.50	10.21	0.00	17.71
9.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	16.27	7	0	23.62	62.30	0.00	85.92
10.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	8.00	10	0	12.69	39.34	0.00	52.03
11.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	15.96	1	0	0.00	8.67	0.00	8.67
12.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.92	3	1.65	14.23	6.35	0.20	22.43
13.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	10.00	1	0	3.00	0	0.00	3.00
14.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	45.77	9	0	0.25	2.63	0.00	2.88
15.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	23.57	6	0	0.00	26.19	0.00	26.19
16.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2.56	10	0	0.00	0	0.00	0.00
17.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.50	2	0	0.00	121.26	0.00	121.26
18.	जम्मू एवं कश्मीर आई.टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.50	1	0	0.00	50.00	0.00	50.00
19.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन	2019-20	5.23	1	0	0.00	0	0.00	0.00

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अंतिम रूप देने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
20.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2014-15	5.00	6	0	0.00	143.07	0.00	143.07
21.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	2	0.05	0.00	253.09	0.00	253.14
22.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0	2	0	0.00	113.38	450.00	1,097.79
23.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.03	1	0	0.00	0	0.00	0.00
24.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	2	0	0.00	20.20	0.00	20.20
25.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	0.05	4	0.05	0.00	4,154.11	0.00	4,154.11
26.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	*	*	7	0	0.00	0	0.00	0.00
27.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	*	*	4	0.10	0.00	0	0.00	0.00
28.	एआईसी-जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन	*	*	3	0	0.00	0	0.00	0.00
29.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
30.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
31.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	*	*	8	0.05	0.00	637.49	4,050.00	4,687.54
	कुल क			133	2.70	90.43	6,437.90	4,500.20	11,031.27
ख	कार्यशील सांविधिक निगम								
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	207.96	2	93.84	65.50	0	0.00	159.34
33.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	172.89	2	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल ख		380.85	4	93.84	65.50	0	0.00	159.34
	कुल (क+ख)			137	96.54	155.93	6,437.90	4,500.20	11,190.61

(स्रोत: प्रदत्त पूंजी हेतु कंपनियों के नवीनतम अंतिम लेखे और अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किए गए निवेश हेतु कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

* इन कंपनियों ने आरंभ से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

+ कंपनी ने वर्ष 2020-21 हेतु सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

परिशिष्ट 8.1
परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति (जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड)
(संदर्भ कंडिका: 8.4)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
1.	काहमिल	कुपवाड़ा	4.00	आईपीपी	आबटित- बहुत खराब निष्पादन के कारण विकासकर्ता द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है।
2.	दुंग	कठुआ	5.00	आईपीपी	आबटित-भूमि निकासी का कार्य प्रगति पर
3.	अथवाथू	बांदीपोरा	10.00	आईपीपी	साधिकार
4.	टंगमर्ग	बारामूला	10.00	आईपीपी	साधिकार
5.	रंजला दुनादि	डोडा	15.00	आईपीपी	साधिकार
6.	ब्रेनवार	बडगाम	7.50	आईपीपी	साधिकार
7.	मंडी	पूँछ	12.50	आईपीपी	साधिकार
8.	दाह	लेह	9.00	ईपीसी	साधिकार
9.	चंदनवाड़ी	बारामूला	7.00	आईपीपी	डीपीआर तैयारी के अधीन
10.	गिरजन की गली	राजौरी	12.00	आईपीपी	डीपीआर तैयारी के अधीन
11.	सुल्तानपथरी	पूँछ	3.00	कोई मोड नहीं	डीपीआर तैयारी के अधीन
12.	पटनाजी बंजवाह	किश्तवाड़	21.00	आईपीपी	डीपीआर तैयारी के अधीन है- एलओए संख्या जेकेएसपीडीसी/टेक/पी-202/(1-924)/9683 दिनांक 22-03-2013 के तहत आबटित । टीईसी ने 04.06.2016 को परियोजना की डीपीआर को जारी किया
13.	दारुंगली हेप	पूँछ	3.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
14.	चैपर हेप	पूँछ	4.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
15.	अरी हेप	पूँछ	4.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
16.	सुंगरी हेप	रियासी	8.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
17.	खियोरा हेप	राजौरी	3.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
18.	लोरन हेप	राजौरी	6.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
19.	चेनानी-वी	उधमपुर	7.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
20.	डक्सुमसैदवारी	अनंतनाग	4.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
21.	गौराण	अनंतनाग	3.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
22.	हिंमिपोरा कापरान	अनंतनाग	7.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
23.	डुप्नार II	अनंतनाग	5.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
24.	दर्दपोरा /चेकलीपोरा	अनंतनाग	2.66	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
25.	अहलानपाथीन	अनंतनाग	2.12	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
26.	रेनजेबल/ब्रेनवार	अनंतनाग	9.10	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
27.	गुहान/पांडुबल	अनंतनाग	3.13	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
28.	चकुरा	अनंतनाग	3.70	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
29.	सैंड्रान/कापरान	अनंतनाग	2.25	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
30.	गुहान-वेल्	अनंतनाग	7.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
31.	रोमशी	पुलवामा	3.35	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
32.	अरिपालट्राल	पुलवामा	3.60	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
33.	खैयगोम	पुलवामा	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
34.	एयरपालट्राल II (लैम)	पुलवामा	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
35.	अगलर पाखेरपोरा	पुलवामा	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
36.	देवीपोरा	शोपियां	9.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
37.	नागाबल जवूरा	शोपियां	9.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
38.	जाम्पाथेर	शोपियां	2.70	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
39.	इचिगोज़	शोपियां	3.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
40.	रिंगवर्ड	शोपियां	3.80	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
41.	सफ़्रा	गांदरबल	3.80	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
42.	जमुस्तल	कुलगाम	2.83	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
43.	नोहोम	कुलगाम	2.40	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
44.	मेन दम्हल	कुलगाम	4.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
45.	सरमार्ग	कुलगाम	2.44	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
46.	चिनलादी - पोशिहामा	कुलगाम	3.38	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
47.	गुम्टू - मूटजान	कुलगाम	2.90	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
48.	टोंगर-पुनशान	कुलगाम	3.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
49.	लाईसू	कुलगाम	4.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
50.	भल्ला-प्रणु हेप	डोडा	7.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
51.	नछलाना-महूमंगटी	रामबन	5.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
52.	बट्यास-दुयाद	डोडा	7.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
53.	चतुरू पहला हेप	किश्तवाड़	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
54.	लुड्डू-जटोटा	किश्तवाड़	2.30	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
55.	सिरगवारी-केशवान	किश्तवाड़	2.05	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
56.	दुमखार	लेह	9.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
57.	अज़माताबोड हेप	राजौरी	2.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
58.	समोटे हेप	राजौरी	2.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
59.	कह-पूटा	रियासी	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
60.	प्लासु	रियासी	4.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
61.	चिलिंग बाज़गो हेप	कारगिल	25.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
62.	बेतार हेप	पूँछ	4.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
63.	गाग्रोन हेप	पूँछ	6.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
64.	मंडी हेप-II	पूँछ	10.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
65.	बैरियन हेप	उधमपुर	8.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
66.	पिंगला	उधमपुर	5.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
67.	कूह हेप	उधमपुर	1.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
68.	एमएचएस भल्ला	डोडा	19.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
69.	बत्री-कहारा	किश्तवाड़	10.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
70.	मार्कूट गुरेज़	बांदीपोरा	17.00	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
71.	कथार	अखनूर	2.50	कोई मोड नहीं	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
72.	नेहामा एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	7.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
73.	श्रंज एसएचपी, बारामूला	बारामूला	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
74.	अचूरा एसएचपी, बांदीपोरा	बांदीपोरा	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
75.	आपन नालाह एसएचपी, किश्तवाड़	किश्तवाड़	7.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
76.	नायगढ़ एसएचपी, किश्तवाड़	किश्तवाड़	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
77.	भूत नालाह एसएचपी किश्तवाड़	किश्तवाड़	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
78.	हंसवर एसएचपी, किश्तवाड़	किश्तवाड़	8.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
79.	गाग्रोन एसएचपी, पूँछ	पूँछ	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
80.	मावाड़- I एसएचपी, कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	4.50	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
81.	काहमित एसएचपी, कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
82.	द्विगला करनाह एसएचपी, कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
83.	गुलाबगढ़ एसएचपी, रियासी	रियासी	6.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
84.	डोंडिकुचन एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	3.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
85.	डूगडेन एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	6.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
86.	दमहल हांजीपोरा एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	8.80	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
87.	कूटीमार्ग-I एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	3.80	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
88.	कूटीमार्ग-II एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	3.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
89.	बूह एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	4.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
90.	दंडवार एसएचपी, कुलगाम	कुलगाम	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
91.	चंदनवाड़ी एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	3.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
92.	पहलगांम एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
93.	डक्सुम II एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	4.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
94.	माटीगाँवरान एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	5.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
95.	अहलान I एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
96.	अहलान II एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	9.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
97.	ब्रिंगी एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	7.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
98.	धिमरान एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	4.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
99.	चकिलपोरा एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
100.	मठर एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	5.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
101.	अरु एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	4.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
102.	दुप्नार शांगस एसएचपी, अनंतनाग	अनंतनाग	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
103.	लिम्बर एसएचपी, बारामूला	बारामूला	3.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
104.	बिजिहामा I एसएचपी, बारामूला	बारामूला	2.80	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
105.	लचीपोरा एसएचपी, बारामूला	बारामूला	8.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
106.	बोनियार II एसएचपी, बारामूला	बारामूला	3.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
107.	बोनियार III एसएचपी, बारामूला	बारामूला	4.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
108.	श्रंज II एसएचपी, बारामूला	बारामूला	6.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
109.	बिजिहामा II एसएचपी, बारामूला	बारामूला	10.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
110.	रेईपाल I एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	3.80	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
111.	रेईपाल II एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	7.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
112.	बाराप्राण एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	2.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
113.	शाहकुल एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	3.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
114.	छत्तरगुल एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	5.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
115.	गुंड नाला एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	2.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
116.	वानियार्म एसएचपी, गांदरबल	गांदरबल	5.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
117.	सुरिंदर एसएचपी, बांदीपोरा	बांदीपोरा	9.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
118.	एरिन I एसएचपी, बांदीपोरा	बांदीपोरा	6.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
119.	एरिन II एसएचपी, बांदीपोरा	बांदीपोरा	8.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
120.	एरिन III एसएचपी, बांदीपोरा	बांदीपोरा	6.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
121.	अबहोमा I एसएचपी, पुलवामा	पुलवामा	6.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
122.	अबहोमा II एसएचपी, पुलवामा	पुलवामा	4.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
123.	सुखनाग एसएचपी, बडगाम	बडगाम	10.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
124.	गहन एसएचपी, किशतवाड़	किशतवाड़	8.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
125.	सिगडी एसएचपी, किशतवाड़	किशतवाड़	10.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
126.	नईदगाम एसएचपी, किशतवाड़	किशतवाड़	4.20	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
127.	कुलीगढ़ एसएचपी, किशतवाड़	किशतवाड़	9.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
128.	कांथा एसएचपी, रामबन	रामबन	7.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
129.	दधरथ (हाला) एसएचपी, रामबन	रामबन	4.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
130.	राजगढ़-1 एसएचपी, रामबन	रामबन	10.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
131.	पठान एसएचपी, रामबन	रामबन	3.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
132.	चापर एसएचपी, पुंछ	पुंछ	5.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
133.	बेतर एसएचपी, पुंछ	पुंछ	10.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
134.	चिकरी एसएचपी, पुंछ	पुंछ	9.40	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
135.	कश्तीगढ़ एसएचपी, डोडा	डोडा	9.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
136.	मालवाह एसएचपी, डोडा	डोडा	6.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
137.	भगवाह एसएचपी, डोडा	डोडा	6.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
138.	खियोरा एसएचपी, राजौरी	राजौरी	3.50	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
139.	बैकन एसएचपी, कठुआ	कठुआ	5.60	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
140.	दुलंगल एसएचपी, कठुआ	कठुआ	4.00	आईपीपी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
141.	कुलनरामवारी	गांदरबल	21.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
142.	एन्स-II	रियासी	23.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
143.	मोहरा	बारामूला	10.50	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
144.	इगू उपशी हेप	कारगिल	15.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
145.	दुर्बुक श्योक	कारगिल	25.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
146.	तृषा थोइसे	कारगिल	25.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
147.	डेसा - I	डोडा	16.50	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
148.	माचिल कलारूस	कुपवाड़ा	25.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
149.	कलारूस- II	कुपवाड़ा	10.50	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
150.	हुंडरमैन	कारगिल	24.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
151.	द्रास चरण - I	कारगिल	24.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
152.	उपशी	लेह	15.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
153.	निमू-चिलिंग	लेह	25.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
154.	संक्	कारगिल	18.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
155.	मंगदम-सांगरा	कारगिल	19.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
156.	बोनार लोलाब	कुपवाड़ा	24.00	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
157.	रतन नाग	किश्तवाड़	10.50	ईपीसी	कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ-पीएमडीपी निधियन
158.	सेवा I	कठुआ	8.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
159.	रोंगडो	कारगिल	9.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
160.	ब्रिगी	अनंतनाग	4.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
161.	शालिगंगा	बडगाम	3.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
162.	कुटीमार्ग	कुलगाम	7.25	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
163.	पबे-अर्दिजान	कुलगाम	4.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
164.	कुटबल	कुलगाम	4.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
165.	बोनियार-द्वितीय हेप	बारामूला	6.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
166.	मावाड़ हेप	कुपवाड़ा	10.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
167.	एरिन हेप	बांड़ीपोरा	10.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
168.	हंसवार हेप	किश्तवाड़	6.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
169.	चिंगस-I हेप	राजौरी	3.50	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
170.	चिंगस -II हेप	राजौरी	3.75	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
171.	थानामंडी हेप	राजौरी	2.75	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
172.	अपर एन्स -I हेप	राजौरी	5.50	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
173.	चेनानी-IV हेप	उधमपुर	7.00	आईपीपी	गैर अनुक्रियाशील बोली
174.	फागला	पूँछ	14.10	ईपीसी	गैर अनुक्रियाशील बोली -- पीएमडीपी के तहत लिया गया कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
175.	अहरबल	पुलवामा	22.50	आईपीपी	पर्यटन और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण परियोजना स्थल ने अभ्यर्पण कर दिया।
176.	हिरपोरा	पुलवामा	12.00	आईपीपी	परियोजना को संख्या सीई/सीआईडी/पीडीसी/673-80 दिनांक

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षमता (मेगावाट)	निष्पादन की विधि	कार्य की स्थिति
					20/06/2005 के तहत आवंटित किया गया था। वन भूमि परियोजना के लिए डायवर्ट की गई है। वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी। आईपीपी ने तकनीकी-आर्थिक गैर-व्यवहार्यता खंड के तहत अनुबंध से बहिर्गमन हेतु प्रतिनिधित्व किया है।
177.	गुलाबगढ़ हेप	रियासी	6.50	आईपीपी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है।
178.	निहामा	कुलगाम	6.00	आईपीपी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है।
179.	बैरास	कारगिल	9.00	आईपीपी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है।
180.	सुखनाग	बडगाम	9.00	आईपीपी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है।
181.	श्रांज हेप	बारामूला	10.00	आईपीपी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है।
182.	तमाशा	कारगिल	9.00	ईपीसी	बोलीदाता ने अग्रिम प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। एलओए वापस ले लिया गया और चरण- IV के तहत पुनः निविदा दी जानी है। पीएमडीपी के तहत लिया गया- कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।
183.	बोनियार	बारामूला	12.00	आईपीपी	कार्य प्रगति पर
184.	करनाह	कुपवाड़ा	12.00	ईपीसी	कार्य प्रगति पर
185.	हानु	लेह	9.00	ईपीसी	कार्य प्रगति पर
186.	मावाड़ - II एसएचपी कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	10.00	ईपीसी	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
	कुल (मेगावाट)		1,420.16		

परिशिष्ट 8.2
परियोजनाओं का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास अभिकरण)
(संदर्भ कंडिका: 8.5)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
1	हंग	गांदरबल	2	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
2	बासमाई	गांदरबल	1.95	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
3	लाम ताल	पुलवामा	2	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
4	लंगई पहलगम	अनंतनाग	2	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
5	एमएचपी लसपथरी I	गांदरबल	8.50	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
6	एमएचपी लसपथरी II	गांदरबल	9.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
7	एमएचपी बहरामगला - I	पूछ	2.40	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ भूमि उपार्जन
8	एमएचपी दुधरण	बारामूला	1.20	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
9	एमएचपी चंदनवाड़ी	बारामूला	1.70	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
10	एमएचपी कनूर	किश्तवाड़	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
11	एमएचपी मुल्लार	किश्तवाड़	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
12	एमएचपी लोलाइल बेला	पूछ	1.30	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
13	एमएचपी लोरान	पूछ	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
14	एमएचपी दांडीपोरा, दक्सुम	अनंतनाग	3.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
15	एमएचपी सुरसयार	बडगाम	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
16	एमएचपी बल्लाह नीरू - I	डोडा	1.50	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
17	एमएचपी रायिल II	गांदरबल	5.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
18	एमएचपी सरफराव - प्रथम	गांदरबल	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
19	एमएचपी सरफराव II	गांदरबल	1.40	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
20	एमएचपी ज़बकुल	किश्तवाड़	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
21	एमएचपी संगमबती	किश्तवाड़	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
22	एमएचपी पोदाह सारथल	किश्तवाड़	1.40	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
23	एमएचपी कजई हंसवाल	किश्तवाड़	5.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
24	एमएचपी परिस्तान	रामबन	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
25	एमएचपी उखराल	रामबन	1.75	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
26	एमएचपी लंका	रामबन	1.75	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
27	एमएचपी खरी - II	रामबन	2.00	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
28	एमएचपी बुज़ला	रामबन	1.25	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
29	एमएचपी कावना	रामबन	1.50	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
30	एमएचपी अराइ - I	पूछ	1.20	लंबित सांविधिक अनापत्ति/ डीपीआर
31	एमएचपी इचू	अनंतनाग	5.00	पूर्ण परियोजना
32	एमएचपी खरी - I	रामबन	3.75	पूर्ण परियोजना
33	एमएचपी रायिल	गांदरबल	2.00	पूर्ण परियोजना
34	एमएचपी बाल्टीकुलान	गांदरबल	5.00	पूर्ण परियोजना
35	एमएचपी बटकुलान	गांदरबल	6.00	परियोजना प्रगति पर
36	एमएचपी दूधपथरी	बडगाम	6.00	परियोजना प्रगति पर
37	एमएचपी पहलनार-नारानाग	गांदरबल	2.00	परियोजना प्रगति पर
38	एमएचपी दादीबल कापरान	अनंतनाग	1.65	परियोजना प्रगति पर
39	एमएचपी मावाइ	अनंतनाग	5.00	परियोजना प्रगति पर
40	एमएचपी अरई - II	पूछ	1.6	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
41	एमएचपी बहरामगला - II	पूछ	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
42	एमएचपी सवजिया-II (बरारी)	पूछ	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
43	एमएचपी सवजिया-I	पूछ	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
44	एमएचपी अरई - III	पूछ	1.2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
45	एमएचपी जालैन बेदर	पूछ	1.75	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
46	एमएचपी खैत - जालैन	पूछ	1.4	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
47	एमएचपी सनाई	पूछ	1.7	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
48	एमएचपी छपरा - I	पूछ	1.5	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
49	एमएचपी छपरा - II	पूछ	1.7	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
50	एमएचपी गोगलदारा	बडगाम	1.2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
51	एमएचपी अहलान- द्वितीय	अनंतनाग	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
52	एमएचपी अहलान- प्रथम	अनंतनाग	1.3	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
53	एमएचपी मत्तीगरवान	अनंतनाग	1.5	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
54	एमएचपी अरिपथ	अनंतनाग	1.75	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
55	एमएचपी मठार चरण - II	अनंतनाग	1.8	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
56	एमएचपी चटपाल-III	अनंतनाग	1.7	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
57	एमएचपी चटपाल -चरण -IV	अनंतनाग	1.6	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
58	एमएचपी चटपाल चरण - II	अनंतनाग	1.5	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
59	एमएचपी थिमरान चरण I	अनंतनाग	1.4	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
60	एमएचपी थिमरान II	अनंतनाग	1.15	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
61	एमएचपी मठार चरण - I	अनंतनाग	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
62	एमएचपी डुपनाई चरण - I	अनंतनाग	1.5	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
63	एमएचपी डुपनाई चरण - II	अनंतनाग	1.4	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
64	एमएचपी हाजीबल - I	अनंतनाग	1.1	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
65	एमएचपी हाजीबल-II	अनंतनाग	1.2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
66	एमएचपी सेवा बानी - I	कठुआ	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
67	एमएचपी सेवा बानी - II	कठुआ	1.5	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
68	एमएचपी गोडाना - चरण I	किशतवाड़	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
69	एमएचपी छातरू	किशतवाड़	1.7	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
70	एमएचपी इंदरवाल	किशतवाड़	1.8	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
71	एमएचपी गोडाना - चरण II	किशतवाड़	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
72	एमएचपी नायगढ़	किशतवाड़	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
73	एमएचपी नांटू	किशतवाड़	1.8	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
74	एमएचपी दधपेठ	किशतवाड़	1.7	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
75	एमएचपी अफानी	किशतवाड़	1.4	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
76	एमएचपी हाजी पीर	बारामूला	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
77	एमएचपी जबला	बारामूला	1.2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
78	एमएचपी बटमोजी II	कुपवाड़ा	1.2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
79	एमएचपी मवाड़	कुपवाड़ा	1.6	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
80	एमएचपी द्रंगला	कुपवाड़ा	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
81	एमएचपी टुमिना-द्वितीय	कुपवाड़ा	1.6	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
82	एमएचपी दही द्वितीय	बांदीपोरा	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
83	एमएचपी अप्पर मधुमती	बांदीपोरा	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
84	एमएचपी रोमशी -II	शोपियां	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
85	एमएचपी रोमशी -I	शोपियां	1.6	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
86	एमएचपी वनियारण	गांदरबल	1.1	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
87	एमएचपी लशपथरी III	गांदरबल	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
88	एमएचपी पाई नवेदी	रियासी	0.75	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
89	एमएचपी जजर कटरा	रियासी	0.45	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
90	एमएचपी पोगल	रामबन	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
91	एमएचपी बनिहाल I	रामबन	1.3	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
92	एमएचपी बुद्दाल	राजौरी	2	आरएफक्यू/ बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
93	एमएचपी चटपाल चरण - I	अनंतनाग	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
94	एमएचपी नवकिन्न - I	अनंतनाग	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
95	एमएचपी ब्रिज	अनंतनाग	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
96	एमएचपी बंधाथरी	अनंतनाग	1.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
97	एमएचपी चारिनाग I	अनंतनाग	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
98	एमएचपी नवकिन - II	अनंतनाग	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
99	एमएचपी चारिनाग II	अनंतनाग	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
100	एमएचपी अस्थानमर्ग	अनंतनाग	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
101	एमएचपी कंजाबल I	अनंतनाग	1.7	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
102	एमएचपी कंजाबल II	अनंतनाग	1.6	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
103	एमएचपी अरिज़ाल	बडगाम	1.2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
104	एमएचपी रोमशी	बडगाम	0.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
105	एमएचपी लाईसू	कुलगाम	1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
106	एमएचपी कांडेय	कुलगाम	0.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
107	एमएचपी बटमोजी-पहला	कुपवाड़ा	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
108	एमएचपी दही -पहला	बांदीपोरा	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
109	एमएचपी विजी	बांदीपोरा	1.2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
110	एमएचपी हपटखाई	बारामूला	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
111	एमएचपी अगलार	पुलवामा	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
112	एमएचपी रोमशी - III	पुलवामा	1.15	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
113	एमएचपी डुपनाई - III	अनंतनाग	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
114	एमएचपी नंखुल - I	कुलगाम	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
115	एमएचपी नंखुल - II	कुलगाम	1.4	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
116	एमएचपी नंखुल - III	कुलगाम	1.65	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
117	एमएचपी रामपाई - I	कुलगाम	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
118	एमएचपी रामपाई - II	कुलगाम	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
119	एमएचपी नीलग्राथ	गांदरबल	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
120	एमएचपी बडपरान - I - गांदरबल	गांदरबल	1.4	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
121	एमएचपी बडपरान - II - गांदरबल	गांदरबल	1.3	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
122	एमएचपी कुठमर्ग - II	कुलगाम	1.3	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
123	एमएचपी रामपाई - III	कुलगाम	1.3	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
124	एमएचपी जुमिस्तान - II	कुलगाम	1.2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
125	एमएचपी जुमिस्तान - III	कुलगाम	1.2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
126	एमएचपी कुठमर्ग - I	कुलगाम	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
127	एमएचपी कुठमर्ग - III	कुलगाम	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
128	एमएचपी जुमिस्तान - I	कुलगाम	0.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
129	एमएचपी सरबल - गांदरबल	गांदरबल	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
130	एमएचपी कोकरान - गांदरबल	गांदरबल	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
131	एमएचपी फ्रेस्नाग	बडगाम	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
132	एमएचपी बनिहाल II	रामबन	1.3	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
133	एमएचपी बथर्ड	पूछ	1.2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
134	एमएचपी फागला चरण II	पूछ	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
135	एमएचपी सेवा	किश्तवाड	1.4	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
136	एमएचपी मालवाड	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
137	एमएचपी पहल-गावरा I	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
138	एमएचपी पहल-गावरा II	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
139	एमएचपी रेहाल-थाल	किश्तवाड	1.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
140	एमएचपी सारथल	किश्तवाड	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
141	एमएचपी कलरूद बनि	कठुआ	0.75	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
142	एमएचपी बिर्जू नीरू - II	डोंडा	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
143	एमएचपी सिलवाड़ी - I	किश्तवाड	1.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
144	एमएचपी सिलवाड़ी - II	किश्तवाड	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
145	एमएचपी केशवान	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
146	एमएचपी सिंगपोरा-II	किश्तवाड	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
147	एमएचपी सिंगपोरा - III	किश्तवाड	1.75	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
148	एमएचपी। सिंगपोरा - IV	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
149	एमएचपी सिगडी	किश्तवाड	1.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
150	एमएचपी खवरिया	किश्तवाड	1.6	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
151	एमएचपी नायदगाम - II	किश्तवाड	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
152	एमएचपी नायदगाम - I	किश्तवाड	1.75	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
153	एमएचपी सारथल - III	किश्तवाड	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
154	एमएचपी पोगल - II	रामबन	2	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
155	एमएचपी सिंगपोरा - I	किश्तवाड	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
156	एमएचपी सिंगपोरा - V	किश्तवाड	1.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
157	एमएचपी अप्पर अराई	पूछ	0.9	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
158	एमएचपी बुधल - III	राजौरी	1.85	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
159	एमएचपी बुधल - I	राजौरी	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
160	एमएचपी बुधल - II	राजौरी	1.8	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मेगावाट में)	स्थिति
161	एमएचपी सोनदर वेली	किशतवाड़	1.5	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
162	एमएचपी पोषाना	पूछ	1.4	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
163	धरुजवास	गांदरबल	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
164	रेशिपोरा	अनंतनाग	0.04	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
165	फिस्लान	अनंतनाग	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
166	मुंडीलान	अनंतनाग	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
167	चकुरा	अनंतनाग	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
168	एमएचपी सोफानामन	शोपियां	0.02	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
169	मणि खा	बांदीपोरा	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
170	डंडीपोरा	अनंतनाग	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
171	डक्सुम	अनंतनाग	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
172	नुन्वान	अनंतनाग	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
173	गणेशबल	अनंतनाग	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
174	पति हलोन	अनंतनाग	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
175	हांजीपोरा	कुलगाम	0.04	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
176	माथे मोहल्ला	पुलवामा	0.02	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
177	बोटाकोलन	गांदरबल	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
178	जोगोखरियान	बडगाम	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
179	जोगोखरियान (खान मोहल्ला)	बडगाम	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
180	चूलन-ए	बारामूला	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
181	चूलन-बी	बारामूला	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
182	कोकेरनार (पलेरा)	पूछ	0.05	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
183	सौजियान-बी	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
184	गली मैदान	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
185	लोरेन मंडी-I	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
186	लोरेन मंडी-II	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
187	आजमाबाद	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
188	लोअर गैशियन	पूछ	0.1	शिनाख्त के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं
		कुल (मेगावाट)	305.37	

परिशिष्ट 9.1

नए किराये के परिसर में स्थानांतरण में विलंब के कारण किराये के निष्क्रिय भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ कंडिका: 9.3.3)

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलंब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
1	कनॉट प्लेस, नई दिल्ली	22-06-2018	01-11-2018	27-04-2019	6	69.62	परिसर का कब्जा 31 अगस्त 2018 को लिया गया था और किराये का भुगतान नवंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था। हालांकि, परिसर के सिविल/आंतरिक कार्यों के आवंटन और निष्पादन में विलंब हुआ क्योंकि कार्य आदेश केवल नवंबर 2018 में जारी किया गया था और कार्य अप्रैल 2019 में 45 दिनों के निर्धारित समय के प्रति 106 दिनों की विलंब के साथ पूरा किया गया था।
2	संजय प्लेस, आगरा	27-02-2017	27-04-2017	01-02-2018	9	25.11	सिविल इंटीरियर कार्यों के निष्पादन के लिए, बैंक ने कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों की समय-सारणी के साथ कार्य आदेश जारी (जनवरी 2017) किया। तथापि, कार्य 70 दिनों की विलंब के पश्चात जून 2017 में पूरा किया गया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी, बीयू अपना संचालन प्रारंभ नहीं कर सका और वही फरवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था।
3	अमीनाबाद लखनऊ	14-06-2017	15-08-2017	अक्टूबर 2017	1.5	2.63	सिविल इंटीरियर/फर्नीचर और विद्युत के कार्यों हेतु कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 20 मई 2017 को जारी किया गया था। तथापि, कार्य 158 दिनों की विलंब के पश्चात 5 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था।
4	भदोई	26-12-2018	फरवरी-2019	जून 2019	4	2.48	सिविल इंटीरियर/फर्नीचर और विद्युत के कार्यों हेतु कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 75 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 15 मार्च 2019 को जारी किया गया था। तथापि, कार्य 297 दिनों की विलंब के पश्चात 2 अप्रैल 2020 को पूरा किया गया था।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलम्ब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
5	विकास मार्ग	23-08-2017	नवम्बर 2017	दिसम्बर 2017	1	3.50	सिविल इंटीरियर/फर्नीचर और विद्युत के कार्यों हेतु कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 23 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। तथापि, कार्य 57 दिनों की विलंब के पश्चात 5 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था।
6	रुड़की	06-04-2016	जुलाई 2016	03-06-2017	11	11.92	अनुबंध अप्रैल 2016 में प्रविष्ट किया गया था और किराये का भुगतान जुलाई 2016 में प्रारंभ किया गया था। तथापि, परिसर से संचालन प्रारंभ होने में 11 माह का विलम्ब था।
7	नासिक	01-02-2021	01-04-2021	30-12-2021	6	14.20	मार्च 2021 में फर्निशिंग का कार्य 75 दिनों में निर्धारित पूर्णता के साथ प्रदान किया गया था। हालाँकि, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण कार्य रोक दिया गया था और जुलाई 2021 में कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात, कार्य अंततः दिसंबर 2021 में पूरा हुआ।
8	अहमद नगर	21-11-2020	17.11.2021	अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ	4	1.37	बैंक अपने आंतरिक विकास विनिर्देश पर कार्य के पूर्ण सुधार के दौर से गुजर रहा था, और कार्य प्रगति (अप्रैल 2022) पर है
9	बादामी बाग छावनी	28-04-2016	23-02-2017	जून 2017	3	7.50	सिविल इंटीरियर/फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों हेतु कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 75 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 16 नवंबर 2016 को जारी किया गया था। तथापि, कार्य 95 दिनों की विलंब के पश्चात 3 जून 2017 को पूरा किया गया था।
10	सीडी अस्पताल, श्रीनगर	12-01-2016	फरवरी 2016	25-11-2016	10	7.00	विकास कार्य नवंबर 2016 के दौरान पूरा किया गया था और तत्पश्चात् बीयू को स्थानांतरित कर दिया गया था।
11	बीयू प्रीमियम शाखा (क्लस्टर कार्यालय), बरजुल्ला, श्रीनगर	14-12-2017	14-12-2017	01-02-2021	38	80.49	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 120 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 29 सितंबर 2018 को जारी किया गया था हालाँकि, कार्य 392 दिनों की विलंब के पश्चात 15 मार्च 2020 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में 10 महीने से अधिक का अतिरिक्त विलंब हुआ।

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलम्ब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
12	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (टीआरसी), श्रीनगर	29-05-2018	29-05-2018	30-01-2022	44	107.10	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 13 नवम्बर 2018 को जारी किया गया था हालाँकि, कार्य 678 दिनों की विलंब के पश्चात 2 दिसम्बर 2020 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में 14 महीने से अधिक का अतिरिक्त विलंब हुआ।
13	मगरमल बाग	09-05-2017	13-06-2017	31-12-2018	18	24.68	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 9 अगस्त 2017 को जारी किया गया था हालाँकि, कार्य 362 दिनों की विलंब के पश्चात 1 जनवरी 2019 को पूरा किया गया था।
14	पीसी डिपोर्ट	05-11-2016	15-05-2017	12-03-2018	10	9.19	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 24 मई 2017 को जारी किया गया था हालाँकि, कार्य 126 दिनों की विलंब के पश्चात 3 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, संचालन प्रारंभ होने में दो महीने का विलंब था इसीप्रकार केवल मार्च 2018 में ही प्रारंभ किया जा सका था।
15	बीयू (महिला शाखा), जवाहर नगर, श्रीनगर	01-05-2017	01-05-2017	29-06-2018	14	76.73	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 120 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 7 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 46 दिनों की विलंब के पश्चात 2 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ करने में छह महीने और अतिरिक्त विलंब हुआ।
16	टेंगपोरा, श्रीनगर	30-10-2019	12-06-2020	अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ	21	7.36	अक्टूबर 2019 में पट्टा अनुबंध में प्रविष्टि के पश्चात, इंजीनियरिंग विंग, सीएचक्यू को दिसंबर 2019 में बीयू के विकास के लिए कहा गया था, अर्थात दो महीने की विलंब के पश्चात, लेकिन वर्ष 2020 में, सीएचक्यू ने इस बीयू के शुभारंभ के विपरीत निर्णय किया, हालाँकि वर्ष 2021 में बीयू के पुनःआरंभ हेतु सीएचक्यू से अनुमोदन पुनः दिया गया था।
17	नुड सांबा	01-12-2018	01-12-2018	02-11-2019	11	1.25	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 22 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 29 दिनों की विलंब के

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलम्ब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
							पश्चात 2 मई 2019 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में 6 महीने का और विलंब हुआ क्योंकि केवल नवंबर 2019 में इसका संचालन प्रारंभ किया गया था।
18	बग्गान, कठुआ	06-04-2018	01-04-2018	03-01-2020	21	0.63	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 28 सितम्बर 2018 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 46 दिनों की विलंब के पश्चात 1 जनवरी 2019 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में 12 महीने का और विलंब था क्योंकि केवल जनवरी 2020 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।
19	बनि	30-11-2017	01-12-2017	31-07-2018	8	2.40	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 27 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 10 जनवरी 2019 को अर्थात 193 दिनों के विलंब के पश्चात पूरा किया गया था।
20	डिंग अम्ब कठुआ	08-08-2016	08-08-2018	31-12-2018	5	0.35	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 28 सितम्बर 2018 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 45 दिनों के विलंब के पश्चात 12 जनवरी 2019 को पूरा किया गया था।
21	कोहाग	17-08-2018	01-09-2018	03-01-2020	16	0.90	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 5 नवम्बर 2018 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 88 दिनों की विलंब के पश्चात 2 अप्रैल 2019 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में 9 महीने का और विलंब था क्योंकि केवल जनवरी 2020 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।
22	मरहीन	18-02-2020	01-03-2020	26-08-2021	18	6.20	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 70 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 16 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 83 दिनों के विलंब के पश्चात 9 अगस्त 2021 को पूरा किया गया था।
23	एस.एम. अमृतसर	18-06-2018	01-09-2018	28-12-2018	4	3.75	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ अगस्त 2018 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 77 दिनों के विलंब के पश्चात 1 जनवरी 2019 को पूरा किया गया था।

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलम्ब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
24	पटियाला	28-06-2016	01-08-2016	03-06-2017	10	10.00	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 20 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 10 दिनों के विलंब के पश्चात 28 फरवरी 2017 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में तीन महीने का और विलंब था क्योंकि केवल जून 2017 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।
25	सोलान	04-04-2016	01-09-2016	03-06-2017	9	7.12	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 25 मई 2016 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 16 दिनों के विलंब के पश्चात 25 अक्टूबर 2016 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में सात महीने का और विलंब था क्योंकि केवल जून 2017 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।
26	जिरकपुर	08-02-2016	27-04-2016	09-11-2016	6	8.61	अनुबंध फरवरी 2016 में प्रविष्ट किया गया था और किराये का भुगतान अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया था। तथापि, परिसर से संचालन प्रारंभ होने में छह माह का विलम्ब था।
27	बसोहली	02-11-2016	02-11-2016	26-12-2017	14	6.89	सिविल इंटीरियर और फर्नीचर कार्यों के लिए कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 75 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 25 मई 2017 को जारी किया गया था। तथापि, कार्य 96 दिनों के विलंब के पश्चात 2 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था।
28	बिलावर	03-11-2016	03-11-2016	01-01-2018	14	5.30	सिविल इंटीरियर/फर्नीचर और विद्युत के कार्यों हेतु कार्य आदेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 75 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 25 मई 2017 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 138 दिनों के विलंब के पश्चात 1 जनवरी 2018 को पूरा किया गया था।
29	चान अरोरियन	08-05-2019	08-05-2019	05-08-2021	27	8.15	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 70 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 11 दिसम्बर 2020 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य 2 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में चार महीने का और विलंब था क्योंकि केवल अगस्त 2021 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	बी/यू का नाम	पट्टा अनुबंध की तिथि	किराये के भुगतान की प्रारंभ की तिथि	नए किराये के परिसर में संचालन प्रारंभ होने की तिथि	मास में स्थानांतरण/संचालन में विलम्ब	निष्क्रिय किराया भुगतान (₹ लाख में)	विलम्ब का कारण
30	बटाला	14-09-2016	07-10-2016	02-01-2017	3	1.34	कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिनों में निर्धारित समाप्ति की समय-सारणी के साथ 4 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। हालाँकि, कार्य बिना किसी विलंब के 25 नवम्बर 2016 को पूरा किया गया था। संचालन प्रारंभ होने में एक महीने का और विलंब था क्योंकि केवल जनवरी 2017 में ही इसे प्रारंभ किया जा सका था।
					कुल	513.77	

परिशिष्ट 9.2

कार्यादेशों का विवरण जहां कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण ठेकेदारों से अर्थदंड की वसूली नहीं की गई थी

(संदर्भ कंडिका: 9.4.1)

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
1.	5	मैसर्स सैयद इशफाक रूफैई	4-अप्रैल-16	21.88	11	0.12
2.	46	मैसर्स जय एह कंस्ट्रक्शन्स	18-अप्रैल-16	44.68	142	3.17
3.	59	मैसर्स न्यू हाई-टेक वर्क्स	21-अप्रैल-16	124.42	58	3.61
4.	72	मैसर्स विमकॉम इंटरप्राइजेज	25-अप्रैल-16	16.64	220	1.66
5.	96	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	6-मई-16	20.10	101	1.02
6.	106	मैसर्स सुनील गुप्ता	7-मई-16	36.07	102	1.84
7.	118	मैसर्स ग्लोबल इंजीनियर्स	11-मई-16	24.29	312	2.43
8.	119	मैसर्स एम ए इंटरप्राइजेज	11-मई-16	85.64	337	8.56
9.	959	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स	16-मई-16	20.15	144	1.45
10.	128	मैसर्स वेक्टर प्रोजेक्ट्स	17-मई-16	118.92	199	11.83
11.	129	मैसर्स टर्नकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स	17-मई-16	23.99	129	1.55
12.	130	मैसर्स एलाइड इंजीनियरिंग	17-मई-16	10.64	103	0.55
13.	152	मैसर्स शाह रऊफ	25-मई-16	25.15	159	2.00
14.	158	मैसर्स जफफार एंड कंपनी	25-मई-16	16.64	95	0.79
15.	162	मैसर्स शाह रऊफ	25-मई-16	28.42	369	2.84
16.	169	मैसर्स सुनील गुप्ता	27-मई-16	27.33	77	1.05
17.	174	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	25-मई-16	27.82	16	0.22
18.	211	मैसर्स सिल्वर ग्लेड्स गोल्फ डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स सोफी एंड कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम	1-जून-16	2,291.90	251	229.19
19.	212	मैसर्स शाह रऊफ	9-जून-16	27.67	181	2.50
20.	222	मैसर्स एलाइड इनकॉन	14-जून-16	43.16	115	2.48
21.	233	मैसर्स विमकॉम इंटरप्राइजेज	16-जून-16	26.17	142	1.86
22.	234	मैसर्स वुड आर्ट	16-जून-16	11.99	139	0.83
23.	238	मैसर्स एएनएस प्रोजेक्ट्स	16-जून-16	19.50	39	0.38
24.	250	मैसर्स ओपेक इंटीरियर एंड एक्सटैरियर	17-जून-16	14.36	108	0.78

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
25.	262	मैसर्स नूर इंटरियर्स	4-जून-16	167.00	272	16.70
26.	263	मैसर्स एनएस प्रोजेक्ट्स	23-जून-16	14.76	62	0.46
27.	273	मैसर्स मोहम्मद मुसा	27-जून-16	224.74	670	22.47
28.	278	मैसर्स मो. मुख्तियार गनाई	30-जून-16	15.12	12	0.09
29.	297	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	26-जुलाई-16	40.45	19	0.38
30.	299	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	26-जुलाई-16	32.97	27	0.45
31.	315	मैसर्स एसपीएसएस कंस्ट्रक्शन्स	6-अगस्त-16	27.78	6	0.08
32.	316	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	6-अगस्त-16	28.96	6	0.09
33.	318	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	6-अगस्त-16	45.23	201	4.52
34.	329	मैसर्स करण इंटरप्राइजेज	9-अगस्त-16	44.19	148	3.27
35.	335	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	9-अगस्त-16	76.67	252	7.67
36.	357	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	24-अगस्त-16	34.39	11	0.19
37.	369	मैसर्स नूर इंटरियर्स	30-अगस्त-16	42.11	137	2.88
38.	370	मैसर्स जेके ऑटोमेशन	30-अगस्त-16	15.04	605	1.50
39.	378	मैसर्स डिजिटल इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	6-सितम्बर-16	25.54	122	1.56
40.	381	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	6-सितम्बर-16	21.76	31	0.34
41.	382	मैसर्स डिजिटल इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	6-सितम्बर-16	26.98	112	1.51
42.	386	मैसर्स दीपक गोस्वामी	8-सितम्बर-16	16.58	85	0.70
43.	402	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स	17-सितम्बर-16	39.44	55	1.08
44.	422	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	28-सितम्बर-16	33.57	32	0.54
45.	406 व 27	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	20-सितम्बर-16 व 7-मार्च-17	66.34	47	1.56
46.	419	मैसर्स एनएस प्रोजेक्ट्स	28-सितम्बर-16	24.40	182	2.22
47.	424	मैसर्स रियाज अहमद कांथ	28-सितम्बर-16	244.23	410	24.42
48.	454	मैसर्स सुहैल रसूल गडयारी	18-अक्टूबर-16	42.00	17	0.36
49.	458	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	20-अक्टूबर-16	28.77	10	0.14
50.	465	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	24-अक्टूबर-16	47.49	216	4.75
51.	475	मैसर्स एसपीएसएस कंस्ट्रक्शन्स	26-अक्टूबर-16	24.42	101	1.23
52.	512	मैसर्स वीस इंटरप्राइजेज	16-नवम्बर-16	58.8	45	1.32
53.	513	मैसर्स भट्ट इंजीनियरिंग वर्क्स	16-नवम्बर-16	10.08	45	0.23

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
54.	1	मैसर्स राजकुमार बंसीलाल जैन	7-दिसम्बर-16	22.42	47	0.53
55.	5	मैसर्स एसपीएसएस कंस्ट्रक्शन्स	7-दिसम्बर-16	43.54	51	1.11
56.	4	मैसर्स मोहम्मद अशरफ राथर	8-दिसम्बर-16	10.23	1	0.01
57.	12	मैसर्स ओपेक इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स	29-दिसम्बर-16	53.72	156	4.19
58.	16	मैसर्स अब रहीम नज़र	7-जनवरी-17	10.06	13	0.07
59.	20	मैसर्स एलाइड इनकॉन	25-जनवरी-16	32.81	70	1.15
60.	1	मैसर्स रियाज अहमद खान	7-अप्रैल-17	67.89	311	6.79
61.	8	मैसर्स मोहम्मद सिद्दीकी	15-मई-17	10.75	8	0.04
62.	11	मैसर्स कासी मसूद अहमद	19-मई-17	21.46	137	1.47
63.	12	मैसर्स एलाइड इनकॉन	20-मई-17	30.56	158	2.41
64.	16	मैसर्स इकबाल वुड इंडस्ट्री	24-मई-17	35.28	135	2.37
65.	21	मैसर्स एनके ट्रेडर्स	24-मई-17	56.08	99	2.78
66.	23	मैसर्स ओपेक इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स	24-मई-17	26.82	110	1.48
67.	26	मैसर्स टीए इंटरप्राइजेज	24-मई-17	51.74	95	2.46
68.	37	मैसर्स वीस इंटरप्राइजेज	24-मई-17	58.22	126	3.67
69.	44	मैसर्स रियाज ए कांथ	24-मई-17	21.22	154	1.63
70.	58	मैसर्स दीपक गोस्वामी	25-मई-17	49.00	96	2.35
71.	61	मैसर्स करण इंटरप्राइजेज	25-मई-17	31.98	149	2.38
72.	62	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	25-मई-17	23.20	136	1.58
73.	65	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	25-मई-17	50.31	138	3.47
74.	68	मैसर्स सुनील गुप्ता कांटेक्टरस	25-मई-17	23.66	316	2.37
75.	71	मैसर्स वुड आर्ट	25-मई-17	13.78	140	0.96
76.	74	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	25-मई-17	55.02	81	2.23
77.	75	मैसर्स यूनीक इंटरप्राइजेज	25-मई-17	10.14	122	0.62
78.	76	मैसर्स राज कुमार बंसी लाल जैन	25-मई-17	22.18	156	1.73
79.	78	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	26-मई-17	11.80	241	1.18
80.	96	मैसर्स डिजिटैक सिस्टम्स एंड इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	26-मई-17	22.41	198	2.22
81.	98	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	26-मई-17	27.10	132	1.79
82.	108	मैसर्स मुख्तार गनई	29-जून-17	20.50	116	1.19

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
83.	111	मैसर्स फारुक अहमद मुगलु	29-जून-17	16.72	125	1.05
84.	116	मैसर्स सैयद इशफाक रूफैई	30-जून-17	25.73	110	1.42
85.	117	मैसर्स इकरा फर्नीचर	30-जून-17	11.79	47	0.28
86.	121	मैसर्स फिरदौस बुच	30-जून-17	20.64	115	1.19
87.	132	मैसर्स जय एह कस्ट्रक्शन्स	3-जुलाई-17	35.58	97	1.73
88.	134	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	7-जुलाई-17	233.00	37	4.34
89.	138	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	12-जुलाई-17	131.06	40	2.64
90.	139	मैसर्स टॉप माइंड इंस्ट्रीज	12-जुलाई-17	18.00	56	0.50
91.	141	मैसर्स बशीर अहमद सोफी	14-जुलाई-17	22.18	107	1.19
92.	142	मैसर्स फारुक अहमद दार	14-जुलाई-17	15.11	101	0.76
93.	157	मैसर्स क्रिएटिव लीग	9-अगस्त-17	10.08	362	1.01
94.	160	मैसर्स दीपक गोस्वामी	11-अगस्त-17	12.33	110	0.68
95.	166	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	22-अगस्त-17	24.66	88	1.09
96.	167	मैसर्स शाह रऊफ	22-अगस्त-17	38.47	56	1.08
97.	168	मैसर्स वुड आर्ट	22-अगस्त-17	18.71	48	0.45
98.	170	मैसर्स वारिस अली	23-अगस्त-17	27.86	30	0.42
99.	177	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	1-सितम्बर-17	43.29	159	3.44
100.	178	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	5-सितम्बर-17	35.02	66	1.16
101.	181	मैसर्स सोफी एंड कंपनी	19-सितम्बर-17	10.00	226	1.00
102.	183	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	28-सितम्बर-17	45.44	28	0.64
103.	184	मैसर्स दीपक गोस्वामी	3-अक्टूबर-17	37.95	236	3.80
104.	210	मैसर्स मोहम्मद मूसा	25-अक्टूबर-17	129.00	961	12.90
105.	213	मैसर्स सुनील गुप्ता	14-नवम्बर-17	24.51	217	2.45
106.	214	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	15-नवम्बर-17	96.80	157	7.60
107.	215	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	15-नवम्बर-17	22.63	83	0.94
108.	217	मैसर्स एएनएस प्रोजेक्ट	15-नवम्बर-17	18.90	94	0.89
109.	218	मैसर्स राज कुमार बंसीलाल जैन	15-नवम्बर-17	33.97	272	3.40
110.	219	मैसर्स एलाइड इनकॉन	15-नवम्बर-17	63.45	61	1.94
111.	220	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	15-नवम्बर-17	192.48	226	19.25

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
112.	231	मैसर्स दीपक गोस्वामी	21-नवम्बर-17	32.85	158	2.60
113..	240	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	24-नवम्बर-17	14.01	46	0.32
114.	247	मैसर्स एक्वा पूर्फिंग एड्स	7-दिसम्बर-17	16.81	24	0.20
115.	251	मैसर्स एलाइड इनकॉन (पी) लिमिटेड	16-जनवरी-18	36.70	66	1.21
116.	257	मैसर्स मोहम्मद सिदीक	19-जनवरी-18	11.11	25	0.14
117.	260	मैसर्स एएनएस प्रोजेक्ट	19-जनवरी-18	11.43	4	0.02
118.	262	मैसर्स करण इंटरप्राइजेज	19-जनवरी-18	26.90	25	0.34
119.	271	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	23-जनवरी-18	41.47	143	2.97
120.	277 व 205	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	08-फरवरी-18 व 29-अक्टूबर-18	159.24	292	15.92
121.	284	मैसर्स एएनएस प्रोजेक्ट	19-फरवरी-18	24.32	71	0.86
122.	285	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	19-फरवरी-18	30.92	40	0.62
123.	294	मैसर्स दीपक गोस्वामी	27-फरवरी-18	51.61	98	2.53
124.	295	मैसर्स डिजिटल सिस्टम्स एंड इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	27-फरवरी-18	43.3	193	4.18
125.	302	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	6-मार्च-18	11.85	84	0.50
126.	305	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	14-मार्च-18	94.69	21	0.98
127.	306	मैसर्स कंवर डिजाइन्स एंड डेवलपर्स	14-मार्च-18	46.84	171	4.00
128.	2	मैसर्स मोहम्मद सिदीक भट्ट	17-मई-18	20.01	22	0.22
129.	3	मैसर्स सोफी एंड कंपनी	9-जून-18	58.76	44	1.29
130.	7	मैसर्स शब्बीर अहमद रेशी	14-जून-18	20.53	85	0.87
131.	10	मैसर्स आई क्यू बिजनेस एंड सर्विसेज	20-जून-18	31.82	134	2.13
132.	11	मैसर्स इकरा फर्नीचर	20-जून-18	12.60	84	0.53
133.	14	मैसर्स दीपक गोस्वामी	27-जून-18	29.42	90	1.32
134.	17	मैसर्स शरत पुरी कांटेक्टरस	4-जुलाई-18	1,130.59	400	113.06
135.	19	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	31-जुलाई-18	28.51	108	1.54
136.	24	मैसर्स वीस इंटरप्राइजेज	30-जुलाई-18	79.55	272	7.96
137.	25	मैसर्स टॉप माइंड इंस्ट्रीज	30-जुलाई-18	10.77	249	1.08
138.	30	मैसर्स मोहम्मद यासीन शाह	30-जुलाई-18	25.70	21	0.27
139.	31	मैसर्स मिराज जॉइन्ट्री मिल्स	30-जुलाई-18	12.40	14	0.09
140.	34	मैसर्स जय एह कंस्ट्रक्शन्स	30-जुलाई-18	69.10	147	5.08

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
141.	36	मैसर्स एआर के फर्निचर	30-जुलाई-18	34.42	125	2.16
142.	38	मैसर्स मोहम्मद अल्ताफ माग्ने	30-जुलाई-18	29.70	48	0.71
143.	47	मैसर्स फारूक अहमद मुगलू	30-जुलाई-18	21.11	17	0.18
144.	48	मैसर्स हॉलीवुड आर्ट	30-जुलाई-18	11.90	72	0.43
145.	51	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	30-जुलाई-18	61.30	83	2.54
146.	52	मैसर्स आई क्यू बिजनेस एंड सर्विसेज	30-जुलाई-18	36.68	299	3.67
147.	53	मैसर्स मिराज जॉइनरी मिल्स	30-जुलाई-18	12.21	139	0.85
148.	55	मैसर्स बशीर अहमद सोफी	30-जुलाई-18	18.12	79	0.72
149.	62	मैसर्स शाह रऊफ	31-जुलाई-18	24.74	55	0.68
150.	66	मैसर्स मोहम्मद सिद्दीक भट्ट	31-जुलाई-18	36.90	93	1.72
151.	69	मैसर्स सुहैल रसूल गडयारी	31-जुलाई-18	39.11	92	1.80
152.	75	मैसर्स वाहिद एम. द्राबु	1-अगस्त-18	18.71	13	0.12
153.	82	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	1-अगस्त-18	32.21	77	1.24
154.	83	मैसर्स रियाज अहमद खान	1-अगस्त-18	19.00	133	1.26
155.	86	मैसर्स डिजिटैक सॉल्यूशंस	1-अगस्त-18	28.16	62	0.87
156.	87	मैसर्स जफर एंड कंपनी	1-अगस्त-18	19.19	73	0.70
157.	90	मैसर्स रियाज अहमद कांथ	1-अगस्त-18	19.00	5	0.05
158.	96	मैसर्स इफफान इंटीरियर्स	1-अगस्त-18	32.08	55	0.88
159.	98 व 309	मैसर्स सोफी एंड कंपनी	8-फरवरी-18 व 16-फरवरी-19	148.33	179	13.28
160.	99	मैसर्स ओपेक इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स	3-अगस्त-18	63.20	12	0.39
161.	102	मैसर्स फारूक अहमद दार	3-अगस्त-18	33.01	70	1.16
162.	123	मैसर्स फारूक अहमद दार	28-अगस्त-18	15.33	89	0.68
163.	129	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	28-अगस्त-18	14.98	159	1.19
164.	161	मैसर्स एएनएस प्रोजेक्ट्स	28-सितम्बर-18	25.80	158	2.04
165.	163	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	28-सितम्बर-18	18.19	46	0.42
166.	165	मैसर्स सबाह कंस्ट्रक्शन्स	28-सितम्बर-18	22.52	45	0.51
167.	166	मैसर्स सुनील गुप्ता कांटेक्टरस	28-सितम्बर-18	26.08	242	2.61
168.	168	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	29-सितम्बर-18	42.76	32	0.68
169.	169	मैसर्स टीए इंटरप्राइजेज	29-सितम्बर-18	37.41	113	2.11

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
170.	170	मैसर्स शाह रऊफ	29-सितम्बर-18	24.22	159	1.93
171.	175	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	29-सितम्बर-18	74.21	120	4.45
172.	177	मैसर्स एस क्यू फर्नीचर वर्क्स	1-अक्टूबर-18	53.99	833	5.40
173.	179	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	1-अक्टूबर-18	22.57	223	2.26
174.	181	मैसर्स मोहम्मद मुख्तार गनई	1-अक्टूबर-18	10.03	248	1.00
175.	185	मैसर्स एम.जेड इंटरप्राइजेज	3-अक्टूबर-18	43.37	93	2.02
176.	189	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	12-अक्टूबर-18	28.45	215	2.85
177.	191	मैसर्स रियाज अहमद कांथ	12-अक्टूबर-18	17.40	191	1.66
178.	192	मैसर्स मिराज जॉइनरी मिल्स	12-अक्टूबर-18	11.14	120	0.67
179.	196	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	15-अक्टूबर-18	32.24	58	0.93
180.	197	मैसर्स सैयद दानिश रूफई	17-अक्टूबर-18	102.86	171	8.79
181.	204	मैसर्स दीपक गोस्वामी	24-अक्टूबर-18	25.90	92	1.19
182.	206	मैसर्स एलाइड इनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड	1-नवम्बर-18	36.00	106	1.91
183.	207	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	1-नवम्बर-18	175.61	250	17.56
184.	208	मैसर्स ग्लोबल इंजीनियरिंग	1-नवम्बर-18	38.00	52	0.99
185.	209	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	2-नवम्बर-18	23.14	196	2.27
186.	211	मैसर्स एलाइड इनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड	2-नवम्बर-18	102.55	168	8.61
187.	212	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स	5-नवम्बर-18	22.24	88	0.98
188.	219	मैसर्स मोहम्मद अशरफ राथर	6-नवम्बर-18	12.12	15	0.09
189.	226	मैसर्स सुहैल रसूल गडयारी	8-नवम्बर-18	11.90	41	0.24
190.	245	मैसर्स राज कुमार बंसी लाल	17-नवम्बर-18	26.42	120	1.59
191.	247	मैसर्स शब्बीर अहमद रेशी	17-नवम्बर-18	18.81	80	0.75
192.	253	मैसर्स आर एईई फर्नीचर वर्क्स	1-दिसम्बर-18	28.33	204	2.83
193.	256	मैसर्स आई क्यू बिजनेस एंड सर्विसेज	10-दिसम्बर-18	66.20	293	6.62
194.	270	मैसर्स इकबाल वुड इंडस्ट्रीज	27-दिसम्बर-18	12.69	147	0.93
195.	271	मैसर्स सुनील गुप्ता	27-दिसम्बर-18	31.73	141	2.24
196.	272	मैसर्स डिजिटैक सिस्टम्स एंड इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	27-दिसम्बर-18	13.56	113	0.77
197.	277	मैसर्स एक्वा प्रूफिंग एड्स	5-जनवरी-19	25.64	63	0.81
198.	278	मैसर्स एमए इंटरप्राइजेज	10-जनवरी-19	46.69	43	0.99

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
199.	279	मैसर्स रियाज अहमद खान	11-जनवरी-19	29.75	102	1.52
200.	288	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	22-जनवरी-19	25.87	179	2.31
201.	289	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	22-जनवरी-19	32.56	29	0.47
202.	290	मैसर्स करण इंटरप्राइजेज	22-जनवरी-19	26.11	24	0.31
203.	292	मैसर्स नसरुल्ला जान	25-जनवरी-19	12.44	74	0.46
204.	304	मैसर्स मोहम्मद अशरफ राथर	16-फरवरी-19	33.24	174	2.89
205.	305	मैसर्स परसेप्ट बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16-फरवरी-19	25.37	92	1.17
206.	307	मैसर्स अलैही कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	16-फरवरी-19	144.60	94	6.80
207.	308	मैसर्स पेस इंटीरियर्स	16-फरवरी-19	31.75	81	1.29
208.	313	मैसर्स मुनिक्स इलेक्ट्रिकल्स	18-फरवरी-19	10.15	95	0.48
209.	317	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	20-फरवरी-19	58.73	52	1.53
210.	319	मैसर्स शरत पुरी कांटेक्टरस	20-फरवरी-19	100.00	570	10.00
211.	326	मैसर्स राज कुमार बंसीलाल जैन	12-मार्च-19	11.46	59	0.34
212.	327	मैसर्स मोहम्मद सिद्दीक भट्ट	14-मार्च-19	10.73	75	0.40
213.	329	मैसर्स एमए इंटरप्राइजेज	15-मार्च-19	69.09	293	6.91
214.	330	मैसर्स नूर इंटीरियर्स	16-मार्च-19	95.82	234	9.58
215.	331	मैसर्स मलिक साजिद शफी	18-मार्च-19	12.97	66	0.43
216.	338	मैसर्स सबाह कंस्ट्रक्शन मैसर्स सुनील गुप्ता	29-मार्च-19	27.39	130	1.78
217.	8	मैसर्स करन इंटरप्राइजेज	16-अप्रैल-19	18.30	17	0.16
218.	9	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	16-अप्रैल-19	14.59	65	0.47
219.	11	मैसर्स शाह रौफ	19-अप्रैल-19	11.24	44	0.25
220.	13	मैसर्स सुहैल रसूल गडयारी	19-अप्रैल-19	12.39	38	0.24
221.	26	मैसर्स बशीर अहमद सोफी	15-मई-19	10.41	3	0.02
222.	49	मैसर्स दीपक गोस्वामी	30-मई-19	13.28	640	1.33
223.	32	मैसर्स हाईवे इंटरप्राइजेज	16-अक्टूबर-20	47.19	68	1.60
224.	61	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	11-दिसम्बर-20	13.66	29	0.20
225.	62	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	11-दिसम्बर-20	9.85	29	0.14
226.	63	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	11-दिसम्बर-20	5.45	29	0.08
227.	67	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	11-दिसम्बर-20	13.70	29	0.20

क्र.सं.	कार्यादेश सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	विलंब (दिनों)	विलंब के लिए अर्थदंड (₹ लाख में)
228.	68	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	11-दिसम्बर-20	7.28	49	0.18
229.	69	मैसर्स मन्नु लाल एंड संस	11-दिसम्बर-20	4.60	29	0.07
230.	70	मैसर्स डिजिटल सिस्टम्स एंड इन्फोकॉम प्रा. लिमिटेड	18-दिसम्बर-20	10.53	4	0.02
231.	71	मैसर्स सुदेश भरत कलसी	18-दिसम्बर-20	5.68	33	0.09
232.	72	मैसर्स राम इलेक्ट्रिक वर्क्स	18-दिसम्बर-20	5.73	4	0.01
233.	78	मैसर्स चिंतपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी	22-दिसम्बर-20	6.70	29	0.10
		कुल				876.53

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/jammu-kashmir/hi>